TRAI

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2015-16

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

Hkkjrh; nwjlapkj fofu;ked izkf/kdj.k

(आईएस/आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित संगठन)

okf"kd fjiksVZ

2015-16

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग
(पुराना मिंटो रोड), नई दिल्ली–110002
टेलीफोन: =91+11-23236308
फैक्स न. :+91-11-23213294
ई–मेल : ap@trai.gov.in
वेबसाइट://www.trai.gov.in

l i i"k.k i=

ekuuh; lpkj ,o lpuk ik|kfxdh e=h d eke; ls dUnz ljdkj dh lok e

यह मेरा सौभाग्य है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के लिए मुझे, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वर्ष 2015–16 की 19वीं वार्षिक रिपोर्ट भेजने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में वह सूचना शामिल है जो, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 2000 में यथासंशोधित) के उपबंधों के अधीन केन्द्र सरकार को भेजी जानी अपेक्षित है।

इस रिपोर्ट में, अधिनियम के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों के विशेष उल्लेख के साथ, दूरसंचार व प्रसारण के क्षेत्र का परिदृश्य तथा भादूविप्रा द्वारा विनियामक मुद्दों पर की गई महत्वपूर्ण पहलों का सारांश समाविष्ट है। इस रिपोर्ट में प्राधिकरण का लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण भी शामिल है।

(राम सेवक शर्मा)
अध्यक्ष

दिनांक : दिसंबर 2016

fo"k;&lwph

Øe l-	fooj.k	i"B l-
	ifjn';	1-8
Hkkx&1	uhfr;k vkj dk;Øe	9-74
	(क) दूरसंचार क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा	
	(ख) नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा	
	(ग) प्रसारण और केबल टीवी सेक्टर में सामान्य परिवेश की समीक्षा	
	भाग–1 के परिशिष्ट	
Hkkx&2	Hkkjrh; nj lpkj fofu;ked ikf/kdj.k d dk;k vkj ipkyuk dh leh{kk	75-126
Hkkx&3	Hkkjrh; nj lpkj fofu;ked ikf/kdj.k vf/kfu;e dh /kkjk 11 e fofufn"V fo"k;k d lc/k e Hkkjrh; nj lpkj fofu;ked ikfèkdj.k d dk;l	127-148
Hkkx&4	Hkkjrh; nj lpkj fofu;ked ikf/kdj.k d lxBukRed ekey rFkk foÙkh; fu"iknu	149-162
	क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले	149-163
	ख) वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	164-195
	ग) वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता 31 मार्च, 2016 को तुलन–पत्र	196-218

दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र का परिदृश्य

ifjn'';

वर्ष 2015–16, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के लिए एक और व्यस्त तथा घटनाओं से भरा वर्ष रहा। प्राधिकरण ने दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया। सरकार को 'एकल नंबर आधारित एकीकृत आपात संचार और प्रतिक्रिया प्रणाली', ब्रॉडबैंड को त्वरित रूप से प्रदान करना : हमें क्या करने की आवश्यकता है?'' 'दूरसंचार क्षेत्र में वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों की शुरुआत करना', 'भारत नेट' हेतु कार्यान्वयन की कार्यनीति' 'आईपी इंटरफेस पर अंतःसंयोजन' आदि के संबंध में सिफारिशें की गई। 700 मेगाहर्टज, 800 मेगाहर्टज, 900 मेगाहर्टज, 1800 मेगाहर्टज, 2100 मेगाहर्टज, 2300 मेगाहर्टज और 2500 मेगाहर्टज के स्पेक्ट्रम के मूल्यांकन और रिजर्व मूल्य के संबंध में भी सिफारिशें की गई। टैरिफ के मामले में, अधिकतर सेवाओं में यथा स्थिति बनाए रखने की नीति को जारी रखा। दूरसंचार उपभोक्ताओं के हितों में प्रभावी उपाय भी किए गए। प्रसारण क्षेत्र में, केबल क्षेत्र का डिजिटलीकरण, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता को सशक्त बनाना और उन्हें बेहतर गुणवत्ता की सुविधा तथा अधिक विकल्प उपलब्ध कराना था, करने की प्रक्रिया को जारी रखा और विभिन्न विषमताओं तथा चुनौतियों के संदर्भ में सतत् रूप से निगरानी की गई। डिजिटलीकरण कार्यान्वयन के पहले तीन चरण पूर्ण हो चुके हैं और इसमें केबल टेलीविजन वाले लगभग 50 प्रतिशत घरों को पहले ही शामिल किया जा चुका है। भादूविप्रा ने एक ऐसे क्षेत्र की स्थिरता और समान विकास के लिए उपाय करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जो कि वर्तमान में पूर्ववर्ती एनालॉग युग से होकर एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। ऐसे परिवेश को बेहतर बनाने से प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र में भविष्य के निवेशों को प्रोत्साहित किया जाएगा और प्रसारण तथा केबल टेलीविजन सेवा क्षेत्र में और तीव्र गति से विकास होगा।

2- o"k 2015&16 d nkjku] nj lpkj vkj ilkj.k {k=k l lcifèkr egRoi.k ?kVukvk dk C;kjk uhp fn;k x;k g&

1- nj lpkj {k=

(1) वर्ष 2015–16 के दौरान दूरसंचार के उपभोक्ताओं की संख्या में पर्याप्त बढ़ोत्तरी देखी गई। वित्त वर्ष के अंत में, उपभोक्ता आधार का आंकड़ा 1058.68 मिलियन था, जिसमें 1033.63 मिलियन वायरलेस उपभोक्ता थे। वर्ष के दौरान, वायरलेस उपभोक्ता आधार में 63.74 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि समग्र टेलीफोन घनत्व में 79.38 से 83.36 की वृद्धि हुई। इस वर्ष, ग्रामीण टेलीफोन घनत्व में 48.37 से 51.37 की वृद्धि पाई गई, जबकि शहरी टेलीफोन घनत्व भी 148.61 से बढ़कर 154.01 हो गया। वर्ष 2015–16 के दौरान, 55.28 मिलियन उपभोक्ताओं ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा का उपयोग करने के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं के पास अनुरोध किया। इसे मिलाकर, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी अनुरोधों की संख्या मार्च, 2015 के अंत में 153.85 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2016 के अंत में 209.13 मिलियन हो गई। देश में इंटरनेट उपभोक्ता आधार 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, 302.35 मिलियन की तुलना में 31 मार्च, 2016 को 342.65 मिलियन हो गया। देश में कुल ब्रॉडबैंड उपभोक्ता आधार 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 99.20 मिलियन से बढ़कर 31 मार्च, 2016 को 149.20 मिलियन रहा।

(2) भादूविप्रा अधिनियम के अंतर्गत आदेशित, प्राधिकरण के कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू सरकार को विविध विषयों के संबंध में अनुशंसाएं देना है, जिनमें बाजार फ्रेमवर्क और क्षेत्र में नए ऑपरेटरों का प्रवेश, लाइसेंस फ्रेमवर्क, स्पेक्ट्रम जैसे दुर्लभ संसाधनों का प्रबंधन, उपभोक्ता सुरक्षा और संरक्षा शामिल हैं। अनेक महत्वपूर्ण नीति विनियामक संबंधी सिफारिशें की गईं, जिसमें 'एकल नंबर आधारित एकीकृत आपात संचार और प्रतिक्रिया प्रणाली', ''ब्रॉडबैंड त्वरित रूप से प्रदान करना : हमें क्या करने की आश्यकता है?'', दूरसंचार क्षेत्र में वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों की शुरुआत करना', 'भारतनेट' हेतु कार्यान्वयन की रणनीति', 'आईपी इंटरफेस पर अंतःसंयोजन' के संबंध में अनुशंसाएं की गई। 700 मेगाहर्टज, 800 मेगाहर्टज, 900 मेगाहर्टज, 1800 मेगाहर्टज, 2100 मेगाहर्टज, 2300 मेगाहर्टज और 2500 मेगाहर्टज बैंड के स्पेक्ट्रम के मूल्यांकन और रिजर्व मूल्य के संबंध में भी अनुशंसाएं की गई।

(3) प्राधिकरण ने अपनी दिनांक 7 अप्रैल, 2015 की अनुशंसाओं के द्वारा भारत में एक कुशल और सुदृढ़ एकीकृत आपात संचार और प्रतिक्रिया प्रणाली की स्थापना को सरल बनाने के लिए ''एकल नंबर आधारित एकीकृत आपात संचार और प्रतिक्रिया प्रणाली''(आईईसीआरसी) के कार्यान्वयन हेतु स्वतः प्रेरणा से अनुशंसा की।

(4) प्राधिकरण ने दिनांक 6 जनवरी, 2016 को आधार आधारित ई–हस्ताक्षर के साथ आधार आधारित ई–केवाईसी सेवा को नए मोबाइल उपभोक्ताओं के डिजिटल हस्ताक्षरित, बायोमेट्रिक आधारित सत्यापन हेतु मौजूदा प्रक्रिया के बदले एक वैध वैकल्पिक प्रक्रिया के रूप में अंगीकरण और स्वीकार करने की अनुशंसा की।

(5) 'आईपी इंटरफेस पर अंतःसंयोजन' के संबंध में 11 फरवरी, 2016 को सरकार को अनुशंसाएं प्रेषित की गई थी, जिसमें आईपी आधारित अंतःसंयोजन स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस शर्त में संशोधन की अनुशंसा की गई।

(6) प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं को विषय–वस्तु के आधार पर डेटा सेवाओं हेतु विभेदकारी शुल्कों का प्रस्ताव करने से रोकने के लिए 8 फरवरी, 2016 को '' डेटा–सेवा के लिए विभेदकारी टैरिफ का निषेध विनियम, 2016 जारी किया।

2- i:lkj.k {k=

इस अवधि के दौरान, प्रसारण और केबल सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं:–

(1) प्रसारण क्षेत्र में टेलीविजन और रेडियो सेवाएं शामिल हैं। भारत, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टेलीविजन बाजार है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 284[1] मिलियन घरों में से लगभग 181[1] मिलियन घरों में दूरदर्शन के उपग्रह टेलीविजन नेटवर्क के साथ केबल टेलीविजन सेवाएं, डीटीएच सेवाएं, आईपी–टेलीविजन सेवाएं मौजूद हैं। 'पे–टेलीविजन यूनीवर्स' में लगभग 102[1] मिलियन केबल टेलीविजन उपभोक्ता, 88.94 मिलियन पंजीकृत डीटीएच उपभोक्ता (58.53 मिलियन सक्रिय उपभोक्ताओं सहित) और लगभग आधा मिलियन आईपी टेलीविजन उपभोक्ता शामिल हैं। दूरदर्शन का उपग्रह टेलीविजन नेटवर्क, उपग्रही ट्रांसमीटरों के एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से देश की लगभग 92.6[2] प्रतिशत आबादी को सेवाएं प्रदान कर रहा है।

(2) लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन के अतिरिक्त 48 पे–प्रसारक, अनुमानतः 60,000 केबल ऑपरेटर, 6,000 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) (डीएएस के अंतर्गत पंजीकृत 792 एमएसओ) छह पे–डीटीएच ऑपरेटर, डीटीएच सेवाओं में फ्री–टू–एअर चेनल उपलब्ध करा रहे हैं। वित्त वर्ष 2015–16 के अंत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत 869 पंजीकृत टेलीविजन चैनलों में से, 205 एसडी पे–टेलीविजन चैनल (5 विज्ञापन–मुक्त पे–चैनल सहित) और 58 एचडी पे–टेलीविजन चैनल हैं।

(3) भारत का टेलीविजन उद्योग 2014–15 में 47,500[1] करोड़ रुपए से बढ़कर 2015–16 में 54,200[1] करोड़ रुपए हो गया, इस तरह इसमें लगभग 14.01 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। शुल्क राजस्व उद्योग के समग्र राजस्व का एक प्रमुख भाग होता है। शुल्क राजस्व 2014–15 में 32,000[1] करोड़ रुपए से बढ़कर 2015–16 में 36,100[1] करोड़ रुपए हो गया। इसी तरह, विज्ञापन राजस्व 2014–15 में 15,500[1] करोड़ रुपए से बढ़कर 2015–16 में 18,100[1] करोड़ रुपए हो गया। एफएम (फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन) रेडियो प्रसारण क्षेत्र में भी प्रभावशाली बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। 418[2] स्टेशनों और 606[2] प्रसारक ट्रांसमीटरों (145[2] मीडियम वेब, 413[2] एफएम और 48[2] शार्ट वेव स्टेशनों) के नेटवर्क वाले लोक सेवा प्रसारक – ऑल इंडिया रेडियो के अतिरिक्त मार्च, 2016 तक 243 निजी एफएम रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे थे। ऑल इंडिया रेडियो सेवाओं की पहुंच देश के लगभग 99.20[2] प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र और 99.19[2] प्रतिशत आबादी तक है। जहां तक मार्च, 2016 तक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का संबंध है, ऐसे स्टेशनों की स्थापना के लिए जारी किए गए 237 लाइसेंसों

[1] स्रोत : एमपीए रिपोर्ट, 2015

[2] स्रोत : एमआईबी वेबसाइट – www.mib.gov.in

(जीओपीए हस्ताक्षरित) में से 191 रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे थे। रेडियो उद्योग पूरी तरह विज्ञापन से प्राप्त होने वाले राजस्व पर निर्भर है और इसमें वर्ष 2015–16 के दौरान लगभग 17.81 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की है। विज्ञापन राजस्व भी 2014–15 में 1633 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2015–16 में बढ़कर 1923.91 करोड़ हो गया।

(4) विगत दशक में, केबल और सैटेलाइट टेलीविजन बाजार के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रगति भारत में केबल टेलीविजन क्षेत्र का डिजिटाईजेशन की प्रक्रिया चल रही है। डिजिटलीकरण करने की प्रक्रिया, एक चरणबद्ध तरीके से चल रही है। मार्च, 2016 के अंत तक, लगभग 50 मिलियन एसटीबी स्थापित कर दिए गए हैं। एनालॉग ट्रांसमिशन हेतु अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2016 है। डिजिटलीकरण के पहले तीन चरणों का अनुभव बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है और एड्रेसेबिलिटी के साथ डिजिटाईजेशन को लागू किए जाने से देश में प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं का ढांचागत विकास करने के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध होगा।

fofu;e

(5) भादूविप्रा ने 14 सितम्बर, 2015 को वाणिज्यिक उपभोक्ताओं हेतु टेलीविजन सेवाओं से संबंधित अंतःसंयोजन विनियमों में दो संशोधनों को अधिसूचित किया, जिनमें से एक एनालॉग केबल टेलीविजन प्रणालियों के माध्यम से, गैर–एड्रेसेबल प्रणालियों वाले क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा रही टेलीविजन सेवाओं पर लागू है जबकि दूसरा एड्रेसेबल प्रणालियों वाले क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा रही टेलीविजन सेवाओं पर लागू है। अंतःसंयोजन में संशोधनों के माध्यम से अन्य बातों के अलावा ' उपभोक्ता', सामान्य उपभोक्ता', और 'वाणिज्यिक उपभोक्ता' की परिभाषा शामिल की गई है।

(6) सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतःसंयोजन के ब्यौरे से यह पता चला है कि वैध लिखित अंतःसंयोजन समझौतों के बिना भी कई प्रसारकों द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा स्थानीय केबल ऑपरेटरों को टेलीविजन चैनलों के सिग्नल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही, वैध अंतःसंयोजन समझौतों के बिना टेलीविजन सिग्नल के पुर्नःप्रसारण को, आपसी समझौतों के जारी रहने के बहाने से, जारी रखने से अक्सर विवाद पैदा होते हैं, जिससे सेवाएं अप्रत्याशित रूप से बंद हो जाती हैं, जोकि उपभोक्ताओं हेतु सेवा की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। भादूविप्रा ने इस संबंध में दिनांक 7 जनवरी, 2016 को ''दूरसंचार (प्रसारण और केबल टेलीविजन प्रणाली) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली (छठा संशोधन) विनियम, 2016 अधिसूचित किया, जिसमें यह अधिदेशित किया गया है कि कोई पे–चैनल प्रसारक अपने पे–चैनलों के पुर्नःप्रसारण हेतु मल्टी

[1] स्रोत फिक्की – केपीएमजी इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रिपोर्ट, 2016

[2] स्रोत : एआईआर वेबसाइट – www.air.org.in

सिस्टम ऑपरेटर के साथ लिखित अंतःसंयोजन समझौते करेगा चाहे मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा प्रसारक को उपभोक्ता शुल्क का भुगतान किया गया हो अथवा नहीं। इसमें टेलीविजन सिग्नलों के पुर्नःप्रसारण हेतु सेवा प्रसारकों के बीच के मौजूदा अंतःसंयोजन समझौते के समाप्त होने से पहले एक नया अंतःसंयोजन समझौता करने हेतु पर्याप्त समय (न्यूनतम साठ दिन) का भी उपबंध किया गया है। इसके फलस्वरूप, आपसी समझौतों के नाम पर मौजूदा अंतःसंयोजन समझौते के समाप्त होने के पश्चात् टेलीविजन सिग्नल की प्रबंध व्यवस्था को जारी रखने की गुंजाइश नहीं है। मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को यह भी आदेशित किया गया है कि एक नया अंतःसंयोजन समझौता करने में असफल रहने पर, उन्हें अपने उपभोक्ताओं को अपने मौजूदा अंतःसंयोजन समझौते की समाप्ति की तिथि के 15 दिन पूर्व और टेलीविजन चैनलों के बंद होने के बारे में सूचित करना होगा, जिससे उसके उपभोक्ता अपनी पसंद के संबंध में जानकारीप्रद निर्णय ले सकें।

(7) भादूविप्रा ने डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों (डीएएस) के माध्यम से केबल टेलीविजन सेवाओं का प्रावधान करने हेतु मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) और स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एमएसओ) के बीच हस्ताक्षर किये जाने वाले आदर्श अंतःसंयोजन समझौते और मानक अंतःसंयोजन समझौते हेतु मानकीकृत प्रारूप निर्धारित करते हुए दिनांक 15 मार्च, 2016 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) (सातवां संशोधन) विनियम, 2016 (2016 का 3) जारी किया। प्राधिकरण के विचार से आदर्श अंतःसंयोजन समझौते और मानक अंतःसंयोजन समझौते हेतु ऐसे प्रारूप विहित करना, इस क्षेत्र के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों और स्थानीय केबल ऑपरेटरों के बीच विवादों में कमी होगी, सभी प्रतिभागियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगा और क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा, जो आखिरकार उपभोक्ताओं के लिए बेहतर गुणवत्तायुक्त सेवा की दिशा में अग्रसर करेगा।

VfjQ vkn;'k

(8) भादूविप्रा ने डीटीएच क्षेत्र में प्रभावी वाणिज्यिक अंतर्प्रचालनत्मकता सुनिश्चित करने के लिए, डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा उनके उपभोक्ताओं को प्रदान किए जा रहे उपभोक्ता परिसर उपकरण (सीपीई) की अंतर्प्रचालनत्मकता हेतु एक रूपरेखा निर्धारित करते हुए, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को एक टैरिफ आदेश अधिसूचित किया। प्राधिकरण के विचार में सीपीई की वाणिज्यिक अंतर्प्रचालनत्मकता के प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की पूर्णतया संरक्षा की जा सकती है। वाणिज्यिक अंतर्प्रचालनत्मकता किसी डीटीएच उपभोक्ता को निकास का विकल्प उपलब्ध कराती है, यदि वह किसी भी कारण से अन्य ऑपरेटरों/प्लेटफार्म चाहता हो और किसी अन्य डीटीएच ऑपरेटर/प्लेटफार्म की सेवाएं लेना चाहता हो।

(9) माननीय टीडीसेट द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2015 को इंडियन ब्रॉडकॉस्टिंग फाउंडेशन और अन्य बनाम भादूविप्रा के मामले में दिए आदेश (अपील सं. 7(सी)/2014) के दृष्टिगत, भादूविप्रा ने 8 सितम्बर, 2015 को वाणिज्यिक उपभोक्ताओं हेतु टेलीविजन सेवाओं से संबंधित दो टैरिफ संशोधन आदेशों को अधिसूचित किया, जिनमें से एक

एनालॉग टेलीविजन प्रणालियों के माध्यम से, गैर–एड्रेसेबल प्रणालियों वाले क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा रही टेलीविजन सेवाओं के लिए लागू है, जबकि दूसरा एड्रेसेबल प्रणालियों वाले क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा रही टेलीविजन सेवाओं पर लागू है। प्राधिकरण के मतानुसार वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों हेतु विनियामकारी तंत्र में परिवर्तन करने से वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों को केबल टेलीविजन प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध होगी। वेल्यू–चेन के सभी पक्षों के हितों को संतुलित करने और व्यापारिक लेन–देन में पूर्ण पारदर्शिता लाने पर भी विचार किया गया।

(10) माननीय टीडीसेट द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2015 को मैसर्स डिश टेलीविजन इंडिया लिमिटेड बनाम भादूविप्रा के मामले में दिए गए आदेश के ध्यान में रखते हुए, जिसमें इसे ''एक समान दो शर्तों'' के कार्यान्वयन के मुद्दे में अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। भादूविप्रा ने दिनांक 28 दिसम्बर, 2015 को एक टैरिफ आदेश अधिसूचित किया, जिसमें उपभोक्ताओं के लिए अ–ला–कार्टे आधार पर मांग–आधारित और उचित मूल्य पर मनपसंद चैनलों के लिए भुगतान करने के प्रभावी विकल्प की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरलीकृत 'दोहरी शर्तों' को निर्धारित किया गया।

fun'kk@ijke'k

(11) भादूविप्रा द्वारा डीएएस का प्रभावी कार्यान्वयन तथा भादूविप्रा द्वारा निर्धारित विनियामकारी तंत्र का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सेवा प्रदाताओं को समय–समय पर अनेक निदेश तथा परामर्श जारी किए गए। कुछ मामलों में, भादूविप्रा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए।

Hkkx&1

uhfr;k vkj dk;Øe

¼d½ nwjlapkj {ks= esa lkekU; ifjos'k dh leh{kk

1.1 दूरसंचार क्षेत्र, वर्ष 2015–16 की अवधि में उपभोक्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि का साक्षी रहा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंत तक, समग्र दूरसंचार उपभोक्ता आधार बढ़कर 1058.86 मिलियन हो गया है, जो वित्तीय वर्ष 2014–15 के अंत में 996.49 मिलियन की तुलना में 62.37 मिलियन अधिक है। समग्र उपभोक्ता आधार और टेलीघनत्व का चित्रण rkfydk&1 में किया गया है।

rkfydk&1 % lexz miHkksDrk vk/kkj vkSj Vsyh?kuRo

fooj.k	ok;jysl	ok;jykbu	dqy ok;jysl $ ok;jykbu
dqy miHkksDrk (मिलियन)	1033.63	25.22	1058.86
'kgjh miHkksDrk (मिलियन)	588.79	20.90	609.69
xzkeh.k miHkksDrk (मिलियन)	444.84	4.32	449.17
lexz Vsyh?kuRo	81.38	1.99	83.36
शहरी टेलीघनत्व	148.73	5.28	154.01
ग्रामीण टेलीघनत्व	50.88	0.49	51.37
शहरी उपभोक्ताओं का अंश	56.96%	82.86%	57.58%
ग्रामीण शहरी उपभोक्ताओं का अंश	43.04%	17.14%	42.42%
czkWMcSaM miHkksDrkvksa dh la[;k (मिलियन)	132.77	16.98	149.75

वायरलेस, वायरलाइन खंडों में उपभोक्ता आधार, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी हेतु अनुरोध, टेलीघनत्व, इंटरनेट उपभोक्ता, दूरसंचार शुल्कों में प्रवृत्तियां, तिमाही दूरसंचार सेवा निष्पादन

सूचकांक तथा दूरसंचार क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन का विस्तृत विवरण अनुवर्ती पैराग्राफ में दिया गया है।

¼d½ ok;jyl

1.1.1 31 मार्च, 2015 को 969.80 मिलियन के वायरलेस उपभोक्ता आधार की तुलना में 31 मार्च, 2016 को वायरलेस उपभोक्ता आधार 1033.63 मिलियन होने के साथ वित्तीय वर्ष 2015–16 की अवधि में 6.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। विगत 6 वर्षो की अवधि में वायरलेस उपभोक्ता आधार की स्थिति नीचे fp=&1 में दर्शाई गई है।

¼[k½ ekckby ucj ikVsfcfyVh

1.1.2 वर्ष 2015–16 के दौरान, 55.28 मिलियन उपभोक्ताओं द्वारा एमएनपी सुविधा प्राप्त करने के लिए भिन्न सेवा प्रदाताओं को पोर्टिंग अनुरोध प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी अनुरोध की संख्या मार्च, 2015 के अंत में 153.85 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2016 के अंत में 209.13 मिलियन हो गई है। मार्च, 2016 के अंत में सेवा क्षेत्र क्रम में संचयात्मक पोर्टिंग अनुरोध का चित्रण नीचे rkfydk&2 में किया गया है।

fp=&1 % ok;jyl miHkkDrk ¼fefy;u e½

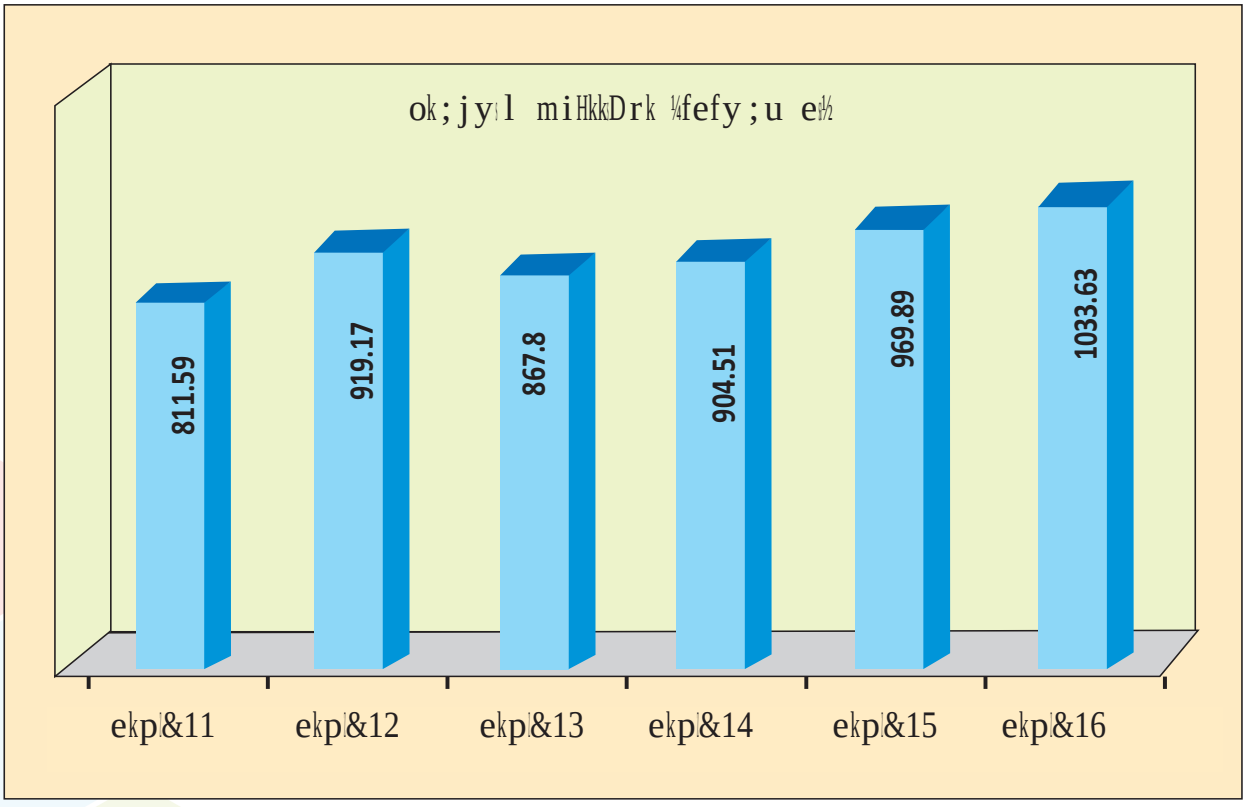

rkfydk&2 % ekp] 2016 d vr e lp;kRed ,e,uih vujk/k ¼lok {k= Øe e½

ekp] 2016 d vr e lp;kRed ,e,uih vujk/k ¼lok {k= Øe e½				
	lok {k=	,e,uih vujk/k ikl ldrk		ikfVx vujk/kk dh dy l[;k
		tku&1	tku&2	
tku-I	दिल्ली	8,268,660	59,244	8,327,904
	गुजरात	16,053,851	24,601	16,078,452
	हरियाणा	7,423,611	9,525	7,433,136
	हिमाचल प्रदेश	713,647	2,074	715,721
	जम्मू–कश्मीर	71,817	858	72,675
	महाराष्ट्र	14,867,212	46,972	14,914,184
	मुंबई	11,431,516	47,147	11,478,663
	पंजाब	7,376,317	25,776	7,402,093
	राजस्थान	18,303,498	19,200	18,322,698
	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	9,782,164	15,003	9,797,167
	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	9,584,813	10,090	9,594,903
tku-II	आन्ध्र प्रदेश	31,943	19,977,948	20,009,891
	असम	5,040	988,947	993,987
	बिहार	66,956	7,305,146	7,372,102
	कर्नाटक	70,795	23,353,657	23,424,452
	केरल	11,319	6,450,732	6,462,051
	कोलकाता	13,557	4,686,837	4,700,394
	मध्य प्रदेश	44,875	13,305,157	13,350,032
	पूर्वोत्तर	2,217	418,087	420,304
	ओडीशा	16,030	4,301,690	4,317,720
	तमिलनाडु	18,682	13,154,703	13,173,385
	पश्चिम बंगाल	25,921	10,741,978	10,767,899
	;kx	104,184,441	104,945,372	209,129,813
	;kx ¼tku&1$ tku&2½			209,129,813

¼x½ ok;j ykbu

1.1.3 31 मार्च, 2016 को 25.22 मिलियन के कुल वायरलाइन उपभोक्ता आधार की तुलना में 31 मार्च, 2015 को कुल वायरलाइन उपभोक्ता आधार 26.59 मिलियन था। इस प्रकार वर्ष 2015–15 की अवधि में 5.15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इन 25.22 मिलियन वायरलाइन उपभोक्ताओं में 20.90 मिलियन शहरी उपभोक्ता और 4.32 मिलियन ग्रामीण उपभोक्ता हैं। पिछले पांच वर्ष हेतु वायरलाइन उपभोक्ता आधार fp=&2 में दिया गया है :–

fp=&2 % fiNy ikp o"k e ok;jykbu miHkkDrk

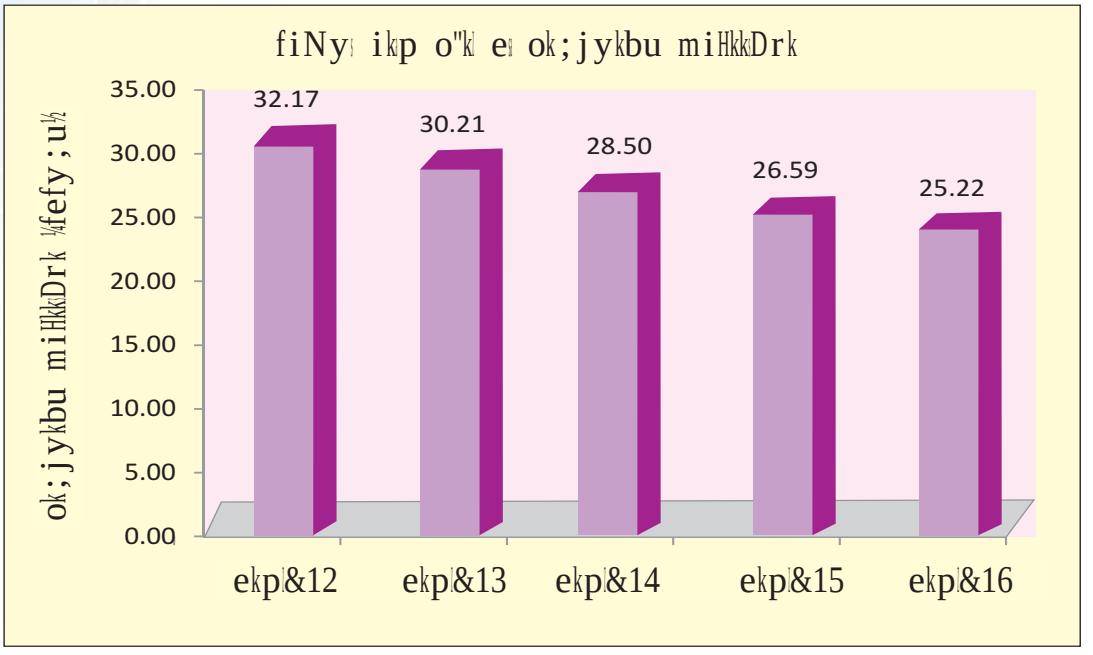

¼?k½ Vyh?kuRo

1.1.4 टेलीघनत्व पिछले वर्ष के अंत में 79.38 की तुलना में मार्च, 2016 के अंत तक 3.98 की वृद्धि के साथ 83.36 के आंकड़े पर पहुंच गया है। मार्च, 2011 से टेलीघनत्व की प्रवृत्ति fp=&3 में दर्शाई गई है।

fp=&3 % Vyh?kuRo dk fodkl

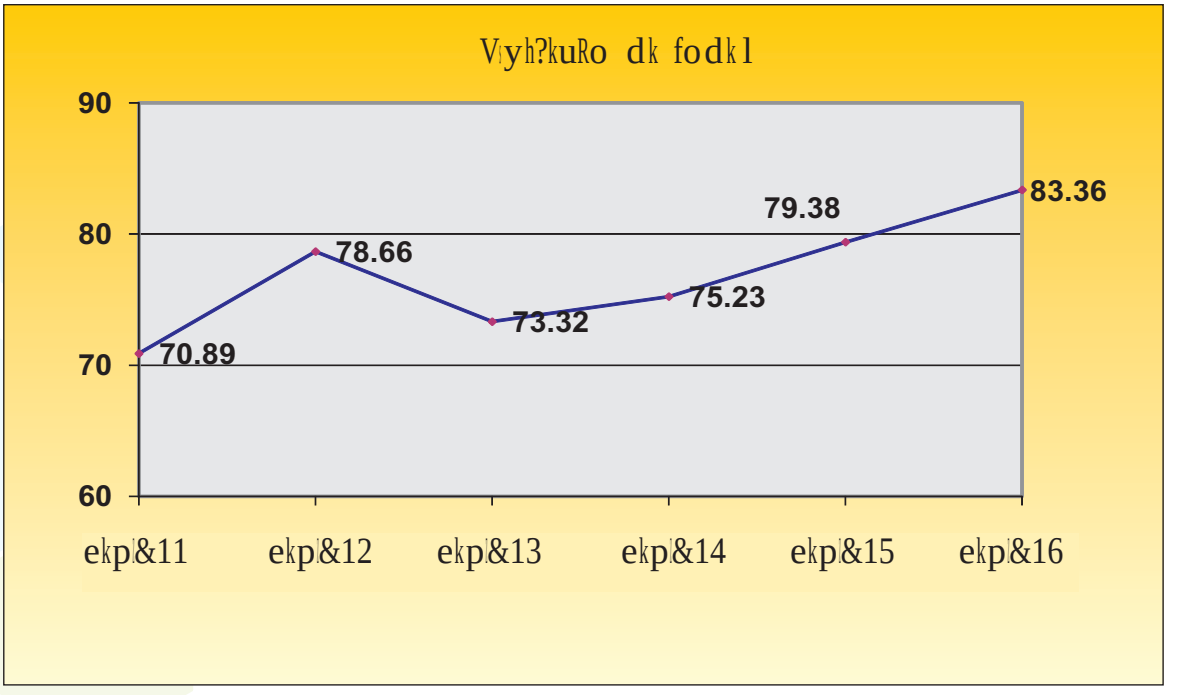

¼3½ bVjuV vkj ckMcM miHkkDrk

1.1.5 देश में 31 मार्च, 2016 को इंटरनेट उपभोक्ता आधार 342.65 मिलियन था। जबकि यह आधार 31 मार्च, 2015 को 302.35 मिलियन था। 31 मार्च, 2016 को देश का कुल ब्रॉडबैंड उपभोक्ता आधार 149.75 मिलियन था, जबकि 31 मार्च, 2015 को 99.20 मिलियन था।

31 मार्च, 2016 को देश में सब्सक्रिप्शन का विस्तृत विवरण, जैसाकि सेवा प्रदाताओं द्वारा सूचित किया गया है, नीचे rkfydk&3 में दर्शाया गया है :–

rkfydk&3 % bVjuV miHkkDrk

(उपभोक्ता मिलियन में)

[k.M			Js.kh	bVjuV miHkkDrk		ifr'kr of)
				ekp&2015	ekp&2016	
क	वायरलाइन		ब्रॉडबैंड	15.52	16.98	9.44%
			नैरोबैंड	3.55	3.46	-2.49%
			;kx	**19.07**	**20.44**	**7.22%**
ख	वायरलेस	फिक्स्ड वायरलेस (वाई–फाई, वाई–मैक्स, रेडियो एवं वीसैट)	ब्रॉडबैंड	0.44	0.525	18.64%
			नैरोबैंड	0.03	0.028	-17.31%
			;kx	**0.48**	**0.553**	**16.11%**
		मोबाइल वायरलेस (फोन + डोंगल)	ब्रॉडबैंड	83.24	132.24	58.87%
			नैरोबैंड	199.57	189.41	-5.09%
			;kx	282.81	321.66	13.74%
कुल इंटरनेट उपभोक्ता			ब्रॉडबैंड	99.20	149.75	50.96%
			नैरोबैंड	203.15	192.90	-5.05%
			;kx	**302.35**	**342.65**	**13.33%**

2015–16 हेतु तिमाहीवार इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन, जैसाकि सेवा प्रदाताओं द्वारा सूचित किया गया है, नीचे rkfydk&4 में दर्शाया गया है :–

rkfydk&4 % 2015&16 dk frekghokj bVjuV@ckMcM miHkkDrk vkèkkj

(उपभोक्ता मिलियन में)

lok	tu&15	flr-&15	fnl-&15	ekp&16
ब्रॉडबैंड	108.85	120.88	136.53	149.75
नैरोबैंड	210.57	204.07	195.13	192.90
;kx bVjuV	**319.42**	**324.95**	**331.66**	**342.65**

¼p½ Hkkjrh; nwjlapkj lsok fu"iknu lwpdkad

1.1.6 भादूविप्रा, देश के लिए दूरसंचार सब्सक्रिप्शन डेटा पर मासिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करता रहा है। इस प्रेस विज्ञप्ति में कुल सब्सक्रिप्शन आधार, टेलीघनत्व, सेवा प्रदातावार बाजार हिस्सेदारी, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) अनुरोध, उच्चतम वीएलआर डेटा, वायरलेस, वायरलाइन तथा ब्रॉडबैंड खंडों इत्यादि में माह के दौरान नेट वृद्धि का विवरण शामिल किया जाता है। नवीनतम मासिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 31 मार्च, 2016 तक देश के लिए दूरसंचार सब्सक्रिप्शन डेटा की प्रमुख विशेषताएं नीचे rkfydk&5 में दी गई हैं:–

rkfydk&5 % 31 ekpZ 2016 rd ns'k ds fy, nwjlapkj lClfØI'ku MsVk dh izeq[k fo'ks"krk,a

fooj.k	okW;jysl	okW;jykbu	;ksx ¼okW;jysl $ okW;jykbu½
टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या (मिलियन)	1033.63	25.22	1058.86
मार्च, 2016 में निवल वृद्धि (मिलियन)	6.97	0.01	6.98
मासिक वृद्धि दर	0.68%	0.04%	0.66%
शहरी टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन)	588.79	20.90	609.69
मार्च, 2016 में निवल वृद्धि (मिलियन)	1.23	0.03	1.26
मासिक वृद्धि दर	0.21%	0.14%	0.21%
ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन)	444.84	4.32	449.17
मार्च, 2016 में निवल वृद्धि (मिलियन)	5.73	-0.02	5.71
मासिक वृद्धि दर	1.31%	-0.46%	1.29%
समग्र टेलीघनत्व*	81.38	1.99	83.36
शहरी टेलीघनत्व*	148.73	5.28	154.01
ग्रामीण टेलीघनत्व*	50.88	0.49	51.37
शहरी उपभोक्ताओं का हिस्सा	56.96%	82.86%	57.58%
शहरी उपभोक्ताओं का हिस्सा	43.04%	17.14%	42.42%
ब्रॉडबैंड उपभोक्ता (मिलियन)	132.77	16.98	149.75

मार्च, 2016 में सक्रिय वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या (उच्चतम वीएलआर# की तिथि को) 936.46 मिलियन थी।

नीचे दी गई तालिका–6 में वित्तीय वर्ष 2015–16 में देश में टेलीफोनी तथा ब्रॉडबैंड सेवाओं के उपभोक्ता आधार और टेलीघनत्व में प्रतिशत वृद्धि दर्शाई गई है।

rkfydk&6 % foRrh; o"kZ 2015&16 esa ns'k esa VsyhQksu rFkk czkMcSaM lsokvksa ds miHkksDrk vkèkkj vkSj Vsyh?kuRo esa izfr'kr o`f)

fooj.k	31&03&2015 dks	31&03&2016 dks	foRrh; o"kZ 2015&16 esa izfr'kr o`f)
कुल टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	996.49	1058.86	6%
वायरलेस टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	969.89	1033.63	7%
वायरलाइन टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	26.59	25.22	-5%
शहरी टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	577.18	609.69	6%
ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	419.31	449.17	7%
समग्र टेलीघनत्व	79.38	83.66	5%
ब्रॉडबैंड उपभोक्ता (मिलियन)	99.2	149.75	51%

भादूविप्रा द्वारा "भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन सूचकांक" पर तिमाही रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है। यह रिपोर्ट दूरसंचार एवं ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रमुख पैरामीटर और विकास की प्रवृत्ति को दर्शाती है । दिसम्बर, 2015 को समाप्त तिमाही हेतु उक्त रिपोर्ट जारी की जा चुकी है, जिसका सारांश नीचे rkfydk&7 में दिया गया है :–

rkfydk&7 % fu"iknu lwpdkad ¼31 ekpZ] 2016 dks vuqlkj MsVk½

nwjlapkj miHkksDrk ¼ok;jysl $ ok;jykbu½	
उपभोक्ताओं की कुल संख्या मिलियन	1,058.86 मिलियन
पिछली तिमाही में परिवर्तन का प्रतिशत	2.17%
शहरी उपभोक्ता	609.69 मिलियन
ग्रामीण उपभोक्ता	449.17 मिलियन
निजी ऑपरेटरों का बाजार हिस्सा	89.78%
पीएसयू ऑपरेटरों का बाजार हिस्सा	10.22%
टेलीघनत्व	83.36
शहरी टेलीघनत्व	154.01
ग्रामीण टेलीघनत्व	51.37
ok;jysl miHkksDrk	
वायरलेस उपभोक्ताओं की कुल संख्या	1,033.63 मिलियन
पिछली तिमाही में परिवर्तन का प्रतिशत	2.25%

शहरी उपभोक्ता	588.79 मिलियन
ग्रामीण उपभोक्ता	444.84 मिलियन
जीएसएम उपभोक्ता	989.54 मिलियन
सीडीएमए उपभोक्ता	44.09 मिलियन
निजी ऑपरेटरों का बाजार हिस्सा	91.30%
पीएसयू ऑपरेटरों का बाजार हिस्सा	8.70%
टेलीघनत्व	81.38
शहरी टेलीघनत्व	148.73
ग्रामीण टेलीघनत्व	50.88
ok;jykbu miHkkDrk	
वायरलाइन उपभोक्ताओं की कुल संख्या	25.22 मिलियन
पिछली तिमाही में परिवर्तन का प्रतिशत	-1.15%
शहरी उपभोक्ता	20.90 मिलियन
ग्रामीण उपभोक्ता	4.32 मिलियन
निजी ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	27.58%
पीएसयू ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	72.42%
टेलीघनत्व	1.99
शहरी टेलीघनत्व	5.28
ग्रामीण टेलीघनत्व	0.49
ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) की संख्या	5,86,799
सार्वजनिक कॉल कार्यालय (पीसीओ) की संख्या	5,88,936
bVjuV@cksMcSM miHkkDrk	
इंटरनेट उपभोक्ताओं की कुल संख्या	342.65 मिलियन
पिछली तिमाही में परिवर्तन का प्रतिशत	3.31%
नैरोबैंड उपभोक्ता	192.90 मिलियन
ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	149.75 मिलियन
वायरलाइन इंटरनेट उपभोक्ता	20.44 मिलियन
वायरलेस इंटरनेट उपभोक्ता	322.21 मिलियन
शहरी इंटरनेट उपभोक्ता	230.71 मिलियन
ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता	111.94 मिलियन
कुल इंटरनेट उपभोक्ता प्रति 100 जनसंख्या	26.98
कुल शहरी इंटरनेट उपभोक्ता प्रति 100 जनसंख्या	58.28
कुल ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता प्रति 100 जनसंख्या	12.80

ilkj.k ,o dcy lok,	
सू. एवं प्र. मंत्रालय के साथ पंजीकृत निजी उपग्रह टीवी चैनल की संख्या	869
पे टीवी चैनल की संख्या	263
निजी एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या	243
पंजीकृत डीटीएच उपभोक्ता	88.64 मिलियन
सक्रिय डीटीएच उपभोक्ता	58.53
लाइसेन्सकृत समुदाय रेडियो स्टेशनों की संख्या (जीओपीए हस्ताक्षरित)	237
प्रचालनशील समुदाय रेडियो स्टेशनों की संख्या	191
भुगतान डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या	6
भारत में लाइसेंसधारी टेलीपोर्ट्स की संख्या	90
njlpkj foRrh; MVk ¼ekp] 16 dk lekIr frekgh½	
तिमाही के दौरान सकल राजस्व (जीआर)	68,335 करोड़ रुपए
पिछली तिमाही के जीआर में प्रतिशत परिवर्तन	4.57%
तिमाही के दौरान समायोजित सकल राजस्व (एजीआर)	₹48,379 करोड़ रुपए
पिछली तिमाही के एजीआर में प्रतिशत परिवर्तन	4.97%
एक्सेस एजीआर में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की हिस्सेदारी	11.33%
एक्सेस सेवाओं के लिए मासिक औसत राजस्व प्रति उपभोक्ता (एआरपीयू)	127
jktLo ,o mi;kx vkijVj ¼ekp] 16 dk lekIr frekgh½	
मासिक एआरपीयू जीएसएम पूर्ण सचलता सेवा	125
मासिक एआरपीयू सीडीएमए पूर्ण सचलता सेवा	₹ 104
उपयोग के मिनट (एमओयू) प्रति उपभोक्ता प्रति माह – जीएसएम पूर्ण सचलता सेवा	381 मिनट
उपयोग के मिनट (एमओयू) प्रति उपभोक्ता प्रति माह – सीडीएमए पूर्ण सचलता सेवा	260 मिनट
इंटरनेट टेलीफोनी के लिए उपयोग हेतु कुल व्यय मिनट	277 मिलियन
ekckby mi;kxdrkvk dk mi;kx MVk ¼ekp] 16 dk lekIr frekgh½	
डेटा उपयोग प्रति उपभोक्ता प्रति माह – जीएसएम	133.87एमबी
डेटा उपयोग प्रति उपभोक्ता प्रति माह – सीडीएमए	433.64 एमबी
डेटा उपयोग प्रति उपभोक्ता प्रति माह – योग (जीएसएम + सीडीएमए)	147.12 एमबी

¼N½ nj lapkj {k= dk foRrh; fu"iknu

वित्तीय सूचना में दूरसंचार सेवा क्षेत्र की 52 लाइसेन्स प्राप्त कम्पनियां शामिल हैं। यह सूचना, सेवा प्रदाताओं द्वारा भादूविप्रा को उपलब्ध कराई गई लेखापरीक्षित/ अलेखापरीक्षित वित्तीय सूचना पर आधारित है। वित्तीय सूचना में प्रमुख रूप से भारतीय दूरसंचार सेवा क्षेत्र का राजस्व, लाभप्रदता और निवेश शामिल होते हैं।

jktLo[1]

दूरसंचार सेवा क्षेत्र का कुल राजस्व[2] 2014–15 में 2,54,547 करोड़ रुपए से बढ़कर 2015–16 में 2,63,709 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो 3.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वार्षिक लेखा विवरण पर आधारित राजस्व का संगत डेटा इन्ट्रा–ऑपरेटर अंतःसंयोजन प्रभारों के समायोजन के बाद 2014–15 में 2,42,984 करोड़ रुपए तथा 2015–16 में 2,45,351 करोड़ रुपए है, जो 0.97 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह rkfydk&8 में दर्शाया गया है तथा प्रमुख एक्सेस दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का राजस्व fp=&4 में दर्शाया गया है।

rkfydk 8 % lDVjokj jktLo

(रुपए करोड़ में)

fooj.k	2015&16			2014&15*		
	lkoltfud	futh	;kx	lkoltfud	futh	;kx
दूरसंचार सेवा से राजस्व	32654	202591	235246	31424	196661	228085
कुल राजस्व	37989	207362	245351	33333	209652	242984

* वर्ष 2014–15 हेतु आंकड़े, नई जोड़ी गई कम्पनियों की सूचना शामिल करने हेतु संशोधित किए गए हैं, जिसे भादूविप्रा द्वारा रिपोर्ट 2015–16 से आरंभ किया गया है।

fp=&4 % ize[k ,Dll njlapkj lok inkrkvk dk jktLo

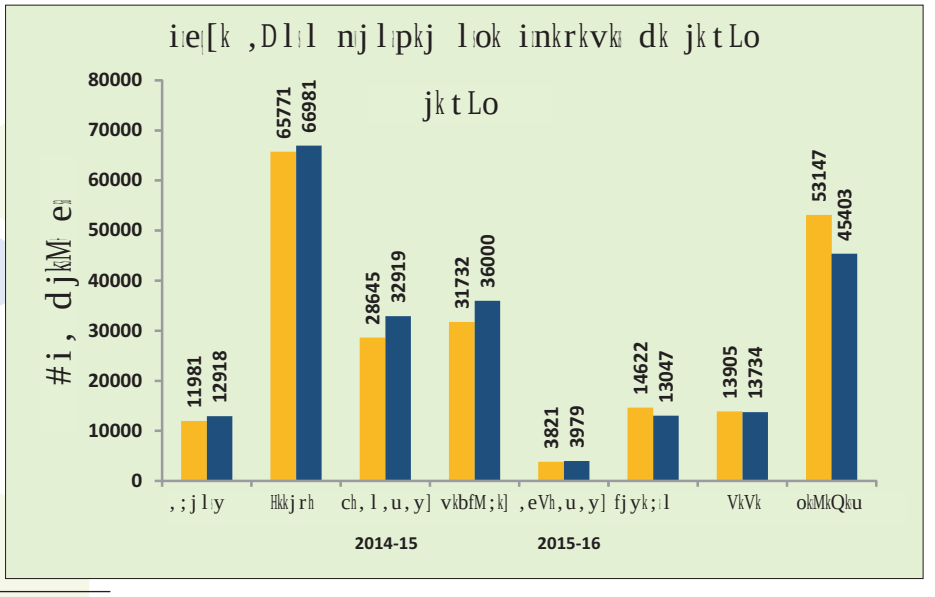

[1] में दूरसंचार सेवाओं से राजस्व के अतिरिक्त अन्य आय शामिल हैं।

[2] दूरसंचार विभाग में राजस्व और लाइसेन्स शुल्क के संबंध में प्रस्तुत किए गए तिमाही विवरण पर आधारित।

bchvkbVhMh,

ईबीआईटीडीए ब्याज, कर और मूल्यह्रास एवं ऋणशोधन से पूर्व अर्जन को दर्शाता है। वर्ष 2015–16 हेतु दूरसंचार क्षेत्र का ईबीआईटीडीए 69,345 करोड़ रुपए है, जबकि वर्ष 2014–15 हेतु 60,431 करोड़ रुपए था, इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 14.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

वर्ष 2015–16 हेतु दूरसंचार क्षेत्र का ईबीआईटीडीए मार्जिन 28.26 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष 24.87 प्रतिशत में 3.40 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। rkfydk&9 में सेक्टरवार परिचालन व्यय और इसका अनुपात तथा fp=&5 में परिचालन व्यय अनुपात दर्शाया गया है।

rkfydk&9 % 2014&15 rFkk 2015&16 e lDVjokj bchvkbVhMh,

(रुपए करोड़ में)

fooj.k	2015&16			2014&15		
	lko lt fud	fu th	;kx	lko lt fud	fu th	;kx
ईबीआईटीडीए	4332	65013	69345	782	59649	60431

fp=&5 % nj lpkj lsok {ks= dk bchvkbVhMh, ekft u

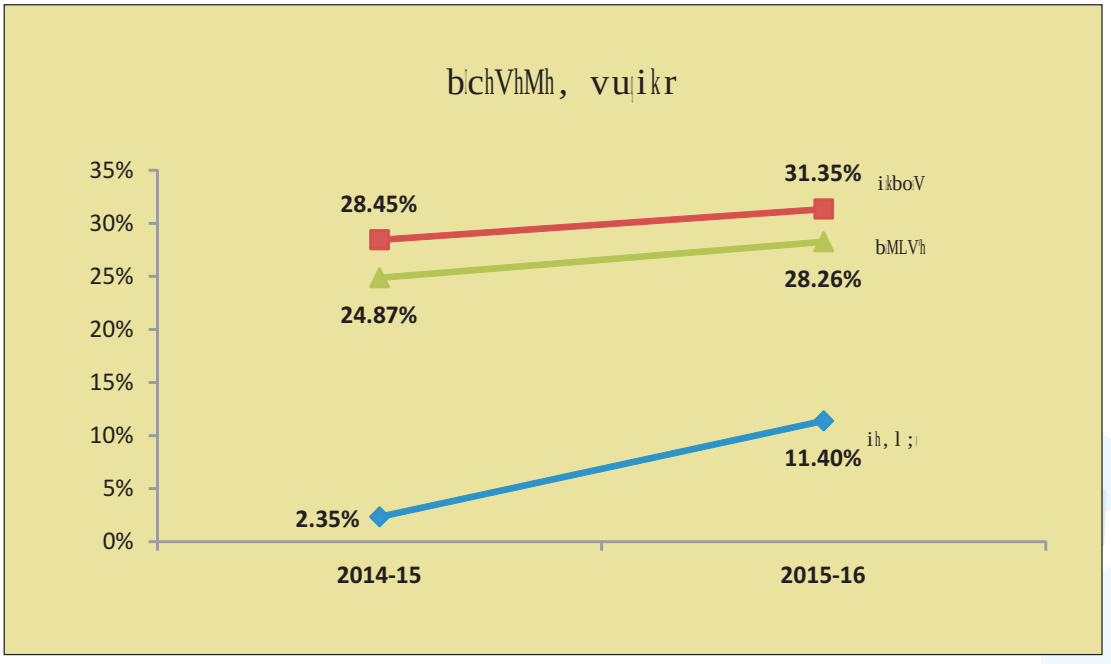

nj lpkj lsok {ks= dk ifjpkyu 0;; vuikr

दूरसंचार सेवा क्षेत्र के समग्र परिचालन व्यय अनुपात में 3.39 प्रतिशत की कमी आई है। rkfydk&10 में सेक्टरवार परिचालन व्यय एवं इसका अनुपात और fp=&6 में परिचालन व्यय अनुपात निदर्शित किया गया है।

rkfydk&10 % lsDVjokj ifjpkyu O;; vkSj blds vuqikr

fooj.k	2015&16			2014&15		
	lkoZtfud	futh	;ksx	lkoZtfud	futh	;ksx
परिचालन व्यय (करोड़ रुपए)	33658	142349	176006	32551	150003	182554
परिचालन व्यय अनुपात (प्रतिशत)	88.60%	68.65%	71.74%	97.65%	71.55%	75.13%

fp=&6 % ifjpkyu O;; vuqikr

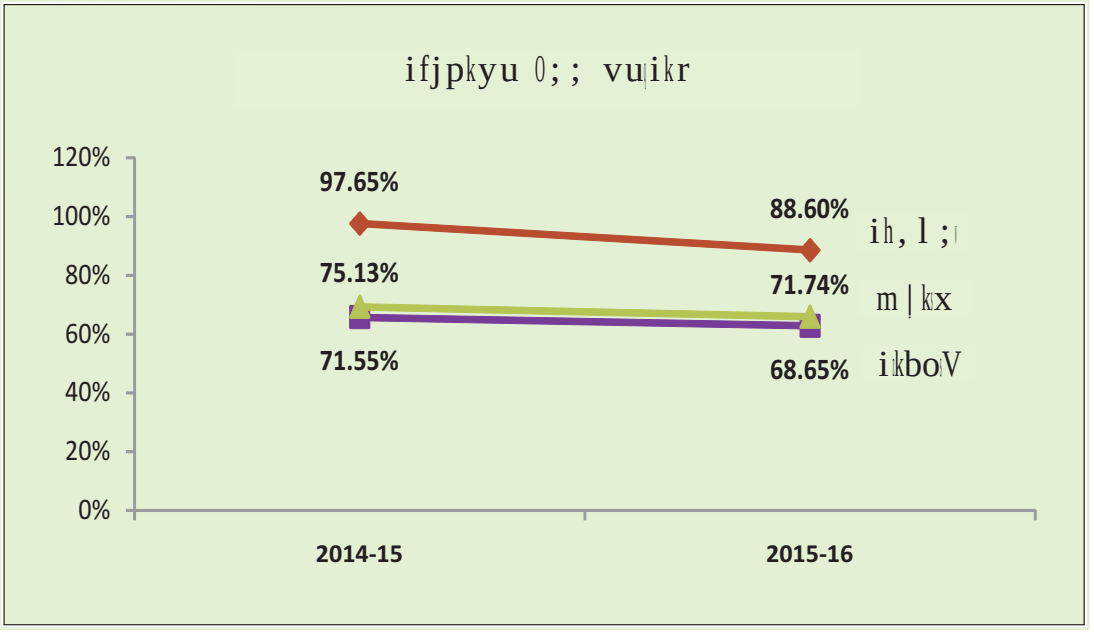

fu;ksftr iwath[3]

नियोजित पूंजी, किसी कार्य के लिए व्यवसाय में निवेश की गई निधियां अथवा व्यवसाय के प्रचालन हेतु प्रतिनिधानित निधियां दर्शाती है।

नियोजित पूंजी में पिछले वर्ष की तुलना में 29.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र में 1.03 प्रतिशत की गिरावट तथा निजी क्षेत्र में 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तालिका–11 में नियोजित पूंजी दर्शाई गई है, जबकि चित्र–7 मे दूरसंचार सेवा क्षेत्र में नियोजित पूंजी दर्शाई गई है।

rkfydk&11 % fu;ksftr iwath

(रुपए करोड़ में)

fooj.k	2015&16			2014&15		
	lkoZtfud	futh	;ksx	lkoZtfud	futh	;ksx
नियोजित पूंजी	47873	358922	406795	48371	265864	314236

[3] नेट ब्लॉक, प्रगति में पूंजी कार्य तथा कार्यशील पूंजी का योग दर्शाते हैं, जहां कार्यशील पूंजी = चालू परिसंपत्तियां – चालू देयताएं है।

fp=&7 % nj lpkj lok {k= e fu;kftr iath

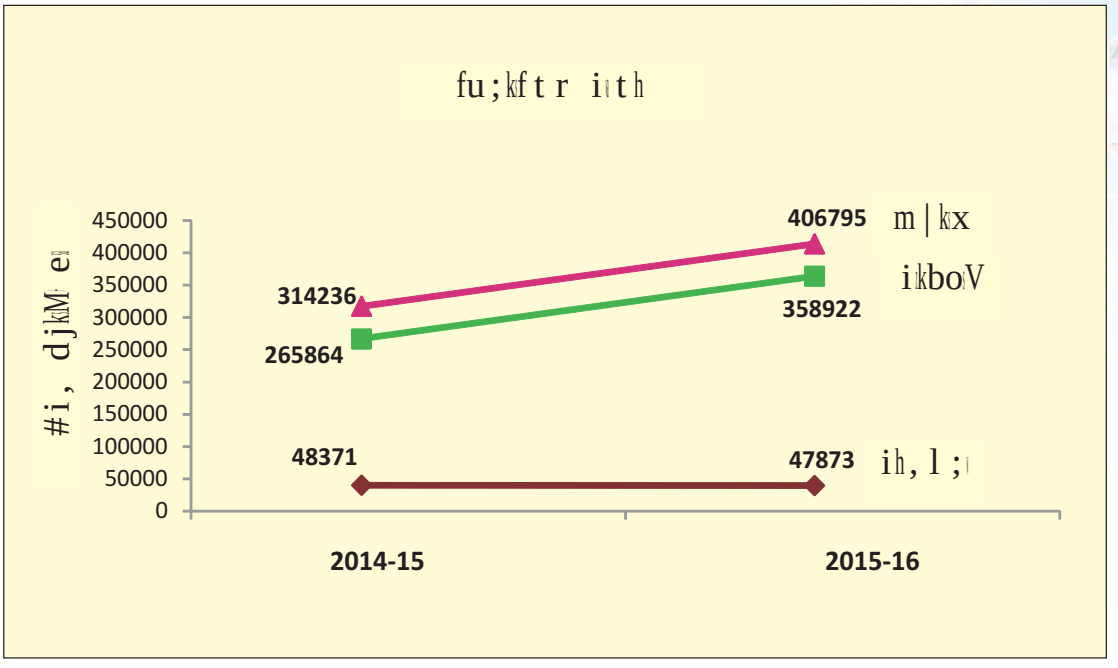

ith fuo'k ¼ldy Cykd rFkk ixfr e ith dk;½

दूरसंचार सेवा क्षेत्र में सकल ब्लॉक (सकल स्थायी परिसंपत्तियां) में 20.63 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र में 0.97 की वृद्धि हुई है, जबकि निजी क्षेत्र में 29.68 प्रतिशत वृद्धि हुई है। rkfydk&12 में सेक्टरवार सकल ब्लॉक में निवेश और fp=&8 में प्रमुख एक्सेस दूरसंचार सेवा प्रदाताओं का सकल ब्लॉक (स्थायी परिसंपत्तियां) दर्शाया गया है।

rkfydk&12 % lDVjokj ldy Cykd e fuo'k

(रुपए करोड़ में)

fooj.k	2015&16			2014&15		
	lkotfud	futh	;kx	lkotfud	futh	;kx
सकल ब्लॉक	200795	559742	760537	198859	431623	630482
निवल ब्लॉक*	50443	347027	397469	55646	246017	301663
प्रगति में पूंजी कार्य	4671	148606	153277	4545	91373	95918

*निवल ब्लॉक = सकल ब्लॉक – संचित मूल्यह्रास

fp= 8 % ieq[k ,Dlsl njlapkj lsok inkrkvksa dk ldy Cykd ¼LFkk;h ifjlEifRr;k½

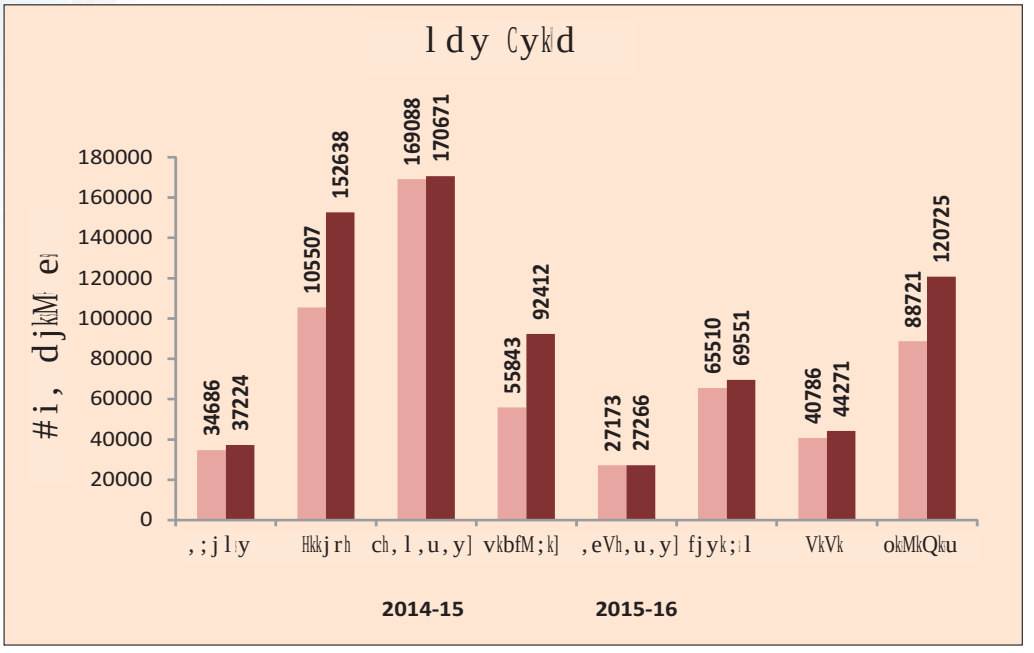

fu;ksftr iwath VuZvksoj vuqikr

नियोजित पूंजी टर्नओवर अनुपात को rkfydk&13 और fp=&9 में दर्शाया गया है।

rkfydk&13 % fu;ksftr iwath VuZvksoj vuqikr

fooj.k	2015&16			2014&15		
	lkoZtfud	futh	;ksx	lkoZtfud	futh	;ksx
नियोजित पूंजी टर्नओवर अनुपात (प्रतिशत में)	68.21%	56.44%	57.83%	64.96%	73.97%	72.58%

fp=&9 % fu;ksftr iwath VuZvksoj vuqikr

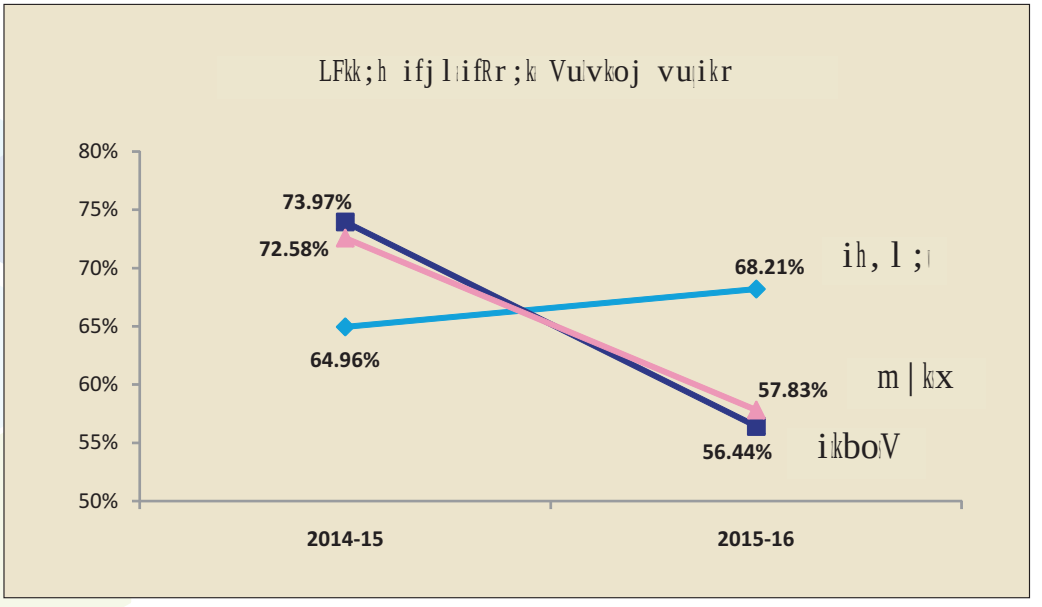

LFkk;h ifjlifRr;k ¼fuoy Cykd½ Vuvkoj vuikr

स्थायी परिसंपत्तियां (निवल) टर्नओवर को अनुपात rkfydk&14 और fp=&10 में दर्शाया गया है।

rkfydk&14 % LFkk;h ifjlifRr;k ¼fuoy½ Vuvkoj vuikr

fooj.k	2015&16			2014&15		
	lkoZtfud	futh	;kx	lkoZtfud	futh	;kx
स्थायी परिसंपत्तियां (निवल) टर्नओवर अनुपात (प्रतिशत में)	64.74%	58.38%	59.19%	56.47%	79.94%	75.61%

fp=&10 % LFkk;h ifjlifRr;k ¼fuoy½ Vuvkoj vuikr

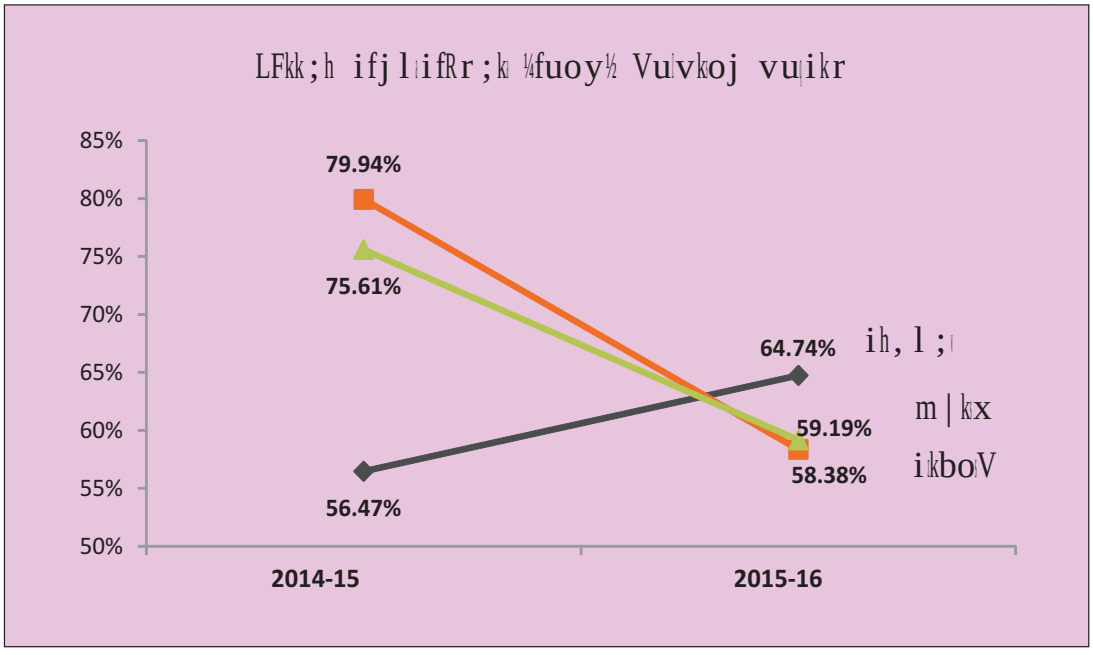

टिप्पणी : 2015–16 में नेटवर्क तथा स्पेक्ट्रम अधिग्रहण में किए गए निवेश के कारण, निजी क्षेत्र के लिए नियोजित पूंजी टर्नओवर अनुपात तथा स्थायी परिसंपत्तियां (निवल) टर्नओवर अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है।

_.k bfDoVh vuikr[4]

2015–16 में, दूरसंचार सेवा क्षेत्र के ऋण इक्विटी अनुपात में 2014–15 में 1.33 गुना से 1.69 गुना तक की वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र का ऋण इक्विटी अनुपात सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक है। सेक्टरवार ऋण इक्विटी अनुपात rkfydk&15 में और ऋण इक्विटी अनुपात fp=&11 में दर्शाया गया है।

Rkkfydk&15 % lDVjokj _.k bfDoVh vuikr

fooj.k	2015&16			2014&15		
	lkoZtfud	futh	;kx	lkoZtfud	futh	;kx
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)	0.55	1.98	1.69	0.45	1.61	1.33

[4] ऋण में दीर्घावधि उधार राशियां, अल्पावधि उधार राशियां और दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वताएं शामिल हैं। इक्विटी में शेयर पूंजी तथा संचय और अधिशेष शामिल हैं।

fp=&11 % _.k bfDoVh vuqikr

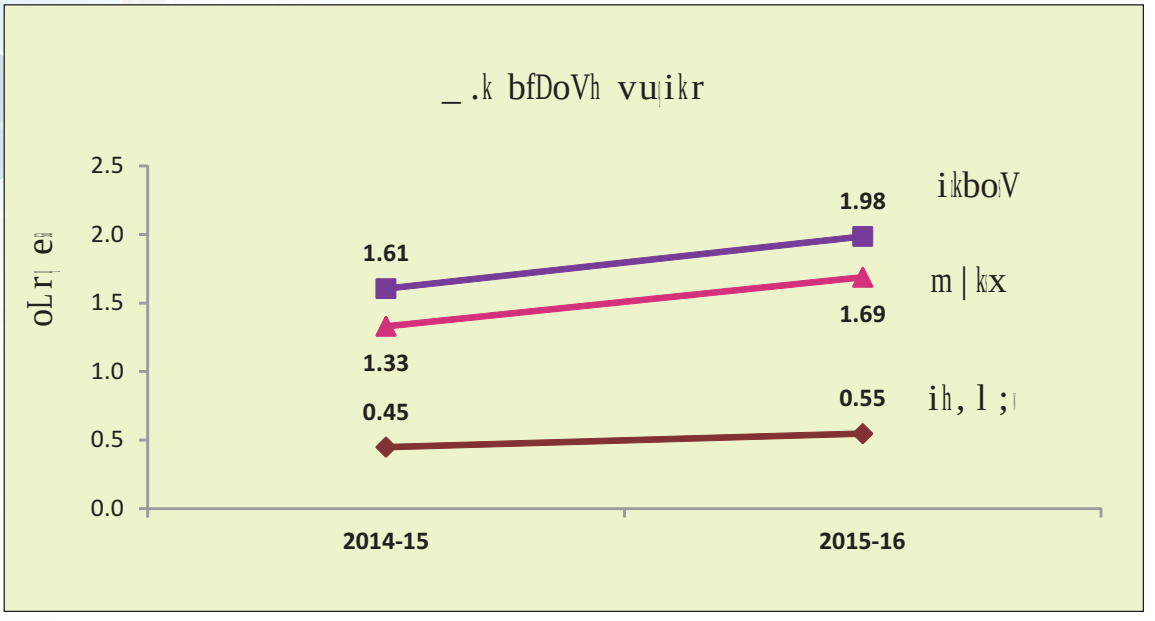

rkfydk&16 foRrh; fo'y"k.k esa 'kkfey fd, x, lqok inkrk

futh {k= dEifu;k	
1	एयरोवे नेटवर्क
2	एयरसेल लिमिटेड
3	एयरसेल सेल्युलर लिमिटेड
4	एटी एण्ड टी ग्लोबल नेटवर्क सेवाएं प्राइवेट लिमिटेड
5	ऐट्रिया कन्वर्जेन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
6	भारती एयरटेल लिमिटेड
7	भारती हेक्साकॉम लिमिटेड
8	बीटी ग्लोबल कम्युनिकेशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
9	सिटीकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
10	कॉन्जोनिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
11	डेन नेटवर्क लिमिटेड
12	डिशनेट वायरलेस लिमिटेड
13	एस्सेल श्याम कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
14	फाइनैंशियल टेक्नोलॉजीज
15	हाथवे केबल डेटाकॉम लिमिटेड
16	एचसीएल कॉमनेट सिस्टम एण्ड सेवाएं लिमिटेड
17	ह्यूज कम्युनिकेशन्स इंडिया लिमिटेड
18	आइडिया सेल्युलर लिमिटेड

19	इन्फोटेल सैटकॉम प्राइवेट लिमिटेड
20	एमएनपी इंटरकनेक्शन टेलीकॉम सॉल्यूशन्स (पी) लिमिटेड
21	नेल्को
22	नेक्स्ट्रा टेलीसर्विस
23	एनटीटी कम्युनिकेशन्स
24	ऑरेन्ज बिजनेस सेवाएं इंडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
25	क्वाड्रैंट टेलीवेन्चर्स लिमिटेड
26	रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड
27	रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड
28	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड
29	श्याम इंटरनेट सेवाएं
30	सिफी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
31	सिन्गटेल ग्लोबल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड
32	सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विस लिमिटेड
33	सिनीवर्स टेक्नोलॉजीज
34	टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड
35	टाटा टेलीसर्विस (महाराष्ट्र) लिमिटेड
36	टाटा टेलीसर्विसं लिमिटेड
37	टाटानेट सर्विस लिमिटेड
38	टेलनोर (इंडिया) कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
39	टेलेस्ट्रा कम्युनिकेशन्स
40	टिकोना डिजिटल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
41	टिकोना इनफीनेट लिमिटेड
42	यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) प्राइवेट लिमिटेड
43	वेरीजोन कम्युनिकेशन्स
44	वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड
45	वोडाफोन इंडिया लिमिटेड
46	वोडाफोन मोबाइल सर्विस लिमिटेड
47	यू ब्रॉडबैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
lkoZtfud {ks= dEifu;ka ¼ih,l;w½	
48	भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड
49	भारत संचार निगम लिमिटेड
50	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
51	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
52	रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

¼[k½ uhfr;ksa vkSj dk;ZØeksa dh leh{kk

1.2 (क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क, (ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार, (ग) मूल और मूल्यवर्द्धित सेवा दोनों में निजी क्षेत्र का प्रवेश, (घ) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतःसंयोजन, (ङ) दूरसंचार प्रौद्योगिकी, (च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन (छ) सेवा की गुणवत्ता, और (ज) सर्वसामान्य सेवा दायित्व के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की नीतियों एवं कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

1-2-1 xzkeh.k VsyhQksu usVodZ

1-2-1-1 ok;jysl

31 मार्च, 2016 तक, वायरलेस का ग्रामीण [मोबाइल तथा डब्ल्यूएलएल (एफ)] बाजार 444.84 मिलियन के आंकड़े तक पहुंच गया है, जो 31 मार्च, 2015 तक 414.18 मिलियन था। निष्पादन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, कुल वायरलेस उपभोक्ताओं का 43.04 प्रतिशत अब ग्रामीण क्षेत्रों में है। मार्च, 2011 से अब तक का ग्रामीण वायरलेस उपभोक्ता आधार नीचे fp=&12 में दर्शाया गया है। सेवा प्रदातावार ग्रामीण वायरलेस उपभोक्ता आधार और उसकी बाजार हिस्सेदारी नीचे rkfydk&17 तथा fp=&13 में दर्शाई गई है।

fp=&12 % xzkeh.k ok;jysl miHkksDrk ¼fefy;u esa½

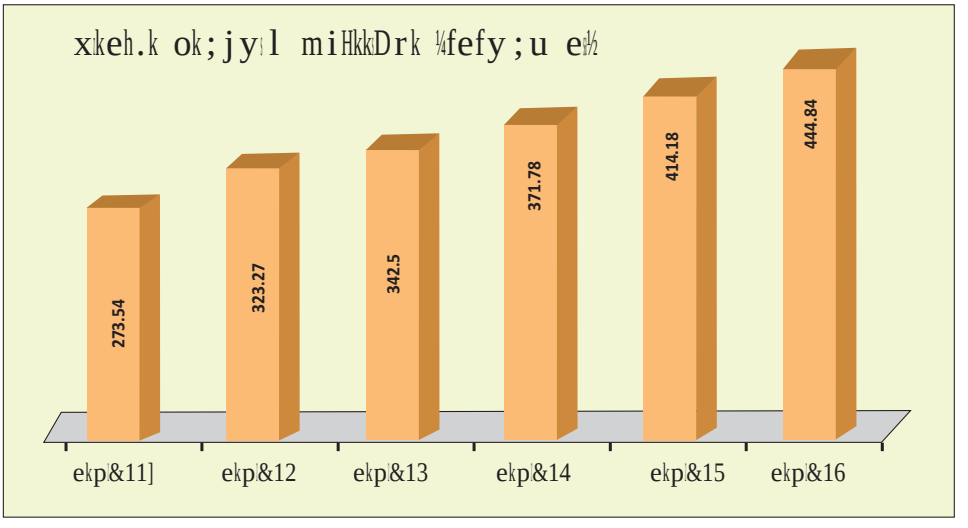

rkfydk&17 % lsok inkrkokj xzkeh.k ok;jysl miHkkDrk vk/kkj vkSj cktkj fgLlsnkjh

Ø- l-	ok;jysl lewg	ekpZ 2015 ds vuqlkj miHkkDrkvksa dh la[;k ¼fefy;u esa½	ekpZ 2016 ds vuqlkj miHkkDrkvksa dh la[;k ¼fefy;u esa½	ekpZ 2015 ds vuqlkj xzkeh.k miHkkDrkvksa dh la[;k ¼fefy;u esa½	ekpZ 2016 ds vuqlkj xzkeh.k miHkkDrkvksa dh la[;k ¼fefy;u esa½	xzkeh.k miHkkDrkvksa dh cktkj fgLlsnkjh ¼ekpZ 2015 ds vuqlkj½	xzkeh.k miHkkDrkvksa dh cktkj fgLlsnkjh ¼ekpZ 2016 ds vuqlkj½
1	भारती	226.02	251.24	107.61	121.98	25.98	27.42
2	वोडाफोन	183.80	197.95	97.91	106.02	23.64	23.83
3	आइडिया	157.81	175.07	89.29	97.41	21.56	21.90
4	रिलायंस	109.47	102.41	27.75	25.32	6.70	5.69
5	एयरसेल	81.40	87.09	28.65	29.78	6.92	6.69
6	बीएसएनएल	77.22	86.35	29.52	28.90	7.13	6.50
7	टाटा	66.32	60.10	17.25	15.87	4.16	3.57
8	टेलीनोर	45.62	52.45	14.19	15.96	3.43	3.59
9	सिस्टेमा	8.86	7.69	1.95	1.64	0.47	0.37
10	वीडियोकॉन	7.13	6.56	0	1.89	-	0.42
11	एमटीएनएल	3.51	3.56	0		-	
12	क्वाड्रैंट	2.73	3.16	0.07	0.08	0.02	0.02
13	योग	**969.89**	**1033.63**	**414.18**	**444.84**	**100.00**	**100.00**

fp=&13 % xzkeh.k ok;jysl miHkkDrkvksa ds lsok inkrkvksa dh cktkj fgLlsnkjh

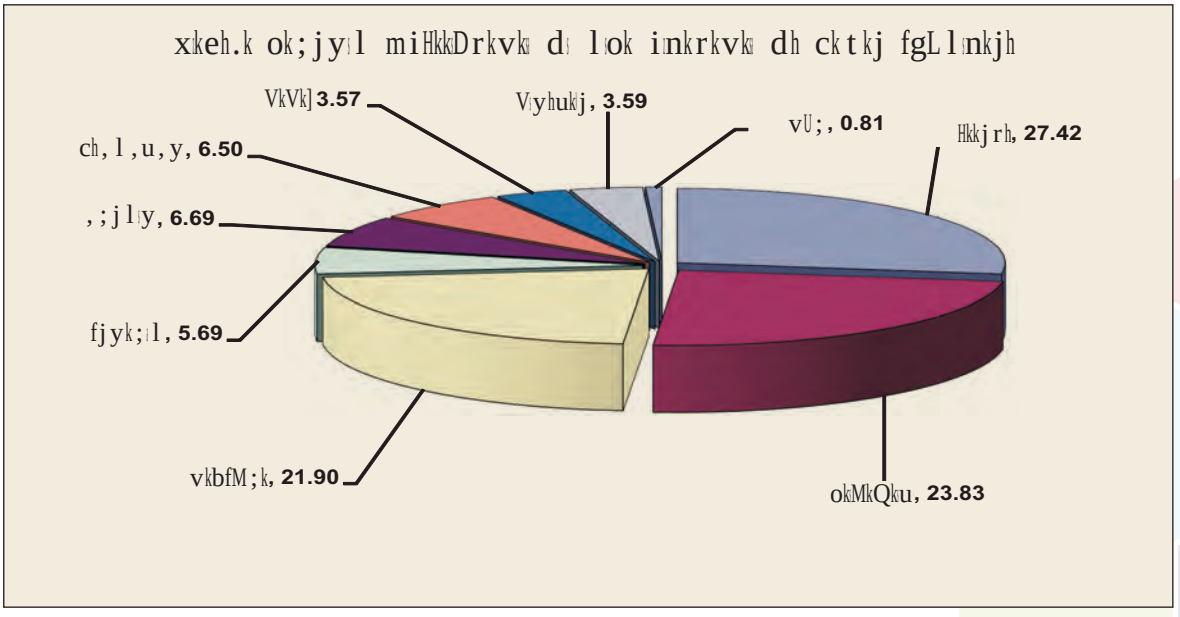

नोट : अन्य में सिस्टेमा और क्वाड्रैंट शामिल हैं।

1-2-1-2 ok;jykbu

31 मार्च, 2016 को ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता आधार 4.32 मिलियन रहा, जो 31 मार्च, 2015 के अंत तक 5.12 मिलियन था। इस प्रकार, एक वर्ष की अवधि में 15.61 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। सेवा प्रदातावार ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता आधार और उसकी बाजार हिस्सेदारी नीचे rkfydk&18 में दर्शाई गई है।

rkfydk&18 % lsok inkrkokj xkeh.k ok;jykbu miHkkDrk vkèkkj vkj mldh cktkj fgLlnkjh

Ø-l-	ok;jykbu leg	ok;jykbu miHkkDrkvk dh dqy l[;k		xkeh.k ok;jykbu miHkkDrk		xkeh.k ok;jykbu miHkkDrkvk dh cktkj fgLlnkjh ¼ifr'kr e½	
		ekp] 15	ekp] 16	ekp] 15	ekp] 16	ekp] 15	ekp] 16
1	बीएसएनएल	1,64,12,440	14,762,370	50,07,402	42,03,916	97.73%	97.23%
2	एमटीएनएल	35,51,671	3,504,088	-	-	-	-
3	भारती	34,11,121	3,663,649	-	-	-	-
4	क्वाड्रैंट	2,27,467	252,803	55,373	57,355	1.08%	1.33%
5	सिस्टेमा श्याम	57,119	59,130	9,596	10,170	0.19%	0.24%
6	टाटा	16.72.789	1,722,362	49,243	50,678	0.96%	1.17%
7	रिलायंस	11,82,177	1,169,952	1,890	1,677	0.04%	0.04%
8	वोडाफोन	79,560	90,214	-	-	-	-
	;kx	**2,65,94,344**	**25,224,568**	**51,23,504**	**43,23,796**	**100%**	**100.00%**

वर्ष 2015–16 के दौरान, प्रत्येक तिमाही के अंत में ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं की स्थिति का चित्रण नीचे fp= 14 में किया गया है :–

fp= 14 % 2015&16 d nkjku xkeh.k ok;jykbu miHkkDrk

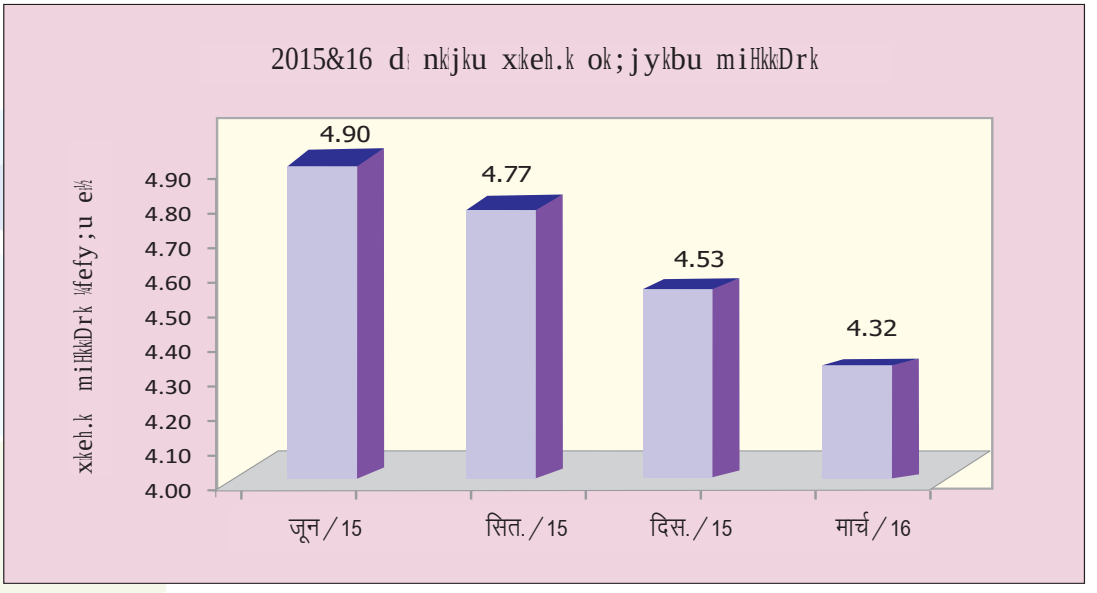

विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं की स्थिति का चित्रण नीचे fp=&15 में किया गया है :–

fp=&15 % 2012&16 ds nkjku xzkeh.k ok;jykbu miHkksDrk

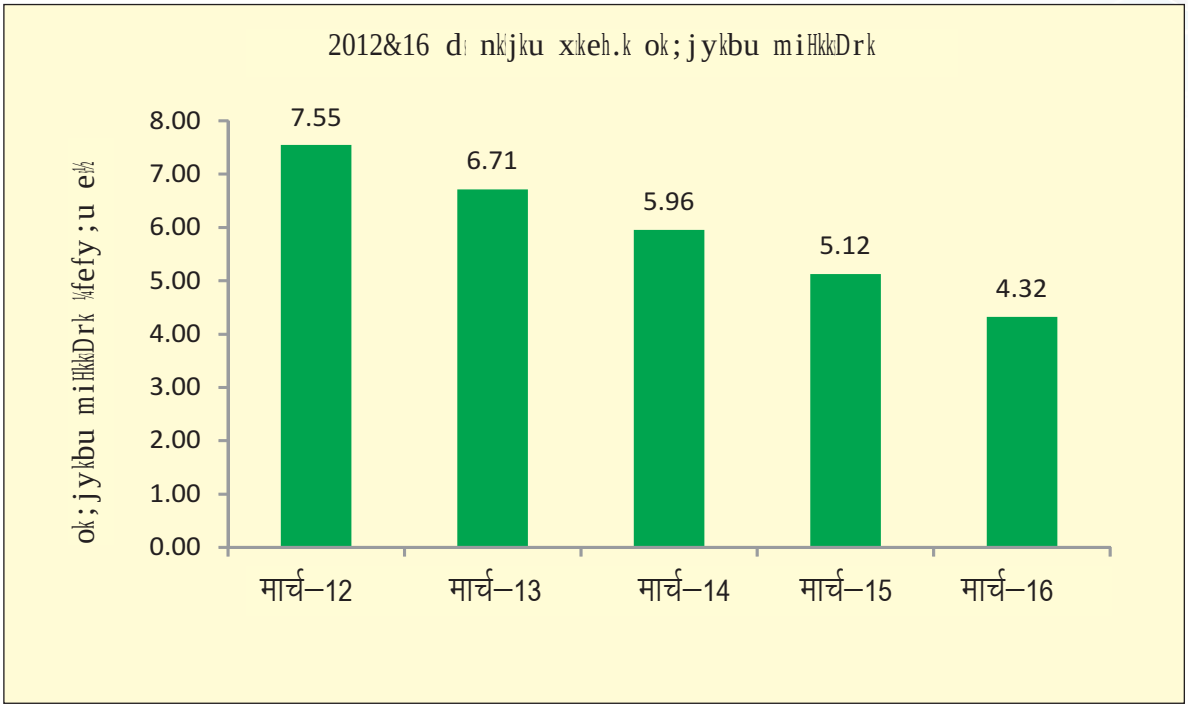

1-2-2 VsyhQksu usVodZ dk foLrkj

1-2-2-1 ok;jysl lsok,a

वायरलेस उपभोक्ता आधार 31 मार्च, 2015 तक 969.89 मिलियन की तुलना में 31 मार्च, 2016 तक 1033.63 मिलियन है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपभोक्ता आधार में 63.74 मिलियन उपभोक्ताओं की वृद्धि हुई है। वायरलेस सेवा का कुल उपभोक्ता आधार मार्च, 2011 में 811.59 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2016 में 1033.63 मिलियन हो गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंत में 1033.63 मिलियन उपभोक्ताओं में 989.54 मिलियन (95.73 प्रतिशत) जीएसएम उपभोक्ता हैं तथा 44.09 मिलियन(4.27 प्रतिशत) सीडीएमए उपभोक्ता थे। मार्च, 2011 से मार्च, 2016 तक उपभोक्ता आधार की प्रवृत्ति नीचे fp=&16 में दर्शाई गई है।

fp=&16 % ok;jysl lsok dk miHkksDrk vk/kkj ¼fefy;u esa½

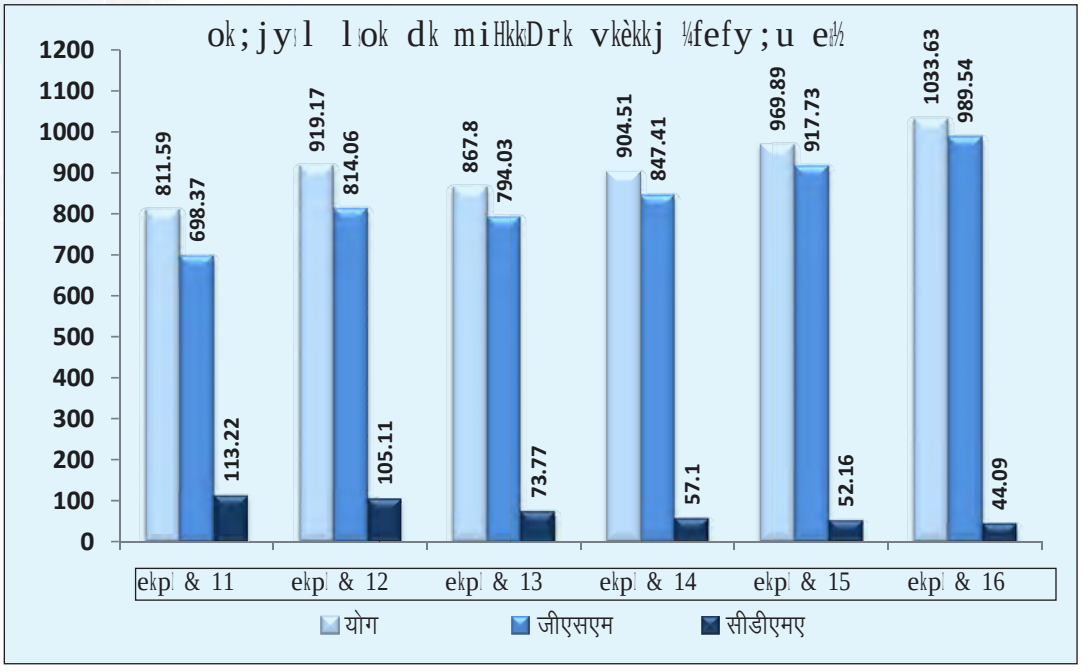

व्यक्तिगत वायरलेस सेवा प्रदाताओं (जीएसएम एवं सीडीएमए दोनों) का 2011–12 से 2015–16 तक उपभोक्ता आधार वर्ष 2013–14 की तुलना में उनकी प्रतिशत वृद्धि सहित रिपोर्ट के इस भाग के अंत में परिशिष्ट–1 में दिया गया है।

31 मार्च, 2016 को वायरलेस सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी नीचे fp=&17 में दर्शाई गई है। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में लाइसेन्सशुदा सेवा प्रदाताओं की सूची रिपोर्ट के इस भाग के अंत में परिशिष्ट–2 में दी गई है।

fp=&17 % ok;jysl lsok iznkrkvksa dh cktkj fgLlsnkjh ¼31 ekpZ 2016 dks½

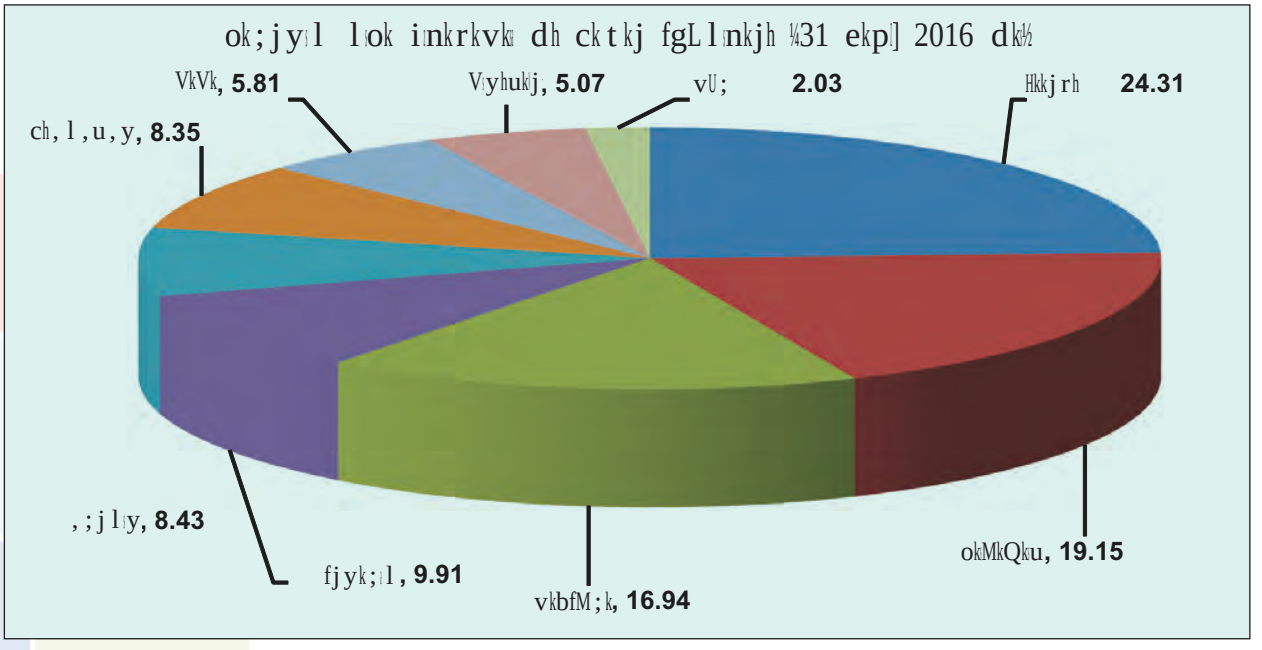

अन्य में सिस्टेमा, वीडियोकॉन, एमटीएनएल और क्वाड्रैंट शामिल हैं।

वायरलेस खण्ड में, जीएसएम का उपभोक्ता आधार मार्च, 2016 के अंत में 989.54 मिलियन था, जबकि मार्च, 2015 के अंत में 917.73 मिलियन था। एक वर्ष की अवधि में जीएसएम उपभोक्ता आधार में लगभग 71.81 मिलियन उपभोक्ताओ की वृद्धि हुई है।

उपभोक्ता आधार और जीएसएम सेवाओं की बाजार हिस्सेदारी की दृष्टि से मैसर्स भारती 251.24 मिलियन उपभोक्ताओं के साथ सबसे बड़े जीएसएम सेवा प्रदाता के स्थान पर कायम है तथा इसके बाद मैसर्स वोडाफोन, मैसर्स आइडिया तथा मैसर्स एयरसेल के क्रमानुसार 197.95 मिलियन, 175.07 मिलियन तथा 87.09 मिलियन उपभोक्ता हैं। 31 मार्च, 2016 के अनुसार विभिन्न जीएसएम ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी नीचे fp=&18 में दर्शाई गई है।

fp=&18 % th,l,e vkWijsVjksa dh cktkj fgLlsnkjh ¼izfr'kr½ ¼31 ekpZ] 2016 dks½

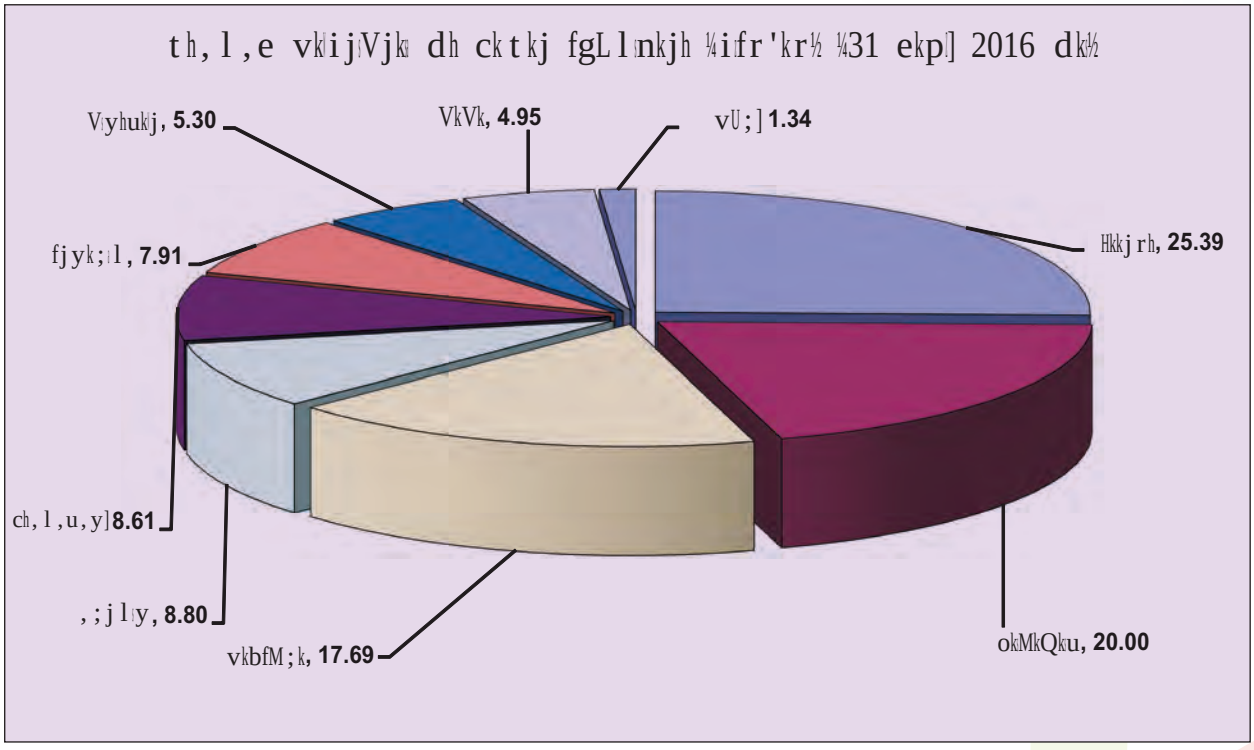

अन्य में वीडियोकॉन, एमटीएनएल और क्वाड्रैंट शामिल हैं।

वायरलेस खण्ड में, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान सीडीएमए उपभोक्ता आधार घटकर 44.09 मिलियन रह गया, जबकि यह मार्च, 2015 के अंत में 52.16 मिलियन था। सीडीएमए सेल्युलर सेवाओं में, वायरलेस उपभोक्ता आधार और बाजार हिस्सेदारी की दृष्टि से मैसर्स रिलायंस 24.16 मिलियन उपभोक्ताओं के साथ सबसे बड़े सीडीएमए ऑपरेटर के स्थान पर कायम है तथा इसके बाद मैसर्स टाटा और मैसर्स सिस्टेमा के क्रमानुसार 11.09 मिलियन तथा 7.69 मिलियन उपभोक्ता हैं। 31 मार्च, 2016 के अनुसार विभिन्न सीडीएमए ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी नीचे fp=&19 में दर्शाई गई है।

fp=&19 % lhMh,e, vkijVjk dh cktkj fgLlnkjh ¼ifr'kr½ ¼31 ekp] 2016 dk½

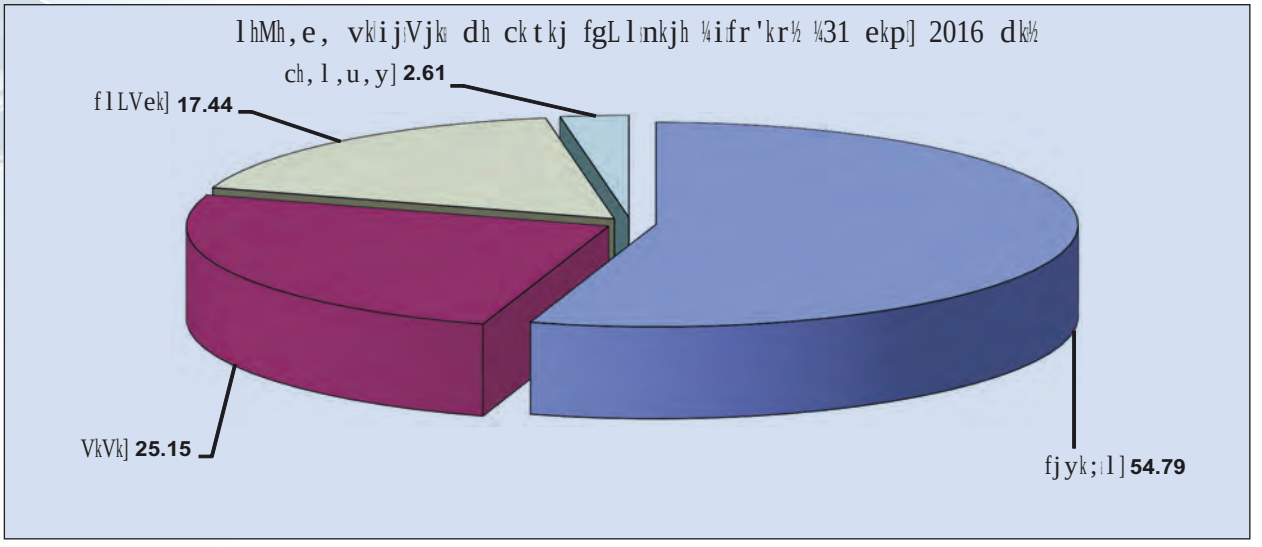

मार्च, 2011 से मार्च, 2016 तक की अवधि के लिए मेट्रो तथा सर्किल में वायरलेस सेवाओं हेतु उपभोक्ता आधार नीचे fp=&20 में ग्राफ के रूप में दर्शाया गया है।

fp=&20 % ekp] 2011 l ekp] 2016 rd dh vof/k d fy, eVk rFkk lfdy e okW;jyl lokvk gr miHkkDrk vk/kkj ¼vkdM fefy;u e½

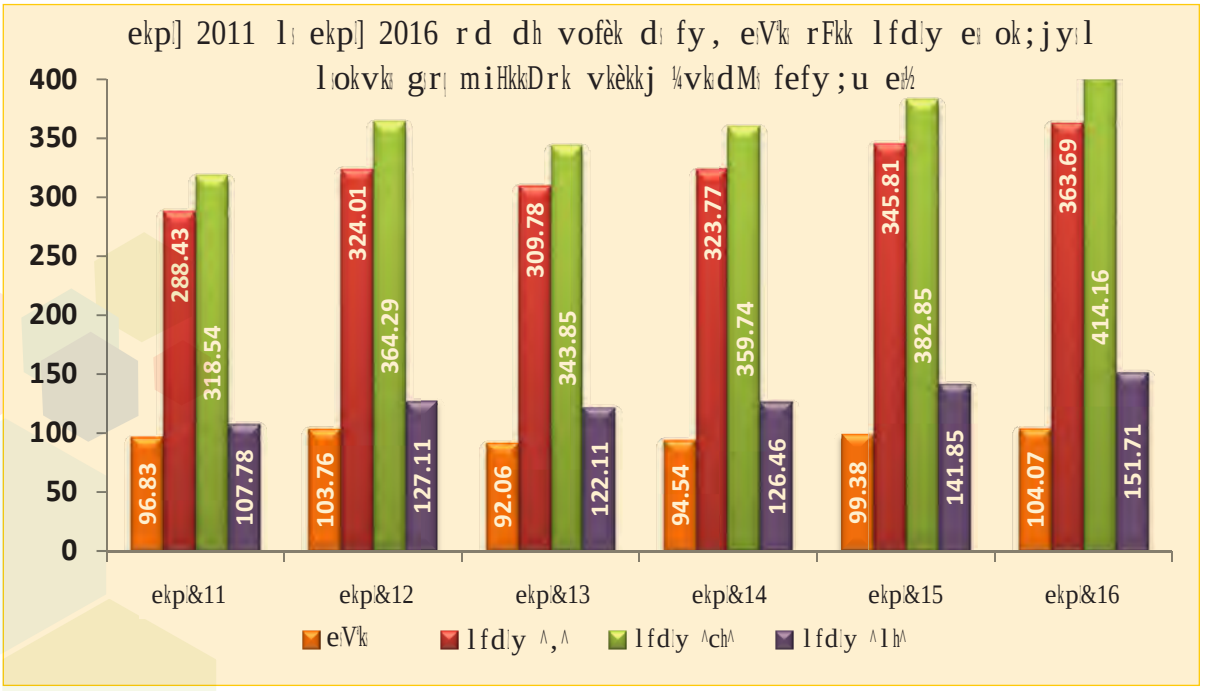

1-2-2-2 ok;jykbu lsok,a

31 मार्च, 2016 को वायरलाइन उपभोक्ता आधार का सेवा प्रदातावार विवरण नीचे rkfydk&19 में तथा ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता की दृष्टि से ब्योरा rkfydk&20 में दर्शाया गया है। बीएसएनएल तथा एमटीएनएल की वायरलाइन उपभोक्ता आधार में बाजार हिस्सेदारी क्रमानुसार 58.52 प्रतिशत तथा 13.89 प्रतिशत है, जबकि सभी छह निजी ऑपरेटरों की कुल मिलाकर 27.85 प्रतिशत हिस्सेदारी है। निजी ऑपरेटरों की हिस्सेदारी, जो 31 मार्च, 2015 को 24.93 प्रतिशत थी, 2.65 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2016 को 27.58 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

rkfydk&19 % 31 ekpZ] 2016 dk ok;jykbu miHkksDrk vkèkkj dk lsok inkrkokj fooj.k

Ø-l-	lsok inkrk	ipkyu dk {k=	miHkksDrk vkèkkj ¼ok;jykbu½
1	बीएसएनएल	सम्पूर्ण भारत सिवाय दिल्ली एवं मुंबई	14,762,370
2	एमटीएनएल	दिल्ली एवं मुंबई	3,504,088
3	भारती एयरटेल लि.	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्व और उत्तर प्रदेश–पश्चिम	3,663,649
4	क्वाड्रैंट टेलीवेन्चर्स लिमिटेड	पंजाब	252,803
5	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), बिहार (झारखंड सहित), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र एवं गोवा, मुंबई, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम और पश्चिम बंगाल।	1,169,952
6	सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विस लिमिटेड	राजस्थान	59,130
7	टाटा टेलीसर्विस लिमिटेड एवं टाटा टेलीसर्विसं (महाराष्ट्र) लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), बिहार (झारखंड सहित), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र एवं गोवा, मुंबई, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम (उत्तराखण्ड सहित) और पश्चिम बंगाल।	172,2362

Ø- l-	lsok inkrk	ipkyu dk {k=	miHkkDrk vkèkkj ¼ok;jykbu½
8	वोडाफोन	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), असम, बिहार (झारखंड सहित), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र एवं गोवा, मुंबई, उत्तर पूर्व, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम और पश्चिम बंगाल	90,214
		;kx	**25,224,568**

स्रोत : दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत डेटा के अनुसार।

rkfydk&20 % 31 ekp] 2016 dk lsok inkrkvksa dk ok;jykbu miHkkDrk vkèkkj

Ø- l-	lsok inkrk	'kgjh miHkkDrk	xkeh.k miHkkDrk	ok;jykbu miHkkDrkvksa dh dqy l[;k
1	बीएसएनएल	10,558,454	4,203,916	14,762,370
2	एमटीएनएल	3,504,088	0	3,504,088
3	भारती एयरटेल लि.	3,663,649	0	3,663,649
4	क्वाड्रैंट टेलीवेन्चर	195,448	57,355	252,803
5	सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विस लिमिटेड	48,960	10,170	59,130
6	टाटा टेलीसर्विस लिमिटेड (टीटीएमएल सहित)	1,671,684	50,678	1,722,362
7	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	1,168,275	1,677	1,169,952
8	वोडाफोन	90,214	0	90,214
	;kx	**20,900,772**	**4,323,796**	**25,224,568**

ok;jykbu miHkkDrkvksa esa lsok inkrkvksa dh fgLlsnkjh

वायरलाइन उपभोक्ताओं की कुल संख्या के लगभग तीन चौथाई उपभोक्ता बीएसएनएल/एमटीएनसल के नेटवर्क के साथ जुड़े हैं तथा शेष वायरलाइन कनेक्शन भिन्न निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। समस्त वायरलाइन उपभोक्ता आधार में विभिन्न सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी नीचे fp=&21 में दर्शाई गई है।

fp=&21 % lsok inkrkvk dh cktkj fgLlnkjh

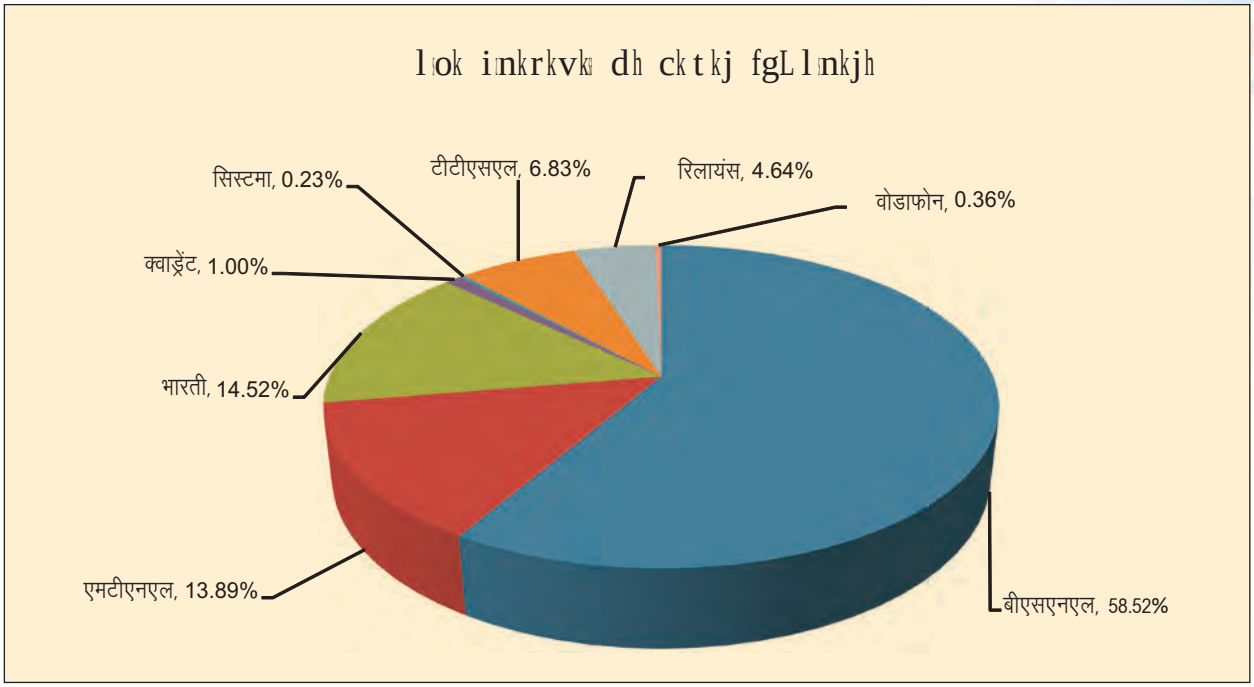

31 मार्च, 2016 को कुल शहरी वायरलाइन उपभोक्ताओं की संख्या 20.90 मिलियन थी, जिसमें 67.28 प्रतिशत बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में भिन्न वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी नीचे fp=&22 में दर्शाई गई है :–

fp=&22 % 'kgjh {k=k e lok inkrkvk dh cktkj fgLlnkjh ¼ifr'kr e½

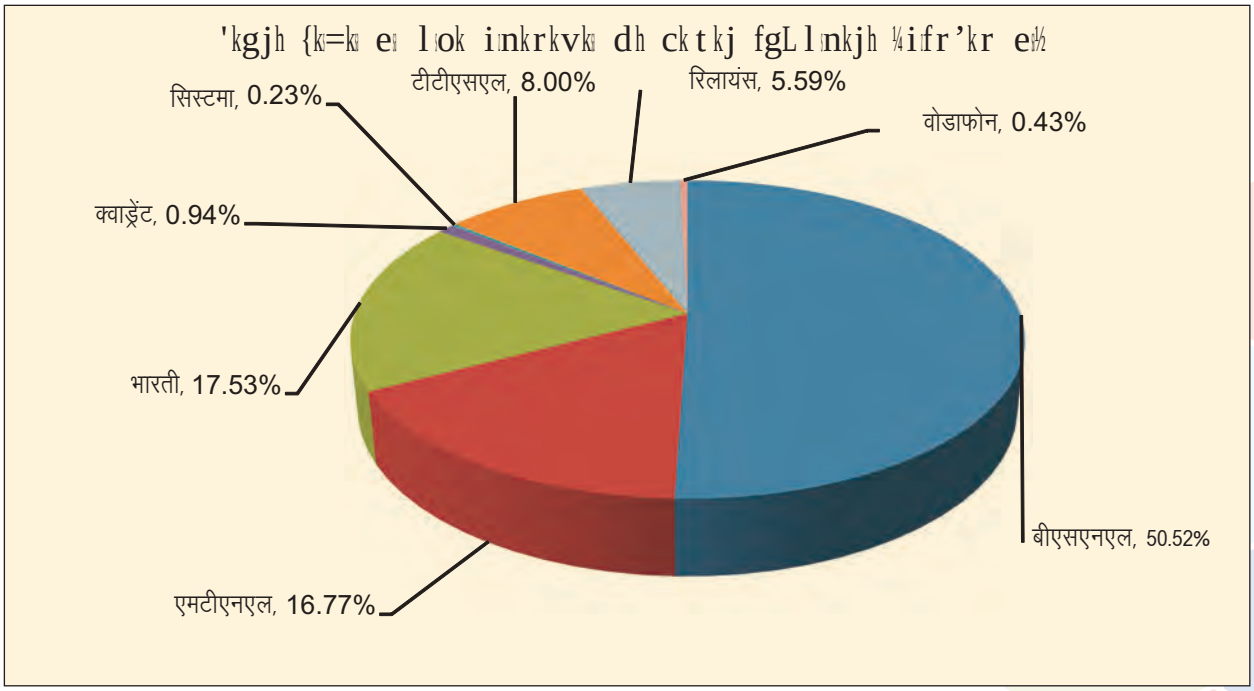

(iii) 31 मार्च, 2015 को वायरलाइन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 5.12 मिलियन थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भिन्न वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी नीचे fp=&23 में दर्शाई गई है:–

fp=&23 % xzkeh.k {ks=ksa esa lsok inkrkvksa dh cktkj fgLlsnkjh ¼ifr'kr esa½

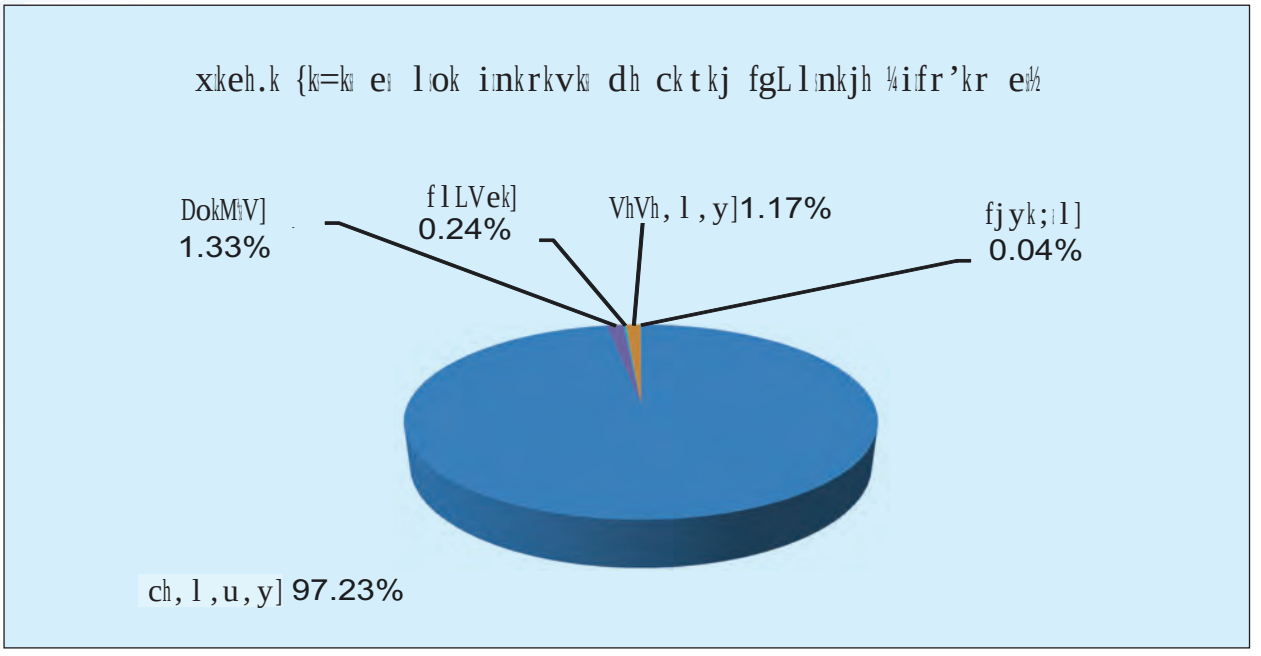

1-2-2-3 lkoZtfud dkWy dk;kZy; ¼ihlhvks½ %

31 मार्च, 2016 तक सार्वजनिक कॉल कार्यालयों की कुल संख्या 0.59 मिलियन थी, जबकि 31 मार्च, 2015 को यह संख्या 0.74 मिलियन थी। बीएसएनएल,एमटीएनएल तथा निजी ऑपरेटरों द्वारा उपलब्ध कराए गए पीसीओ' की संख्या नीचे rkfydk&21 में निदर्शित की गई है :–

rkfydk&21 % Hkkjr esa lkoZtfud dkWy dk;kZy;

Øe- la-	lsok inkrk dk uke	31 ekpZ 2015 dks	31 ekpZ 2016 dks
1	बीएसएनएल	4,65,821	3,55,844
2	एमटीएनएल	1,38,686	1,34,006
3	निजी ऑपरेटर	1,32,348	99,086
;ksx		**7,36,855**	**5,88,936**

1-2-2-4 xkeh.k lkolt fud VyhQku ¼ohihVh½ %

31 मार्च, 2015 को सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) की कुल संख्या 5.86 लाख की तुलना में 31 मार्च, 2016 को यह संख्या 5.87 लाख थी। rkfydk&22 में देश में कार्य कर रहे वीपीटी की संख्या दर्शाई गई है।

rkfydk&22 % Hkkjr e xkeh.k lkolt fud VyhQku

Ø- l-	lok inkrk dk uke	31 ekp] 2015 dk	31 ekp] 2016 dk
1	बीएसएनएल	5,81,183	5,82,482
3	निजी ऑपरेटर	4,798	4,317
;kx		**5,85,981**	**5,86,799**

1-2-2-5 midj.k fLopu {kerk

31 मार्च, 2016 को सेवा प्रदातावार कुल उपकरण स्विचन क्षमता और कार्यशील कनेक्शन नीचे rkfydk&23 में दर्शाये गए हैं :–

rkfydk&23 % lok inkrkokj midj.k fLopu {kerk

Ø- l-	lok inkrk dk uke	lok {k=	31 ekp] 2016 dk	
			midj.k fLopu {kerk ¼ykbUl dh l[;k½	dk;l'khy duD'kUl
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	सम्पूर्ण भारत सिवाय दिल्ली एवं मुंबई	3,69,87,455	1,47,62,370
2	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	दिल्ली एवं मुंबई	78,02,897	35,04,088
3	भारती एयरटेल लि.	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्व और उत्तर प्रदेश–पश्चिम	1,06,34,000	36,63,649

Ø- l-	lsok inkrk dk uke	lsok {ks=	31 ekpZ 2016 dks	
			mid j.k fLopu {kerk ¼ykbUl dh l[;k½	dk;Z'khy dusD'kUl
4	क्वाड्रैंट टेलीवेन्चर्स लिमिटेड	पंजाब	5,48,835	2,52,803
5	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), बिहार (झारखंड सहित), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र एवं गोवा, मुंबई, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम और पश्चिम बंगाल	26,92,000	11,69,952
6	सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विस लिमिटेड	राजस्थान	10,24,000	59,130
7	टाटा टेलीसर्विस लिमि. टेड एवं टाटा टेलीसर्विस (महाराष्ट्र) लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), बिहार (झारखंड सहित), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र एवं गोवा, मुंबई, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम (उत्तराखण्ड सहित) और पश्चिम बंगाल	25,34,579	17,22,362
8	वोडाफोन	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), असम, बिहार (झारखंड सहित), दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र एवं गोवा, मुंबई, उत्तर पूर्व, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम और पश्चिम बंगाल	1,85,000	90,214

स्रोत : सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार।

1-2-2-6 bVjuV rFkk czkMcSM miHkkDrk

देश में इंटरनेट उपभोक्ता आधार 31 मार्च, 2015 को 302.35 मिलियन और 31 मार्च, 2016 को 342.65 मिलियन था। 31 मार्च, 2016 को देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ता आधार 149.75 मिलियन था, जबकि 31 मार्च, 2015 को यह आधार 99.20 मिलियन था।

सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2016 तक उपभोग का विस्तृत विवरण नीचे rkfydk&24 में दिया गया है।

rkfydk&24 % 31 ekp] 2016 rd bVjuV miHkkDrkvk dk fooj.k ¼fefy;u e½

[k.M			l oxl	bVjuV miHkkDrk		ifr'kr of)
				ekp&2015	ekp&2016	
क	वायरलाइन		ब्रॉडबैंड	15.52	16.98	9.44%
			नैरोबैंड	3.55	3.46	-2.49%
			;kx	19.07	20.44	7.22%
ख	वायरलेस	फिक्स्ड वायरलेस (वाई–फाई, वाई–मैक्स, रेडियो एवं वीसैट)	ब्रॉडबैंड	0.44	0.525	18.64%
			नैरोबैंड	0.03	0.028	-17.31%
			;kx	**0.48**	**0.553**	**16.11%**
		मोबाइल वायरलेस (फोन + डोंगल)	ब्रॉडबैंड	83.24	132.24	58.87%
			नैरोबैंड	199.57	189.41	-5.09%
			;kx	**282.81**	**321.66**	**13.74%**
इंटरनेट उपभोक्ताओं की कुल संख्या			czkMcSM	99.20	149.75	50.96%
			ujkcSM	203.15	192.90	-5.05%
			;kx	**302.35**	**342.65**	**13.33%**

2015–16 हेतु तिमाहीवार इंटरनेट/ब्रॉडबैंड उपभोग, जैसाकि सेवा प्रदाताओं द्वारा रिर्पोट किया गया है, rkfydk&25 में दर्शाया गया है :–

rkfydk&25 % 2015&16 dh pkj frekfg;k d nkjku bVjuV miHkkDrkvk dk fooj.k ¼fefy;u e½

l ok	tu&15	flrEcj&15	fnlEcj&15	ekp&16
ब्रॉडबैंड	108.85	120.88	136.53	149.75
नैरोबैंड	210.57	204.07	195.13	192.90
;kx bVjuV miHkkDrk	**319.42**	**324.95**	**331.66**	**342.65**

¼x½ izlkj.k vkSj dscy Vhoh lsDVj esa lkekU; ifjos'k dh leh{kk

1.3.1 प्रसारण सेक्टर में टेलीविजन और रेडियो सेवाएं शामिल हैं। भारत, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टीवी बाजार है। उद्योग जगत के अनुमानों के अनुसार, मार्च, 2016 तक, 284[1] मिलियन परिवारों में से लगभग 181[1] मिलियन परिवारों के टेलीविजन सेट् को सिगनल्स की आपूर्ति विभिन्न प्लेटफार्म, जैसेकि केबल टीवी प्रणाली, डीटीएच सेवाएं, आईपीटीवी सेवाएं तथा दूरदर्शन के स्थलीय टीवी नेटवर्क द्वारा की जाती है। डीटीएच के 88.64 मिलियन पंजीकृत उपभोक्ता (58.53 मिलियन सक्रिय उपभोक्ता) हैं और आईपीटीवी लगभग आधा मिलियन उपभोक्ताओं की मांग पूर्ति करता है। केबल टीवी के लगभग 102[1] मिलियन उपभोक्ता हैं। दूरदर्शन का स्थलीय टीवी नेटवर्क स्थलीय ट्रांसमीटर के विशालकाय नेटवर्क के माध्यम से अनुमानतः देश की 92.6[2] प्रतिशत आबादी को सेवाएं प्रदान करता है। प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाएं सेक्टर में 48 भुगतान प्रसारक, अनुमानतः 60,000 केबल ऑपरेटर, 6000 एमएसओ (डीएएस में पंजीकृत 792 एमएसओ सहित), छह भुगतान डीटीएच ऑपरेटर हैं, जो फ्री–टू–एयर डीटीएच सेवाएं प्रदान कर रहे, लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन के अतिरिक्त हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंत तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय में 869 टीवी चैनल पंजीकृत थे, जिनमें 205 एसडी पे टीवी चैनल (5 विज्ञापन–फ्री पे चैनल सहित) तथा 58 एचडी पे टीवी चैनल शामिल हैं। भारत का टीवी उद्योग, वर्ष 2014–15 में 47500[3] करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 54200 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है और इसमें लगभग 14.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उपभोक्ता राजस्व टीवी उद्योग के समग्र राजस्व

[1] स्रोत : एमपीए रिपोर्ट्स 2015
[2] स्रोत : एमआईबी वेबसाइट
[3] स्रोत : फिक्की – केपीएमजी इंडियन मीडिया एण्ड एंटरटेनमेंट रिपोर्ट 2016

का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है। उपभोक्ता राजस्व वर्ष 2014–15 में 32000[3] करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 36100[3] करोड़ रुपए हो गया है। विज्ञापन राजस्व भी वर्ष 2014–15 के 15500 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 2015–16 में 18100 करोड़ रुपए हो गया है। एफएम (फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन) रेडियो प्रसारण सेक्टर में भी प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है। मार्च, 2016 तक लोक सेवा प्रसारक–आकाशवाणी (एआईआर) के अलावा देश में 243 निजी एफएम रेडियो स्टेशन काम कर रहे थे, जिसके नेटवर्क में 418[4] स्टेशन तथा 606[6] प्रसारण ट्रांसमीटर [145[4] एमडब्ल्यू (मीडियम वेव), 413[4] एफएम तथा 48[4] एसडब्ल्यू (शॉर्ट वेव)] शामिल है। एआईआर सेवा की कवरेज देश के लगभग 99.20[4] प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र तक है, तथा यह 99.19[4] प्रतिशत आबादी को सेवाएं प्रदान कर रहा है। रेडियो उद्योग, जो पूरी तरह विज्ञापन राजस्व पर आश्रित है, में 2015–16 के दौरान 17.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। विज्ञापनों से होने वाली आय, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 1633 करोड़ थी, इस वर्ष 2015–16 में 1923.91 करोड़ हो गई है। मार्च, 2016 तक, समुदाय रेडियो स्थापित करने के लिए जारी किए गए 237 लाइसेन्सों में 191 समुदाय रेडियो केन्द्र कार्य करना आरंभ कर चुके हैं।

1.3.2 विगत दशक, केबल एवं उपग्रह (सी एवं एस) टीवी बाजार की गतिशीलता में भारी परिवर्तन का साक्षी रहा है। भादूविप्रा ने अपनी दिनांक 05 अगस्त, 2010 की सिफारिशों में केबल टीवी सेवा सेक्टर के चरणबद्ध तरीके से, एड्रेसेबल के साथ पूर्ण डिजिटाइजेशन की सिफारिश की थी। ये सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की गई थीं और संसद द्वारा केबल एवं टीवी अधिनियम में उपयुक्त संशोधन समाविष्ट किए गए थे। केन्द्र सरकार द्वारा चार चरणों में पूरे देश में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियों (डीएएस) के कार्यान्वयन के लिए मार्ग मानचित्र निर्धारित करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई थी। प्रथम चरण में "डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियों" हेतु बदलाव के लिए प्रथम चरण के लिए विच्छेदन तिथि 31 अक्टूबर, 2012, दूसरे चरण के लिए 30 मार्च, 2013, तीसरे चरण के लिए विच्छेदन तिथि 31 दिसम्बर, 2015 तथा चौथे चरण के लिए विच्छेदन तिथि 31 दिसम्बर, 2016 निर्धारित की गई है।

[4] स्रोत : एआईआर वेबसाइट – www.air.org.in

izlkj.k vkj dcy Vhoh lsDVj

1.4 प्रसारण और केबल टीवी सेवा सेक्टर में विगत दो दशकों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। इस समय इस सेक्टर में एनालॉग तथा डिजिटल केबल टीवी सेवाएं, डीटीएच सेवाएं, टेरेस्ट्रियल टीवी सेवाएं, आईपीटीवी सेवाएं और प्रसारण रेडियो सेवाएं शामिल हैं। एफएम रेडियो सेवाएं में भी निरंतरतापूर्ण विकास देखा गया है। उपभोक्ता आधार में वृद्धि के अनुपात में सेवा प्रदाताओं तथा प्लेटफार्म की संख्या भी बढ़ी है। प्रसारण सेक्टर में विभिन्न सेवाओं की वर्तमान स्थिति को नीचे रेखाकिंत किया गया है।

1-4-1 mixg Vhoh puy

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमति दिए गए उपग्रह टीवी चैनल की कुल संख्या वर्ष 2010 में 524 की तुलना में भारी वृद्धि के साथ वर्ष 2016 में 869 तक पहुंच गई है। चित्र–24 में इस अवधि के दौरान टीवी चैनल की कुल संख्या का आंकड़ा वर्ष क्रम में दर्शाया गया है। एसडी पे चैनल की संख्या 2010 में 147 से बढ़कर 2016 में 205 हो गई है। एसडी पे चैनल की सूची रिपोर्ट के इस भाग के अंत में परिशिष्ट–3 में दर्शाई गई है। चित्र–25 में इस अवधि में एसडी पे चैनल की कुल संख्या में वृद्धि नीचे चित्रित की गई है। पिछले छह वर्षों में प्रसारकों द्वारा एचडी भुगतान चैनल भी बड़ी संख्या में आरंभ किए गए हैं। चित्र–26 में इस अवधि के दौरान सूचित किए एचडी उपग्रह भुगतान टीवी चैनल के आंकड़े वर्ष क्रम में दर्शाए गए हैं। मार्च, 2016 तक, कुल 58 एचडी चैनल प्रचालनरत हैं। एचडी भुगतान टीवी चैनल की सूची रिपोर्ट के इस भाग के अंत में परिशिष्ट–4 में दर्शाई गई है।

fp=&24 % Hkkjr e mixg Vhoh puYk ¼i ,o ,QVh,½ dh l[;k e okf"kd of)

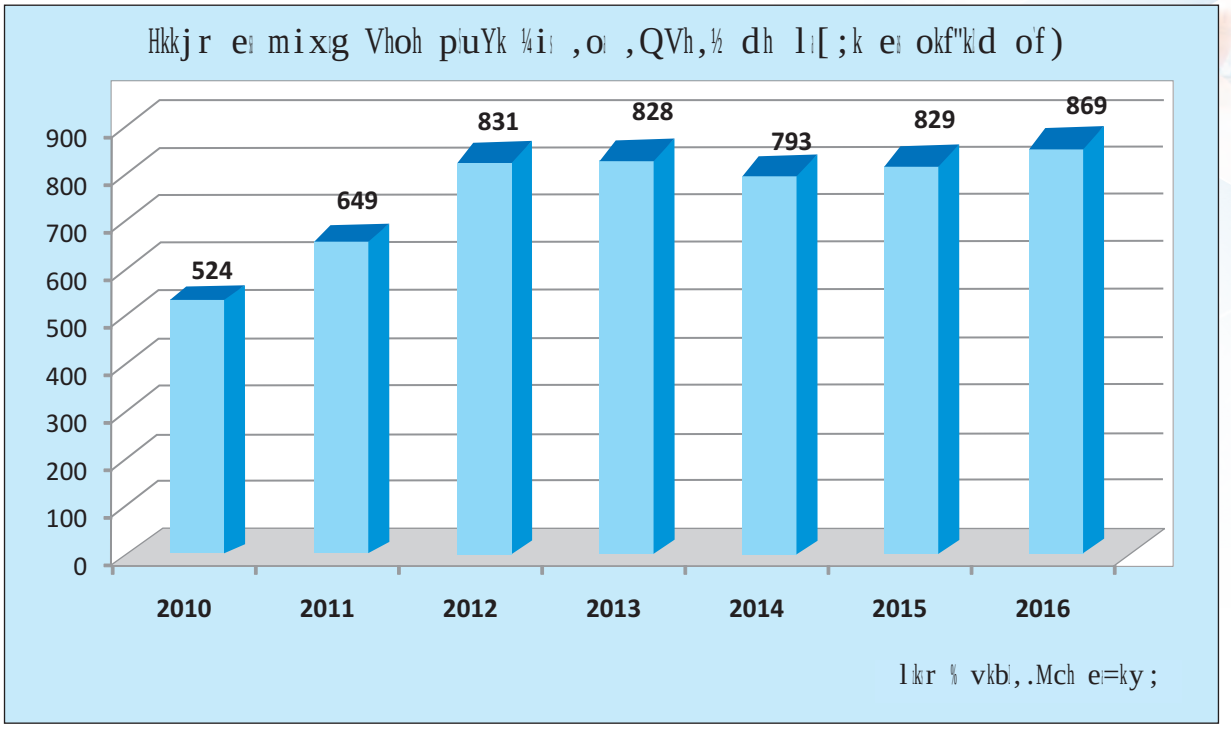

fp=&25 % ,lMh mixg Vhoh puYk dh l[;k e okf"kd of)

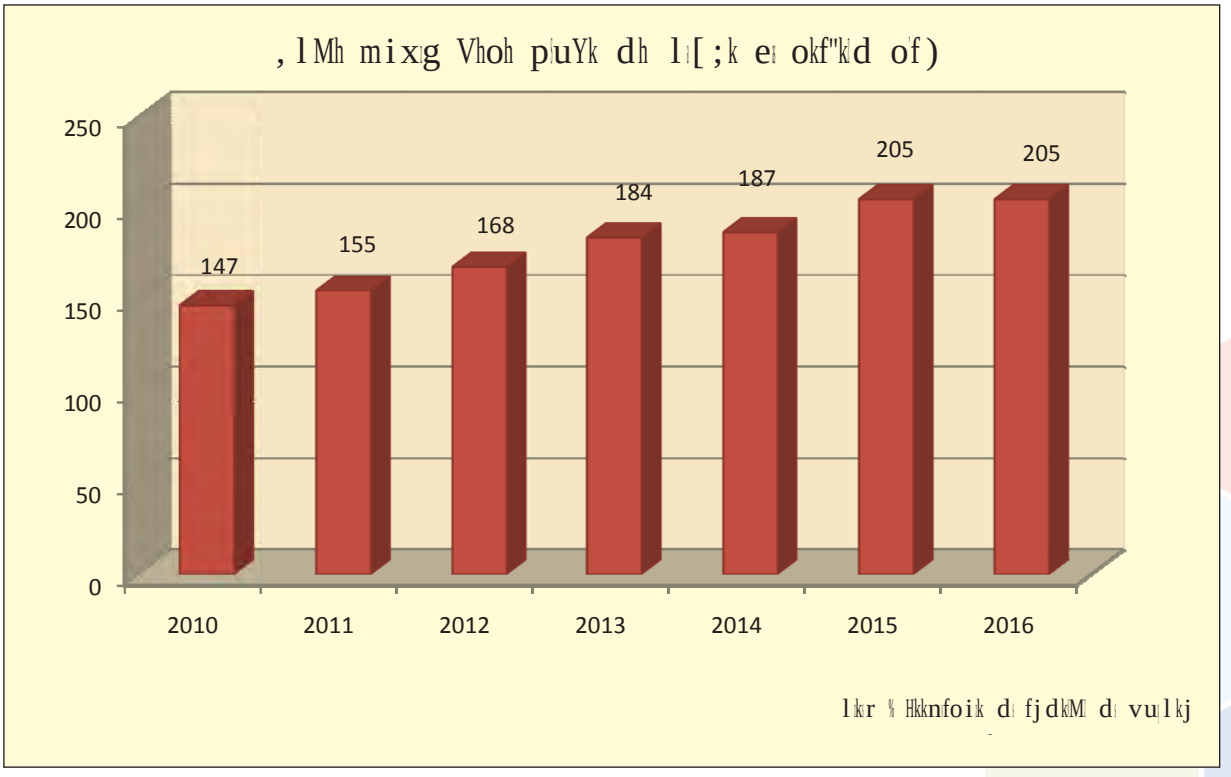

fp=&26 % ,pMh mixzg i Vhoh puYk dh l[;k e okf"kd of)

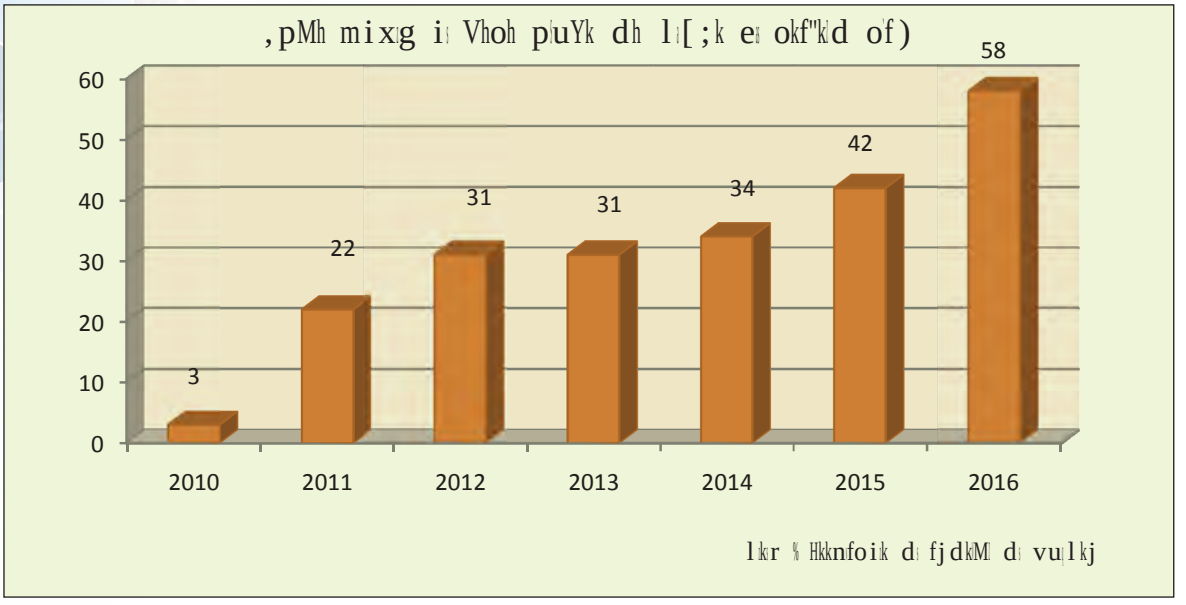

1-4-2 MhVh,p lok,

भारतीय डीटीएच सेवाओं ने वर्ष 2003 में शुरूआत के समय से अब तक उल्लेखनीय विकास किया है। डीटीएच लगभग 88.64 मिलियन (58.53 मिलियन सक्रिय उपभोक्ता सहित) का पंजीकृत उपभोक्ता आधार हासिल कर चुका है। मार्च, 2016 तक कुल 6 पे डीटीएच सेवा प्रदाता इस उपभोक्ता आधार को सेवाएं प्रदान कर रहे थे। पे डीटीएच की एक सूची, रिपोर्ट के इस भाग के अंत में परिशिष्ट–5 में प्रस्तुत की गई है। यह दूरदर्शन की फ्री डीटीएच सेवाओं के दर्शक संख्या के अतिरिक्त है। सेक्टर के निवल सक्रिय उपभोक्ता आधार की दृष्टि से इसका वार्षिक विकास fp=&27 में दर्शाया गया है :–

fp=&27 % i MhVh,p lDVj d fuoy lfØ; miHkkDrk vkèkkj e okf"kd of) ¼fefy;u e½

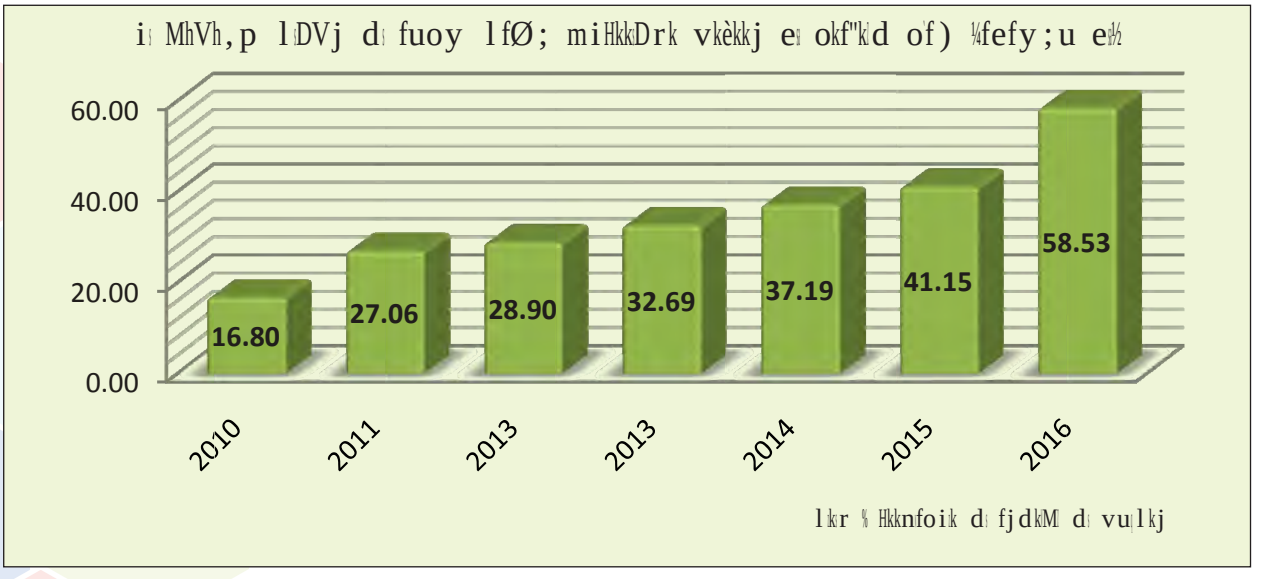

पारम्परिक टीवी चैनल की उपलब्धता में वृद्धि के अतिरिक्त, पे डीटीएच ऑपरेटर अनेक नई तरह की सेवाएं तथा मूल्यवर्द्धित सेवाएं (वीएएस) बढ़ाते जा रहे हैं, जैसेकि अंतः संयोजन सेवाएं उदाहरण के लिए मांग–पर–मूवी, गेमिंग, शॉपिंग, शिक्षा इत्यादि।

1-4-3 dcy Vhoh lok,

केबल टीवी, टीवी सेवा सेक्टर का सबसे बड़ा खण्ड है। इसका उपभोक्ता आधार लगभग 102 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2016 में भारत में टीवी परिवारों की कुल संख्या करीब 181 मिलियन तक पहुंच चुकी है। fp=&28 में पे केबल टीवी सेक्टर का विकास विगत छह वर्षों में उपभोक्ताओं की संख्या में वार्षिक वृद्धि के रूप में दर्शाया गया है।

fp=&28 % i dcy Vhoh miHkkDrkvk dh l[;k e okf"kd of) ¼fefy;u e½

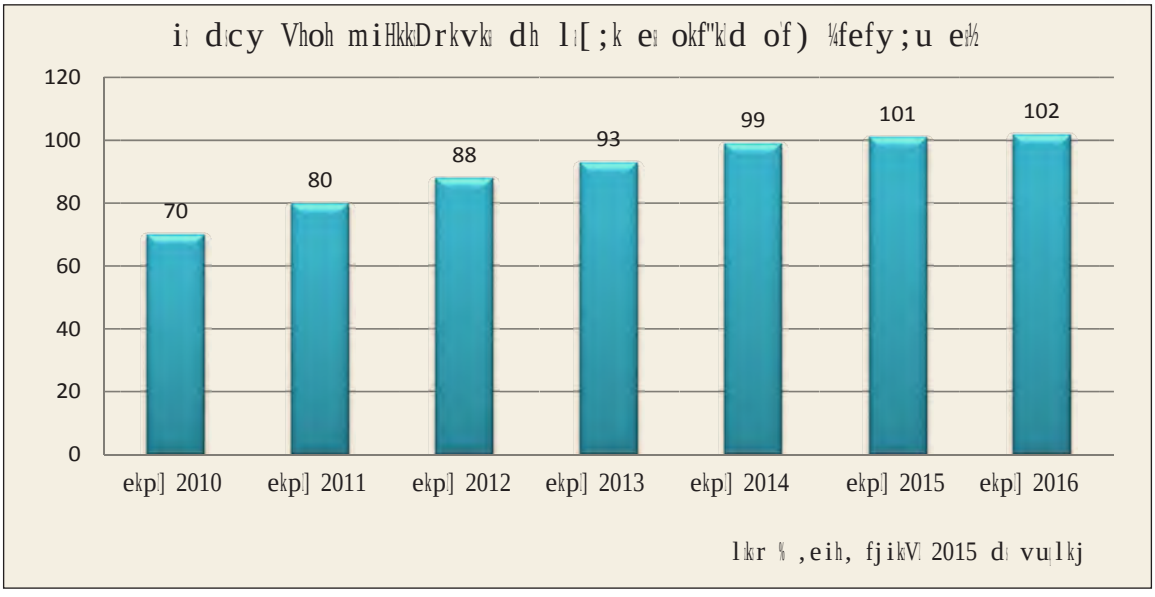

1-4-4 fMftVy ,Mlcy dcy Vhoh flLVe ¼Mh,,l½

टीवी चैनल की संख्या में होने वाली हर वृद्धि और एनालॉग केबल टीवी प्रणाली की अपनी स्वयं की सीमाओं से, केबल टीवी सेक्टर के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गईं। सबसे पहली सीमा एनालॉग केबल टीवी नेटवर्क की क्षमता की मजबूरी थी, दूसरा कारण इसकी गैर–एड्रेसेबल प्रकृति थी। प्रौद्योगिकी के विकास तथा डिजिटल युग के आरंभ होने से, केबल उद्योग के आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ और उसके द्वारा यह इस विशाल और निरंतर वृद्धिशील उपभोक्ता आधार को अनेक नई सेवाएं देने में सक्षम हो सका है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), विगत काल में डिजिटाइजेशन के विषय की जांच गहराई के साथ कर चुका था और इसके द्वारा

व्यापक जन परामर्श प्रक्रिया भी आरंभ की जा चुकी थी। तदुपरान्त, 05 अगस्त, 2010 को इसने भारत सरकार से देश में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली (डीएएस) लागू करने की अनुशंसा की थी। जबकि ऐसा करते हुए, इसने डिजिटाइजेशन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विस्तृत मार्ग मानचित्र भी निर्धारित किया था। सरकार ने 25 अक्टूबर, 2011 को भादूविप्रा के सुझाव स्वीकार कर लिए गए तथा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 में संशोधन करते हुए, एक अध्यादेश[1] की उद्घोषणा की गई, जिसमें भारत में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली का कार्यान्वयन अनिवार्य बनाकर, नवम्बर, 2012 से आरंभ करते हुए, चरणबद्ध तरीके से, दिसम्बर, 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। देश के आकार, जटिलताओं तथा क्षेत्रीय विशिष्टताओं के चलते, एनालॉग केबल टीवी वितरण प्रणाली को पूर्ण रूप से डिजिटल में बदलने की आरंभिक योजना शहरीकरण के स्तरों के आधार पर तैयार की गई थी। बाद में योजना की समय सीमा में संशोधन किया गया है। यह परिवर्तन अनुसूची नीचे rkfydk&26 में दिया गया है :–

rkfydk&26 % LFkkukarj.k dk;Øe & fMftVy ,Msªlcy dscy Vhoh iz.kkyh

pj.k	{ks=	,ukykWx dscy Vhoh dh lekfIr dh frfFk
चरण–1	चार महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई	31–10–2012
चरण–2	एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगर (38 नगर)	31–03–2013
चरण–3	सभी शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिकाएं)	31–12–2015
चरण–4	शेष भारत	31–12–2016

1-4-5 fMftVy ,Msªlcy dscy Vhoh flLVe ¼Mh,,l½ dk dk;kZUo;u

भादूविप्रा ने डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सिस्टम के कार्यान्वयन हेतु एक व्यापक विनियामक आधार संरचना निर्धारित की है, जिसमें *अन्य के साथ* अंत:संयोजन, सेवा की गुणवत्ता और टैरिफ शामिल किए गए हैं।

जहां तक डीएएस के कार्यान्वयन का संबंध है, भादूविप्रा ने तीन चरणों का कार्यक्रम तैयार किया है :–

- पहला चरण में प्रसारकों तथा एमएसओ के बीच औपचारिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर के माध्यम से विषयवस्तु की उपलब्धता सुनिश्चित करना था।

[1] अध्यादेश दिनांकित 25 अक्टूबर, 2011, दिनांक 30 दिसम्बर, 2011 को संसद द्वारा विधेयक पारित किए जाने के साथ ही अधिनियम बन गया।

- दूसरा चरण में सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) लगाना, उपभोक्ता विवरण का संग्रहण सुनिश्चित करना और इस विवरण को उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) में स्थापित करना था। यह प्रणाली में 'एड्रेसेबिलिटी' लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था।
- तीसरा चरण व्यक्तिगत उपभोक्ता बिलिंग सुनिश्चित करना था, ताकि उपभोक्ता अपनी पसंद/उपभोग के अनुसार भुगतान करे। यह एनालॉग दौर से नितान्त भिन्न था, जब उपभोक्ता केबल द्वारा उसको दी जा रही सेवा के बदले मूल रूप से एकमुश्त राशि का भुगतान करता था। उस समय इस बात से कोई संबंध नहीं था कि केबल द्वारा पेशकश की जा रही सामग्री उपभोक्ता को पसंद है या नहीं है।

देशव्यापी परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, भादूविप्रा ने मीडिया के सभी रूपों जैसेकि रेडियो, टीवी तथा प्रिंट के माध्यम से एक व्यापक जागरूकता अभियान आरंभ किया, जिसका फोकस हितधारकों को डिजिटाइजेशन के लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करना था। उद्योग, सेक्टर विनियामक ओर सरकार के भी सदस्यों को मिलाकर एक कार्यबल गठित किया गया। कार्यबल द्वारा क्षेत्र के दौरों, समीक्षा बैठकों, जागरूकता कार्यशालाओं के आयोजन के अलावा वह सब किया गया, जो एक कारगर और व्यापक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक था। कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी हेतु सेवा प्रदाताओं से नियमित रूप से डेटा संग्रहण किया गया। आवश्यकता के अनुसार सुधार उपाय तत्परता के साथ लागू किए गए।

कार्यान्वयन के पहले तीन चरण पूरे किए जा चुके हैं और लगभग 50 प्रतिशत टीवी होम्स डिजिटाइज किए जा चुके हैं। मार्च, 2016 के अंत तक, लगभग 50 मिलियन एसटीबी संस्थापित किए जा चुके हैं। चौथे और अंतिम चरण में शेष कार्य सक्रिय रूप से प्रगति पर है। पूरा देश वर्ष 2016 के अंत तक 'पूर्णतया डिजिटल' हो जाने की आशा की जाती है। डिजिटाइजेशन के पहले तीन चरणों के कार्यान्वयन के दौरान हासिल किया गया अनुभव अत्यंत उत्साहवर्द्धक रहा है। वस्तुतः एनालॉग सिस्टम की बहुत सी परेशानियां जैसेकि क्षमता बाध्यताएं, गैर–पारदर्शी व्यावसायिक लेन–देन, सेवाओं के संबंध में उपभोक्ताओं की सीमित पसंद इत्यादि का निराकरण किया जा रहा है।

डीएएस क्षेत्रों के उपभोक्ता, अब पहले की अपेक्षा चैनल की बेहतर विकल्प प्राप्त कर पाते हैं, जिसमें हाई डेफिनेशन (एचडी) चैनल, चित्र और ध्वनि की बेहतर गुणवत्ता, सेवा की बेहतर गुणवत्ता और मदवार बिलिंग के विकल्प शामिल हैं। डिजिटल केबल टीवी इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने में भी लगातर वृद्धि हो रही है। अब अन्य मूल्यवर्द्धित सेवाएं तथा ट्रिपल प्ले सर्विस आरंभ करने के लिए प्लेटफार्म तैयार हो चुका है। भारत द्वारा केबल टीवी नेटवर्क के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक निष्पादित की जा चुकी है और आशा की जाती है कि यह अन्य देशों द्वारा अनुकरण हेतु प्रतिमान स्थापित करेगी।

1-4-6 jfM;k

रेडियो प्रमुख रूप से इसकी व्यापक व्याप्ति, वहनीयता, कम स्थापन लागत और मितव्ययिता के कारण, जन संचार का एक लोकप्रिय साधन है। भारत में, रेडियो कवरेज एम्प्लीट्यूड मॉडुलेशन (एएम) मोड में

शॉर्ट–वेव (एसडब्ल्यू) तथा मीडियम–वेव (एमडब्ल्यू) में और एफएम बैंड में फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन (एफएम) मोड में भी उपलब्ध है। आज, एफएम रेडियो प्रसारण जनता को मनोरंजन, सूचना तथा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय और व्यापक माध्यम के रूप में स्थापित हो चुका है। मार्च, 2016 के अंत तक, देश में 243 निजी एफएम रेडियो स्टेशन कार्यरत थे, जो लोक सेवा प्रसारक–ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के अतिरिक्त हैं। एआईआर के नेटवर्क में 418 प्रसारण ट्रांसमिटर के साथ 606 स्टेशन (145 एमडब्ल्यू, 413 एफएम तथा 48 एसडब्ल्यू स्टेशन) हैं।

सम्पूर्ण देश में और विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा द्विपीय भूभागों के लाभवंचित क्षेत्रों में एफएम सेवाओं की उपलब्धता के आगे और विस्तार के दृष्टिगत, कतिपय अन्य मुद्दों को संबोधित करते हुए, सरकार द्वारा 25 जुलाई, 2011 को निजी संस्थाओं के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण के विस्तार के तीसरे दौर के विषय में समेकित नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए गए। इसका उद्देश्य 333 नगरों में 966 अतिरिक्त एफएम रेडियो स्टेशन की शुरूआत की मौजूदा व्यापकता को बढ़ाना और क्षेत्रीय एफएम रेडियो स्टेशनों के विकास को बढ़ावा देना भी था। तीसरे चरण के कार्यान्वयन के पश्चात, एफएम रेडियो की सेवाएं देश के लगभग 85 प्रतिशत भाग तक पहुंच जाएंगी। निजी एफएम प्रसारकों को रेडियो प्रसारण सेक्टर में प्रवेश की अनुमति ने देश में रेडियो कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ साथ रेडियो श्रोताओं को श्रेष्ठ गुणवत्ता की ग्राहिता और सामग्री उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय प्रतिभा को प्रोत्साहन के साथ इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। निजी एफएम रेडियो स्टेशन की संख्या में वार्षिक वृद्धि fp=&29 में दर्शाई गई है। निजी एफएम रेडियो स्टेशन के विज्ञापन राजस्व में वार्षिक वृद्धि (भादूविप्रा के रिकॉर्ड के अनुसार) fp=&30 में दर्शाई गई है।

fp=&29 % futh ,Q,e jfM;k LVi'ku dh l[;k e okf"kd of)

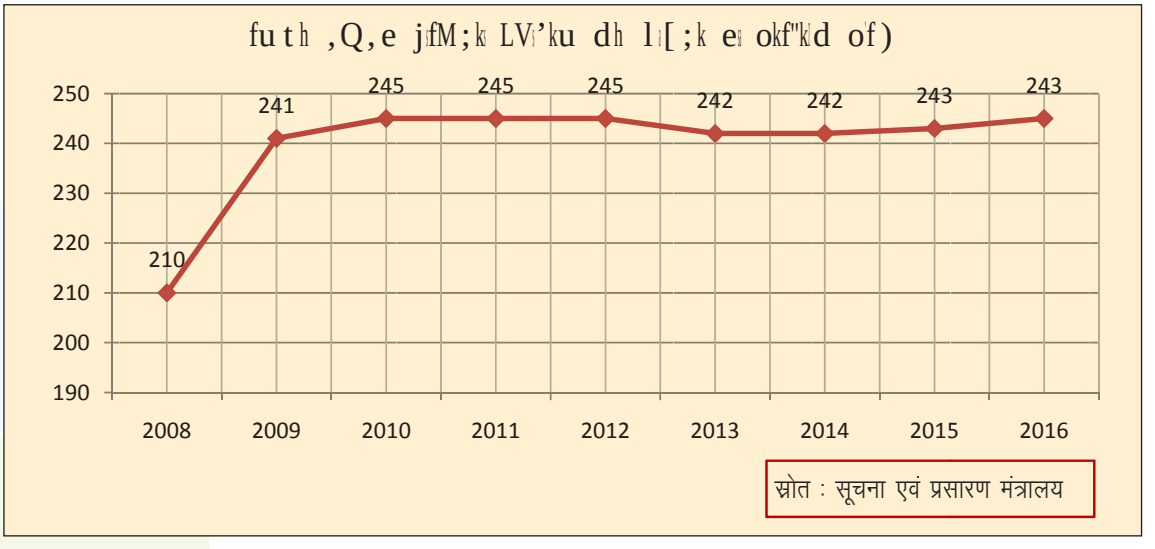

fp=&30 % ,Q,e jfM;k foKkiu jktLo e okf"kd of)

¼djkM e½

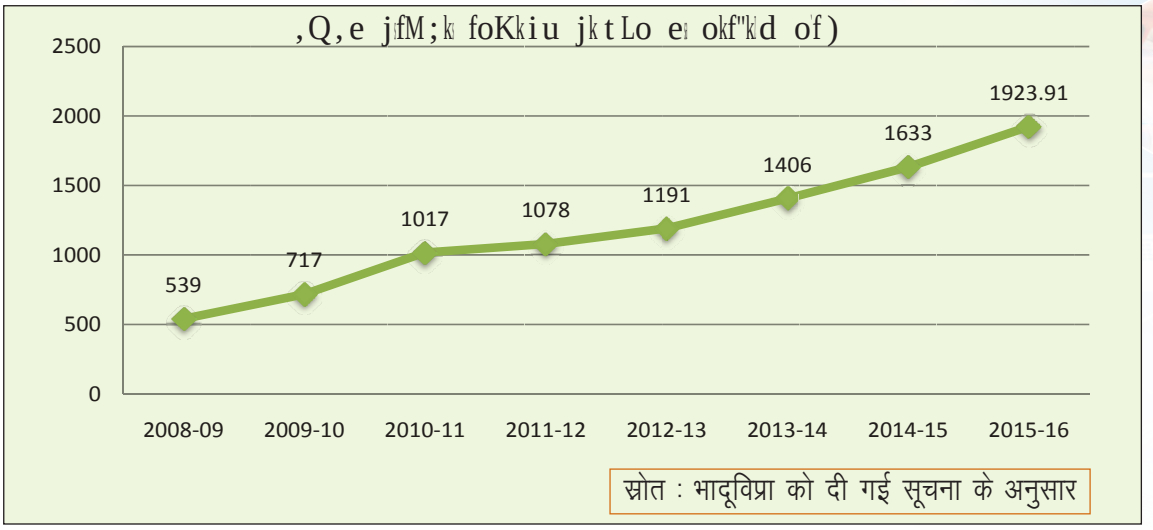

देश में समुदाय रेडियो स्टेशन (सीआरएस) की संख्या में विस्तार रेडियो परिदृश्य में वृद्धि का एक अन्य क्षेत्र है। विशाल भूभाग, भाषायी विविधता, क्षेत्रीय सुवास और सांस्कृतिक वैभिन्न के चलते सीआरएस में विशाल संभावनाएं छिपी हुई हैं। समुदाय रेडियो प्रसारण आम जन के दैनिक सरोकारों पर विशेष फोकस के साथ छोटे समूहों और समुदायों का नेटवर्क तैयार करने हेतु एक माध्यम के तौर पर काम कर सकता है तथा उनकी स्थानीय अभिलाषाओं को साकार करने में भी सहायताप्रद हो सकता है। सीआरएस शैक्षिक संस्थानों और सिविल सोसायटी संगठनों के सहयोग में स्थापित किए गए हैं। मार्च, 2016 तक सीआरएस में जारी किए गए कुल 237 लाइसेन्सेज में से 191 स्टेशन प्रचालनरत हैं। समुदाय रेडियो स्टेशन की संख्या में वार्षिक वृद्धि fp=&31 में दर्शाई गई है।

fp=&31 % lenk; jfM;k LVs'ku dh l[;k e okf"kd of)

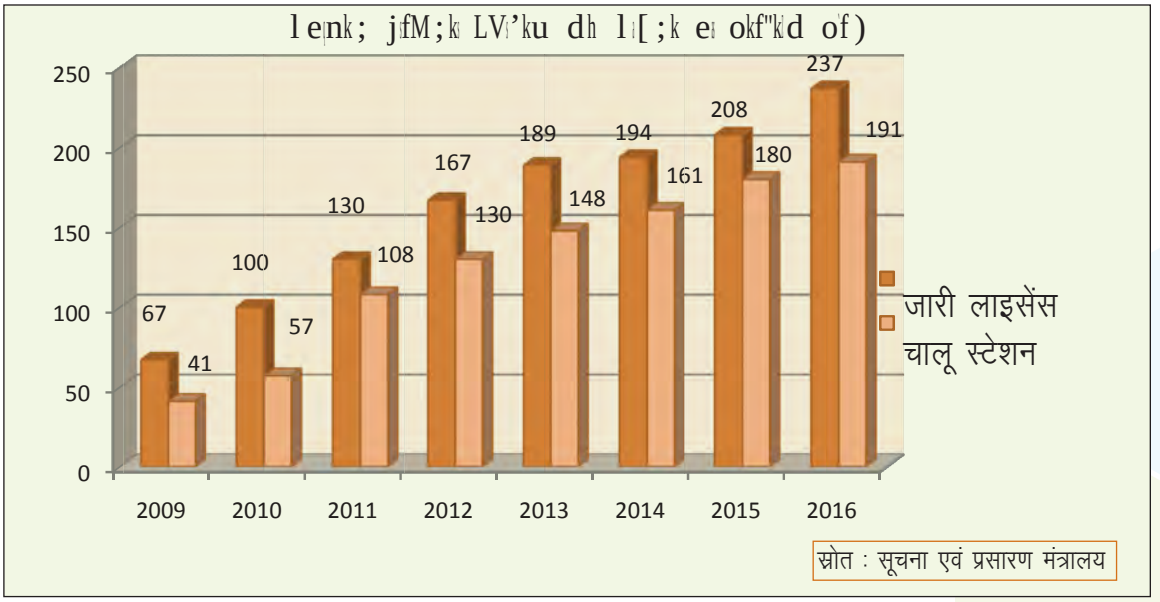

1-4-7 VyhkVyl

सम्पूर्ण विश्व में, टेलीपोर्ट्स का विकास टीवी कार्यक्रम निर्माण से लेकर कार्यक्रम निर्माण के बाद विषय–वस्तु की तैयारी तथा वितरण, प्रणाली एकीकरण और नेटवर्क प्रबंधन तक असंख्य समाधानों के प्रदाता के रूप में हुआ है। भारत में अप–लिंकिंग के उदार मार्गदर्शी सिद्धांतों के चलते वे चैनल कम प्रचालन लागतों और कुशल जनशक्ति की उपलब्धता के कारण भारी संख्या में भारत की ओर मुड़े हैं, जो पहले विदेशों से अपलिंक होते थे। यदि भारत आगे 'टेलीपोर्ट हब' के रूप में विकसित हो जाता है, तो भारत में डाउन–लिंकिंग के अनिच्छुक चैनल के भी अप–लिंकिंग के लिए भारत की ओर मुड़ने की संभावना है। इससे रोजगार सृजन तथा राजस्व सृजन के साथ ही साथ विदेशी मुद्रा अर्जन में भी वृद्धि हो सकती है। भारत इसकी तकनीकी क्षमताओं के दमदार प्रदर्शन और अनुकूल भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर विश्व के अन्य भागों में देखे जाने वाले टीवी चैनल के लिए अप–लिंकिंग हब के रूप में उभर सकता है। इसको पहचानते हुए, भादूविप्रा ने सरकार को "भारत में टेलीविजन चैनल की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग संबंधी मुद्दे" पर अपनी 22 जुलाई, 2010 की अनुशंसाओं में भारत को एक टेलीपोर्ट हब के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया था।

विगत सात वर्ष की अवधि में, भारत में अनुमति प्राप्त टेलीपोर्ट्स की संख्या में वार्षिक वृद्धि fp=&32 में दर्शाई गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमत टेलीपोर्ट्स की एक सूची रिपोर्ट के इस भाग के अंत में परिशिष्ट–4 में दी गई है।

fp=&32 % vuefr ikIr VyhkVyl dh l[;k e okf"kd of)

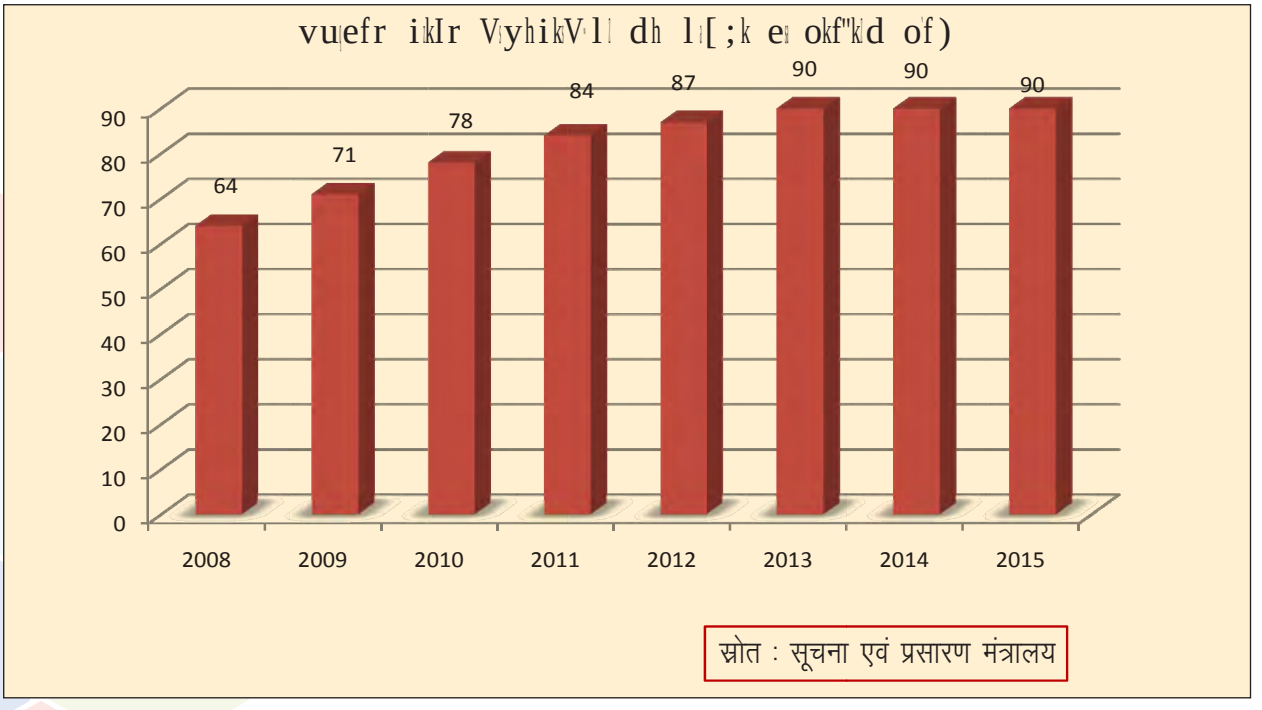

स्रोत : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

1-4-8 Vhoh i:lkj.k l:DVj e: VfjQ i:ofRr;k

उपभोक्ता को कम लागत की प्रसारण सेवाएं उपलब्ध कराने के क्रम में, भादूविप्रा समय–समय पर टैरिफ आदेशों के रूप में विनियामक फ्रेमवर्क निर्धारित करता है। गैर–एड्रेसेबल सिस्टम के माध्यम से सेवा प्रदान किए जा रहे क्षेत्र और डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम जैसेकि डीएएस, डीटीएच, एचआईटीएस, आईपीटीवी इत्यादि के माध्यम से भी सेवा प्रदान किए जा रहे क्षेत्र भी भादूविप्रा द्वारा जारी संबंधित टैरिफ आदेशों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। एड्रेसेबल डिजिटाइजेशन तेजी के साथ अपनी पैठ बना रहा है तथा आशा की जाती है कि ऑपरेटर मूल्यवर्द्धित सेवाओं (वीएएस), इंटरएक्टिव सेवाएं में और वृद्धि करते रहेंगे, जिनमें मांग–पर–मूवी, गेमिंग, शॉपिंग इत्यादि शामिल हैं। सभी एड्रेसेबल प्लेटफार्म के लिए लागू टैरिफ आदेश दिनांक 21 जुलाई, 2010, समय समय पर यथा संशोधित दिनांक 21 जुलाई, 2010 का टैरिफ आदेश सभी एड्रेसेबल प्लेटफार्मो के लिए मान्य है तथा उक्त टैरिफ आदेश सभी सेवा प्रदाताओं को उनके उपलब्ध चेनलों को खुदरा स्तर पर अ–ला–कार्टे आधार पर उपलब्ध कराने का अधिदेश देता है । इसके अलावा, थोक मूल्य निर्धारण एक निश्चित मूल्य कैप के साथ किया गया है, जो गैर–एड्रेसेबल सिस्टम के लिए टैरिफ सीलिंग के साथ जुड़ा है। थोक और खुदरा स्तरों पर इन प्रावधानों की स्थापना द्वारा चैनल के लिए भुगतान सेवा प्रदाताओं द्वारा परिभाषित किए जाने के स्थान पर उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार किए जाने का चलन बन रहा है।

1-4-9 dcy vkj mixg Vhoh l:ok l:DVj e: fgrèkkjd

मार्च, 2016 के अंत तक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत निजी टीवी चैनल की कुल संख्या 869 थी, जिसमें 205 एसडी पे चैनल (5 विज्ञापन मुक्त भुगतान चैनल) तथा 58 एचडी पे चैनल शामिल हैं। एसडी पे चैनल तथा एचडी पे चैनल की एक सूची रिपोर्ट के इस भाग के अंत में परिशिष्ट–3 एवं 4 में दी गई है।

i:lkj.k ,o: dcy l:ok,: fu"iknu l:pdkd

देश में प्रसारण और केबल टीवी सेवाएं सेक्टर की समग्र स्थिति नीचे rkfydk&27 में दी गई है।

rkfydk&27 % 31 ekp] 2016 dk i:lkj.k vkj dcy Vhoh l:ok,: l:DVj dh lex: fLFkfr

परिवारों की संख्या (अनुमानित)	284 मिलियन
टीवी परिवारों की संख्या (अनुमानित)	181 मिलियन
भुगतान केबल टीवी उपभोक्ताओं की संख्या (अनुमानित)	102 मिलियन
निजी डीटीएच सेवा प्रदाताओं के साथ पंजीकृत भुगतान उपभोक्ताओं की संख्या (अनुमानित)	88.64 मिलियन
निजी डीटीएच सेवा प्रदाताओं के साथ सक्रिय भुगतान उपभोक्ताओं की संख्या	58.53 मिलियन
केबल ऑपरेटर की संख्या (अनुमानित)	60,000

मल्टी सिस्टम ऑपरेटर की संख्या (अनुमानित)	6,000
डीएएस प्रणाली में पंजीकृत एमएसओ (अनंतिम) की संख्या	561
डीएएस प्रणाली में पंजीकृत एमएसओ (स्थायी) की संख्या	231
भुगतान डीटीएच ऑपरेटर की संख्या	6
चैनल की संख्या	869
एसडी भुगतान चैनल (5 विज्ञापन मुक्त चैनल सहित) की संख्या	205
एचडी टीवी चैनल की संख्या	58
एफएम रेडियो स्टेशन की संख्या (ऑल इंडिया रेडियो छोड़कर)	243
लाइसेन्सशुदा समुदाय रेडियो स्टेशन की संख्या	237
प्रचालनरत समुदाय रेडियो स्टेशन की संख्या	191
अनुमत टेलीपोट्र्स की संख्या	90

2015–16 की चार तिमाहियों की अवधि में प्रसारण सेक्टर के निष्पादन सूचकांक नीचे rkfydk&28 में दिए गए हैं :–

rkfydk&28 % i lkj.k ,o dcy lok lDVj d fu"iknu lpdkd

i lkj.k ,o dcy lok	frekgh lekIr			
	tu 2015	flRkEcj 2015	fnlEcj 2015	ekpl 2016
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत चैनल की कुल संख्या	826	819	847	869
एसडी भुगतान चैनल की संख्या (प्रचालनरत)	204	202	204	205**
एचडी भुगतान चैनल की संख्या (प्रचालनरत)	44	48	53	58
पंजीकृत डीटीएच उपभोक्ता आधार (मिलियन में)	78.74	81.47	84.80	88.64
निवल सक्रिय डीटीएच उपभोक्ता आधार (मिलियन में)	39.74	41.05	55.98	58.53*
निजी एफएम रेडियो स्टेशन की संख्या	243	243	243	243

** निवल सक्रिय उपभोक्ता आधार में अस्थायी आधार पर निलम्बित उपभोक्ता शामिल हैं, जो 120 दिन से कम हेतु असक्रिय रहे हैं।

* 5 विज्ञापन मुक्त चैनल शामिल हैं।

Hkkx&1 ds ifjf'k"V

2011&12 l 2015&16 rd ok;jy l ¼th,l,e ,o lhMh,e,½ lokvk dk miHkksDrk vkèkkj

(मिलियन में)

lsok inkrk	2011&12	2012&13	2013&14	2014&15	2015&16	foRrh; o"k 2015&16 dh vofèk e ifr'kr of)@deh
भारती	181.28	188.20	205.39	226.02	251.24	11.16
वोडाफोन	150.47	152.35	166.56	183.80	197.95	7.70
आइडिया	112.72	121.61	135.79	157.81	175.07	10.94
रिलायंस	153.05	122.97	110.89	109.47	102.41	-6.45
बीएसएनएल	98.51	101.21	94.65	77.22	86.35	11.82
एयरसेल	62.57	60.07	70.15	81.40	87.09	6.99
टाटा	81.75	66.42	63.00	66.32	60.10	-9.38
टेलीनोर	42.43	31.68	35.61	45.62	52.45	14.97
सिस्टेमा	15.68	11.91	9.04	8.86	7.69	-13.21
वीडियोकॉन	5.95	2.01	4.99	7.13	6.56	-7.99
एमटीएनएल	5.83	5.00	3.37	3.51	3.56	1.42
लूप#	3.27	3.01	2.90	-	-	-
क्वाड्रैंट	1.33	1.37	2.17	2.73	3.16	15.75
एस टेल*	3.43	-	-	-	-	-
एटिसैलेट*	0.78	-	-	-	-	-
;kx	**919.17**	**867.8**	**904.51**	**969.89**	**1033.63**	**6.57**

स्रोत : सेवा प्रदाता।

(#) मैसर्स लूप सेवाएं 2014–15 से रोक दी गई थी।

(*) मैसर्स एटिसैलेट सेवाएं 2012–13 से रोक दी गई थी।

31 ekp] 2016 dk ok;jyl lok inkrkvk dh lok {k=okj lph

Ø-l-	lok {k= lfdy	ok;jyl vkijVj	
		th,l,e	lhMh,e,
lox % egkuxj			
1.	दिल्ली	भारती एयरटेल	एमटीएनएल
		वोडाफोन	आरसीएल
		एमटीएनएल	सिस्टेमा
		आइडिया	टाटा
		एयरसेल	
		आरसीएल	
2.	मुंबई	वोडाफोन	एमटीएनएल
		एमटीएनएल	आरसीएल
		भारती एयरटेल	टाटा
		आइडिया	
		आरसीएल	
		एयरसेल	
		टाटा	
3.	कोलकाता	भारती एयरटेल	बीएसएनएल
		वोडाफोन	आरसीएल
		बीएसएनएल	सिस्टेमा
		आरटीएल	टाटा
		डिशनेट	
		टाटा	
		आइडिया	
lox % lfdy ^,^			
4.	महाराष्ट्र	वोडाफोन	बीएसएनएल
		आइडिया	आरसीएल
		बीएसएनएल	टाटा
		भारती एयरटेल	
		आरसीएल	
		एयरसेल	
		टाटा	
		टेलीविंग्स	

Ø- l-	lsok {k= lfdZy	ok;jysl vkijsVj	
		th,l,e	lhMh,e,
5.	गुजरात	वोडाफोन	बीएसएनएल
		आइडिया	आरसीएल
		बीएसएनएल	सिस्टेमा
		भारती एयरटेल	टाटा
		आरसीएल	
		टाटा	
		वीडियोकॉन	
		टेलीविंग्स	
		एयरसेल	
6.	आन्ध्र प्रदेश	आइडिया	बीएसएनएल
		भारती एयरटेल	आरसीएल
		बीएसएनएल	टाटा
		वोडाफोन	
		एयरसेल	
		आरसीएल	
		टाटा	
		टेलीविंग्स	
7.	कर्नाटक	भारती एयरटेल	बीएसएनएल
		आइडिया	आरसीएल
		बीएसएनएल	सिस्टेमा
		वोडाफोन	टाटा
		एयरसेल	
		आरसीएल	
		टाटा	
8.	तमिलनाडु चेन्नई सहित	वोडाफोन	बीएसएनएल
		एयरसेल	आरसीएल
		बीएसएनएल	सिस्टेमा
		भारती एयरटेल	टाटा
		आरसीएल	
		आइडिया	
		टाटा	

Ø- l-	lsok {ks= lfdZy	okW;jysl vkWijsVj	
		th,l,e	lhMh,e,
lsoxZ % lfdZy ^ch^			
9.	केरल	आइडिया	बीएसएनएल
		वोडाफोन	आरसीएल
		बीएसएनएल	सिस्टेमा
		भारती एयरटेल	टाटा
		डिशनेट	
		आरसीएल	
		टाटा	
10.	पंजाब	आइडिया	बीएसएनएल
		भारती एयरटेल	आरसीएल
		बीएसएनएल	क्वाड्रैंट
		वोडाफोन	टाटा
		आरसीएल	
		टाटा	
		क्वाड्रैंट	
		डिशनेट	
11.	हरियाणा	आइडिया	बीएसएनएल
		वोडाफोन	आरसीएल
		बीएसएनएल	टाटा
		भारती एयरटेल	
		आरसीएल	
		टाटा	
		वीडियोकॉन	
		एयरसेल	
12.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	आइडिया	बीएसएनएल
		भारती एयरटेल	आरसीएल
		बीएसएनएल	सिस्टेमा
		वोडाफोन	टाटा
		डिशनेट	
		आरसीएल	
		टाटा	
		टेलीविंग्स	
		वीडियोकॉन	

Ø- l-	lok {k= lfdly	ok;jyl vkijVj	
		th,l,e	lhMh,e,
13.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	वोडाफोन	बीएसएनएल
		बीएसएनएल	आरसीएल
		भारती एयरटेल	टाटा
		आइडिया	
		डिशनेट	
		आरसीएल	
		टाटा	
		टेलीविंग्स	
		वीडियोकॉन	
14.	राजस्थान	वोडाफोन	बीएसएनएल
		भारती एयरटेल	आरसीएल
		बीएसएनएल	सिस्टेमा
		आइडिया	टाटा
		आरसीएल	
		टाटा	
		एयरसेल	
15.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)	आइडिया	बीएसएनएल
		आरटीएल	आरसीएल
		बीएसएनएल	टाटा
		भारती एयरटेल	
		वोडाफोन	
		टाटा	
		एयरसेल	
		वीडियोकॉन	
16.	पश्चिम बंगाल	आरटीएल	बीएसएनएल
		बीएसएनएल	आरसीएल
		भारती एयरटेल	सिस्टेमा
		वोडाफोन	टाटा
		डिशनेट	
		टाटा	
		आइडिया	

Ø- l-	lok {k= lfdy	ok;jysl vkWijsVj	
		th,l,e	lhMh,e,
loxZ % lfdy ^lh^			
17.	हिमाचल प्रदेश	भारती एयरटेल	बीएसएनएल
		आरटीएल	आरसीएल
		बीएसएनएल	टाटा
		आइडिया	
		डिशनेट	
		वोडाफोन	
		टाटा	
18.	बिहार	आरटीएल	बीएसएनएल
		बीएसएनएल	आरसीएल
		भारती एयरटेल	टाटा
		डिशनेट	
		आइडिया	
		वोडाफोन	
		टाटा	
		टेलीविंग्स	
		वीडियोकॉन	
19.	ओड़िशा	आरटीएल	बीएसएनएल
		बीएसएनएल	आरसीएल
		भारती एयरटेल	टाटा
		डिशनेट	
		वोडाफोन	
		आइडिया	
		टाटा	
20.	असम	आरटीएल	बीएसएनएल
		बीएसएनएल	
		भारती एयरटेल	
		डिशनेट	
		वोडाफोन	
		आइडिया	

Ø- l-	lsok {ks= lfdZy	ok;jysl vkWijsVj	
		th,l,e	lhMh,e,
21.	पूर्वोत्तर	आरटीएल	बीएसएनएल
		भारती एयरटेल	
		बीएसएनएल	
		डिशनेट	
		वोडाफोन	
		आइडिया	
22.	जम्मू एवं कश्मीर	बीएसएनएल	बीएसएनएल
		भारती एयरटेल	आरसीएल
		डिशनेट	
		वोडाफोन	
		आरसीएल	
		आइडिया	

स्रोत : दूरसंचार विभाग/सेवा प्रदाता।

31 ekp] 2016 dk ,lMh i puYk dh lph

Ø- l-	ilkjd dk uke	Ø- l-	puy dk uke
1	मैसर्स 9 एक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	1	9एक्स ज्वाला
		2	9एक्स झकास
		3	9एक्स एम
		4	9एक्स ओ
2	मैसर्स एशियानेट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	5	एशियानेट
		6	एशियानेट प्लस
		7	एशियानेट मूवीज
		8	सुवर्ण प्लस
		9	सुवर्ण
3	मैसर्स बी4यू टेलीविजन नेटवर्क इंडिया लिमिटेड	10	बी4यू मूवीज
4	मैसर्स बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	11	एएटीएच
5	मैसर्स बीबीसी ग्लोबल न्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	12	बीबीसी वर्ल्ड न्यूज
6	मैसर्स बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड	13	जूम
		14	रोमेडी नाउ
		15	मैजिकब्रिक्स नाउ
		16	ईटी नाउ
		17	टाइम्स नाउ
7	मैसर्स बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज प्राइवेट लिमिटेड	18	ब्लूमबर्ग टीवी इंडिया
8	मैसर्स डिस्कवरी कम्युनिकेशन्स इंडिया	19	ऐनीमल प्लैनेट
		20	डिस्कवरी चैनल
		21	डिस्कवरी चैनल – तमिल
		22	डिस्कवरी किड्स चैनल
		23	डिस्कवरी साइंस
		24	डिस्कवरी टर्बो
		25	आईडी इन्वेस्टीगेशन डिस्कवरी
		26	टीएलसी
9	ई–24 ग्लैमर लिमिटेड	27	ई 24
10	मैसर्स ईनाडु टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड	28	ईटीवी तेलुगु
		29	ईटीवी आन्ध्र प्रदेश (पूर्व नाम ईटीवी–2)
		30	ईटीवी – तेलंगाना (पूर्व नाम ईटीवी–3)
		31	ईटीवी – सिनेमा
		32	ईटीवी लाइफ
		33	ईटीवी प्लस
		34	ईटीवी अभिरूचि

Ø- l-	ikjd dk uke	Ø- l-	puy dk uke
11	मैसर्स एनजीसी नेटवर्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	35	फॉक्स लाइफ
		36	नैशनल जियोग्राफिक चैनल (एनजीसी)
		37	नैट जियो वाइल्ड
12	मैसर्स ग्रेसेल्स 18 मीडिया लिमिटेड	38	टॉपर टीवी
13	मैसर्स जेनएक्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड	39	यूटीवी बिन्दास
		40	यूटीवी ऐक्शन
14	मैसस आईबीएन लोकमत न्यूज प्राइवेट लिमिटेड	41	आईबीएन लोकमत
15	मैसर्स माविस सैटकॉम लिमिटेड	42	जे मूवीज
		43	जया मैक्स
		44	जया प्लस
		45	जया टीवी
16	मैसर्स एबीपी न्यूज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	46	एबीपी आनन्द
		47	एबीपी मज़ा
17	मैसर्स सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	48	ऐनीमैक्स
		49	एएक्सएन
		50	सेट मैक्स
		51	मिक्स
		52	सब
		53	सोनी एंटरटेनमेंट चैनल (सेट)
		54	पिक्स
		55	सिक्स
		56	मैक्स 2 (पूर्व नाम मैक्स एचडी)
		57	पल (पूर्व नाम एसएबी एचडी)
18	मैसर्स एनडीटीवी लाइफ स्टाइल लिमिटेड	58	एनडीटीवी गुड टाइम्स
19	मैसर्स नियो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड	59	नियो प्राइम (पूर्व नाम नियो क्रिकेट)
		60	नियो स्पार्ट्स
20	मैसर्स न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड	61	एनडीटीवी 24*7
		62	एनडीटीवी इंडिया
		63	एनडीटीवी प्रॉफिट
21	मैसर्स ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड	64	प्रार्थना
		65	तरंग
		66	तरंग म्यूजिक
		67	अलंकार
22	मैसर्स पैनोरमा टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड	68	ईटीवी बिहार झारखंड
		69	ईटीवी एमपी छत्तीसगढ़
		70	ईटीवी राजस्थान
		71	ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तरांचल
		72	ईटीवी उर्दू
		73	ईटीवी न्यूज कन्नड़
		74	ईटीवी न्यूज बांग्ला

Ø- l-	i|lkjd dk uke	Ø- l-	puy dk uke
		75	ईटीवी हरियाणा/हिमांचल प्रदेश
		76	ईटीवी न्यूज गुजराती
		77	ईटीवी न्यूज उड़िया
23	मैसर्स पॉल एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	78	9एक्स टशन (पूर्व नाम "पुरवैया")
24	मैसर्स प्रिज्म टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड	79	कलर्स बांग्ला (पूर्व नाम "ईटीवी बांग्ला")
		80	कलर्स गुजराती (पूर्व नाम "ईटीवी गुजराती")
		81	कलर्स कन्नड़ (पूर्व नाम "ईटीवी कन्नड़")
		82	कलर्स मराठी (पूर्व नाम "ईटीवी मराठी")
		83	कलर्स उड़िया (पूर्व नाम "ईटीवी उड़िया")
25	मैसर्स राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड	84	राज म्यूजिक्स कन्नड़
		85	राज डिजिटल प्लस
		86	राज म्यूजिक्स
		87	राज न्यूज
		88	राज टीवी
		89	विस्सा टीवी
26	मैसर्स सहारा इंडिया कॉमर्शियल कार्पोरेशन लिमिटेड	90	सहारा फिल्मी
		91	सहारा वन
27	मैसर्स सार्थक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	92	सार्थक टीवी
28	मैसर्स सिल्वरस्टार कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	93	मेगा 24
		94	मेगा म्यूजिक
		95	मेगा टीवी
29	मैसर्स स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	96	चैनल (वी)
		97	स्टार स्पोर्ट्स 4
		98	एफएक्स
		99	लाइफ ओके (पूर्व नाम "स्टार वन")
		100	मूवीज ओके (पूर्व नाम "गोल्ड एक्शन")
		101	स्टार स्पोर्ट्स 3
		102	स्टार गोल्ड
		103	स्टार जलसा
		104	स्टार मूवीज
		105	स्टार मूवीज एक्शन
		106	स्टार प्लस
		107	स्टार प्रवाह
		108	स्टार स्पोर्ट्स 1
		109	स्टार स्पोर्ट्स 2
		110	स्टार वर्ल्ड

Ø- l-	ikjd dk uke	Ø- l-	puy dk uke
		111	जलसा मूवीज (पूर्व नाम "स्टार बंगाली")
		112	माँ गोल्ड
		113	माँ मूवीज
		114	माँ म्यूजिक
		115	माँ टीवी
30	मैसर्स सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड	116	आदित्य टीवी
		117	चिन्टू टीवी
		118	चुट्टी टीवी
		119	जेमिनी कॉमेडी
		120	जेमिनी लाइफ
		121	जेमिनी मूवीज
		122	जेमिनी म्यूजिक
		123	जेमिनी न्यूज
		124	जेमिनी टीवी
		125	केटीवी
		126	किरन टीवी
		127	कुशी टीवी
		128	सन लाइफ
		129	सन म्यूजिक
		130	सन न्यूज
		131	सूर्या म्यूजिक (पूर्व नाम "सन न्यूज अंग्रेजी")
		132	सन टीवी
		133	सन टीवी आरआई
		134	सूर्या टीवी
		135	उदय कॉमेडी
		136	उदय मूवीज
		137	उदय म्यूजिक
		138	उदय न्यूज
		139	उदय टीवी
		140	कोचू टीवी
		141	सन एक्शन
		142	जेमिनी एक्शन
		143	सूर्या एक्शन
		144	सूर्यन टीवी
31	मैसर्स ताज टेलीविजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	145	टेन एक्शन
		146	टेन स्पोर्ट्स
32	मैसर्स टर्मरिक विजन प्राइवेट लिमिटेड	147	फूड फूड टीवी

Ø- l-	i|lkjd dk uke	Ø- l-	puy dk uke
33	मैसर्स टर्नर इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	148	कार्टून नेटवर्क
		149	सीएनएन इंटरनैशनल
		150	एचबीओ
		151	पोगो
		152	टूनामी (पूर्व नाम "बूमरैंग")
		153	डब्ल्यूबी
34	मैसर्स टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड	154	सीएनएन न्यूज 18 (पूर्व नाम "सीएनन–आईबीएन")
		155	आईबीएन 7
		156	सीएनबीसी बाजार
		157	सीएनबीसी आवाज
		158	सीएनबीसी टीवी 18
35	मैसर्स टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड	159	आज तक
		160	दिल्ली आज तक
		161	हेडलाइन्स टुडे
		162	आज तक तेज
36	मैसर्स यूनाइटेड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	163	हंगामा टीवी
37	मैसर्स डिजनी ब्रॉडकास्टिंग (इंडिया) लिमिटेड	164	डिजनी जूनियर (पूर्व नाम "यूटीवी कामेडी")
		165	यूटीवी मूवीज
		166	डिजनी एक्सडी (पूर्व नाम "यूटीवी वर्ल्ड मूवीज")
		167	बिंदास प्ले (पूर्व नाम "यूटीवी स्टार्स")
		168	दि डिजनी चैनल
38	मैसर्स वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	169	कलर्स
		170	एमटीवी
		171	निक
		172	निक जूनि./टीन निक
		173	सोनिक
		174	कलर्स इनफिनीटी
39	मैसर्स विजय टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड	175	विजय टीवी
40	मैसर्स जी आकाश न्यूज प्राइवेट लिमिटेड	176	24 घंटा
41	मैसर्स जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राईसेस लिमिटेड	177	जी ईटीसी बॉलीवुड (पूर्व नाम "जी बॉलीवुड")
		178	एक्शन सिनेमा
		179	जी बांग्ला सिनेमा
		180	जी कैफे
		181	जी सिनेमा
		182	क्लासिक सिनेमा
		183	जी सलाम

Ø- l-	i|lkjd dk uke	Ø- l-	puy dk uke
		184	जी स्माइल
		185	जी स्टूडियो
		186	जी टॉकीज
		187	जी टीवी
		188	जिंग
		189	जिंदगी
		190	एण्ड पिक्चर
		191	जी क्यू
		192	जी बांग्ला
		193	जी मराठी
		194	लिविंग फूड्स (पूर्व नाम "जी खाना खजाना")
		195	एण्ड टीवी
42	मैसर्स जी मीडिया कार्पोरेशन लिमिटेड	196	जी 24 तास
		197	जी कलिंगा (पूर्व नाम "जी 24 घंटालु")
		198	जी बिजनेस
		199	जी कन्नड़
		200	जी न्यूज
		201	जी पंजाब हरियाणा हिमाचल (पूर्व नाम "जी पंजाबी")
		202	जी तेलुगु
		203	जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़
		204	जी राजस्थान न्यूज (पूर्व नाम "जी राजस्थान प्लस")
43	मैसर्स एएक्सएन नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	205	सोनी ईएसपीएन (पूर्व नाम "सोनी किक्स")

,pMh i Vhoh puYk dh lph

Ø- l-	iSlkjd dk uke	Ø- l-	puy dk uke
1	मैसर्स एईटीएन 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	1	दि हिस्ट्री चैनल
2	मैसर्स एशियानेट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	2	एशियानेट एचडी
3	मैसर्स बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड	3	एमएन +
		4	रोमेडी नाउ एचडी
		5	मूवीज नाउ एचडी
4	मैसर्स सेलेब्रिटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	6	ट्रैवल एक्सपी एचडी
5	मैसर्स डिस्कवरी कम्युनिकेशन्स इंडिया	7	डिस्कवरी एचडी वर्ल्ड
		8	ऐनीमल प्लैनेट एचडी वर्ल्ड
		9	टीएलसी एचडी वर्ल्ड
6	मैसर्स दा विन्सी मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	10	दा विन्सी लर्निंग
7	मैसर्स एपिक टेलीविजन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	11	एपिक टीवी
8	मैसर्स एनजीसी नेटवर्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	12	नैशनल ज्योग्राफिक एचडी
		13	नैट जियो म्यूजिक एचडी
		14	नैट जियो वाइल्ड एचडी
		15	नैट जियो पीपुल एचडी
		16	फॉक्स लाइफ एचडी
		17	बेबी टीवी एचडी
9	मैसर्स न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड	18	ग्रनाडा टीवी (एचडी)
		19	ट्रेस स्पोर्ट्स एचडी
10	मैसर्स सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	20	सेट एचडी
		21	सिक्स एचडी
		22	पिक्स एचडी
		23	सोनी ईएसपीएन एचडी
		24	मैक्स एचडी
11	मैसर्स स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	25	स्टार स्पोर्ट्स एचडी 2
		26	स्टार स्पोर्ट्स एचडी 1
		27	लाइफ ओके एचडी
		28	स्टार गोल्ड एचडी
		29	स्टार मूवीज एचडी
		30	स्टार प्लस एचडी
		31	स्टार वर्ल्ड प्रीमियर एचडी
		32	स्टार स्पोर्ट्स एचडी 3
		33	स्टार स्पोर्ट्स एचडी 4
		34	स्टार वर्ल्ड एचडी
		35	स्टार मूवी सिलेक्ट एचडी
		36	एफएक्स एचडी

Ø- l-	izlkjd dk uke	Ø- l-	pSuy dk uke
12	मैसर्स सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड	37	सन टीवी एचडी
		38	केटीवी एचडी
		39	सन म्यूजिक एचडी
		40	जेमिनी टीवी एचडी
13	मैसर्स ताज टेलीविजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	41	टेन एचडी
		42	टेन गोल्फ एचडी
14	मैसर्स टर्नर इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	43	एचबीओ हिट्स एचडी
15	मैसर्स टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड	44	सीएनबीसी टीवी 18 प्राइम एचडी
16	मैसर्स वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	45	कलर्स एचडी
		46	एमटीवी इंडीज
		47	कॉमेडी सेंट्रल
		48	वीएच 1
		49	कलर्स इन्फिनीटी एचडी
		50	निक्स एचडी
17	मैसर्स जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड	51	जी टीवी एचडी
		52	जी सिनेमा एचडी
		53	जी स्टूडियो एचडी
		54	एण्ड टीवी एचडी
		55	जी कैफे एचडी
		56	एण्ड पिक्चर्स एचडी
18	मैसर्स ज़ूम एंटरटेनमेंट नेटवर्क लिमिटेड	57	मूवीज नाउ
19	मैसर्स एएक्सएन नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	58	एएक्सएन एचडी

i MhVh,p vkijVj dh lph

Ø- l-	MhVh,p vkijVj
1	मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड
2	मैसर्स डिश टीवी इंडिया लिमिटेड
3	सन डायरेक्ट टीवी (पी) लिमिटेड
4	भारती टेलीमीडिया लिमिटेड
5	रिलायंस बिग टीवी प्राइवेट लिमिटेड
6	मैसर्स वीडियोकॉन डी2एच लिमिटेड

ykbl√l èkkjh VsyhiksVZ~l dh lwph

Ø- la-	VsyhiksVZ~l dk uke
1	टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड
2	सन टीवी लिमिटेड
3	इंटरटेन्मेंट टेलीविजन नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
4	उशोध्या इंटरटेन्मेंट लिमिटेड
5	एस्सेल श्याम कम्युनिकेशन्स लिमि
6	एशियानेट इनफ्राक्चर प्राईवेट लिमिटेड
7	एस्सेल श्याम कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
8	सहारा संचार लिमिटेड
9	टेलीविजन 18 इंडिया लिमिटेड
10	न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (एनडीटीवी)
11	इंडियाविजन सैटेलाइट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
12	इंडिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड
13	डिश टीवी इंडिया लिमिटेड (पूर्वतः एएससी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
14	पॉजीटिव टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड
15	चैनल गाइड इंडिया लिमिटेड
16	इंडिया साइन प्राइवेट लिमिटेड
17	एसोसिएटेड ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
18	एवी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
19	टेलीविजन 18 इंडिया लिमिटेड
20	अमृता एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
21	माविस सैटकॉम लिमिटेउ
22	टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड वीएसएनएल
23	टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड वीएसएनएल
24	टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड वीएसएनएल
25	टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड वीएसएनएल
26	टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड वीएसएनएल
27	लम्हाज़ सैटेलाइट सेवाएं लिमिटेड
28	मलयालम कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
29	संस्कार इन्फो टीवी प्राइवेट लिमिटेड
30	बेनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड
31	सीनियर मीडिया लिमिटेड
32	लोक प्रकाशन लिमिटेड
33	कैलकटा टेलीविजन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
34	कोहिनूर ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
35	टेलीविजन 18 इंडिया लिमिटेड

Ø- l-	VyhkVl dk uke
36	कामयाब टीवी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वतः एमडी टीवी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
37	कस्तूरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
38	एसएसटी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
39	एस्सेल श्याम कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
40	एमएम टीवी प्राइवेट लिमिटेड
41	इन केबलनेट आन्ध्रा लिमिटेड
42	इन्द्र टेलीविजन लिमिटेड
43	सन टीवी लिमिटेड
44	मीडिया कंटेन्ट एण्ड कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
45	टाटा स्काई लिमिटेड
46	सतीश स्युजर्स लिमिटेड
47	शीतल फाइबर्स लिमिटेड
48	एमएच वन टीवी नेटवर्क लिमिटेड
49	एसटीवी एंटरप्राइजेज लिमिटेड
50	एयर एक्स मीडिया लिमिटेड
51	ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
52	विनिंग कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
53	इंडियासाइन प्राइवेट लिमिटेड
54	इंडियासाइन प्राइवेट लिमिटेड
55	रचना टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड
56	ओरटेल कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
57	सौभाग्य एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
58	एस्सेल श्याम कम्युनिकेशन लिमिटेड
59	प्रग्या विजन प्राइवेट लिमिटेड
60	ब्रह्मपुत्र टेली–प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
61	जी. नेक्स्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
62	इंडियासाइन प्राइवेट लिमिटेड
63	टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
64	पॉजीटिव टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड
65	ईस्टर्न मीडिया लिमिटेड
66	राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड
67	प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
68	इंडियासाइन प्राइवेट लिमिटेड
69	विन्टेज स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
70	स्काईलाइन टेली मीडिया सेवाएं प्राइवेट लिमिटेड
71	इन्फॉर्मेशन टीवी प्राइवेट लिमिटेड
72	यूनीलेजर एक्सपोर्ट्स एण्ड मैनेजमेंट कंसल्टैंट्स लिमिटेड

Ø- l-	VyhkV l dk uke
73	कॉमसैट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
74	भारती टेलीपोर्ट्स लिमिटेड
75	श्री वेंकटेश्वर चैनल प्राइवेट लिमिटेड
76	टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
77	रॉयज इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटीटिव एग्जामिनेशन प्राइवेट लिमिटेड
78	इंडिपेन्डेन्ट न्यूज सेवाएं प्राइवेट लिमिटेड
79	राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड
80	एस्सेल श्याम कम्युनिकेशन लिमिटेड
81	कैनसैन न्यूज प्राइवेट लिमिटेड
82	टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड वीएसएनएल
83	डिश टीवी इंडिया लिमिटेड
84	आस्था ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क लिमिटेड
85	महुआ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
86	आरटीआर ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड
87	सिल्वर स्टार कम्युनिकेशन लिमिटेड
88	लम्हा सैटेलाइट सेवाएं लिमिटेड
89	स्काईलाइन टेली मीडिया सेवाएं लिमिटेड
90	भारती टेलीपोर्ट्स लिमिटेड

Hkkx&2

Hkkjrh; nj lapkj fofu;ked ikf/kdj.k ds dk;Z vkSj izpkyuksa dh leh{kk

Hkkjrh; nj lpkj fofu;ked ikf/kdj.k d dk;k vkj ipkyuk dh leh{kk

2.1 रिपोर्ट का भाग–एक प्रसारण और केबल सेवाओं सहित दूरसंचार क्षेत्र में प्रचलित सामान्य परिवेश का परिदृश्य प्रस्तुत करता है और 2015–16 के दौरान, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) अधिनियम के अंतर्गत दिए गए आदेश के अनुरूप, भादूविप्रा ने दूरसंचार, प्रसारण और केबल सेवाओं के विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परिवेश उपलब्ध कराना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, सभी सेवा प्रदाताओं हेतु एक समान अवसर को बढावा देना, उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करना और सभी के लिए तकनीकी लाभों को सक्षम करना, इसका प्रयास रहा है।

2.2 भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के अंतर्गत भादूविप्रा को अन्य बातों के साथ ही साथ लाईसेंस के नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने, सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, टैरिफ नीति विनिर्दिष्ट करना और नये सेवा प्रदाताओं के प्रवेश हेतु शर्तों के साथ ही साथ किसी सेवा प्रदाता को लाईसेंस के लिए नियम व शर्तों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है। भादूविप्रा के कामकाज के दायरे में टैरिफ नीति की निगरानी, अंतःसंयोजन के वाणिज्यिक और तकनीकी पहलुओं, कॉल रूटिंग और कॉल हैंडओवर के सिद्धांतों, उपभोक्ताओं हेतु विभिन्न सेवा प्रदाताओं तक स्वतंत्र चुनाव और आसान पहुंच, बाजार के घटनाक्रमों और विभिन्न दूरसंचार सेवाओं हेतु विविध नेटवर्क संरचनाओं के कारण पैदा होने वाले विवादों का समाधान, मौजूदा नेटवर्क और प्रणालियों के उन्नयन की आवश्यकता और सेवा प्रदाताओं के बीच तथा प्राधिकरण के उपभोक्ता संगठनों के साथ संपर्क हेतु मंचों का विकास भी शामिल है। सरकार ने दिनांक 09 जनवरी, 2004 एक अधिसूचना जारी की, जिसके द्वारा प्रसारण सेवाओं और केबल सेवाओं को भी दूरसंचार सेवाओं के रूप

में परिभाषित किया गया है, इस प्रकार, इन क्षेत्रों को भादूविप्रा के कार्यक्षेत्र के दायरे में लाया गया है। सरकार ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(घ) के अंतर्गत दिनांक 09 जनवरी, 2004 को एक दूसरी अधिसूचना भी जारी की, जिससे भादूविप्रा को कुछ अतिरिक्त कार्य सौंपे गये हैं। ये कार्य उपभोक्ताओं को ''एड्रेसेबल प्रणाली'' उपलब्ध कराने और पे चैनलों के साथ ही साथ अन्य चैनलों पर विज्ञापनों हेतु अधिकतम सीमा समय के विनियमन के लिए मानदंडों के बारे में नियमों और शर्तों की सिफारिश करने से संबंधित थे।

2.3 सिफारिशें तैयार करने और नीतिगत पहलों के सुझाव देने के लिए, भादूविप्रा सेवा प्रदाताओं, उनके संगठनों, उपभोक्ता समर्थक समूहों/उपभोक्ता संगठनों और इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों, जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ संपर्क करता है। इसने एक प्रक्रिया विकसित की है, जो सभी हितधारकों और आम जनता को मांगे जाने पर, अपने विचार रखकर नीति निर्माण के संबंध में विचार–विमर्श में भाग लेने की अनुमति देती है। इस प्रक्रिया में संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए, एक परामर्श पत्र को जारी करना और उन मुद्दों पर हितधारकों के मत प्राप्त करना, देश के विभिन्न भागों में खुला मंच चर्चा बैठकें आयोजित करना, ई–मेल पर और पत्रों के माध्यम से लिखित टिप्पणियां आमंत्रित करना और नीतिगत मुद्दों पर विभिन्न विचार और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श के सत्र आयोजित करना शामिल है। भादूविप्रा द्वारा जारी विनियमों/आदेशों में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन होता है, जो कि निर्णय लेने के आधार की व्याख्या करता है। भादूविप्रा द्वारा अपनाई गई भागीदारी व व्याख्यात्मक प्रक्रिया को व्यापक सराहना प्राप्त हुई है।

2.4 प्राधिकरण, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के उपभोक्ता संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के विचारों को प्राप्त करने के लिए उनके साथ भी संपर्क करता है। इसके पास दूरसंचार कार्यों से जुड़े उपभोक्ता संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों के पंजीकरण और नियमित अंतराल पर उनके साथ संपर्क करने की एक प्रणाली मौजूद है। भादूविप्रा, उपभोक्ता संगठनों को मजबूत बनाने के उपायों को लगातार अपनाता रहता है। यह विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ सम्मेलनों और कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है तथा इन सम्मलेनों में हितधारकों, उपभोक्ता संगठनों और अन्य अनुसंधान संस्थानों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।

2.5 भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1)(क) के अंतर्गत, दूरसंचार और केबल सेवाओं के मामले में प्राधिकरण को या तो स्वयः अथवा लाईसेंस प्रदाता अर्थात् दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुरोध पर अनुशंसाएं करनी होती हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान, भादूविप्रा द्वारा सरकार को निम्न सिफारिशें दी गई हैं :–

nj lpkj {k=

क्र. सं.	सिफारिशों की सूची
1.	''एकल नंबर आधारित एकीकृत आपात संचार और प्रत्युत्तर प्रणाली'' पर दिनांक 7 अप्रैल, 2015 की सिफारिश।
2.	''आपात स्थिति/आपदा के दौरान दूरसंचार नेटवर्क की विफलता – 'प्रत्युत्तर एवं रिकवरी' में शामिल व्यक्तियों की कॉल की वरीय रूटिंग'' संबंधी सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग से प्राप्त पत्र पर भादूविप्रा का 8 अप्रैल, 2015 का उत्तर।
3.	ब्रॉडबैंड तुरंत प्रदान करना : हमें क्या करने की आवश्यकता है? पर 17 अप्रैल, 2015 की सिफारिश।
4.	''दूरसंचार क्षेत्र में आभासी नेटवर्क ऑपरेटरों का प्रवेश'' पर 1 मई, 2015 की सिफारिश।
5.	''21 जुलाई, 2014 के स्पेक्ट्रम शेयरिंग पर दिशानिर्देशों'' संबंधी सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग से प्राप्त पत्र पर भादूविप्रा का 21 मई, 2015 का उत्तर।
6.	''28 जनवरी, 2014 के स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के लिए कार्यकरण दिशानिर्देशों'' संबंधी सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग से प्राप्त पत्र पर भादूविप्रा का 21 मई, 2015 का उत्तर।
7.	माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14 मई, 2015 के अंतरिम आदेश पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्पेक्ट्रम सीमा और न्यूनतम स्पेक्ट्रम धारिता से संबंधित मुद्दों पर दूरसंचार विभाग को भादूविप्रा का दिनांक 2 जुलाई, 2015 का उत्तर।
8.	भादूविप्रा की दिनांक 7 अप्रैल, 2015 की ''एकल नंबर आधारित एकीकृत आपात संचार और प्रत्युत्तर प्रणाली'' (आईईसीआरएस) संबंधी सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग से प्राप्त पत्र पर भादूविप्रा का दिनांक 30 सितंबर, 2015 का उत्तर।
9.	दिनांक 29 अगस्त, 2014 की माइक्रोवेव एक्सेस और माइक्रोवेव बैकबोन आरएफ कैरियर के आवंटन और मूल्य निर्धारण पर भादूविप्रा की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग से प्राप्त पत्र पर भादूविप्रा का दिनांक 17 नवंबर, 2015 का उत्तर।
10.	700 मेगाहट्र्ज, 800 मेगाहट्र्ज, 900 मेगाहट्र्ज, 1800 मेगाहट्र्ज, 2100 मेगाहट्र्ज, 2300 मेगाहट्र्ज, और 2500 मेगाहट्र्ज बैंड्स में स्पेक्ट्रम के मूल्यांकन और आरक्षित मूल्य'' पर दिनांक 27 जनवरी, 2016 की सिफारिश।
11.	भारतनेट हेतु कार्यान्वयन योजना पर दिनांक 1 फरवरी, 2016 की सिफारिश।
12.	प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम के उदारीकरण के प्रभारण पर भादूविप्रा की सिफारिशों के संदर्भ में दूरसंचार विभाग से प्राप्त पत्र पर भादूविप्रा का दिनांक 10 फरवरी, 2016 का उत्तर।
13.	आईपी इंटरफेस अंतःसंयोजन पर दिनांक 11 फरवरी, 2016 की सिफारिश।
14.	माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14 मई, 2015 के अंतरिम आदेश पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में स्पेक्ट्रम सीमा से संबंधित मुद्दों पर भादूविप्रा के दिनांक 2 जुलाई, 2015 के उत्तर के संबंध में दिनांक 16 फरवरी, 2016 के स्पष्टीकरण।
15.	''अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं को बेहतर करना'' पर दिनांक भादूविप्रा की 22 जुलाई, 2014 की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्राधिकरण का 23 मार्च, 2016 का उत्तर।

flQkfj'k

➢ ',dy ucj vk/kkfjr ,dhd`r vkikr lapkj vkSj izR;qÙkj iz.kkyh' ij fnukad 7 vizSy] 2015 dh flQkfj'k

2.5.1 भारत में एक कुशल एवं मजबूत एकीकृत आपात संचार एवं प्रत्युत्तर प्रणाली की स्थापना को सुकर बनाने के लिए, प्राधिकरण ने 7 अप्रैल, 2015 को ''एकल नंबर आधारित एकीकृत आपात संचार और प्रत्युत्तर प्रणाली'' के कार्यान्वयन पर अपनी सिफारिशें जारी की। इन सिफारिशों को हितधारकों के साथ व्यापक विचार–विमर्श करने के बाद अंतिम रूप दिया गया।

प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियां मांगने के लिए दिनांक 15 मार्च, 2013 को ''सार्वभौमिक एकल नंबर आधारित आपात संचार एवं प्रत्युत्तर प्रणाली' नाम से एक परामर्श पत्र जारी किया था। आईईसीआरएस की स्थापना की प्रक्रिया में चूंकि राज्य सरकारें मुख्य हितधारक हैं, इसलिए राज्य सरकारों, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में एक बैठक भी आयोजित की गई थी।

इन सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं हैं:–

- भारत के लिए एकल आपात नंबर के रूप में नंबर '112' को लिया जाएगा।
- आपात नंबर '112' पर लैंडलाइन या मोबाइल फोन/डिवाइस से की गई कॉल पब्लिक सेफ्टी आंसरिंग प्वाइंट (पीएसएपी) में जाएगी, जो कॉल सेंटर के सदृश होगा। राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में पीएसएपी के नंबर का निर्धारण राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा किया जाएगा, बहरहाल प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में कम से कम एक पीएसएपी होगा।
- वर्तमान आपात कॉलिंग नंबर 100, 101, 102 और 108 द्वितीयक नंबर के रूप बनाए रखें जाएंगे। इन द्वितीयक नंबरों पर की गई कॉल को पूरा करने के लिए 112 पर डायवर्ट किया जाएगा और इसमें कॉलर को यह बताया जाएगा कि वो भविष्य में आपात नंबर के लिए 112 पर कॉल करें, द्वितीयक नंबरों पर कॉल की संख्या में पर्याप्त कमी आने पर इन नंबरों को धीरे–धीरे सेवा से हटाया जा सकता है।
- आईईसीआरएस पर उन मोबाइल/लैंडलाइन फोनों को भी कॉल करने की अनुमति दी जाएगी, जिनकी आउटगोइंग बंद कर गई है या जिनकी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद की गई हैं।
- एकल आपात नंबर पर की जाने वाली कॉल को सेल्युलर मोबाइल नेटवर्कों पर प्राथमिकता दी जाएगी।
- आईईसीआरएस पर एसएमएस द्वारा भी संपर्क करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को कॉलर की लोकेशन और विवरण आईईसीआरएस को उपलब्ध कराने होंगे। इसके लिए देश के चारों महानगरों में से प्रत्येक में एक क्षेत्रीय डेटा बेस केन्द्र स्थापित किया जाएगा। बीएसएनएल इन क्षेत्रीय डेटा बेस केन्द्रों की स्थापना और रखरखाव का काम करेगा।

- इसमें एक बहु–क्षेत्रीय एजेंसी होगी, जिसमें गृह मंत्रालय(एमएचए), दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अन्य संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे,जो देश में आईईसीआरएस की स्थापना में सहयोग और मदद कर सकते हैं।

- पूर्ण रूप से कार्यान्वयन से पहले पीएसएपी आधारित आईईसीआरएस का परीक्षण संस्करण एक प्रोटोटाइप में रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

➢ ^^vkikr fLFkfr@vkink d nkjku njlpkj uVod dh foQyrk & ^iR;Ùkj ,o fjdojh^ e 'kkfey 0;fDr;k dh dky dh ojh; :fVx^^ lc/kh flQkfj'kk ij njlpkj foHkkx l ikIr i= ij Hkknfoik dk 8 vi;y] 2015 dk mÙkjA

2.5.2 बड़ी आपदाओं के दौरान, दूरसंचार ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है और दूरसंचार नेटवर्क पर बोझ अत्यधिक हो जाता है, जिससे कॉल नहीं लग पाती हैं और संदेश नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे समय में अवसंरचना की हानि के कारण, नेटवर्क पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे नेटवर्क घटकों के विफल होने का खतरा बढ़ सकता है।

आपात स्थितियों में राहत एवं बचाव कार्य में लगे कर्मचारियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। अतः, इस तरह के तंत्र को सुकर बनाने के लिए ऐसी प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है, जो आपात स्थितियों के दौरान इन कर्मचारियों को संचार नेटवर्क पर प्राथमिकता प्रदान करें।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, प्राधिकरण ने विधिवत परामर्श प्रक्रिया के बाद, दूरसंचार विभाग को 26 नंवबर, 2013 को ''आपात स्थिति/आपदा के दौरान दूरसंचार नेटवर्क की विफलता – 'प्रत्युत्तर एवं रिकवरी' में शामिल व्यक्तियों की कॉल की वरीय रूटिंग'' पर अपनी सिफारिशें भेजी थी। प्राधिकरण ने संस्तुति की थी कि प्राथमिकता कॉल रूटिंग योजना यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई जाए कि आपदाओं के दौरान 'प्रत्युत्तर एवं रिकवरी' के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की कॉल को प्राथमिकता प्रदान की जाए।

दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 10 नवंबर, 2014 के पत्र द्वारा प्राधिकरण को बताया कि प्राधिकरण की दिनांक 26 नवंबर, 2013 की सिफारिशों पर विचार करने के लिए दूरसंचार विभाग में एक समिति का गठन किया गया है।

दूरंसचार विभाग ने सूचित किया है कि प्राधिकरण द्वारा भेजी गई सिफारिशों पर समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। दूरसंचार विभाग उक्त समिति की रिपोर्ट पर भादूविप्रा की टिप्पणियां/राय भी मांगी है।

समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने 8 अप्रैल, 2015 को दूरसंचार विभाग को अपना उत्तर भेज दिया है।

➢ ckMcM rjaxr inku djuk % ge D;k dju dh vko';drk g\ ij 17 vi;y] 2015 dh flQkfj'kA

2.5.3 प्राधिकरण ने भारत में ब्रॉडबैंड की पैठ को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करने और देश में ब्रॉडबैंड के प्रसार और इस्तेमाल में तेजी लाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र से अपेक्षित कदमों पर हितधारकों की टिप्पणी मांगने के लिए दिनांक 24 सितंबर, 2014 को ''ब्रॉडबैंड तुरंत प्रदान करना: हमें क्या करने की आवश्यकता है?'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारकों के साथ नई दिल्ली

में दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 को एक खुला मंच चर्चा का आयोजन किया गया।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने और विश्लेषण करने के बाद, प्राधिकरण ने 17 अप्रैल, 2015 को ''ब्रॉडबैंड तुरंत प्रदान करनाः हमें क्या करने की आवश्यकता है?'' पर अपनी सिफारिशें जारी की है। ब्रॉडबैंड ईकोसिस्टम में विभिन्न उप–भाग शामिल हैं और इसलिए सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित हैंः–

- स्पेक्ट्रम (उपलब्धता, योजना, संस्थागत कायाकल्प, पारदर्शिता, मूल्य निर्धारण, स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग/शेयरिंग और गैर लाईसेंसीकृत बैंड)
- राइट ऑफ वे (सिंगल विंडो क्लीयरेंश, राष्ट्रीय राइट ऑफ वे नीति, प्रभार आदि)
- एनओएफएन (संस्थागत परिवर्तन, परियोजना कार्यान्वयन, ऑप्टीकल फाइबर का आकार, टर्नकी ठेकें)
- टॉवर (सिंगल विंडो, समयबद्ध स्वीकृति आदि)
- फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड
- केबल टीवी
- भारत में कंटेंट की मेजबानी
- अवसंरचना साझा करना

➢ **^^nj lapkj {ks= esa vkHkklh usVodZ vkWijsVjksa dk izos'k^^ ij 1 eb] 2015 dh flQkfj'ksa**

2.5.4 दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र के माध्यम से 7 जुलाई, 2014 को ''दूरसंचार क्षेत्र में आभासी नेटवर्क ऑपरेटरों के प्रवेश'' पर भादूविप्रा की सिफारिशें मांगी थी।

प्राधिकरण ने 1 मई, 2015 को ''दूरसंचार क्षेत्र में आभासी नेटवर्क ऑपरेटरों के प्रवेश'' पर अपनी सिफारिशें जारी की थी।

आभासी नेटवर्क ऑपरेटर(वीएनओ) सर्विस डिलीवरी ऑपरेटर हैं, जिनका अपना कोई नेटवर्क नहीं होता है मगर अंतिम उपयोगकर्ताओं/उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना प्रदाताओं के नेटवर्क और सहायता पर निर्भर रहते हैं। वीएनओ कोई एक या सभी दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं, जो कि वर्तमान दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इन सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं हैंः–

- भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में वीएनओ उपयुक्त 'लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क'' के माध्यम से लाए जाएंगे।
- वीएनओ को वॉयस, डेटा और वीडियो के साथ यूएल में अधिसूचित सभी सेवाओं के लिए अनुमति दी जाएगी।
- एनएसओ और वीएनओ के बीच परस्पर रूप से सहमति वाले नियम एवं शर्तों के आधार पर नेटवर्क में वीएनओ को लाया जाएगा। एनएसओ और वीएनओ के बीच असवसंरचना शेयर करने के नियम एवं शर्तें बाजार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- वीएनओ को अपने नेटवर्क उपकरण स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें दूसरे एनएसओ के साथ अंतःसंयोजन की आवश्यकता नहीं होगी। बहरहाल, उन्हें दूसरे एनएसओ के साथ अपेक्षित

अंतःसंयोजन वाली जगह में उपकरण बनाने/संस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- लोकल केबल ऑपरेटर और मल्टी सर्विस ऑपरेटर वीएनओ बन सकते हैं और/या उन्हें वीएनओ के साथ अवसंरचना शेयर करने की अनुमति दी जा सकती है।
- क्षेत्र में वीएनओ को लाने के लिए लाइसेंस की एक अलग श्रेणी होगी, जिसका नाम यूएल (वीएनओ) होगा। समान यूएल प्राधिकार के लिए यूएल (वीएनओ) लाइसेंस के तहत केवल अखिल भारतीय या सेवा–क्षेत्रवार प्राधिकार प्रदान किए जाएंगे।
- वीएनओ लाइसेंस की अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए, जिसे और 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- एक सेवा क्षेत्र में वीएनओ लाइसेंसों की संख्या पर सीमा नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा, एनएसओ द्वारा पेरेंटिड वीएनओ की संख्या पर भी सीमा नहीं होनी चाहिए।
- अपने उपभोक्ता का सत्यापन और नंबर को एक्टीवेट करना वीएनओ की जिम्मेदारी होगी।

➢ ^LiDVe VfMx d fy, dk;dj.k fn'kkfuni'k^ vkj ^LiDVe 'k;fjx d fy, fn'kkfuni'k^^ lc/kh flQkfj'kk ij 21 eb] 2015 d Li"Vhdj.k@ iufopkj

2.5.5 प्राधिकरण ने 28 जनवरी, 2014 को 'स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के लिए कार्यकरण दिशा निर्देश' और 21 जुलाई, 2014 को 'स्पेक्ट्रम शेयरिंग पर दिशानिर्देश' पर अपनी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को भेजी थी। दूरसंचार विभाग ने 27 अप्रैल, 2015 को दोनों सिफारिशों के संबंध में कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगे/पुनर्विचार करने के लिए कहा।

दूरसंचार विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने 21 मई, 2015 को 'स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के लिए कार्यकरण दिशानिर्देश' और 'स्पेक्ट्रम शेयरिंग के लिए दिशानिर्देश'', दोनों पर अपने उत्तर सरकार को प्रस्तुत कर दिए हैं।

➢ ekuuh; mPPkre U;k;ky; d fnukd 14 eb] 2015 d vrfje vkn'k ij vuorh dkjokb d :i e nj lpkj lok inkrkvk }kjk LiDVe lhek vkj U;ure LiDVe /kkfjrk l lcf/kr eIk ij nj lpkj foHkkx dk Hkknfoik dk fnukd 2 tykb] 2015 dk mÙkjA

2.5.6 हस्तांतरण केस (सिविल) 43/2015 (मैसर्स रिलायंस द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल डब्ल्यूपी संख्या 1635/2015), 64/2015 (मैसर्स रिलायंस द्वारा त्रिपुरा उच्च न्यायालय में दाखिल डब्ल्यूपी संख्या 53/2015) और 65/2015 (डब्ल्यूपी संख्या 6176/2015) में माननीय उच्चतम न्यायालय के 14 मई, 2015 के अंतरिम आदेश के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में दूरसंचार विभाग ने 29 मई, 2015 के पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से निम्नलिखित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए कहा:–

क) स्पेक्ट्रम सीमा से संबंधित

- क्या सीमा को यथावत रखा जाना चाहिए, यदि हां तो इसका फॉर्मूला क्या होगा और इसे कैसे व्याखित और प्रयोग किया जाएगा?
- सीमा की गणना करते समय, यदि इसे मौजूदा पद्धति से किया जाता है तो क्या वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध स्पेक्ट्रम, जो विभाग के पास उपलब्ध है

और इसकी नीलामी नहीं की जाएगी, को ऐसी सीमा की गणना में शामिल किया जाएगा?

ख) न्यूनतम स्पेक्ट्रम धारिता के संबंध में

- सफल बोलीदाता, जिन्हें 4 मेगाहर्ट्ज से कम मिला है और वे अगली नीलामी में विफल हो जाते हैं तो वे स्पेक्ट्रम का क्या कर सकते हैं?
- क्या उनके पास इसे अपने पास रखने का विकल्प होगा या विभाग ऐसे स्पेक्ट्रम को वापस लेने के लिए कदम उठाएगा, जिसका यह आधार होगा कि 5 मेगाहर्ट्ज से कम स्पेक्ट्रम धारिता से आर्थिक रूप से किफायती सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकती? अगर हां,तो भादूविप्रा ऐसे स्पेक्ट्रम वापस लेने के नियम एवं शर्तों के बारे में बताएं।

प्राधिकरण ने अपने उत्तर में अन्य बातों के साथ यह उल्लेख किया कि:–

- प्राधिकरण का यह मानना है कि वर्तमान स्पेक्ट्रम सीमा 800/900/1800/2100/2300/2500 मेगाहर्ट्ज में नियत स्पेक्ट्रम का 50 प्रतिशत और प्रत्येक सेवा क्षेत्र में एक साथ सभी बैंड्स में नियत कुल स्पेक्ट्रम का 25 प्रतिशत)में फिलहाल कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है।
- स्पेक्ट्रम सीमा की गणना करने की विधि के बारे में प्राधिकरण का यह मत है कि कोई स्पेक्ट्रम, जिसे नीलामी में शामिल किया गया था, मगर वह बिक नहीं पाया, स्पेक्ट्रम, जो नियत किए गए थे मगर बाद में दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा जमा करा दिए गए या लाइसेंसर द्वारा वापस ले लिए गए सहित दूरसंचार सेवा प्रदाता को नियत किए गए सभी स्पेक्ट्रम और नीलामी में शामिल किए गए स्पेक्ट्रम की गणना की जाएगी। बहरहाल, अगर सरकार इनमें से किसी स्पेक्ट्रम को गैर–वाणिज्यिक प्रयोजन, जैसे सुरक्षा विभाग को नियत करना, के लिए नियत करती है तो इसे गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
- प्राधिकरण का यह भी मानना है कि अलग–अलग समय पर दूसरे उपयोगकर्ता जैसेकि सुरक्षा विभाग से इसकी रिफ्रेमिंग के बाद वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए डब्ल्यूपीसी/दूरसंचार विभाग को उपलब्ध कराए गए स्पेक्ट्रम की गणना तब तक स्पेक्ट्रम सीमा के लिए नहीं की जानी चाहिए जब तक कि इसे दूरसंचार विभाग द्वारा नीलामी में शामिल न किया जाए।
- प्राधिकरण का यह भी मानना है कि दूरसंचार क्षेत्र उभरता हुआ क्षेत्र होने के फलस्वरूप स्पेक्ट्रम सीमा जैसे नीतिगत निर्णय की समीक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। प्राधिकरण उचित समय, जैसे नए स्पेक्ट्रम बैंड शुरू करते समय, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जारी करते समय या कोई बड़ी घटना होने पर समीक्षा कर सकता है।
- प्राधिकरण का यह भी मानना है कि लाइसेंसी यह निर्णय लेने में समर्थ होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम को रखना उनके लिए कारोबारी मामला हो सकता है या नहीं। इसके अलावा, सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम शेयरिंग और स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के दिशानिर्देश अधिसूचित किए जाने पर, दूरसंचार सेवा प्रदाता के पास अपनी स्पेक्ट्रम धारिता का प्रबंधन करने के लिए वैकल्पिक विकल्प होंगे। इसलिए प्राधिकरण का यह मानना है कि सरकार को किसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज से कम होने पर, किसी दूरसंचार सेवा

प्रदाता को नियत किए गए स्पेक्ट्रम को वापस नहीं लेना चाहिए।

- Hkknfoik dh fnukd 7 vi'y] 2015 dh ^^,dy ucj vk/kkfjr ,dhd'r vkikr lpkj vkj iR;Ùkj i.kkyh^^ lc/kh flQkfj'kk ij njlpkj foHkkx l ikIr i= ij fnukd 30 flrjcj] 2015 dk Hkknfoik dk mÙkjA

2.5.7 प्राधिकरण ने भारत में कुशल और मजबूत एकीकृत आपात संचार एवं प्रत्युत्तर प्रणाली (आईईसीआरएस) की स्थापना को सुकर बनाने के लिए दिनांक 7 अप्रैल, 2015 की अपनी सिफारिशों में देश में पब्लिक सेफ्टी आंसरिंग प्वाइंट (पीएसएपी) आधारित एकीकृत आपात संचार एवं प्रत्युत्तर प्रणाली (आईईसीआरएस) कार्यान्वित करने के लिए स्वयं सिफारिश की है, जिसे एकल आपात नंबर '112' से एक्सेस किया जा सकता है।

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 25 अगस्त, 2015 के अपने पत्र के माध्यम से भादूविप्रा की सिफारिशों का जवाब देते हुए कुछ मुद्दों पर भादूविप्रा को पुनर्विचार करने/राय/विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रव्यापी आपात प्रत्युत्तर प्रणाली (एनईआरएस) के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसने परियोजना के लिए आईटी सेवा प्रदाता के चयन हेतु प्रस्ताव हेतु आवेदन (आरएफपी) भी आमंत्रित किए हैं। इन घटनाक्रमों पर विचार करके, प्राधिकरण ने अपनी राय/विचार प्रकट किए हैं।

प्राधिकरण के उत्तर दूरसंचार विभाग को 30 सितंबर, 2015 को भेजे गए थे, जिसमें दूरसंचार विभाग को सूचित किया गया था कि प्राधिकरण चाहता है कि एनईआरएस फ्रेमवर्क को जल्दी कार्यान्वित किया जाए। प्राधिकरण ने कॉलर की लोकेशन की सटीक सूचना के लिए सभी हैंडसेट मोबाइल में जीपीएस फीचर डालने की अंतिम तारीख निर्धारित करने की अपनी सिफारिश को भी दोहराया है।

- fnukd 29 vxLr] 2014 dh ekbØkoo ,Dl l vkj ekbØkoo cdcku vkj,Q dfj;j d vkoVu vkj eY; fu/kkj.k ij Hkknfoik dh flQkfj'kk ij njlpkj foHkkx l ikIr i= ij Hkknfoik dk fnukd 17 uocj] 2015 dk mÙkjA

2.5.8 दूरसंचार विभाग ने दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 के पत्र संख्या एल–14035/19/2010–बीडब्ल्यूए(पार्ट) के द्वारा 2000 में यथा संशोधित भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 के उपबंधों के अनुरूप पुनर्विचार एवं स्पष्टीकरण हेतु अपनी टिप्पणियों के साथ 29 अगस्त, 2014 की माइक्रोवेव एक्सेस और माइक्रोवेव बैकबोन आरएफ कैरियर के आंवटन और मूल्य निर्धारण पर भादूविप्रा की सिफारिशों को वापस भेजा था।

प्राधिकरण ने यथोचित विचार–विमर्श के बाद, अपने उत्तर को अंतिम रूप देकर, इसे दिनांक 17 नवंबर, 2015 के पत्र के तहत दूरसंचार विभाग को वापस भेजा गया।

- 700 exkgVt] 800 exkgVt] 900 exkgVt] 1800 exkgVt] 2100 exkgVt] 2300 exkgVt] vkj 2500 exkgVt cM l e LiDVe d eY;kdu vkj vkjf{kr eY; ij fnukd 27 tuojh] 2016 dh flQkfj'kA

2.5.9 भादूविप्रा ने दिनांक 27 जनवरी, 2016 को 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800

मेगाहट्र्ज, 2100 मेगाहट्र्ज, 2300 मेगाहट्र्ज और 2500 मेगाहट्र्ज बैंड्स में स्पेक्ट्रम के मूल्यांकन और आरक्षित मूल्य पर अपनी सिफारिशें जारी की।

दूरसंचार विभाग ने 700 मेगाहट्र्ज, 800 मेगाहट्र्ज, 900 मेगाहट्र्ज, 1800 मेगाहट्र्ज, 2100 मेगाहट्र्ज, 2300 मेगाहट्र्ज और 2500 मेगाहट्र्ज बैंड्स की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य और संबंधित शर्तों पर प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी गई। दूरसंचार विभाग ने 900 मेगाहट्र्ज बैंड में प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम के उदारीकरण पर भी प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी गई।

इस परिप्रेक्ष्य में, भादूविप्रा ने 26 नवंबर, 2015 को 700 मेगाहट्र्ज, 800 मेगाहट्र्ज, 900 मेगाहट्र्ज, 1800 मेगाहट्र्ज, 2100 मेगाहट्र्ज, 2300 मेगाहट्र्ज और 2500 मेगाहट्र्ज बैंड्स में स्पेक्ट्रम के मूल्यांकन और आरक्षित मूल्य पर एक परामर्श पत्र जारी किया था, जिसमें हितधारकों से टिप्पणी मांगी गई थी। भादूविप्रा ने 04 जनवरी, 2016 को दिल्ली में एक खुला मंच चर्चा का भी आयोजन किया गया।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर चर्चा करने और विश्लेषण करने के बाद, प्राधिकरण ने 700 मेगाहट्र्ज, 800 मेगाहट्र्ज, 900 मेगाहट्र्ज, 1800 मेगाहट्र्ज, 2100 मेगाहट्र्ज, 2300 मेगाहट्र्ज और 2500 मेगाहट्र्ज बैंड्स में स्पेक्ट्रम के मूल्यांकन और आरक्षित मूल्य पर अपनी सिफारिशें तैयार की। सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

- फ्रीक्वेंशी अरेंजमेंट आधारित फ्रीक्वेंशी डिवीजन डयूप्लैक्स (एफडीडी) सहित 700 मेगाहट्र्ज (698–806 मेगाहट्र्ज) स्पेक्ट्रम बैंड के लिए एपीटी700 बैंड प्लान को अपनाना होगा। आगामी नीलामी में 700 मेगाहट्र्ज बैंड में पूरा उपलब्ध स्पेक्ट्रम (2 x 35 मेगाहट्र्ज) को नीलामी के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- दूरसंचार विभाग को 800 मेगाहट्र्ज बैंड में कैरियर रि–असाइनमेंट कार्य को करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि संपूर्ण स्पेक्ट्रम, जो वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए दूरसंचार विभाग के पास उपलब्ध है, को नीलामी के लिए प्रस्तुत किया जाए।
- दूरसंचार विभाग को सुरक्षा और दूरसंचार सेवा प्रदाता के सहयोग से आगामी नीलामी से पहले 1800 मेगाहट्र्ज बैंड में सामन्जस्य प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए ताकि इस कार्य के कारण उपलब्ध होने वाले संपूण स्पेक्ट्रम को नीलामी के लिए प्रस्तुत किया जा सकें।
- 700 मेगाहट्ज के लिए रोलआउट दायित्व : 15000 या अधिक मगर 50000 से कम आबादी वाले नगरों/गांवों को 5 वर्ष के अंदर और 10000 या अधिक मगर 15000 से कम आबादी

vu'kflr vkjf{kr eY;

(करोड़ रुपये में)

,y,l,	700 exkgVt	800 exkgVt	900 exkgVt	1800 exkgVt	2100 exkgVt	2300 exkgVt	2500 exkgVt
	ifr exkgVt ¼;fXer½					ifr exkgVt ¼v;fXer½	
दिल्ली	1595	848				143	143
मुंबई	1192	727				146	146
कोलकाता	596	160				33	33

,y,l,	700 exkgV t	800 exkgV t	900 exkgV t	1800 exkgV t	2100 exkgV t	2300 exkgV t	2500 exkgV t
	ifr exkgV t ¼;fXer½					ifr exkgV t ¼v;fXer½	
आन्ध्र प्रदेश	971	606		243	272	68	68
गुजरात	952	285	673	238	258	39	39
कर्नाटक	740	303	558	185	328	98	98
महाराष्ट्र	1272	799		318	341	58	58
तमिलनाडु	900	360		225	344	132	132
हरियाणा	186	57	151	47	55	8	8
केरल	334	243		83	177	16	16
मध्य प्रदेश	331	408		83	123	8	8
पंजाब	308	119		77	91	21	21
राजस्थान	364	204		91	140	6	6
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	459	219	776	115	110	9	9
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	384	182	739	96	111	12	12
पश्चिम बंगाल	183	82		46	52	5	5
असम	158			40	46	2	2
बिहार	248	136	444	62	86	6	6
हिमाचल प्रदेश	64	24		16	20	1	1
जम्मू एवं कश्मीर	52			13	11	1	1
पूर्वोत्तर	44			11	12	1	1
ओडिशा	152	57		38	38	4	4

वाले गांवों को 7 वर्ष के अंदर शामिल किया जाएगा।

- वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए आवंटित स्पेक्ट्रम और विभिन्न पीएसयू/सरकारी संगठनों को आवंटित स्पेक्ट्रम की लेखापरीक्षा की जाएगी। यह किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंड के लिए अनुसंशित आरक्षित मूल्य का विवरण नीचे दी गई सारणी में दिया गया है:–

➢ Hkkjruv gr| dk;kZo;u ;kstuk ij fnukd 1 Qjojh] 2016 dh flQkfj'k

2.5.10 प्राधिकरण ने भारतनेट का कार्यान्वयन करने हेतु वैकल्पिक मॉडल का पता लगाने के लिए 17 नवंबर, 2015 को "भारतनेट हेतु कार्यान्वयन मॉडल" पर एक परामर्श पत्र जारी किया। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार और विश्लेषण करने के बाद प्राधिकरण ने 01 फरवरी, 2016 को "भारतनेट हेतु कार्यान्वयन मॉडल" पर अपनी सिफारिशें तैयार की। इन सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं हैं:–

- एक पीपीपी मॉडल, जो प्राइवेट इन्सेंटिव को कार्यान्वयन के बनाए–अपनाएं–चलाएं–हस्तांतरित करें/बनाएं–चलाएं–हस्तांतरित करें मॉडल के

रूप में दीर्घकालिक सेवा डिलिवरी के अनुरूप हों, कार्यान्वयन का पसंदीदा माध्यम होगा।

- रियायतग्राही के कार्य के स्कोप में ओएफसी और अन्य नेटवर्क अवसंरचना के प्रस्तरण और कार्यान्वयन के साथ–साथ रियायत अवधि के लिए नेटवर्क का परिचालन शामिल है। रियायतग्राही डार्क फाइबर और/या बैंडविड्थ से राजस्व का लाभ पाने का हकदार होगा।
- रियायत के लिए मांगी गई न्यूनतम व्यावहारिकता अंतर वित्तपोषण का निर्धारण करने के लिए रिवर्स बोली प्रक्रिया के माध्यम से रियायतग्राही का चयन किया जाएगा। कार्यान्वयन का क्षेत्र लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र/या राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के साथ एनॉलॉग हो सकता है। मांगी गई सबसे कम वीजीएफ का निर्धारण करने के लिए रिवर्स बोली प्रक्रिया का इस्तेमाल करके, यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सार्वजनिक निधियों की सहायता राशि तर्कसंगत है।
- संविदा एजेंसी पहले चरण में बोली प्रक्रिया के माध्यम से संभावित बीओओटी प्रतिभागियों की रूचि और उत्तर का पता लगा सकती है। इसे एक बार में पूरे देश में किया जा सकता है (राज्य/एलएसए या 'अनुसूचियों' के रूप में पैकेज) या इसे बोलीदाताओं के उत्तरों की अधिक संभावना वाले कतिपय राज्यों में शुरू किया जा सकता है।
- दूसरे चरण में (उन क्षेत्रों को छोड़ने के बाद, जिनमें बीओओटी मॉडल कार्यान्वित किया जा सकता है) ईपीसी ठेकेदारों का चयन किया जाएगा। ऐसे ईपीसी ठेकेदारों पर नेटवर्क का निर्माण करने की जिम्मेदारी होगी और नेटवर्क को पूरा करने के बाद, दो वर्ष के लिए दोष देयता होगी। जब नेटवर्क पूरा होने वाला होगा तो संविदा एजेंसी तृतीय पक्ष (बोली प्रक्रिया के माध्यम से) को नियुक्त करेगी, जो सरकार द्वारा निर्धारित विस्तृत सिद्धांतों के अनुसार 60 नेटवर्क का प्रबंधन और विपणन करने के लिए जिम्मेदार होगा। दो वर्ष की ओवरलैपिंग दोष दायित्व का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि निर्माण से अनुरक्षण चरण का कार्य सुगमता से संपन्न हों।
- वीजीएफ भुगतान दो घटकों में विभाजित किए जाने चाहिए – उचित दरों पर वित्तीय संस्थाओं से पूरक वित्त जुटाने में समर्थ होने और प्रारंभिक पूंजीगत लागत को पूरा करने के लिए रियायतग्राही को पर्याप्त निधि के लिए प्रारंभिक पूंजीगत व्यय राशि और शेष राशि को रियायत अवधि के लिए वार्षिक करना चाहिए और पहले से परिभाषित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर इनका भुगतान किया जाएगा। महत्वपूर्ण लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त करने पर भुगतान जल्दी होगा और इससे डिलिवरी में तेजी आएगी। दोनों घटकों को रियायत अवधि के लिए ध्यानपूर्वक संतुलित किया जाना चाहिए – हालांकि प्रारंभिक चरण में अधिक भुगतान के कारण डिलीवरी की क्वालिटी गिर सकती है, प्रारंभ में रियायतग्राही को पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं कराने से अधिक खर्च वाले प्राइवेट वित्तपोषण का सहारा लिया जाएगा (जिसकी अतिरिक्त लागत वीजीएफ बोली प्रक्रिया में प्रदर्शित होगी और यह पब्लिक निधियों से आएगी)।
- रियायत अवधि फाइबर की तकनीकी आयु के बराबर होनी चाहिए, वर्तमान में इस पर आम सहमति 25 वर्ष

की है। यह अवधि रियायतग्राही के इंसेंटिव को सेवा की डिलीवरी के लिए उच्च क्वालिटी की संस्थापना के अनुरूप होनी चाहिए और उचित लाभ अर्जित करने के लिए पर्याप्त बड़ी विंडों उपलब्ध कराने वाली भी होनी चाहिए। सरकार और रियायतग्राही के बीच परस्पर समझौते के अनुसार रियायती अवधि के बाद इस अवधि को 10/20/30 वर्ष के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है।

- असाधारण रूप से उच्च अप्रत्याशित लाभ को एकबारगी "अप्रत्याशित कर" और अतिरिक्त वीजीएफ सहायता को रोककर इससे निपटा जा सकता है। बहरहाल, बोली प्रक्रिया से पहले इस तरह के उपाय स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि इस तरह के 61 दीर्घाकालिक अवसंरचना परियोजनाओं में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक स्थिरता और पूर्वानुमेयता सुनिश्चित की जा सकें। अप्रत्याशित लाभ किस नाम से जाना जाएगा, इसकी स्पष्ट परिभाषा बोलीदाताओं को प्राथमिकता प्रदान करेगी ताकि इसे उनके वित्तीय और परिव्यय योजनाओं में शामिल किया जा सकें।
- यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाएगा कि रियायतग्राही सभी सेवा प्रदाताओं को भेदभावरहित और पारदर्शी तरीके से एक्सेस प्रदान करें। इस तरह की प्रतिस्पर्धा उन सभी कंटेंट (मनोरंजन, हकदारी और सरकारी सेवाओं सहित) के लिए जरूरी है, जो नेटवर्क पर डिलिवर किए जाएंगे।
- उदार पात्रता मापदंड व्यापक भागीदारी के लिए जरूरी हैं और बड़ी संख्या में बोलीदाताओं की भागीदारी और इष्टतम मूल्य खोज को समर्थ बनाने के लिए मजबूत और प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया की गारंटी सुनिश्चित करते हैं।
- आवंटन के लिए स्वीकृत कार्यान्वयन क्षेत्रों की अधिकतम संख्या से अधिक में बोली जीतने वाली कोई बोलीदाता एजेंसी/संघ को उनकी इच्छानुसार क्षेत्र चुनने की अनुमति दी जा सकती है।
- ऑप्टीकल फाइबर बिछाने के मार्ग, निर्माण के विकल्प, टोपोलॉजी और टेक्नोलॉजी के संबंध में रियायतग्राही को लचीलापन उपलब्ध कराई जाएगी ताकि तकनीकी और आर्थिक कुशलता सुनिश्चित की जा सकें। यह लचीलापन एनओएफएन संबंधी समिति द्वारा भारतनेट के लिए निर्धारित अतिरेक और गुणवत्ता के मानकों के अंतर्गत है।
- रियायतग्राही को डार्क फाइबर की बड़ी राशि लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि नेटवर्क भविष्य के अनुकूल हो और इसे अपग्रेड करना आसान हों।
- निशुल्क आरओडब्ल्यू की गारंटीड व्यवस्था सार्वजनिक संपत्ति को उसकी मूल स्थिति में बहाली के अधीन भारतनेट के सफल कार्यान्वयन की जरूरी और अपरक्राम्य पूर्व शर्त है।
- इसे कार्यान्वित करने के लिए चुनी गई योजना पर ध्यान दिए बगैर परियोजना की सफलता के लिए राज्य सरकार की भागीदारी अनिवार्य है। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश परियोजना कार्यान्वयन के अभिन्न भाग होंगे और असरदार तरीके से सहयोग करने और कार्यान्वयन के मसलों का समाधान करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर एक संस्थागत प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।
- केन्द्र और राज्य सरकारों को चुने गए संघ में अल्प इक्विटी साझेदार (~26 प्रतिशत) बनकर

रियायतग्राही के साथ भाग लेना चाहिए – इससे अनुमानित जोखिम कम हो सकते हैं और प्राइवेट वित्त हासिल करने की लागत कम होगी तथा प्रत्याशित लाभ से जुड़े जोखिम स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, यह सरकार को रियायतग्राही की ओर से एकाधिकार, जैसे आचरण को रोकने में मदद दे सकते हैं।

➤ Hkknfoik dh i'kklfud :i ls vkofVr LiDVe ds mnkjhdj.k ds iHkkj.k ij flQkfj'kksa ij njlapkj foHkkx ls ikIr i= ij Hkknfoik dk fnukad 27 tuojh] 2016 dk mÙkjA

2.5.11 प्राधिकरण ने दिनांक 27 जनवरी, 2016 की अपनी सिफारिशों में कहा कि एलएसए, जिसमें स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है, में विभिन्न बैंडों में प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम के उदारीकरण के लिए प्रभारित किए जाने वाले मूल्य के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जाएं:–

- एक अंतरिम उपाय के रूप में वर्तमान सिफारिशों में प्राधिकरण द्वारा अनुशंसा किए गए आरक्षित मूल्य को प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम के उदारीकरण के लिए अनंतिम मूल्य के रूप में लिया जाए; और
- आगामी नीलामी के बाद और नीलामी द्वारा निर्धारित मूल्य की उपलब्धता के साथ पहले से प्रभारित अनंतिम मूल्य को नीलामी द्वारा निर्धारित मूल्य के साथ उचित रूप से समायोजित किया जाए।

➤ vkbZih bVjQs'k vr%la;kstu ij fnukad 11 Qjojh] 2016 dh flQkfj'k

2.5.12 प्राधिकरण ने ''आईपी आधारित नेटवर्क के लिए माइग्रेशन'' पर दिनांक 30 जून, 2014 को एक परामर्श पत्र जारी किया था, जिसके बाद 2 दिसंबर, 2014 को इस विषय पर एक खुला मंच चर्चा आयाजित की गई। परामर्श पत्र के प्रतियुत्तर में कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने टिप्पणी की थी कि आईपी आधारित नेटवर्क के लिए आसन्न परिवर्तन व्यापक रूप से प्रत्याशित है, इसलिए आईपी आधारित अंतःसंयोजन के लिए स्पष्टता प्रदान करने हेतु लाइसेंस शर्तों में परिवर्तन करना जरूरी है।

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 10 नवंबर, 2015 के अपने पत्र में भादूविप्रा को लिखा था कि दूरसंचार उद्योग के लिए चिंता के विषयों में एक विषय आईपी स्तर पर अंतःसंयोजन के प्रतिबंध को हटाना है ताकि सुगम आईपी अंतःसंयोजन सुनिश्चित किया जा सकें। भादूविप्रा ने दिनांक 27 नवंबर, 2015 को ''आईपी आधारित अंतःसंयोजन पर परामर्श पत्र'' के द्वारा हितधारकों के साथ एक लघु परामर्श शुरू किया। इसमें शामिल विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण करने और हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने आईपी स्तर पर अंतःसंयोजन के लिए एकीकृत लाइसेंस के खंड 27.3 में संशोधन करने की सिफारिश की थी। यह भी सिफारिश की गई थी कि इस प्रभाव के समान संशोधन को अन्य लाइसेंस करारें के संबंधित खंडों में भी किए किए जाएं।

खंड 27.3 का प्रस्तावित पाठ निम्नानुसार हैः–

''सर्किट स्विच्ड ट्रैफिक को ले जाने के लिए विभिन्न लाइसेंसधारकों के नेटवर्कों के बीच अंतःसंयोजन सीसीएस संख्या 7 के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगा और आईपी आधारित ट्रैफिक दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) और समय–समय पर इसमें किए गए संशोधनों के अनुसार और नेटवर्कों की तकनीकी व्यावहार्यता एवं तकनीकी संपूर्णता के अधीन होगी और भादूविप्रा/लाइसेंसर द्वारा समय–समय पर

जारी अंतःसंयोजन/विनियम/निर्देश/आदेश के समग्र फ्रेमवर्क के भीतर होगी। सर्किट स्विच्ड और आईपी आधारित नेटवर्क के बीच अंतर–नेटवर्किंग के लिए लाइसेंसधारक को मीडिया गेटवे स्विच इंस्टॉल करना होगा। इसके अलावा, लाइसेंस प्रदाता लाइसेंसधारक को अंतःसंयोजन संबंधित मुद्दों पर टीईसी द्वार जारी कोई और तकनीकी मानक अपनाने के लिए निर्देश दे सकता है।''

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 19 अप्रैल, 2016 के पत्र द्वारा आईपी इंटरफेश पर अंतःसंयोजन संबंधी भादूविप्रा की सिफारिशों के अनुसार, इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) पर अंतःसंयोजन के लिए एकीकृत लाइसेंस में संशोधन के बारे में सूचित किया है।

➢ ekuuh; mPPkre U;k;ky; d fnukd 14 eb] 2015 d vrfje vkn’k ij vuorh dkjokbl d :i e LiDVe lhek l lcf/kr eÌk ij fnukd 2 tykb] 2015 d Hkknfoik d mÙkj d lc/k e fnukd 16 Qjojh] 2016 d Li"Vhdj.k

2.5.13 29 मई, 2015 को दूरसंचार विभाग ने हस्तांतरण केस (सिविल) संख्या 43/2015 और अन्य समान मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14 मई, 2015 के अंतरिम आदेश पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में स्पेक्ट्रम सीमा और दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा न्यूनतम स्पेक्ट्रम धारिता से संबंधित मुद्दों पर प्राधिकरण से उसकी राय मांगी थी।

मुद्दों की जांच करने और दूरसंचार सेवा प्रदाता के साथ परामर्श करने के बाद, प्राधिकरण ने अपना उत्तर दिनांक 2 जुलाई, 2015 को भेजा।

तत्पश्चात, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 21 जनवरी, 2016 के पत्र द्वारा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत राय पर कतिपय स्पष्टीकरण मांगे थे। प्राधिकरण ने दूरसंचार विभाग की टिप्पणियों की जांच कर और अपने उत्तर को अंतिम रूप देकर, 16 फरवरी, 2016 को दूरसंचार विभाग को भेजा गया।

➢ vMeku vkj fudkckj }hileg vkj y{k}hi e njlpkj lokvk dk cgrj dju ij fnukd 22 tykb] 2014 dh Hkknfoik dh flQkfj'kk ij njlpkj foHkkx }kjk mBk, x, eÌk ij 23 ekp] 2016 dk ikf/kdj.k dk mÙkj

2.5.14 दूरसंचार विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में क्वालिटी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षित निवेश और अंतर विश्लेषण करने के बाद, दिनांक 7 जनवरी, 2014 के पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से इन महाद्वीपों के लिए विस्तृत दूरसंचार योजना पर अपनी सिफारिशें देने का अनुरोध किया था। प्राधिकरण ने संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद, 22 जुलाई, 2014 को 'अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं को बेहतर बनाने'' पर अपनी सिफारिशें भेजी थी।

दूरसंचार विभाग ने अपने पिछले पत्र में सूचित किया है कि भादूविप्रा की सिफारिशों के अनुसार, दूरसंचार आयोग ने 7 नवंबर, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के लिए विस्तृत विकास योजना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की थी और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सेटेलाइट बैंडविड्थ के उन्नयन और अंतर–द्वीप ओएफसी नेटवर्क के उन्नयन का कार्य नामांकन आधार पर भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को दिया गया था। तदनुसार, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 8 फरवरी, 2016 और 9 मार्च, 2016 के अपने पत्रों के माध्यम से (क) लक्षद्वीप में सेटेलाइट बैंडविड्थ के उन्नयन और (ख) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अंतर–द्वीप ओएफसी नेटवर्क के उन्नयन के विस्तृत

लागत अनुमानों की प्रति अग्रेषित की थी। दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से इन खास परियोजनाओं के लिए बीएसएनएल द्वारा तैयार तकनीकी अपेक्षाओं और विस्तृत लागत अनुमानों पर उसकी राय देने का अनुरोध किया था।

शामिल मुद्दों की जांच करने के बाद, भादूविप्रा ने दिनांक 23 मार्च, 2016 को उत्तर भेजा गया। भादूविप्रा ने अपने उत्तर में फिर से निम्न पर बल दिया गया :–

- पर्याप्त बैंडविड्थ उपलब्ध कराना अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप की विस्तृत दूरसंचार योजना का प्रमुख घटक है। सबमरीन केबलों के माध्यम से कनेक्टीविटी उपलब्ध कराना, भादूविप्रा की दिनांक 22 जुलाई, 2014 की सिफारिशों का प्रमुख और अभिन्न भाग है। चूंकि समुद्रीय केबल बिछाना, संसाधन, सघन और समय खाने वाला काम है, सेटेलाइट बैंडविड्थ का उन्नयन तात्कालिक और अल्पकालिक समाधान के रूप में करना चाहिए।
- चूंकि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के केन्द्र शासित प्रदेशों में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराना दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए व्यावहारिक वाणिज्यिक प्रस्ताव नहीं है, इन द्वीप समूहों में प्राथमिकता के आधार पर दूरसंचार अवसंरचना और कनेक्टीविटी के उन्नयन और विकास के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) का इस्तेमाल करने और प्रवेश करना, सरकार के लिए जरूरी है।
- दूरसंचार विभाग ने पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है कि क्या इसने अंडमान निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के लिए अनुसंशित व्यापक दूरसंचार योजना को स्वीकृत कर दिया है। इन द्वीपसमूहों के कूटनीतिक महत्व को देखते हुए अंडमान निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के लिए संपूर्ण दूरसंचार योजना को बिना और विलंब के तुरंत कार्यान्वित करना चाहिए।
- वर्तमान दूरसंचार अवसंरचना की उपलब्धता और उपयुक्तता, अवशिष्ट आयु जैसे कारकों के आधार पर बीओक्यू (मात्रा का बिल) और विस्तृत लागत अनुमानों के बारे में निर्णय दूरसंचार विभाग द्वारा इस बात को ध्यान में रखकर लिए जा सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप की विस्तृत दूरसंचार योजना पर प्राधिकरण की सिफारिशों में निर्धारित विस्तृत उद्देश्यों तब भी पूरे किए जाते हैं, जब परियोजना (ओं) की अनुमानित लागत, प्राधिकरण द्वारा अनुमानित लागत से थोड़ा अधिक हों।

2.6 वर्ष 2015–16 के दौरान, प्राधिकरण ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत उसको निर्दिष्ट किए गए कार्यों को पूरा करने के लिए दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में निम्नलिखित विनियम बनाए हैं:–

nj lapkj {k=

Ø- l-	fooj.k
1.	7 अगस्त, 2015 का ''दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (आठवां संशोधन) विनियम, 2015
2.	15 अक्टूबर, 2015 का ''बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा की गुणवत्ता के मानक (चौथा संशोधन) विनियम, 2015
3.	16 अक्टूबर, 2015 का ''दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (नौवां संशोधन) विनियम, 2015
4.	8 फरवरी, 2016 का डेटा सेवा के लिए विभेदकारी निषेध टैरिफ विनियम, 2016

fofu;e

➢ fnukd 7 vxLr] 2015 dk ^^nwjlapkj miHkksDrk lja{k.k ¼vkBoka la'kks/ku½ fofu;e] 2015

2.6.1 प्राधिकरण ने विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करने और आंतरिक विश्लेषण करने के बाद, वायरलेस डेटा का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करने के लिए 7 अगस्त, 2015 को 'दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (आठवां संशोधन) विनियम, 2015' जारी किया था। इस विनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं:–

i) MsVk ds bLrseky ds lca/k esa mIkHkksDrk ds fy, lwpuk % सेवा प्रदाता को एसएमएस या यूएसएसडी के माध्यम से निम्नलिखित सूचना देने का अधिदेश दिया गया है:–

- मोबाइल डेटा यूजर को इस्तेमाल किए गए डेटा के बारे में सूचना देना, विशेष डेटा पैक्स (एसटीवी/कंबो/एड–ऑन–पैक) के यूजरों को छोड़कर सभी मोबाइल डेटा यूजरों को प्रत्येक 10 एमबी डेटा का इस्तेमाल की सूचना देना। उपभोक्ताओं को यह विकल्प दिया जाएगा कि यदि वे ऐसी सूचना प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, तो वे इस विकल्प को चुन सकते हैं।
- जब भी डेटा इस्तेमाल की सीमा उपभोक्ता के खाते में उपलब्ध डेटा का 50 प्रतिशत, 90 प्रतिशत और 100 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी या जब उपभोक्ता के खाते में उपलब्ध डेटा शेष 500 एमबी, 100 एमबी और 10 एमबी तक रह जाएगा तो विभिन्न विशेष डेटा पैक्स (एसटीवी/कंबो/एड–ऑन–पैक) के यूजरों को सूचना देना। इसके अलावा, जब भी डेटा सीमा 90 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी या खाते का डेटा शेष 10 एमबी रह जाएगा तो उपभोक्ता को डेटा की सीमा समाप्त होने के बाद लगने वाले टैरिफ के विवरण के बारे में भी बताना होगा ।
- इंटरनेशनल रोमिंग उपभोक्ता को एक अलर्ट भेजा जाएगा, जिसमें उसे बताया जाएगा अगर वह डेटा सेवाओं को इस्तेमाल नहीं करना चाहता है तो वह डेटा सेवा को डिएक्टीवेट कर लें।

ii) MsVk lsokvksa dks ,DVhosV ;k fM,DVhosV djuk%&

- टॉल फ्री शॉर्ट कोड 1925 के माध्यम से उपभोक्ता की स्पष्ट सहमति से ही डेटा सर्विस एक्टीवेट की जानी चाहिए। टॉल फ्री शॉर्ट कोड 1925 के माध्यम से ही डेटा सर्विस डिएक्टीवेट की जा सकेगी।
- विशेष टैरिफ वाउचर या कंबो वाउचर या एड–ऑन पैक के माध्यम से डेटा सर्विस, वाउचर/पैक की वैलिडिटी अवधि या पूरे डेटा के उपयोग, इनमें से जो भी पहले हों, तक सहमति से एक्टीवेट हुई मानी जाएगी।
- उपभोक्ताओं को डेटा के डिएक्टीवेशन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के बारे में समय–समय पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए। बीएसएनएल और एमटीएनएल को छोड़कर सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने इसके अनुपालन के लिए सहमति दे दी है।

➢ 15 vDVwcj] 2015 dk cqfu;knh VsyhQksu lsok¼ok;jykbu½ vkSj lsY;qyj eksckby VsyhQksu lsokvksa dh lsok dh xq.koÙkk ds ekud ¼pkSFkk la'kks/ku½ fofu;e] 2015

2.6.2 प्राधिकरण द्वारा 15 अक्टूबर, 2015 को जारी बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं की सेवा की गुणवत्ता के मानक (चौथा संशोधन) विनियम, 2015 में नेटवर्क और उपभोक्ता संबंधी पैरामीटरों के मापदंडों का अनुपालन नहीं करने पर सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं पर संशोधित अर्थदंड का प्रावधान

किया गया है। इस विनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

- एक तिमाही में मापदंड का अनुपालन नहीं करने के मामलें में अर्थदंड एक लाख रुपए प्रति मापदंड से अधिक नहीं होगा।
- लगातार दो या तीन तिमाहियों में उसी मापदंड का अनुपालन नहीं करने के मामले में, दूसरे उल्लंघन के लिए अर्थदंड डेढ लाख रुपए से अधिक नहीं होगा और इसके बाद के प्रत्येक उल्लंघन के लिए यह दो लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।
- इसके बाद की किसी तिमाही में उसी मापदंड का अनुपालन नहीं करने के मामले, जो कि क्रमागत उल्लंघन नहीं है, अर्थदंड एक लाख रुपए प्रति मापदंड होगा।

➤ fnukad 16 vDVwcj] 2015 dk nwjlapkj miHkksDrk laj{k.k ¼ukSoka la'kks/ku½ fofu;e] 2015

2.6.3 उपभोक्ताओं ने विभिन्न मंचों पर कॉल ड्रॉप्स का मुद्दा उठाया और शिकायत की है कि वॉयस कॉल करने का उनका अनुभव का खराब रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, भादूविप्रा ने 4 सितंबर, 2015 को 'ड्रॉप हुई कॉल के मामले में उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और विश्लेषण करने के बाद, भादूविप्रा ने 16 अक्टूबर, 2015 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2012 में नौवें संशोधन के माध्यम से अपने नेटवर्क के अंदर सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने वाले प्रत्येक प्रारंभिक सेवा प्रदाता के लिए निम्नलिखित अधिदेश देकर, उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया:–

(1) dkWy djus okys miHkksDrk ds [kkrs esa 1 #i;s ØsfMV djuk ¼ परंतु कॉल करने वाले उपभोक्ता के खाते में इस तरह का क्रेडिट एक दिन (00:00 बजे से 23:59 बजे तक) में तीन ड्रॉप हुई कॉल तक सीमित होगा।

(2) कॉल ड्रॉप होने के चार घंटे के अंदर कॉल करने वाले उपभोक्ता को एसएमएस/यूएसएसडी मैसेज द्वारा उसके खाते में क्रेडिट की गई राशि की सूचना देना; और

(3) पोस्ट–पेड उपभोक्ताओं के मामले में क्रेडिट का विवरण अगले बिल में उपलब्ध कराना होगा।

ये विनियम 1 जनवरी, 2016 से लागू हो गए हैं।

➤ 8 Qjojh] 2016 dk MsVk lsok ds fy, foHksndkjh fu"ks/k VSfjQ fofu;e] 2016

2.6.4 परामर्श प्रक्रिया शुरू करने के बाद, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 8 फरवरी, 2016 को डेटा सेवा के लिए विभेदकारी निषेध टैरिफ विनियम, 2016 जारी किया था, जिसमें अन्य के साथ–साथ निम्नलिखित अधिदेश दिए गए थे:–

(क) कोई भी सेवा प्रदाता कंटेंट के आधार पर डेटा सेवा के लिए विभेदकारी टैरिफ ऑफर या प्रभारित नहीं करेगा।

(ख) कोई भी सेवा प्रदाता स्वभाविक या कानूनी, किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यवस्था, करार या संविदा, चाहे जिस नाम से भी पुकारा जाएं, नहीं करेगा जिसका इस विनियम में निषेध से बचने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा ऑफर या प्रभारित किए जा रहे डेटा सेवा हेतु विभेदकारी टैरिफ का प्रभाव हों।

(ग) आपात सेवाएं एक्सेस करने या उपलब्ध कराने के लिए या पब्लिक इमरजेंसी के समय के घटे हुए टैरिफ को अनुमति दी गई है।

i|lkj.k vkj dcy Vhoh {k=

Ø- l-	fofu;ek dh lph
1.	14 सितंबर, 2015 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (नौंवा संशोधन) विनियम, 2015।
2.	14 सितंबर, 2015 का दूरसंचार (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2015।
3.	7 जनवरी, 2016 का दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) (छठा संशोधन) विनियम, 2016 ।
4.	16 मार्च, 2016 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) (सांतवां संशोधन) विनियम, 2016 ।

fofu;e

- 14 flrcj] 2015 dk njlpkj ¼i|lkj.k vkj dcy lok,½ vr%l;ktu ¼ukok l'kk/ku½ fofu;e] 2015A
- 14 flrcj] 2015 dk njlpkj ¼fMftVy ,Mslcy dcy Vyhfotu i.kkyh½ ¼ikpok l'kk/ku½ fofu;e] 2015A

2.6.5 भादूविप्रा ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टीवी सेवाओं के संबंध में 14 सितंबर, 2015 को अंतःसंयोजन विनियमों के लिए दो संशोधन अधिसूचित किए थे। इनमें से एक गैर–एड्रेसेबल प्रणाली द्वारा सेवा क्षेत्रों में एनॉलॉग केबल टीवी प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही टीवी सेवाओं पर लागू है और दूसरा डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली द्वारा सेवा क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जा रही टीवी सेवाओं पर लागू है। अंतःसंयोजन विनियम में किए गए ये संशोधन अन्य के साथ 'उपभोक्ता', 'साधारण उपभोक्ता' और 'वाणिज्यिक उपभोक्ता' की परिभाषा को भी बताते हैं।

- 7 tuojh] 2016 dk njlpkj ¼i|lkj.k ,o dcy lok,½ vr%l;ktu ¼fMftVy ,Mslcy dcy Vyhfotu i.kkyh½ ¼NBk l'kk/ku½ fofu;e] 2016

2.6.6 प्राधिकरण ने 7 जनवरी, 2016 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) (छठा संशोधन) विनियम, 2016 अधिसूचित किया था। सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत अंतःसंयोजन विवरण में प्राधिकरण ने देखा कि कई प्रसारकों द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) को और एमएसओ द्वारा स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) को वैध लिखित अंतःसंयोजन करारें के बिना टीवी चैनलों के सिगनल उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लगातार परस्पर वार्ताओं के कारण अक्सर विवाद पैदा होते हैं और कभी–कभी अचानक डिस्कनेक्शन हो जाता है, जिसका उपभोक्ताओं

को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है।

इस संशोधन के माध्यम से, प्राधिकरण ने यह अनिवार्य कर दिया है कि पे चैनलों का प्रसारक अपने पे चैनलों के पुनःप्रसारण के लिए एमएसओ के साथ लिखित में अंतःसंयोजन करार करेगा और करार करते समय मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों ने प्रसारकों को सब्सक्रिप्शन शुल्क का भुगतान कर दिया है या नहीं, इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। संशोधन में टीवी सिगनलों के पुनःप्रसारण के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच वर्तमान अंतःसंयोजन करार समाप्त होने से पहले नया अंतःसंयोजन करार करने के लिए पर्याप्त समय (कम से साठ दिन) दिया गया है। इस संशोधन के बाद, वर्तमान अंतःसंयोजन करार समाप्त होने पर टीवी सिगनल लगातार प्रावधान के लिए परस्पर वार्ता के कपट की कोई संभावना नहीं रह गई है।

एमएसओ को अधिदेश दिया गया था कि वो नया अंतःसंयोजन करार नहीं करने के मामले में, उपभोक्ता को वर्तमान अंतःसंयोजन करार समाप्त होने की तिथि और टीवी चैनलों के डिस्कनेक्शन की सूचना वर्तमान अंतःसंयोजन करार समाप्त होने से पन्द्रह दिन पहले देगा ताकि उपभोक्ता अपनी पसंद के संबंध में सही निर्णय ले सकें।

- **15 ekp] 2016 dk nj l pkj ¼i l kj.k vkj dcy l ok,½ vr%l ;k tu ¼fMf tVy ,M l cy dcy Vyhfo tu i.kkyh½ ¼l krok l 'kk/ku½ fofu;e] 2016**

2.6.7 भादूविप्रा ने 15 मार्च, 2016 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) (सातवां संशोधन) विनियम, 2016 (2016 का 3) जारी किया था, जिसमें डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली (डीएएस) के माध्यम से केबल टीवी सेवाओं के प्रावधान के लिए एमएसओ और एलसीओ के बीच हस्ताक्षरित होने वाले आदर्श अंतःसंयोजन करार (एमआईए) और स्टैंडर्ड अंतःसंयोजन करार (एसआईए) का फार्मेट निर्धारित किया गया है। प्राधिकरण का मानना है कि एमआईए और एसआईए का फार्मेट निर्धारित करने से क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त होगा और इसके परिणामस्वरूप एमएसओ और एलसीओ के बीच विवाद की घटनाएं कम होंगी, पक्षों को समान अवसर प्राप्त होंगे और क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे अंततः उपभोक्ताओं के लिए सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

2.7 वर्ष 2015–16 के दौरान, प्राधिकरण ने दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में निम्नलिखित टैरिफ आदेश जारी किए हैं:–

nj l pkj {k=

Ø- l-	vkn'kk dh l ph
1.	9 अप्रैल, 2015 का दूरसंचार टैरिफ (सोलहवां संशोधन) आदेश, 2015 ।

VfjQ vkns'k

➢ **9 vi;y] 2015 dk njlpkj VfjQ ¼lkygok l'kks/ku½ vkns'k] 2015**

2.7.1 प्राधिकरण ने राष्ट्रीय रोमिंग के लिए अधिकतम टैरिफ में पिछली बार संशोधन 17 जून, 2013 को दूरसंचार टैरिफ आदेश (55वां संशोधन) के माध्यम से किया था। हितधारकों की टिप्पणियों की जांच करने और विश्लेषण करने के बाद, प्राधिकरण ने 9 अप्रैल, 2015 को दूरसंचार टैरिफ (60वां संशोधन) आदेश, 2015 के माध्यम से राष्ट्रीय रोमिंग पर वॉयस कॉल और एसएमएस दिनांक के लिए अधिकतम टैरिफ में संशोधन किया है, जो 01.05.2015 से लागू हो गया है। इस संशोधन से राष्ट्रीय रोमिंग सेवा के टैरिफ संरचना में निम्नलिखित परवर्तिन किए गए हैं:–

en	VhVhvk ¼55oka l'kks/ku½] 2013 ds vuqlkj vf/kdre VfjQ	VhVhvk ¼60oka l'kks/ku½] 2015 ds vuqlkj vf/kdre VfjQ
आउटगोइंग लोकल वॉयस कॉल	1.00 रु. प्रति मिनट	0.80 रु. प्रति मिनट
आउटगोइंग लांग डिस्टेंश (इंटर–सर्किल) वॉयस कॉल	1.50 रु. प्रति मिनट	1.15 रु. प्रति मिनट
इनकमिंग वॉयस कॉल	0.75 रु. प्रति मिनट	0.45 रु. प्रति मिनट
आउटगोइंग लोकल एसएमएस	1.00 रु. प्रति एसएमएस	0.25 रु. प्रति एसएमएस
आउटगोइंग लांग डिस्टेंश (इंटर–सर्किल) एसएमएस	1.50 रु. प्रति एसएमएस	0.38 रु. प्रति एसएमएस

इस संशोधन आदेश के माध्यम से, भादूविप्रा ने आरटीपी और आरटीपी–एफआर उपलब्ध कराने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के लिए वर्तमान आदेश को समाप्त कर दिया है और दूरसंचार सेवा प्रदाता को अपने प्रीपेड और पोस्ट–पेड उपभोक्ताओं के लिए विशेष रोमिंग टैरिफ प्लान (एसआरटीपी) की पेशकश करने का आदेश दिया है। एसआरटीपी में राष्ट्रीय रोमिंग पर इनकमिंग वॉयस कॉल निशुल्क होंगी और फिक्स्ड प्रभार, यदि कोई हों, के भुगतान पर होंगी।

ilkj.k vkj dcy lok {k=

क्र. सं.	टैरिफ आदेशों की सूची
1	1 अप्रैल, 2015 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (सातवां) (डायरेक्ट–टु–होम सर्विस) टैरिफ आदेश, 2015।
2	8 सितंबर, 2015 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (पन्द्रहवा संशोधन) आदेश, 2015।
3	8 सितंबर, 2015 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ (पांचवा संशोधन) आदेश, 2015।
4	29 दिसंबर, 2015 का दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ (छठा संशोधन) आदेश, 2015।

VfjQ vkns'k

➢ 1 vi\y] 2015 dk njlpkj ¼ilkj.k vkj dcy½ lok,i ¼lkrok½ ¼Mk;jDV&V&gke lfol½ VfjQ vkns'k] 2015

2.7.2 भादूविप्रा ने 1 अप्रैल, 2015 को डीटीएच ऑपरेटरों पर लागू दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (सातवां) (डायरेक्ट–टु–होम सर्विस) टैरिफ आदेश, 2015 अधिसूचित किया था, जिसमें डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए गए उपभोक्ता परिसर उपस्कर (सीपीई) की वाणिज्यिक अंतरसक्रियता के लिए फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया है। इस टैरिफ आदेश की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:–

- डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा सभी किस्म के सीपीई के मूल्यों की घोषणा में पारदर्शिता ताकि उपभोक्ता सही विकल्प चुनने में समर्थ हो सकें।
- डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा स्थापना और एक्टीवेशन प्रभारों की पारदर्शी और अपफ्रंट घोषणा, जो 450 रुपए से अधिक नहीं होंगे।
- डीटीएच ऑपरेटरों को एकल आधार पर सभी प्रकार के सीपीई के लिए स्टैंडर्ड योजना के नाम से एकमुश्त खरीद योजना पेश करना अनिवार्य होगा।
- डीटीएच ऑपरेटर बंडल्ड योजना और रेंटल योजना के साथ अतिरिक्त योजनाओं की भी पेशकश कर सकते हैं।
- रेंटल योजना में डीटीएच ऑपरेटर नामांकन के दौरान उपभोक्ता से निर्दिष्ट एकबारगी ब्याजमुक्त वापसी योग्य प्रतिभूमि जमा राशि, स्थापना एवं एक्टीवेशन प्रभार ले सकता है और उसके बाद मासिक रेंटल प्रभार लेगा। ऐसे उपभोक्ताओं से कोई मरम्मत/अनुरक्षण प्रभार नहीं लिए जा सकते। डीटीएच ऑपरेटर स्थापना/एक्टीवेशन के बाद तीन साल तक सीपीई की मरम्मत और अनुरक्षण निशुल्क करेंगे। एकमुश्त खरीद और किराया खरीद योजना के मामले में डीटीएच ऑपरेटर वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद दौरा प्रभार ले सकते हैं, जो 250 रुपए, प्रति दौरा से अधिक नहीं होगा।
- उपभोक्ताओं के पास रेंटल योजनाओं को छोड़कर, बंडल्ड योजना सहित सभी योजनाओं में सीपीई के लिए खरीद–वापसी/रिफंड का विकल्प होगा। रेंटल योजना में उपभोक्ता को प्रतिभूमि जमाराशि वापस की जाएगी।
- डीटीएच ऑपरेटर प्रतिबद्ध बने रहने के लिए उपभोक्ताओं के लिए एक लॉक–इन अवधि निर्धारित कर सकते हैं, जो छह माह से अधिक नहीं होगी। उपभोक्ता कतिपय प्रभार, जो निर्दिष्ट किए गए हैं, चुकाने के अधीन कभी भी सीपीई को जमा करा सकते हैं।
- डीटीएच ऑपरेटरों को प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक संग्रहण केन्द्र स्थापित करना होगा, ताकि सीपीई की वापसी को आसान बनाया जा सकें। उपभोक्ताओं को कनेक्शन वापस करने का अनुरोध का पंजीकरण कराने के लिए एक टॉल फ्री टेलीफोन नंबर उपलब्ध कराया जाएगा।
- उपभोक्ता के पास निर्दिष्ट संग्रहण केन्द्र पर सीपीई को वापस करने का विकल्प चुनने के लिए 300 रुपए नाममात्र का संग्रहण प्रभार का भुगतान करके, सीपीई को वापस करने का विकल्प होगा।
- टैरिफ आदेश में निर्धारित प्रभार को छोड़कर, कोई और प्रभार डीटीएच ऑपरेटर द्वारा उपभोक्ताओं से नहीं लिया जा सकेगा।
- डीटीएच ऑपरेटर को अपनी वेबसाइट पर सभी वर्तमान योजनाओं और प्रत्येक योजना के प्रभार को घोषित करना होगा। उपभोक्ताओं को उनके द्वारा चुनी गई योजना का विवरण दिया जाएगा।

- डीटीएच ऑपरेटरों को अपनी कारोबार प्रक्रियाओं को इस टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए 60 दिन का समय दिया गया था।

➢ 8 fl rcj] 2015 dk nj lpkj ¼i lkj.k vkj dcy½ lok,a ¼n ljk½ VfjQ ¼iUngok l'kk/ku½ vkn'k] 2015 vkj

➢ 8 fl rcj] 2015 dk nj lpkj ¼i lkj.k vkj dcy½ lok,a ¼pkFkk½ ¼,M lcy i.kkyh½ VfjQ ¼ikpok l'kk/ku½ vkn'k] 2015

2.7.3 भादूविप्रा ने 8 सितंबर, 2015 को वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टीवी सेवाओं के संबंध में दो टैरिफ संशोधन आदेश अधिसूचित किए थे। एक आदेश गैर–एड्रेसेबल प्रणालियों द्वारा सेवा क्षेत्रों में एनॉलॉग केबल टीवी प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही टीवी सेवाओं पर लागू है जबकि दूसरा आदेश डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली द्वारा सेवा क्षेत्रों में एड्रेसेबल प्रणालियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही टीवी सेवाओं पर लागू है। इन टीएओ की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैः–.

- 'उपभोक्ता', 'साधारण उपभोक्ता' और 'वाणिज्यिक उपभोक्ता' को परिभाषित किया गया है।

- वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ के संबंध में थोक और खुदरा, दोनों स्तरों पर फोरबियरेंश निर्धारित किया गया है और प्रसारकों को वितरण प्लेफार्म ऑपरेटर (डीपीओ) और वाणिज्यिक उपभोक्ता, अगर ऐसा वांछित है, के साथ तीन पक्षीय करार करने का विकल्प दिया गया है।

- प्रसारकों के लिए अविभेदकारी नियम एवं शर्तों पर वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को अपने चैनल/चैनलों के समूह की पेशकश करने को अनिवार्य बनाया गया है।

- प्रसारक यदि वाणिज्यिक उपभोक्ता के साथ तीन पक्षीय करार करता है तो उसे ऐसा करार करने के 30 दिनों के अंदर इसे प्राधिकरण को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।

- डीपीओ द्वारा उपभोक्ताओं को "टेलीविजन चैनलों के अप–लिंकिंग/डाउनलिंकिंग हेतु नीतिगत दिशानिर्देशों" के अनुसार टीवी सिगनल उपलब्ध कराए जाएंगे।

भारतीय प्रसारण फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भादूविप्रा (अपील संख्या 7 (ग)/2014) के मामले में माननीय दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण (टीडीसेट) के दिनांक 9 मार्च, 2015 के आदेश के अनुसार, ये टैरिफ आदेश अधिसूचित किए गए थे। यह उम्मीद की गई थी कि वाणिज्यिक उपभोक्ताओं हेतु विनियामक फ्रेमवर्क में किए गए इन बदलावों के लागू होने से वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टीवी सेवाओं का वितरण सुगम हो जाएगा और ये उन्हें किफायती दामों पर उपलब्ध होंगी। यह भी आशा की गई थी इससे वैल्यू चेन में सभी हितधारकों के हितों के बीच संतुलन स्थापित होगा और व्यवसाय लेनदेनों में पूरी पादर्शिता आएगी।

➢ 29 fnl cj] 2015 dk nj lpkj ¼i lkj.k vkj dcy½ lok,a ¼pkFkk½ ¼,M lcy i.kkyh½ VfjQ ¼NBk l'kk/ku½ vkn'k] 2015

2.7.4 भादूविप्रा ने 29 दिसंबर, 2015 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ (छठा संशोधन) आदेश, 2015 (2015 का 6)

अधिसूचित किया था, जिसमें 'दोहरी शर्तें' निर्धारित की गई थी। इस टैरिफ आदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं:–

- उपभोक्ताओं के लिए असरदार विकल्प की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आसान 'दोहरी शर्तें' निर्धारित की गई, जिससे उपभोक्ता उचित मूल्य पर अ–ला–कार्टे आधार पर अपने मनपसंद चैनल चुन सकते हैं।
- प्लेटफार्म ऑपरेटरों की अपने प्लेटफार्म पर उपलब्ध सभी चैनलों की अ–ला–कार्टे दर पर अधिसूचित करने की आजादी बरकरार रहेगी। वे ऐसे अ–ला–कार्टे चैनलों वाले बुके हेतु कम दरें लागू करने के लिए, कभी भी चैनलों की अ–ला–कार्टे दरों को कम कर सकते हैं।
- प्लेटफार्म ऑपरेटरों को बुके में शामिल अ–ला–कार्टे चैनलों की दरों के योग के अधिकतम 66.66 प्रतिशत तक की छूट देकर चैनलों के आधुनिक और आकर्षक पैकेज/बुके बनाने या पेश करने की आजादी रहेगी।

2.8 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपने आदेशों/विनियमों के अनुपालन के लिए वर्ष 2015–16 के दौरान सेवा प्रदाताओं के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिनमें कुछ निम्नानुसार हैं:–

nj lpkj {k=

Ø- l-	funs'kksa dh lwph
1.	मोबाइल नंबर के स्वामित्व के संबंध में पोर्टिंग अनुरोध प्रपत्र में वचन लेने के लिए सभी एक्सेस प्रदाताओं के लिए 16 अप्रैल, 2015 के निर्देश।
2.	111 के उपयोग बंद करने के लिए मैसर्स वोडाफोन (आई) लि. के लिए 2 मार्च, 2015 के निर्देश में 7 मई, 2015 का दूसरा संशोधन।
3.	सीएमटीएस के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट एक्सल फार्मेट में इलेक्ट्रॉनिक फार्म में और लिखित में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित एकीकृत एक्सेस सेवा प्रदाताओं और सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में दिनांक 29 जुलाई, 2015 के निर्देश।
4.	मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड को आवंटित 900 मेगाहट्ज स्पेक्ट्रम के 11 दिसंबर, 2015 को समाप्त होने पर असम, बिहार, पूर्वोत्तर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में लाइसेंसप्राप्त सेवा क्षेत्रों में इसके द्वारा 900 मेगाहट्ज बैंड में सेवाएं बंद करने के संबंध में 11 दिसंबर, 2015 के निर्देश।
5.	नेटवर्क पैरामीटरों की वेब–सेवाओं के माध्यम से डेटा प्रस्तुत करने के लिए 13 जनवरी, 2016 के निर्देश।

funs'k

➢ eksckby uacj ds LokfeRo ds lca/k esa iksfVZax vuqjks/k i=k esa opu ysus ds fy, lHkh ,DlSl inkrkvksa ds fy, 16 vizSy] 2015 ds funs'k

2.8.1 प्राधिकरण के ध्यान में मोबाइल नंबर के एक सेवा प्रदाता से दूसरे सेवा प्रदाता के पास पोर्टिंग के बाद, मोबाइल नंबर के स्वामित्व के संबंध में विवाद आए हैं।

पोर्टिंग के अधीन वाले मोबाइल नंबर के स्वामित्व के सत्यापन की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, प्राधिकरण ने पोर्टिंग के समय उपभोक्ता से मोबाइल

नंबर के स्वामित्व का वचन पत्र लेने के संबंध में हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की थी। प्राधिकरण ने हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच की और पोर्टिंग हेतु अनुरोध प्रस्तुत करते समय उपभोक्ता से मोबाइल नंबर के स्वामित्व का वचन पत्र लेने को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया।

तदनुसार, प्राधिकरण ने सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को उनके पोर्टिंग अनुरोध पत्र में अपने मोबाइल नंबर की पोर्टिंग के इच्छुक उपभोक्ता से वचन लेने को शामिल करने का निर्देश दिया, जिसमें उपभोक्ता यह वचन देगा कि वह उक्त मोबाइल नंबर का स्वामी है और अगर उसका वचन असत्य पाया जाता है तो उक्त मोबाइल नंबर को बंद कर दिया जाएगा।

➢ **111 dk mi;kx cn djus ds fy, eSllZ okMkQksu ¼vkbZ½ fy- ds fy, 2 ekpZ] 2015 ds funsZ'k es 7 ebZ] 2015 dk nlsjk la'kks/ku**

2.8.2 दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय नंबरिंग प्लान–2003 जारी किया था, जिसमें नंबर–प्रीफिक्स 111 से 115 किसी भी तरह की सेवाओं के लिए जारी नहीं किए गए हैं और इन्हें 'स्पेयर' के रूप में रखा गया है।

प्राधिकरण ने 2 मार्च, 2015 के अपने निर्देश में मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड को लेवल '111'' का उपयोग बंद करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

बहरहाल, मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के अनुरोध पर और न्यूनतम उपभोक्ता असुविधा सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय–सीमा को पहली बार 30 अप्रैल, 2015 तक और फिर अंत में 31 जुलाई, 2015 तक के लिए बढ़ाया गया था। यह समय–सीमा क्रमशः 27 मार्च, 2015 और 7 मई, 2015 के संशोधन निर्देशों के माध्यम से बढ़ाई गई थी।

मैसर्स वोडफोन ने दिनांक 03 अगस्त, 2015 के पत्र द्वारा पुष्टि की है कि उन्होंने 1 अगस्त, 2015 से हेल्पलाइन सेवाओं के लिए लेवल '111' को बंद कर दिया है।

सीएमटीएस के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट एक्सल फार्मेट में इलेक्ट्रॉनिक फार्म में और लिखित में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित एकीकृत एक्सेस सेवा प्रदाताओं और सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में 29 जुलाई, 2015 के निर्देश।

2.8.3 भादूविप्रा ने इस निर्देश के माध्यम से सभी सेल्युलर टेलीफोन सेवा प्रदाताओं को चार महानगरों (जिलावार) सहित 42 शहरों के लिए पैरामीटर नेटवर्क की मासिक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत करने का अधिदेश दिया है।

➢ **eSllZ fjyk;Ul VsyhdkWe fyfeVsM dks vkofVr 900 eSxkgV~t LisDVªe ds 11 fnlEcj] 2015 dks lekIr gksus ij vle] fcgkj] iwoksZÙkj] vkfM'kk vkSj if'pe caxky esa ykbZlsal ikIr lsok {ks=kksa esa blds }kjk 900 eSxkgV~t cSaM esa lsok,sa cUn djus ds lEcU/k esa 11 fnlEcj] 2015 ds funsZ'kA**

2.8.4 मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (मैसर्स आरटीएल) ने प्राधिकरण को सूचित किया है कि लाइसेंसर द्वारा उसे आवंटित 900 मेगाहट्ज बैंड स्पेक्ट्रम असम, बिहार, पूर्वोत्तर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सेवा क्षेत्रों में 11 दिसंबर, 2015 को समाप्त हो रहा है। उन्होंने यह बताया था कि वे 2100 मेगाहट्ज बैंड पर अपनी सेवाएं देना जारी रखेंगे और उन्होंने अपने सभी उपभोक्ताओं को 900 मेगाहट्ज बैंड में अपनी सेवाएं बंद होने और 2100 मेगाहट्ज बैंड में सेवा चालू रखने के बारे में सूचना दे दी है और

इसके साथ उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि अगर वे मैसर्स आरटीएल के साथ 3जी सेवाएं जारी रखने के इच्छुक नहीं हैं तो वे दूसरे सेवा प्रदाता की सेवाएं ले सकते हैं।

मैसर्स आरटीएल ने यह भी कहा है कि सेवा क्षेत्र के लिए एक बार में एक मिलियन से अधिक यूपीसी जनरेट करना संभव नहीं है और बिहार के लिए तीन, पश्चिम बंगाल के लिए दो और ओडिशा के लिए एक अतिरिक्त ऑपरेटर कोड आवंटित करने का अनुरोध किया है ताकि वे अपने उपभोक्ताओं के लिए 11 दिसंबर, 2015 तक यूपीसी जनरेट करने में सक्षम हो सकें।

अतः प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के हितों में दिनांक 11 दिसंबर, 2015 के अपने निर्देश के माध्यम से निम्नलिखित निर्देश जारी किएः–

(क) मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड

- वर्तमान कोड के अलावा, अतिरिक्त यूपीसी सेवा प्रदाता कोड जनरेट करेगी।
- उन सभी उपभोक्ताओं के लिए यूनीक पोर्टिंग कोड जनरेट करना, जिन्होंने असम, बिहार, पूर्वोत्तर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सेवा क्षेत्रों में 3जी के लिए माइग्रेशन का विकल्प नहीं चुना है और ऐसे उपभोक्ताओं को तुरंत एसएमएस के माध्यम से यूपीसी सूचित करेगा; और
- इस निर्देश के जारी होने की तारीख से तीस दिनों तक पोर्टिंग के लिए इसके उपभोक्ताओं से प्राप्त सभी अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और 20 जनवरी, 2016 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ख) सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त यूपीसी को मान्यता देना।

(ग) सभी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता 11 जनवरी, 2016 के बाद, डोनर ऑपरेटर के रूप में मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड से संबंधित अतिरिक्त यूपीसी कोर्ड के संबंध में पोर्टिंग के अनुरोध स्वीकार नहीं करेंगे।

➢ uVod iSjkehVjk dh oc&lokvk d ek/;e l MkVk iLrqr djus d fy, 13 tuojh] 2016 d funs'k

2.8.5 यह निर्देश सेल्युलर सेवा प्रदाताओं के लिए भादूविप्रा को नेटवर्क पैरामीटरों के मास्टर सेल डेटा प्रस्तुत करने और निर्धारित फार्मेट में वेब सेवा के माध्यम से भादूविप्रा के टीसीसीएमएस पोर्टल में प्रतिदिन सेल नेटवर्क पैरामीटर डेटा अपलोड करने को अनिवार्य बनाता है। यह भादूविप्रा को नेटवर्क पैरामीटरों पर सूचना को शीघ्र एक्सेस करने में समर्थ बनाएगा।

izlkj.k vkSj dscy Vhoh {ks=

Ø- l-	funs'kksa dh lwph
1.	डीएएस क्षेत्रों में एमएसओ के लिए 4 नवंबर, 2015 के निर्देश।
2.	मैसर्स टीवी 18 ब्राडकॉस्ट लि., मैसर्स इऐंदू टेलीविजन प्रा. लि. और मैसर्स एपिक टेलीविजन नेटवर्क प्रा. लि. के लिए 30 दिसंबर, 2015 के निर्देश।
3.	टीवी स्क्रीनों पर पूर्ण या आंशिक 'ऑन स्क्रीन डिस्पले' मैसेजों के माध्यम से टीवी चैनलों के डिस्कनेक्शन या बंद होने या अनुपलब्धता का प्रदर्शन बंद करने के लिए प्रसारक टीवी सेवा प्रदाताओं के लिए 2 फरवरी, 2016 के निर्देश।
4.	एमएसओ के लिए 11 फरवरी, 2016 के निर्देश

funs’k

- ## Mh,,l {k=k e eYVh flLVe vkijsVjk ¼,e,lvk½ d fy, 4 uocj] 2015 d funs'k

2.8.6 भादूविप्रा ने केबल ऑपरेटरों को अंतःसंयोजन करारें की प्रति उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली (डीएएस) क्षेत्रों में एमएसओ के लिए भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत 4 नवंबर, 2015 को निर्देश जारी किए हैं।

- ## elll Vhoh 18 ckMdkLV fy-] elll b,n Vyhfotu ik- fy- vkj elll ,fid Vyhfotu uVod ik- fy- d fy, 30 fnlcj] 2015 d funs'k

2.8.7 प्राधिकरण ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत 30 दिसंबर, 2015 को मैसर्स टीवी 18 ब्राडकॉस्ट लि., मैसर्स इऐंदू टेलीविजन प्रा. लि. और मैसर्स एपिक टेलीविजन नेटवर्क प्रा. लि. के लिए निर्देश जारी किए थे, जिसमें उन्हें उपभोक्ताओं को पुनः प्रसारित करने के लिए अपने टीवी चैनलों के लिए सिगनल मांगने के लिए डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली (डीएएस) के माध्यम से केबल टीवी सेवा उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों से कतिपय दस्तावेज/सूचना (अर्थात अनुमति संबंधी दस्तावेज, डाक पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि) नहीं मांगने का निर्देश दिया गया था।

- ## Vhoh LØhuk ij i.k ;k vkf’kd ^vkWu LØhu fMLiy^ elstk d ek/;e l Vhoh puyk d fMLduD’ku ;k cn gku ;k vuiyC/krk dk in’ku cn dju d fy, ilkjd Vhoh lok inkrkvk d fy, 2 Qjojh] 2016 d funs'k

2.8.8 प्राधिकरण ने 2 फरवरी, 2016 को भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत टीवी स्क्रीनों पर पूर्ण या आंशिक 'ऑन स्क्रीन डिस्पले' मैसेजों के माध्यम से टीवी चैनलों के डिस्कनेक्शन या बंद होने या अनुपलब्धता का प्रदर्शन बंद करने के लिए सभी प्रसारकों, डीटीएच ऑपरेटरों, हिट्स ऑपरेटरों, आईपी–टीवी ऑपरेटरों और एमएसओ को निर्देश जारी किए थे।

- ## eYVh flLVe vkijsVjk ¼,e,lvk½ d fy, 11 Qjojh] 2016 d fy, funs'k

2.8.9 भादूविप्रा ने 11 फरवरी, 2016 को भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली के माध्यम से केबल टीवी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पंजीकृत सभी मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को उनकी वेबसाइटों पर उनके द्वारा पेश किए गए एसटीबी की आपूर्ति और स्थापना की विभिन्न योजनाओं से संबंधित सूचना को प्रमुखता से प्रचारित करने और उनकी वेबसाइट के यूआरएल लिंक देने का निर्देश दिया था, जिसमें उनके द्वारा प्राधिकरण को पेश की गई योजनाओं का विवरण दर्शाया गया हों।

2.9 सिफारिशों/विनियमों/दूरसंचार टैरिफ आदेशों के जारी होने के साथ समाप्त हुए परामर्श पत्रों के अलावा, वर्ष 2015–16 के दौरान, निम्नलिखित परामर्श पत्र भी जारी किए गए:–

nj lpkj {k=

Ø- l-	ijke’k i=k dh lph
1.	आईपी आधारित अंतःसंयोजन पर 27 नवंबर, 2015 का परामर्श पत्र।
2.	भारतनेट के लिए कार्यान्वयन मॉडल पर 17 नवंबर, 2015 का परामर्श पत्र।

ijke’k i=

➤ vkbih vk/kkfjr vr%l;ktu ij 27 uocj] 2015 dk ijke'k i=

2.9.1 कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने उल्लेख किया था कि आईपी टेक्नोलॉजी के लिए आसन्न बदलाव व्यापक रूप से स्वीकार होने की संभावना है, इसलिए आईपी टेक्नोलॉजी आधारित अंतःसंयोजन के लिए स्पष्टता प्रदान करने के लिए लाइसेंस की शर्तों में संशोधन करना अनिवार्य है। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने 'आईपी अंतःसंयोजन प्रभारों के विनियम' के संबंध में दिनांक 10 नवंबर, 2015 के अपने पत्र में उल्लेख किया है कि दूरसंचार उद्योग के लिए चिंता के विषयों में एक विषय सुगम आईपी अंतःसंयोजन सुनिश्चित करने के लिए आईपी स्तर पर अंतःसंयोजन के प्रतिबंध को हटाना है।

उपर्युक्त पर विचार करने के बाद, यह महसूस किया गया कि सभी संबंधित लाइसेंसों में उपबंधों को शामिल करने के लिए लाइसेंसर को उचित सिफारिशें जारी की जाएं कि लाइसेंसी भादूविप्रा द्वारा समय–समय पर जारी किए गए विनियमों/निर्देशों/निर्णयों के अनुपालन के अधीन लाइसेंसर द्वारा विनिर्दिष्ट आईपी आधारित नेटवर्क/या अन्य उभरती/नवीनतम टेक्नोलॉजी पर अंतःसंयोजन कर सकते हैं।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, 27 नवंबर, 2015 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया था।

➤ HkkjruV dk fy, dk;kUo;y ekMy ij 17 uocj] 2015 dk ijke'k i=

2.9.2 नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और बेहतर सुशासन देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न रूपों को एक साथ लाकर डिजिटल इंडिया की परिकल्पना की गई थी। ब्रॉडबैंड हाइवे की स्थापना डिजिटल इंडिया की दिशा में पहला स्तंभ है। इसलिए राष्ट्रीय ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) का पुनर्गठित संस्करण को समय पर शुरू करना बहुत जरूरी है। एनओएफएन का कार्यान्वयन योजनानुसार नहीं चल रहा था, भादूविप्रा ने 'ब्रॉडबैंड को तेजी से प्रदान करने' के लिए क्या करने की आवश्यकता है? पर 17 अप्रैल, 2015 को कतिपय सिफारिशें जारी की थी। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसने अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें परियोजना को तीन कार्यान्वयन मॉडलों के साथ भारतनेट को नया नाम देने की सिफारिश की है।

कार्यान्वयन के संबंध में कुछ प्रश्न उठाए गए थे और इसलिए प्राधिकरण ने एक और संभावित वैकल्पिक मॉडल – "बनाए–अपनाएं–चलाएं–हस्तांतरित करें" (बीओओटी) मॉडल की जांच की थी। प्राधिकरण ने भारतनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ मॉडल का पता लगाने के लिए योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक परामर्श पत्र तैयार किया था।

"एनओएफएन संबंधी समिति की रिपोर्ट" की सिफारिशों के अनुसार, परामर्श पत्र में विभिन्न कार्यान्वयन और नीतिगत मुद्दें उठाए गए।

çlkj.k ,o dcy Vhoh {k=

Ø- l-	ijke’k i= dh lph
1.	वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से संबंधित टैरिफ मुद्दों पर दिनांक 14 जुलाई 2015 का परामर्श पत्र ।
2.	मसौदा दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (चतुर्थ) (एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ (संशोधन) आदेश, 2015 पर परामर्श पत्र।

Ø- l-	ijke’k i= dh lph
3.	मसौदा मॉडल और मानक अंतःसंयोजन करार (एमएसआईए) पर दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 का परामर्श पत्र।
4.	टीवी सेवाओं से संबंधित टैरिफ मुद्दों पर दिनांक 29 जनवरी, 2016 का परामर्श पत्र।
5.	भारत में रेडियो श्रोताओं के मापन और रेटिंग से संबंधित मुद्दों पर दिनांक 15 मार्च, 2016 का परामर्श पत्र।
6.	अंतःसंयोजन करार का रजिस्टर (प्रसारण एवं केबल सेवा) विनियम, 2016 पर दिनांक 23 मार्च 2016 का परामर्श पत्र।

ijke’k i=

➢ okf.kfT;d miHkkDrkvk l lcf/kr VfjQ eík ij ijke'k i=

2.9.3 निम्नलिखित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियां/विचार आमंत्रित करते हुए, भादूविप्रा ने 14 जुलाई 2015 को वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से संबंधित टैरिफ मुद्दों पर परामर्श पत्र को जारी किया:–

(क) टीवी सेवाओं के उपभोक्ताओं को साधारण और वाणिज्यिक श्रेणियों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता की जांच करना।

(ख) ऐसे मामले में कि उपभोक्ताओं को ऐसी श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता है, तो:

(1) टीवी सेवाओं के उपभोक्ताओं के वर्गीकरण के लिए विभिन्न मानदण्डों की जांच करना।

(2) विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विभिन्न टैरिफ के लिए आवश्यकता की जांच करना।

(3) इस मुद्दे की जांच करना कि विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए कौन टैरिफ निर्धारित करेगा।

(4) पूरी मूल्य श्रृंखला में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए मूल्य श्रृंखला में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान संरचना की पर्याप्तता की जांच करना ताकि हितधारकों के बीच विवादों और संघर्षों को प्रभावी तरीके से कम किया जा सके।

➢ elkink njlpkj ¼çlkj.k ,o dcy½ lok,i ¼prFk½ ¼,Mlcy i.kkyh½ VfjQ ¼l'kkèku½ vkn'k] 2015 ij ijke'k i=

2.9.4 भादूविप्रा ने 20 सितम्बर 2013 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा (चतुर्थ) (एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2013, जारी किया था, जिसमें चैनलों के अ–ला–कार्टे की दरों को बुके दरों से लिंक करने के लिए टीवी प्रसारण सेवाओं के खुदरा स्तर मूल्य निर्धारण पर 'दोहरी शर्तों' को निर्धारित किया गया था। कुछ प्लेटफार्म ऑपरेटरों ने टैरिफ (द्वितीय संशोधन) आदेश दिनांक 20 सितम्बर 2013 में निर्धारित की गई 'दोहरी शर्तों' के कार्यान्वयन के बारे में चिन्ताओं को उठाया था और माननीय टीडीसेट के समक्ष एक अपील दायर की थी। माननीय टीडीसेट ने अपने आदेश दिनांक 13 जुलाई 2015 के माध्यम से अपील का निपटान यह कहते हुए किया कि प्राधिकरण अपीलकर्ताओं की चिन्ताओं पर विचार करेगा और आदेश की तारीख से चार महीने के अंदर मामले पर अन्तिम फैसला लेगा।

तदनुसार, सरलीकृत "दोहरी शर्तों" को प्रस्तावित करने वाले मसौदा दूरसंचार (प्रसारण एवम् केबल) सेवाएं (चतुर्थ) (एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ (संशोधन)

आदेश, 2015 को 30 सितम्बर, 2015 को भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

➤ elkink e,My vkj ekud vir%l;ktu djkj ¼,e,lvkÃ,½ fnukd 09 fnlEcj 2015 ij ijke'k i=

2.9.5 हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए, भादूविप्रा ने 9 दिसम्बर 2015 को एक मसौदा मॉडल और मानक अंतःसंयोजन करार (एमएसआईए) जारी किया। एमएसआईए में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली (डीएएस) के लिए उपलब्ध विनियामक फ्रेमवर्क के साथ अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य प्रावधान निहित थे। एमएसआईए को एमएसओ और एलसीओ के बीच विवादों की घटनाओं को कम करने और एमएसओ और एलसीओ को एक समान स्तर पर काम करने का क्षेत्र उपलब्ध कराने के लिए एक उद्देश्य के साथ तैयार किया गया था। मसौदा करार में, प्रत्येक पक्ष की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों और साथ ही अधिकारों और दायित्वों को भी अलग से सूचीबद्ध किया गया था।

➤ Vhoh lokvk d VfjQ eík d lc/k e fnukd 29 tuojh] 2016 dk ijke'k i=

2.9.6 भादूविप्रा ने 29 जनवरी 2016 को टीवी सेवाओं से संबंधित टैरिफ मुद्दों पर एक परामर्श पत्र जारी किया। यह परामर्श पत्र, प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न विकासों, मल्टी वितरण प्लेटफार्म के उद्भव, विकसित हो रहे व्यापार मॉडल, और संपूर्ण प्लेटफार्म में एड्रेसेबिलिटी की संवृद्धि के आलोक में क्षेत्र के विकास के लिए एक अनुकूल परिवेश तैयार करने का, एक प्रयास है। वर्तमान परामर्श पत्र के निम्न उद्देश्य ये थेः–

(1) थोक और खुदरा स्तर पर डिजिटल प्रसारण वितरण प्लेटफार्म (डीटीएच / केबल टीवी / एचआईटीएस / आईपीटीवी) में "टीवी प्रसारण सेवाओं" के एड्रेसेबल टीवी वितरण के लिए विद्यमान टैरिफ व्यवस्थाओं की एक समीक्षा करना और एक व्यापक टैरिफ संरचना विकसित करना।

(2) यह सुनिश्चित करना कि टैरिफ संरचना को सरल और युक्तिसंगत किया जाता है ताकि मूल्य श्रृंखला में पारदर्शिता और समानता को सुनिश्चित किया जा सके।

(3) यह सुनिश्चित करना कि उपभोक्ताओं के पास टीवी प्रसारण सेवाओं में पर्याप्त विकल्प है, जबकि वे तर्कहीन टैरिफ फ्रेमवर्क और मूल्य वृद्धियों के विरुद्ध संरक्षित भी हैं।

(4) टीवी क्षेत्र में निवेशों को प्रोत्साहित करना।

(5) विभिन्न शैलियों में अच्छी गुणवत्ता की सामग्री के उत्पादन को प्रोत्साहित करना।

इसके आगे, परामर्श पत्र में कवर किए गए प्रमुख मुद्दे निम्न प्रकार हैंः–

(क) थोक और खुदरा स्तरों पर टैरिफ मॉडल

(ख) चैनल के मूल्य निर्धारण की क्रियाविधि और कार्य–पद्धतियां

(ग) निशे चैनलों से संबंधित मुद्दे

(घ) हाई डेफिनिशन (एचडी) चैनल का मूल्य निर्धारण

(च) चैनल या बुके की सब्सक्रिप्शन की सरलता

(छ) इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) पर चैनल की दृश्यता

(ज) प्रति–कार्यक्रम देखने के लिए भुगतान और टैरिफ के विकल्प

(झ) चैनलों की विविधताएं

(ट) कैरिज, प्लेसमेंट और विपणन शुल्क

➤ Hkkjr e jfM;k Jkrkvk d ekiu vkj jÇVXk l lcf/kr eík ij fnukd 15 ekp] 2016 dk ijke'k i=

2.9.7 हितधारकों से विचार आमंत्रित करने के लिए, भादूविप्रा ने 15 मार्च 2016 को 'भारत में रेडियो

श्रोताओं के मापन और रेटिंग से संबंधित मुद्दों पर एक परामर्श पत्र जारी किया। वर्तमान परामर्श के उद्देश्य थे (1) रेडियो प्रसारण क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करना, (2) रेडियो श्रोताओं के मापन और रेटिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और (3) विविध और बेहतर गुणवत्ता की सामग्री को सुनिश्चित करना।

परामर्श पत्र में कवर किए गए प्रमुख मुद्दे हैं – रेडियो रेटिंग प्रणाली को विनियमित करने के लिए मॉडल, रेटिंग एजेंसी की मान्यता के लिए दिशानिर्देश, रेटिंग सेवाओं में प्रतिस्पर्धा, श्रोता के मापन के लिए कार्य–पद्धति, निजता, क्रॉस होल्डिंग, रेटिंग की बिक्री और उपयोग, रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं, प्रकटीकरण, गुणवत्ता एवं लेखापरीक्षा।

➢ vr%l;ktu djkj jftLVj ¼çlkj.k ,o dcy lok½ fofu;e] 2016 ij fnukd 23 ekp] 2016 dk ijke'k i=A

2.9.8 भादूविप्रा ने 23 मार्च 2016 को अंतःसंयोजन करार रजिस्टर (प्रसारण एवं केबल सेवा) विनियम, 2016 पर एक परामर्श पत्र जारी किया। अंतःसंयोजन विनियमों के रजिस्टर का मुख्य उद्देश्य सेवा प्रदाताओं के लिए एक रिपोर्टिंग प्रणाली की रूपरेखा तैयार करना है ताकि वे वाणिज्यिक विवरणों सहित, अंतःसंयोजन करार के विवरणों को प्राधिकरण को रिपोर्ट कर सकें। यह भादूविप्रा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अंतःसंयोजन के एक रजिस्टर का रख–रखाव करने के लिए प्राधिकरण को सक्षम बनायेगा। विद्यमान, विनियम पे टीवी चैनल के प्रसारकों, डीटीएच ऑपरेटरों, एचआईटीएस ऑपरेटरों और आईपीटीवी ऑपरेटरों के लिए, उनके बीच हस्ताक्षर किए गए अंतःसंयोजन करार से संबंधित सूचना को प्राधिकरण को सालाना रिपोर्ट करना अनिवार्य करता है। प्रक्रिया को सरल करने, रिपोर्ट के दोहराव से बचने और विभिन्न मुद्दों, जैसेकि रजिस्टर की सूचना तक अभिग्मयता पर अपने विचारों को सूत्रीकृत करने के लिए, प्राधिकरण ने परामर्श पत्र निकाला है। परामर्श पत्र में उठाए गए प्रमुख मुद्दे हैंः–

(1) किसी भी रुचि रखने वाले हितधारक को रजिस्टर की सूचना, वाणिज्यिक भाग सहित, की अभिग्मयता।

(2) वाणिज्यिक विवरणों के प्रकटन और इसके गैर–भेदभाव और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भूमिका से मुद्दे

(3) रिपार्टों की सटीकता कैसे सुनिश्चित की जाए

(4) रिपोर्टिंग की आवधिकता, प्रमाणीकरण, प्रपत्र और विधि पर सुझाव

Hkkjrh; nj lpkj fofu;ked çkfèkdj.k d dke dju vkj lpkyu dh leh{kk

2.10 निम्नलिखित के संबंध में नीतिगत फ्रेमवर्क के विशिष्ट सन्दर्भ में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के काम करने और संचालन की समीक्षा निम्नलिखित अनुच्छेद में की गई है (क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क, (ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार, (ग) बुनियादी और मूल्यवर्धित सेवा में निजी क्षेत्र का प्रवेश; (घ) सेवा प्रदाताओं के साथ तकनीकी संगतता और प्रभावी अंतःसंयोजन, (च) दूरसंचार प्रौद्योगिकी, (छ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन, (ज) सेवा की गुणवत्ता, और (झ) सार्वभौमिक सेवा का दायित्व, नीचे सविस्तार से दिया गया हैः–

¼d½ xkeh.k VyhQku uVodZ

2.10.1 कुल ग्रामीण उपभोक्ता आधार 31 मार्च, 2015 के 41.931 करोड़ से 31 मार्च 2016 को 44.917 करोड़ तक पहुंच गया है। कार्यनिष्पादन सूचक रिपोर्ट के

अनुसार, कुल उपभोक्ताओं में से, 42.42 प्रतिशत उपभोक्ता अब ग्रामीण क्षेत्रों में से हैं।

ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता आधार कम हो रहा है। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ता आधार, 31 मार्च 2015 के अंत में 51.2 लाख की तुलना में, 43.2 लाख पर था। कुल वायरलाइन उपभोक्ताओं में से 17.14 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

जबकि इसी अवधि के दौरान, ग्रामीण वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2015 की स्थिति में वायरलेस ग्रामीण बाजार 41.418 करोड की तुलना में 31 मार्च, 2016 को 44.484 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। कुल वायरलेस उपभोक्ताओं में से 43.04 प्रतिशत अब ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

¼[k½ VsyhQksu uSVodZ dk foLrkj

2.10.2 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार, कुल वायरलाइन उपभोक्ता आधार 2.522 करोड़ था। बीएसएनएल और एमटीएनएल के पास उपभोक्ता आधार में क्रमशः 58.52 प्रतिशत और 13.89 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी है, जबकि सभी छः निजी ऑपरेटरों के पास एक साथ 27.59 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, निजी ऑपरेटरों की हिस्सेदारी 24.93 प्रतिशत थी, जो 31 मार्च, 2016 को बढ़कर 27.59 प्रतिशत हो गई है, जिसने 2.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

वायरलेस उपभोक्ता आधार, 31 मार्च 2015 को 96.989 करोड़ की तुलना में, 31 मार्च, 2016 को 103.363 करोड़ पहुंच गया। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान, उपभोक्ता आधार में 6.374 करोड़ उपभोक्ताओं की वृद्धि हुई है। वायरलेस सेवाओं का कुल उपभोक्ता आधार, मार्च, 2011 कें 81.159 करोड़ से मार्च, 2016 में 103.363 करोड़ तक पहुच गया है। वित्त वर्ष 2015–16 की समाप्ति पर 103.363 करोड़ उपभोक्ताओं में से 98.954 करोड़ (95.73 प्रतिशत) जीएसएम उपभोक्ता थे और 4.409 करोड़ (4.27 प्रतिशत) सीडीएमए उपभोक्ता थे।

वायरलेस खण्ड में, जीएसएम का उपभोक्ता आधार, मार्च, 2016 के 91.773 करोड़ की तुलना में, मार्च, 2016 के अंत में 98.954 करोड़ था। वर्ष के दौरान, जीएसएम उपभोक्ता आधार में लगभग 7.181 करोड़ की वृद्धि हुई है।

जीएसएम सेवा उपभोक्ता आधार और बाजार हिस्सेदारी के अनुसार, 25.124 करोड़ उपभोक्ता आधार के साथ मैसर्स भारती सबसे बड़ा जीएसएम सेवा प्रदाता बना हुआ है, जिसके बाद क्रमशः 19.795 करोड़, 17.507 करोड़ और 8.709 करोड़ उपभोक्ता आधार के साथ, मैसर्स वोडाफोन, मैसर्स आइडिया, और मैसर्स एयरसेल है।

सीडीएमए उपभोक्ता आधार, 31 मार्च, 2015 के 5.216 करोड़ की तुलना में, 31 मार्च 2016 को 4.409 तक कम हुआ। सेल्युलर सीडीएमए सेवाओं में, वायरलेस उपभोक्ता आधार और बाजार हिस्सेदारी के अनुसार, 2.416 करोड़ उपभोक्ताओं के साथ मैसर्स रिलायंस सबसे बड़ा सीडीएमए ऑपरेटर बना हुआ हैं, जिसके बाद क्रमशः 1.109 करोड़ और 0.769 करोड़ के साथ मैसर्स टाटा और मैसर्स सिस्टमा हैं।

¼x½ cfu;knh vkSj ewY;ofèkZr lsok esa futh {ks= dk ços'k ykblsal

2.10.3 31 मार्च, 2016 को, नीचे दिए गए विवरणानुसार एकीकृत लाइसेंस के अन्तर्गत कुल 207 एक्सेस सेवा लाइसेंस/प्राधिकार हैं :–

ykblsal dk uke	ykblsal@izkfèkdkj dh la[;k
बुनियादी	2
यूएल	80
यूएल (एएस)	6
यूएएसएल	92
सीएमटीएस	27
कुल	**207**

स्रोत: डीओटी

¼?k½ lsok çnkrkvksa ds lkFk rduhdh laxrrk vkSj çHkkoh varj%la;kstu

2.10.4 भादूविप्रा अधिनियम के अन्तर्गत, प्राधिकरण को अंत:संयोजन की नियम और शर्तें निर्धारित करने और सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगतता और प्रभावी अंत:संयोजन को सुनिश्चित करने का अधिदेश है। अंत:संयोजन किसी मल्टी ऑपरेटर परिवेश में दूरसंचार कारोबार का केन्द्र बिंदु है। सेवा प्रदाताओं के बीच बराबरी को सुनिश्चित करने के लिए, अंत:संयोजन के नियम और शर्तों को विनियमित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, भादूविप्रा ने निम्नलिखित अंत:संयोजन शुल्क निर्धारित किए गए :–

¼1½ vkÃih vkèkkfjr varj%la;kstu ij fnukad 27 uoEcj] 2015 dk ijkeZ'k i=

कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने यह प्रस्तुत किया कि क्योंकि आईपी प्रौद्योगिकी की दिशा में आसन्न पारगमन व्यापक रूप से प्रत्याशित है, लाइसेंस शर्तों में संशोधन करना, आईपी प्रौद्योगिकी आधारित अंत:संयोजन के लिए स्पष्ट रूप से स्थान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। इसके आगे, दूरसंचार विभाग ने आईपी अंत:संयोजन शुल्कों का विनियम के बारे में अपने पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2015 के माध्यम से उल्लेख किया कि दूरसंचार उद्योग के लिए चिन्ता के मुद्दों में से एक है – निर्बाध आईपी अंत:संयोजन को सुनिश्चित करने के लिए आईपी स्तर पर अंत:संयोजन के प्रतिबन्ध को हटाना।

ऊपर की बातों पर विचार करते हुए, यह महसूस किया गया कि सभी प्रासंगिक लाइसेंस में इस प्रभाव के एक प्रावधान को शामिल करने के लिए उपयुक्त सिफारिशों को लाइसेंस प्रदाता को जारी किया जा सकता है, कि भादूविप्रा द्वारा समय–समय पर जारी किए गए विनियमों/दिशानिर्देशों/निर्धारणों आदि के अनुपालन के अन्तर्गत, लाइसेंसधारी आईपी आधारित नेटवर्क या लाइसेंस प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट की गई किसी भी अन्य उभरती हुए/नवीनतम प्रौद्योगिकी पर भी अंत:संयोजन कर सकते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 27 नवम्बर, 2015 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया।

¼2½ vkÃih bVjQsl ij varj%la;kstu ij fnukad 11 Qjojh] 2016 dh flQkfj'k

प्राधिकरण ने 30 जून, 2014 को : आईपी आधारित नेटवर्क से माइग्रेशन" पर एक परामर्श पत्र जारी किया था, जिसके बाद 02 दिसम्बर, 2014 को विषय पर एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई। परामर्श पत्र के उत्तर में, कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने यह प्रस्तुत किया कि क्योंकि आईपी आधारित नेटवर्क की दिशा में आसन्न पारगमन व्यापक रूप से प्रत्याशित है, अत: लाइसेंस शर्तों में संशोधन करना, आईपी आधारित अंत:संयोजन के लिए स्पष्ट रूप से स्थान प्रदान करने के लिए, आवश्यक है।

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 10 नवम्बर, 2015 के पत्र के माध्यम से, भादूविप्रा को यह भी लिखा था कि दूरसंचार उद्योग के लिए चिन्ता के मुद्दों में से एक है– निर्बाध आईपी अंत:संयोजन को सुनिश्चित करने के लिए आईपी स्तर पर अंत:संयोजन के प्रतिबन्ध को

हटाना। भादूविप्रा ने आईपी आधारित अंतःसंयोजन पर परामर्श पत्र", दिनांक 27 नवम्बर, 2015 के माध्यम से हितधारकों के साथ एक लघु परामर्श प्रारम्भ किया। विभिन्न शामिल मुद्दों का विश्लेषण करने और हितधारकों से प्राप्त हुई टिप्पणियों पर विचार करने के उपरांत, प्राधिकरण ने आईपी स्तर पर अंतःसंयोजन के लिए एकीकृत लाइसेंस में खण्ड 27.3 में संशोधन की सिफारिश की। यह सिफारिश भी की गई थी कि इस प्रभाव के समान संशोधन को अन्य लाइसेंस करारों में प्रासंगिक खण्डों में भी शामिल किया जा सकता है।

खण्ड 27.3 के लिए प्रस्तावित पाठ निम्नानुसार है:–

''अलग–अलग लाइसेंसधारियों के नेटवर्क के बीच अंतःसंयोजन, सर्किट स्विच्ड ट्रैफ़िक को ले जाने के लिए, सीसीएस संख्या–7 के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार और आईपी आधारित ट्रैफ़िक को ले जाने के लिए, टेलीकॉम इंजीनियरिंग केन्द्र (टीईसी) के मानकों के अनुसार होगा, जैसा समय–समय पर संशोधन किया गया है और नेटवर्क की तकनीकी व्यवहार्यता और तकनीकी अखण्डता के अन्तर्गत और समय–समय पर भादूविप्रा/लाइसेंस प्रदाता द्वारा जारी किए गए अंतःसंयोजन/विनियमों/दिशा–निर्देशों/आदेशों के कुल मिला कर फ्रेमवर्क के भीतर ही होगा। सर्किट स्विच्ड और आईपी आधारित नेटवर्क के बीच अन्तर–नेटवर्किंग के लिए, लाइसेंसधारी मीडिया गेटवे को स्थापित करेगा। इसके आगे, लाइसेंस प्रदाता लाइसेंसधारी को अंतःसंयोजन से संबंधित मुद्दों पर टीईसी द्वारा जारी किए गए किन्हीं भी अन्य तकनीकी मानकों को अपनाने के लिए निर्देशित कर सकता है।''

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 19 अप्रैल, 2016 के पत्र के माध्यम से आईपी इंटरफेस के ऊपर अंतःसंयोजन पर भादूविप्रा की सिफारिशों के अनुसार इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) नेटवर्क के ऊपर अंतःसंयोजन के लिए एकीकृत लाइसेंस में संशोधन की सूचनी दी है।

¼p½ njlapkj çk|kfxdh

¼1½ d,y M‚,i ij rduhdh i=

2.10.5 भादूविप्रा ने नवम्बर, 2015 के पहले सप्ताह में कॉल ड्रॉप पर तकनीकी पेपर को प्राधिकरण की वेबसाइट पर जारी किया था। यद्यपि प्राधिकरण, सेवा प्रदाताओं के सेवा की गुणवत्ता के विभिन्न पैरामीटरों की निगरानी करता आ रहा है, इन पैरामीटरों के संदर्भ में किया गया विश्लेषण, कॉल ड्रॉप के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारकों, कॉल ड्रॉप के विश्लेषण के लिए मॉडलिंग और विभिन्न चरणों, जिन्हें सेवा प्रदाता कॉल ड्रॉप में सुधार करने के लिए ले सकते हैं, पर इस तकनीकी पेपर में चर्चा की गई। तकनीकी पेपर कॉल ड्रॉप और दूरसंचार नेटवर्क पर इसके प्रभाव का एक व्यापक परिदृश्य देने का प्रयास करता है। सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के प्रदर्शन का विश्लेषण दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, सूरत, पुणे और भुवनेश्वर में स्वतन्त्र एजेंसियों के माध्यम से भादूविप्रा द्वारा आयोजित किए गए हाल के ड्राइव परीक्षणों पर भी आधारित हैं। तकनीकी पेपर में ड्राइव परीक्षणों के परिणामों का भी उल्लेख किया गया।

¼2½ vkoj&n&V‚i lsokvksa ij fofu;ked ÝseodZ

2.10.6 अपने विद्यमान रूप में, सार्वजनिक इंटरनेट में ऐसी सेवाओं की पूरी रेंज को ले जाने की क्षमता है, जो दूरसंचार सेवाओं के किसी उपभोक्ता को पहुंचाए जाने की आवश्यकता है। ओटीटी सेवा प्रदाता इंटरनेट के ऊपर ऑडियो, वीडियो और अन्य मीडिया को पहुंचाते हैं और पारम्परिक ऑपरेटर के नेटवर्क को बायपास करते हैं। क्योंकि, ओटीटी कंपनियों को ऐसी सेवाओं को प्रदान करने के लिए नेटवर्क ऑपरेटरों के साथ किन्हीं भी कारोबारों या प्रौद्योगिकी के लिंक की आवश्यकता नहीं होती

है, उन्हें प्रायः शब्द : ओवर–द–टॉप" (ओटीटी) एप्लीकेशनों द्वारा जाना जाता है। ओटीटी प्रदाता अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता के बुनियादी फ्रेमवर्क का उपयोग करते हैं और ऐसे उत्पादों/सेवाओं की पेशकश करते हैं, जिनसे न केवल उनके लिए धन आता है, परन्तु दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा पेशकश की गई पारम्परिक सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा भी करते हैं।

2.10.7 वर्ष 2014–15 के दौरान, हितधारकों को सभी प्रासंगिक मुद्दों पर एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया करने हेतु भादूविप्रा ने 27 मार्च, 2015 को ओवर–द–टॉप सेवाओं पर विनियामक फ्रेमवर्क' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। हितधारकों की टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां वर्ष 2015–16 में प्राप्त हुई और उन्हें भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

2.10.8 दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भादूविप्रा से ट्रैफिक प्रबन्धन सहित, नेट तटस्थता पर इसकी सिफारिश देने का अनुरोध किया है। यह भादूविप्रा में विचाराधीन है।

¼3½ nwjlapkj {ks= esa gfjr çkS|ksfxdh ij dk;kZUo;u

2.10.9 दूरसंचार क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी (आरईटी) की तैनाती के लिए रोडमैप, व्यापक कार्यक्रम और व्यवहार्यता अन्तराल वित्त–पोषण को विकसित करने के लिए, दूरसंचार विभाग ने अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के लिए कार्बन उत्सर्जन और लक्ष्य के अंशांकन को मापने की कार्यप्रणाली पर भादूविप्रा से सिफारिशें मांगी गईं है।

इस संबंध में, एक परामर्श पत्र तैयार किया जा रहा है।

¼4½ çkS|ksfxdh Mkbtsû dk çdk'ku

2.10.10 नई प्रौद्योगिकी को लगातार विकसित किया जा रहा है और यह अपने लागू करने को ऐसी तकनीकी प्रणालियों में पाती है, जो एक दूरसंचार नेटवर्क को बनाती हैं। हालांकि, दूरसंचार प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ क़दम मिलाए रखना अधिकांश दूरसंचार पेशेवरों के लिए कठिन हो जाता है। नए प्रौद्योगिकी रुझानों की पहचान करने और उन्हें उद्योग के साथ साझा करने के लिए, भादूविप्रा 'प्रौद्योगिकी डाइजेस्ट' नामक एक प्रौद्योगिकी बुलेटिन प्रकाशित कर रहा है, जो हर मुद्दे में एक प्रौद्योगिकी पहलु पर केन्द्रित होती है। वर्ष 2015–16 के दौरान, 'इंटरनेट ऑफ थीगिंस (आईओटी)' पर प्रौद्योगिकी डाइजेस्ट जारी किया गया।

¼5½ ,evkÃ,l ifj;kstuk

2.10.11 वर्ष 2014–15 के दौरान एमआईएस पोर्टल का शुरू किया गया था। पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक रूप में विभिन्न रिपोर्टों के एकत्रीकरण और डेटा विश्लेषण के प्रयोजन के लिए सभी प्रकार की रिपोर्टों और डेश बोर्ड उत्पन्न करने में सहायता करेगा। सेवा प्रदाताओं ने अपने नेटवर्क से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों को एमआईएस पोर्टल के माध्यम से जमा करना शुरू कर दिया है।

¼6½ ySu dk vixzsM'ku

2.10.12 लैन का नया सेटअप अब कार्यात्मक है। नए नेटवर्क में निम्नलिखित कार्यात्मकताएं हैं:–

- स्केलेबिलिटी – कोर स्विच 10जी और 1जी दोनों मॉड्यूल्स को होस्ट करने में सक्षम है।
- सुरक्षा– वीलैन्स और पोर्ट सुरक्षा को कनफिगर करके बहुस्तरीय सुरक्षा।
- नेटवर्क प्रबन्धन सॉफ्टवेयर के माध्यम से बेहतर नेटवर्क प्रबन्धन और समस्या निवारण।

¼N½ jk"Vªh; nwjlapkj uhfr dk dk;kZUo;u

2.10.13 'एक राष्ट्र–पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी" (एफएमएनपी) के बारे में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2012 में निहित प्रावधानों के साथ संगत में, भादूविप्रा

ने परामर्श प्रक्रिया और इसमें शामिल विभिन्न मुद्दों की जांच किए जाने के बाद, संपूर्ण लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में एफएमएनपी पर 25 सितम्बर, 2013 को अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। प्राधिकरण ने एमएनपी सेवा प्रदाताओं और मोबाइल सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस में संशोधनों का सुझाव दिया। तदनुसार, 3 नवम्बर, 2014 को डीओटी ने एमएनपी लाइसेंस करार में संशोधन(नों) जारी किए। डीओटी के अनुसार, पूर्ण एमएनपी को लाइसेंस में संशोधन की तारीख से 6 महीने की एक अवधि के अंदर अर्थात 3 मई, 2015 तक, देश में लागू किया जाना है। तदनुसार, प्राधिकरण ने दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 के लिए 6ठें संशोधन को 25 फरवरी, 2015 को जारी किया गया, जिसने 3 मई, 2015 से प्रभावी होते हुए, देश में पूर्ण एमएनपी (अखिल भारतीय पोर्टेबिलिटी) को सुविधा दी। इस संशोधन के माध्यम से अखिल भारतीय पोर्टेबिलिटी को सुविधा देने के अलावा, पोर्टिंग प्रक्रिया में कुछ बदलावों को भी किया गया है।

¼t½ lsok dh xq.koÙkk ¼D;wvks,l½

2.10.14 भादूविप्रा ने निम्नलिखित विनियमों के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता के विभिन्न पैरामीटरों के लिए बेंचमार्क स्थापित किए हैं:–

- बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम, 2009
- ब्रॉड सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता मानक विनियम, 2006।
- वायरलेस डेटा सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक विनियम, 2012।

2.10.15 बेंचमार्क के विरुद्ध, सेवा प्रदाताओं की सेवा की गुणवत्ता के प्रदर्शन का आकलन सेवा प्रदाताओं द्वारा जमा की गई अनुपालन रिपोर्ट के माध्यम से किया जाता है। अनुपालन रिपोर्ट को तिमाही आधार पर जमा किया जाता है। सेवा की गुणवत्ता के बेंचमार्क के साथ अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए और उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करने के लिए भादूविप्रा ने 8 नवम्बर, 2012 पर जारी किए गए द्वितीय संशोधन विनियम के माध्यम से सेवा प्रदाताओं को वित्तीय हतोत्साहनों लगाना शुरू किया। ये विनियम बेंचमार्क के साथ गैर–अनुपालन, अनुपालन रिपोर्ट को जमा करने में देरी और गलत रिपोर्टिंग के लिए वित्तीय हतोत्साहनों का प्रावधान करते हैं। बेंचमार्क के साथ गैर–अनुपालन के लिए वित्तीय हतोत्साहन प्रति पैरामीटर 50,000/–रुपए है। हालांकि नेटवर्क पैरामीटरों के लिए सेल्युलर मोबाइल सेवा के मामले में, दूसरे या बाद के गैर–अनुपालन के लिए वित्तीय हतोत्साहन प्रति पैरामीटर 1,00,000/– रुपए है एवं गलत रिपोर्टिंग के लिए, वित्तीय हतोत्साहन प्रति पैरामीटर 10,00,000/– रुपए है।

2.10.16 इस निरन्तरता में, प्राधिकरण ने दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 को बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक (चौथा संशोधन) विनियम, 2015 जारी किया, जो नेटवर्क और उपभोक्ता दोनों से संबंधित पैरामीटरों के लिए बेंचमार्क के गैर–अनुपालन के लिए सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं पर संशोधित वित्तीय हतोत्साहन को निर्धारित करता है। विनियम की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है:–

- एक तिमाही में बेंचमार्क के साथ पहले गैर–अनुपालन के लिए प्रति पैरामीटर एक लाख रुपए से अधिक नही,

- बाद की दो या और अधिक तिमाहियों में लगातार एक ही पैरामीटर के बेंचमार्क के साथ गैर–अनुपालन, दूसरे लगातार उल्लंघन के लिए डेढ़ लाख रुपए से अधिक नही और उसके बाद प्रत्येक लगातार उल्लंघन के लिए रुपए दो लाख रुपए से अधिक नहीं;

- बाद की किसी भी तिमाही में एक ही पैरामीटर के लिए बेंचमार्क के साथ गैर–अनुपालन, जो एक लगातार गैर–अनुपालन नहीं है, प्रति पैरामीटर एक लाख रुपए।

2.10.17 भादूविप्रा, स्वतन्त्र एजेंसियों के माध्यम से भी लेखापरीक्षा और सेवा की गुणवत्ता के आकलन करता है। लेखापरीक्षा के कार्य को ज़ोनल आधार पर मैसर्स सीएस डेटामेशन दक्षिण ज़ोन, उत्तरी ज़ोन के लिए मैसर्स फिलस्ट्रीम कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र में मैसर्स आईएमआरबी को लेखापरीक्षा और सेवा की गुणवत्ता आकलन का कार्य दिया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान, लेखापरीक्षा एजेंसियों द्वारा जमा की गई लेखापरीक्षा की रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया है और उसे सभी हितधारकों की सूचना के लिए भादूविप्रा की वेबसाइट में अपलोड किया गया। भादूविप्रा, स्वतंत्र एजेंसियों, सर्वेक्षणों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा के बारे में उपभोक्ता की धारणा का आकलन भी करता है और सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सभी हितधारकों की जानकारी के लिए भादूविप्रा की वेबसाइट पर भी जारी किया जाता है। ***सर्वेक्षणों के विवरण भाग–3 में दिए गए हैं।***

2.10.18 सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन हर तिमाही में सेवा प्रदाताओं द्वारा जमा की गई अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर और भादूविप्रा द्वारा अनुबंधित लेखापरीक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर भी किया जाता है। समय–समय पर रिपोर्ट, लेखापरीक्षा और स्वतन्त्र एजेंसियों के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता के आकलन के माध्यम से, सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन की करीबी निगरानी के माध्यम से, जहां भी सेवा की गुणवत्ता के बेंचमार्क को प्राप्त करने में कमियां ध्यान में आती हैं, भादूविप्रा, विभिन्न पैरामीटरों के लिए बेंचमार्क को प्राप्त करने में ऐसी कमियों का निस्तारण करने हेतु उसे सेवा प्रदाताओं के साथ उठाता है। इस संबंध में, भादूविप्रा में सेवा प्रदाताओं के साथ समय–समय पर विभिन्न बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठके मुख्यतः सेवा प्रदाताओं द्वारा निवारक कार्रवाई करने, सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने में केन्द्रित रही हैं। आगे, अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर, जहां भी बेंचमार्क के साथ गैर–अनुपालन पाया जाता है, वहां सेवा प्रदाता से स्पष्टीकरण मांगा जाता है और सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करके, गैर–अनुपालन की शोचनीयता, सेवा में सुधार लाने के लिए की गई कार्रवाई के आधार पर वित्तीय हतोत्साहन सेवा प्रदाताओं पर लगा दिया जाता है। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान क्यूओएस विनियमों के उल्लंघन के खाते में प्राप्त किए गए वित्तीय हतोत्साहन की कुल राशि 5.30 करोड़ रुपए थी। भादूविप्रा, सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा की गुणवत्ता के प्रदर्शन के बारे में जानकारी, स्वतन्त्र एजेंसियों द्वारा किए गए सेवा की गुणवत्ता की लेखापरीक्षा और आकलन के परिणामों और सेवा के बारे में उपभोक्ता की धारणा के बारे में स्वतन्त्र एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणामों को हितधारकों की जानकारी के लिए, भादूविप्रा की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाता है। सेवा की गुणवत्ता से संबंधित जानकारी का प्रकाशन, सेवा प्रदाताओं को सेवा की गुणवत्ता के प्रदर्शन में सुधार करने और भी बेंचमार्क को पूरा करने में आई कमियों का निस्तारण करने के लिए भी मजबूर करता आ रहा है।

2.10.19 वर्ष 2015–16 के दौरान, सेवा की गुणवत्ता के संबंध में हितधारकों के विचार आमंत्रित करने के लिए, भादूविप्रा ने दिनांक 29 अप्रैल 2015 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (आठवां संशोधन) विनियम, 2015 के मसौदा विनियम पर परामर्श पत्र जारी किया।

2.10.20 वर्ष 2015–16 के दौरान, भादूविप्रा ने सेवा की गुणवत्ता के संबंध में निम्नलिखित विनियम जारी किए:–

- दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (आठवां संशोधन) विनियम, 2015 (2015 का 5), दिनांक 7 अगस्त, 2015।
- बुनियादी टेलीफोन सेवा(वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के लिए की गुणवत्ता के मानक (चौथा संशोधन) विनियम, 2015, दिनांक 15 अक्टूबर 2015।

2.10.21 वर्ष 2015–16 के दौरान, भादूविप्रा ने सेवा की गुणवत्ता के संबंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश भी जारी किए:–

- दिनांक 29 जुलाई 2015 का दिशा–निर्देश सं 305–7/2015–क्यूओएस, सभी एकीकृत एक्सेस सेवा प्रदाताओं और सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं, बीएसएनएल और एमटीएनएल सहित को अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के बारे में, सीएमटीएस के लिए सेवा की गुणवत्ता के ऑपरेटर के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रारूप में लिखित रूप में और इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी अनुपालन रिपोर्ट को जमा करने के बारे में।
- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 (1997 का 24), की धारा–11 की उप–धारा (i) के उप खण्डों (i) और (v) या खण्ड (ख) के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत तथा दिनांक 20 मार्च, 2009 के बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम, 2009 (2009 का 7) के मानक के विनियम–9 के अनुसार नेटवर्क पैरामीटरों के डेटा को वेब सेवा के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 13 जनवरी 2016 का निर्देश ।

¼>½ lkoHkkfed lsok nkf;Ro

2.10.22 प्राधिकरण ने 1 अप्रैल, 2002 से पहले स्थापित किए गए ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों के लिए सहायता देने के संदर्भ में अपनी दिनांक 14 मई, 2012 की सिफारिश में कहा है कि 1 अप्रैल, 2002 से पहले स्थापित किए गए ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों के निर्वाह हेतु मैसर्स बीएसएनएल को दो वर्ष के लिए सहायता जारी रखी जा सकती है। पहले वर्ष के लिए सहायता राशि 1500 करोड़ रुपए और दूसरे वर्ष के लिए 1250 करोड़ रुपए हो सकती है।

¼1½ vU; xfrfof/k;k

miHkksDrk lEidZ dk;ZØe ¼lhvksih½

2.10.23 पूरे देश में उपभोक्ताओं तक पहुंचने के महत्व को देखते हुए, भादूविप्रा के पास अपनी वेबसाइट के माध्यम से और संपूर्ण देश में आयोजित किए गए उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से दूरसंचार के उपभोक्ताओं के साथ एक सार्वजनिक इंटरफेस है। वर्ष 2015–16 के दौरान, भादूविप्रा ने संपूर्ण देश में 93 उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें, प्रसारण एवं केबल सेवा (एमएसओ और एलसीओ के साथ परस्पर संवाद को शामिल करने वाले) पर 15 कार्यक्रम और जागरूकता पैदा करने और मोबाइल टावरों से ईएमएफ विकिरणों से स्वास्थ्य के सम्भव ख़तरों की आशंका को दूर करने के लिए 4 विशिष्ट कार्यक्रम शामिल थे। भादूविप्रा द्वारा राज्यवार आयोजित किए गए उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रमों की सूची नीचे दी गई है। उपभोक्ता समर्थक समूहों और उपभोक्ता जागरूकता क्षमता निर्माण के लिए 6 क्षेत्रीय कार्यशालाओं को इम्फाल, उदयपुर, विजयवाड़ा, रांची, इन्दौर और अमृतसर में

आयोजित किया गया। इन परस्पर संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से उपभोक्ताओं/उपभोक्ता समर्थक समूहों को उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करने के लिए भादूविप्रा द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

'kgj] tgk 2015&16 d nkjku Hkknfoçk d {k=h; dk;ky;k }kjk miHkkDrk lid dk;Øe dk vk;kftr fd, x,

Ø-l-	jkT;	LFkku
1	असम	सिलचर
2		जोरहाट
3		गुवाहाटी
4	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
5		नेल्लोर
6		विजयवाड़ा
7		तिरुपति
8	तेलंगाना	खम्मम
9	बिहार	आरा
10		पटना
11		हाजीपुर
12		बोधगया
13	छत्तीसगढ़	अम्बिकापुर
14	गोवा	गोवा
15	गुजरात	भरूच
16		अहमदाबाद
17		हिम्मतनगर
18		पोरबन्दर
19	हरियाणा	कैथल
20		रोहतक
21		गुडगांव
22		भिवानी
23	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू
24		धर्मशाला
25		शिमला
26		शिमला
27		पोंटा साहिब
28		मनाली
29	जम्मू–कश्मीर	लेह
30		जम्मू
31	झारखण्ड	रांची
32	कर्नाटक	कोलार
33		चित्रदुर्ग
34		बेलगाम
35		तुमकुर
36		बैंगलोर
37		माण्ड्या
38	केरल	एलेपी
39		त्रिवेन्द्रम
40		कोझिकोड
41		पलक्कड़
42	मध्य प्रदेश	राजगढ़
43		भोपाल
44		सीधी
45		सिवनी
46		छतरपुर
47		भोपाल
48		शिवपुरी
49		इन्दौर
50	महाराष्ट्र	नासिक
51		नागपुर
52		अहमदनगर
53		सोलापुर
54		पुणे
55		औरंगाबाद
56	मेघालय	शिलांग

Ø-l-	jkT;	LFkku
57	मणिपुर	इम्फाल
58	नगालैण्ड	दीमापुर
59	ओडिशा	कोरापुट
60		बेहरामपुर
61		भुवनेश्वर
62		केन्द्रपाड़ा
63		कटक
64		बारीपदा
65	पंजाब	पठानकोट
66		भटिण्डा
67		अमृतसर
68	राजस्थान	चित्तौड़गढ़
69		उदयपुर
70		बांसवाड़ा
71		जोधपुर
72		चुरू
73		सीकर
74	तमिलनाडु	कोयम्बटूर
75		नगरकोइल
76		चिदम्बरम
77		शिवकाशी
78	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी
79		अलीगढ़
80		मुजफ्फरनगर
81		वाराणसी
82		लखनऊ
83		गाजियाबाद
84		गोण्डा
85		बिजनौर
86	उत्तराखंड	नैनीताल
87	पश्चिम बंगाल	खड़गपुर
88		दार्जिलिंग
89		दुर्गापुर
90		दार्जिलिंग
91		हावड़ा
92		कोलकाता
93		पुरुलिया

miHkkDrk tkx:drk lkfgR; vkj ehfM;k vfHk;ku

2.10.24 भादूविप्रा ने उपभोक्ता समर्थक समूहों (सीएजी) के रूप में उपभोक्ता संगठनों के पंजीकरण के लिए एक प्रणाली स्थापित की है। वे उपभोक्ताओं, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और भादूविप्रा के बीच वार्ताकारों के रूप में कार्य करते हैं और उपभोक्ता जागरूकता में भादूविप्रा की सहायता करते हैं। वर्ष 2015–16 में, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न उपभोक्ता केन्द्रित मुद्दों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, भादूविप्रा ने निम्नलिखित उपभोक्ता जागरूकता सामग्री जारी कीः–

- अद्यतन की गई उपभोक्ता हैण्डबुक
- उपभोक्ताओं के लिए काम करना
- प्रसारण एवं केबल टीवी सेवाओं पर एफएक्यू
- मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों(एमएसओ)के लिए क्या करें और न करें
- स्थानीय केबल ऑपरेटरों(एलसीओ) के लिए क्या करें और न करें
- उपभोक्ताओं के प्रति स्थानीय केबल ऑपरेटरों हेतु क्या करें और न करें
- एक तथ्य शीट– मोबाइल टावर से ईएमएफ विकिरण

इन सामग्रियों को हिन्दी, अंग्रेजी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, उड़िया और असमिया) में

प्रकाशित किया गया है और उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाने के लिए निःशुल्क उपभोक्ताओं और पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूहों के बीच वितरित किया गया है।

भादूविप्रा ने उपभोक्ता हितों के अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक मीडिया अभियान जारी किया है और उपभोक्ताओं के बीच व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए संपूर्ण देश में हिन्दी, अंग्रेजी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में केबल टीवी सेवाओं के डिजिटलीकरण, मूल्यवर्धित सेवाओं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, ईएमएफ विकिरण एवं डेटा सेवाओं पर विज्ञापनों को प्रकाशित करवाया है।

miHkkDrk leFkd legk dk ithdj.k

2.10.25 भादूविप्रा प्रिण्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मीडिया अभियान सहित, शैक्षिक/प्रचार सामग्री के माध्यम से उनके अधिकारों और सेवा से संबंधित मुद्दों की उपभोक्ताओं की जागरूकता को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। भादूविप्रा के साथ पंजीकृत हुए उपभोक्ता समर्थक समूह(सीएजी) उपभोक्ता जागरूकता में भादूविप्रा की सहायता करने के लिए और उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा और प्रसार हेतु काम करने के लिए, भादूविप्रा की गतिविधियों के लिए उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाओं को समन्वय और मुखर करते हैं। वर्ष 2015–16 में, 38 उपभोक्ता समर्थक समूहों के पंजीकरण का पुनः नवीनीकरण दो और वर्ष के लिए किया गया है। इसके अलावा, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 14 नए उपभोक्ता समर्थक समूहों का पंजीकरण किया गया है, जिससे पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूहों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय उपभोक्ता समर्थक समूहों के साथ परस्पर संवाद, उनकी गतिविधियों का समन्वय कर रहे हैं और सेवा प्रदाताओं के साथ उपभोक्ताओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए उनकी सहायता कर रहे हैं। उपभोक्ता समर्थक समूह, उनके क्षेत्रों में आयोजित की गई उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम और कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

,evkÃ,l ifj;kstuk

2.10.26 एमआईएस परियोजना को 1 जनवरी 2014 को पायलट आधार पर आरंभ किया गया था। एमआईएस परियोजना की अवधारणा, भादूविप्रा द्वारा सेवा प्रदाताओं से विभिन्न रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रूप से प्राप्त करने में बनाई गई थी। परियोजना विभिन्न नियमित रिपोर्ट को आवश्यक रूप में स्वचालित रूप से उत्पन्न करने में भी सहायता करती है। विभिन्न डेश बोर्ड को उत्पन्न करना, जो सारांश जानकारी प्रदान कर सकते हैं, परियोजना में शामिल है। परियोजना इस प्रकार दक्षता और सटीकता में सुधार लाने में सभी हितधारकों की सहायता करती है। हितधारकों से प्राप्त हुए डेटा से आवश्यकतानुसार विशिष्टीकृत रिपोर्ट भी तैयार की जा सकती है। ऐसे विभिन्न मुद्दों का निस्तारण किया जा रहा है, जो पायलट चरण के दौरान आए थे।

vkèkkj vkèkkfjr Ã&dsokÃlh lsok dk viukus ds lcaèk esa fnukad 6 tuojh] 2016 dk lai"k.k

2.10.27 उपभोक्ता सत्यापन प्रणाली को ओर अधिक सुरक्षित और सुदृढ बनाने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से (छोर–से–छोर तक) प्रौद्योगिकी संचालित, डिजिटल और कागज–रहित होना चाहिए। आधार से लिंक–केवाईसी सेवा, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा प्रदान किया गया है, व्यक्ति की पहचान का सत्यापन स्वयं स्रोत से इलेक्ट्रॉनिक रूप से, पल भर में करने के लिए एक त्रुटि–मुक्त प्रणाली है। ई–केवाईसी सत्यापन न केवल पहचान की धोखाधड़ी और दस्तावेज़ की जालसाजी के जोखिम को कम करेगा, परन्तु यह उपभोक्ता सत्यापन की पूरी प्रक्रिया को कागज–रहित भी कर देगा। बायोमेट्रिक रीडर्स के माध्यम से आधार संख्या और बायोमेट्रिक

इनपुट् के आधार पर, उपभोक्ता के विवरण जैसेकि – नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर (यदि कोई है), लिंग और फोटोग्राफ को यूआईडीएआई सर्वर से एक्सेस किया जा सकता है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने दिनांक 6 जनवरी 2016 के एक पत्र के माध्यम से डीओटी को नए मोबाइल उपभोक्ताओं के डिजिटली हस्ताक्षरित, बायोमेट्रिक आधारित सत्यापन के लिए विद्यमान प्रक्रिया के लिए एक मान्य वैकल्पिक प्रक्रिया के रूप में, आधार आधारित ई–हस्ताक्षर के साथ ही साथ आधार आधारित ई–केवाईसी सेवा की स्वीकृति और अपनाने के लिए सिफारिश की है।

ijke'k

1 forj.k IyVQke vkijVjk ¼MhVh,p@,e,lvk@,ylhvk@,pvkÃVh,l@vkÃihVhoh½ byDV,fud miHkkDrk vkonu i= dk mi;kx dk fy, ¼Ã&lh,,Q½ dk fy, ijke'k

2.10.28 भादूविप्रा ने 05 फरवरी 2016 को टीवी प्रसारण सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले वितरण प्लेटफार्म ऑपरेटरों (डीपीओ) अर्थात् डीटीएच/एमएसओएस/एचआईटीएस/आईपीटीवी ऑपरेटरों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता आवेदन पत्र (ई–सीएएफ़) के उपयोग हेतु एक परामर्श पत्र जारी किया। उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने और उनका प्रबंधन करने में बढ़ाई हुई दक्षताओं की दिशा में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग को सक्षम करने के लिए, यह परामर्श पत्र भादूविप्रा द्वारा लिया गया एक सक्रिय उपाय है। टीवी सेवाएं लेने से पहले उपभोक्ता द्वारा सीएएफ को भरे जाने की आवश्यकता है। उसके बाद, सीएएफ में कैप्चर हुई सूचना का उपयोग उपभोक्ता द्वारा ली गई सेवाओं को प्रबंधित करने के लिए, डीपीओ की उपभोक्ता प्रबन्धन प्रणाली (एसएमएस) में स्थांतरण के लिए किया जाता है। वर्तमान में, कागज प्रारूप में सीएएफ का उपयोग प्रचलित है और जानकारी को एसएमएस में अद्यतन करने के लिए मैन्युअल प्रक्रिया का पालन किया जाता है। लाखों भौतिक सीएएफएस का प्रसंस्करण करने और उनके भंडारण के कारण परिचालनगत कठिनाइयां आती हैं। ई–सीएएफ़ को सरलता से एक्सेस और डीपीओ के एसएमएस के साथ एकीकृत किया जा सकता है, जिससे जानकारी को मैनुअल फीड करने की आवश्यकता नहीं रहती है। यह उपभोक्ताओं को सेवाएं लेने, उपभोक्ता संबंध में सुधार लाने और उनकी सदस्यता और सेवाओं के प्रबन्धन के लिए एक सरल पद्धति भी प्रदान करेगा। ई–सीएएफ उपभोक्ताओं को सेवाओं को प्रदान करने और प्रबंधन करने की प्रक्रिया में दक्षता लाएगा। यह लाखों सीएएफ के सरल भंडारण भी करेगा, जिसके परिणामस्वरूप परिचालनगत लागतें कम होंगी। ई–सीएएफ को अपनाना एक पर्यावरण अनुकूल उपाय है और इससे सभी हितधारकों को लाभ पहुंचाने की सम्भावना है।

2 fMftVy ,Mlcy ç.kkfy;k ¼Mh,,l½ dk ekè;e ls dcy Vhoh dk lok çnku djus okys ,e,lvk,l dk fy, ijke'k

2.10.29 भादूविप्रा ने 1 अक्टूबर, 2015 को डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों (डीएएस) के माध्यम से केबल टीवी सेवा प्रदान करने वाले एमएसओ के लिए दो परामर्श जारी किए। इन परामर्शों के द्वारा डीएएस के माध्यम से केबल टीवी सेवा प्रदान करने वाले सभी एमएसओ को उचित प्रक्रिया, जैसाकि भादूविप्रा द्वारा जारी किए गए विनियमों में स्थापित है, का पालन किए बिना, किसी भी चैनल को डी–ग्रेड करने या रोकने या स्विच ऑफ़ नहीं करने के लिए सुझाव दिया गया। उन्हें 24 घंटे के अंदर उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिये गये थे, जैसाकि दिनांक 14.05.2014 में सेवा गुणवत्ता विनियम में प्रावधान है। एमएसओ को सीधे प्राप्त हुई शिकायतों के अलावा,

उन्हें उनके लिंक एलसीओ के माध्यम से उपभोक्ताओं से प्राप्त हुई शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करने का सुझाव भी दिया गया था। एमएसओ को लिंक एलसीओ के माध्यम से प्राप्त हुई शिकायतों का पंजीकरण करने और उनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के लिए संप्रेषण की उचित प्रक्रियाओं को स्थापित करने की आवश्यकता है।

xfrfofèk;k ij fjikV

2.10.30 दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के विकास को बढ़ाने और साथ ही साथ उपभोक्ता हितों की संरक्षा के लिए गई की गई, पहलों के संदर्भ में हितधारकों को एक व्यापक दृष्टिकोण और बेहतर समझ प्रदान करने हेतु प्राधिकरण द्वारा 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक भादूविप्रा की गतिविधियों पर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई।

vUrjk"Vh; lc/k

2-10-31 f}i{kh; cBd

(1) श्री सुनील कान्ति बोस, अध्यक्ष, बांग्लादेश दूरसंचार विनियामक आयोग टीआरसी ने सदस्य, भादूविप्रा के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए 28 अगस्त, 2015 को भादूविप्रा का दौरा किया।

(2) अफगानिस्तान दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से 20 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने क्षमता निर्माण को सक्षम करने वाली आधारभूत विनियामक प्रक्रियाओं और नीतियों पर प्रशिक्षण के लिए 9 तथा 10 दिसम्बर, 2015 को भादूविप्रा का दौरा किया।

(3) श्री शोला टेलर, महासचिव, राष्ट्रमण्डल दूरसंचार संगठन(सीटीओ) ने सदस्य, भादूविप्रा के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए 12 फरवरी 2016 को भादूविप्रा का दौरा किया।

(4) बीआईसीएमए(भूटान इन्फोकॉम और मीडिया प्राधिकरण) से पांच सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने एक अटैचमेंट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 12 से 15 जनवरी, 2016 को भादूविप्रा का दौरा किया।

(5) डॉ सैयद इस्माइल शाह, अध्यक्ष, पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने अध्यक्ष, भादूविप्रा के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए 22 मार्च, 2016 को भादूविप्रा का दौरा किया।

le>krk Kkiu ¼,evk;½

2.10.32 भादूविप्रा ने 3 सितम्बर, 2015 को नई दिल्ली, भारत में यूएई के दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

Hkknfoçk }kjk estckuh fd, x, vUrjk"Vh; dk;Øe

(1) ग्रेटर नोएडा में 25 से 27 अगस्त, 2015 तक 16वीं दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद (एसएटीआरसी) की बैठक का आयोजन किया गया।

(2) नई दिल्ली में 21 से 23 मार्च 2016 तक 'उपभोक्ता संरक्षण' पर अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

çlkj.k {k= l lcf/kr vU; xfrfofèk;k

1. 'डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों' का अंग्रेजी और हिंदी संस्करण क्रमशः 07 अप्रैल, 2015 (अंग्रेजी संस्करण) और 16 अप्रैल 2015 (हिंदी संस्करण) पर भादूविप्रा की वेबसाइट पर अद्यतन और अपलोड किया गया।

2. 'डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियों (डीएएस) के उपभोक्ता/उपभोक्ताओं के संबंध में मल्टी प्रणाली ऑपरेटरों(एमएसओ) और स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के लिए क्या करें और न करें' के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों को भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

3. दिनांक 14 जुलाई, 2015 को 'प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं पर एफएक्यू हैण्डबुक को भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। हैण्डबुक

उपभोक्ताओं को प्रसारण एवं केबल टीवी सेवाओं से संबंधित प्रासंगिक विनियमों और आदेशों का एक सार प्रदान करती है। इस हैण्डबुक में आवरित मुख्य पहलुओं में शामिल हैं, कनेक्शन, डिसकनेक्शन, स्थानांतरण, शिफ़्टिंग, शिकायत निवारण और बिलिंग पहलुओं के लिए प्रक्रिया।

4. सेवा की गुणवत्ता मानक (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली) विनियम, 2012 और उपभोक्ता शिकायत निवारण (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली) विनियम, 2012 में निर्धारित किए गए विनियामक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एक पत्र 31 जुलाई, 2015 को 15 प्रमुख एमएसओ को जारी किया गया था। वे पत्र में बताई गई कमियों के लिए, उनके स्तर पर सुधारात्मक कार्रवाई को प्रारम्भ करके एवं साथ ही की गई कार्रवाई के विवरणों को प्राधिकरण को सूचित करने हेतु कहा गया।

5. 20 अगस्त, 2015 को एक पत्र ऐसे 179 एमएसओ को जारी किया गया था, जिन्हें डीएएस के चरण–1 और चरण–2 के कार्यान्वयन के बाद, एमआईबी द्वारा पंजीकरण दिया गया था। पत्र में एमएसओ को डीएएस के कार्यान्वयन से संबंधित भादूविप्रा द्वारा जारी किए गए सभी विनियमों/आदेशों/दिशा–निर्देशों को पढ़ने और पंजीकरण के संबंध में विनियामक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और साथ ही इस संबंध में निर्धारित प्रारूप में एक 'स्व–घोषणा' को जमा कराने के लिए कहा गया।

6. विभिन्न अवधियों के लिए समाचार और सशुल्क गैर–समाचार चैनलों में पीक समय के दौरान प्रति घंटा विज्ञापनों (वाणिज्यिक एवं स्वयं प्रचार) की औसत अवधि से संबंधित डेटा को समय–समय पर भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

7. विभिन्न परामर्श पत्रों पर खुला मंच चर्चाएं (ओएचडी) समय–समय पर आयोजित की गईं। खुला मंच चर्चा में प्रसारकों, केबल ऑपरेटरों, एमएसओएस, डीटीएच ऑपरेटरों और कई संघों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की।

8. दिनांक 28 सितम्बर, 2015 को डीएएस क्षेत्रों के चरण–1 और चरण–2 में प्रचालन करने वाले 114 एमएसओ को एक पत्र जारी किया गया। पत्र में स्वयं लेखापरीक्षा करने और प्रत्येक उपभोक्ता के साथ उनके उपभोक्ता प्रबन्धन प्रणाली में उपलब्ध डेटा को सत्यापित करके 30 दिन के अंदर भादूविप्रा को निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

9. भादूविप्रा द्वारा अधिसूचित किए गए विनियामक फ्रेमवर्क और चरण–3 के क्षेत्रों में डीएएस के कार्यान्वयन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, भादूविप्रा ने 11 सितम्बर, 2015 को शिमला में एमएसओ और एलसीओ के साथ परस्पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। परस्पर संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भागीदारी की।

10. भादूविप्रा ने जनहित में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली के क्रियान्वयन के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए देश के विभिन्न भागों में विज्ञापन जारी किए।

11. क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर द्वारा कालीकट, केरल में 1 दिसम्बर, 2015 को प्रसारण एवं केबल प्रणाली विषय पर एक उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भादूविप्रा द्वारा अधिसूचित किए गए विनियामक फ्रेमवर्क और उपभोक्ताओं के लिए सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में सेवा प्रदाताओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जानकारी दी गई।

12. 31 दिसम्बर, 2015 को 'डिजिटल युग में प्रवेश करने वाले शहरी क्षेत्रों के केबल टीवी सेवाओं की समाप्ति पर' पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। केबल या डीटीएच के माध्यम से टीवी चैनलों की प्राप्ति के लिए एक सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) की स्थापना के महत्व पर बल दिया गया।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण नियमित रूप से विभिन्न हितधारकों, जैसेकि सेवा प्रदाताओं, उनके संगठनों, उपभोक्ता समर्थक समूहों/उपभोक्ता संगठनों और क्षेत्र में अन्य विशेषज्ञों के साथ परस्पर संवाद करता है। इसने, परामर्श पत्रों के माध्यम से उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार आमंत्रित करने कि ऐसी प्रक्रिया विकसित की है, जो कि हितधारकों और आम जनता को उनके विचारों की पेशकश के द्वारा नीति निर्माण में भाग लेने के लिए अनुमति देता है।

nj lpkj foHkkx ¼MhvkVh½ d ikl yfEcr ç’kklfud] fofèkd vkj foÙkh; eí

रिपोर्ट में चर्चा किए गए विभिन्न मामलों के अलावा, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे निर्णय के लिए डीओटी के पास लम्बित हैं। निम्नलिखित पैराओं में ऐसे प्रशासनिक, विधिक और वित्तीय मुद्दों का विस्तार से उल्लेख किया है, जो कि डीओटी के पास लम्बित हैं:–

¼1½ Hkkjfoçk vfèkfu;e 1997 d l’kkèku d fy, çLrko

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ ही साथ दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने और दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करने के लिए स्थापित किया गया है। प्राधिकरण को इसके विनियामक कार्यों के निर्वहन में निर्देशों, विनियमों और आदेशों को जारी करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं, परन्तु इसके पास इसके द्वारा किए गए विनियामक उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दण्डात्मक कार्रवाई करने हेतु कोई भी शक्ति नहीं है। भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत इसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण ने वर्ष 2007 में भादूविप्रा अधिनियम में संशोधन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद, डीओटी के साथ निरंतर पत्राचार किया गया और कैबिनेट के लिए दो मसौदा टिप्पणी भी डीओटी द्वारा तैयार की गई थी, परन्तु प्रस्तावित संशोधनों को अभी तक नहीं किया गया है। हाल में, दिनांक 3 जून, 2016 के पत्र के माध्यम से, उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा हेतु और भादूविप्रा को दण्डात्मक शक्तियां प्रदान करने के लिए, उपर्युक्त प्रावधानों को भादूविप्रा अधिनियम में शामिल करने के संशोधनों के लिए, एक प्रस्ताव डीओटी को भेजा गया है। भादूविप्रा के अधिकारियों के साथ बैठकें भी आयोजित की गई, जिनकी अध्यक्षता सचिव, डीओटी ने की थी। फिर भी, पिछले दशक में हुई चर्चाओं के विभिन्न चक्रों के बावजूद भी अभी तक कुछ परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है।

¼2½ Hkkjfoçk ¼vfèkdkfj;k vkj deZpkfj;k d osru] HkÙk vkj lok dh vU; 'krs½ fu;e] 2002 dh vuqlwph&1 e l’kkèku

भादूविप्रा(अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2002 की अनुसूची–1 अभी भी 5वें वेतन आयोग के वेतनमान को दिखाती है, जबकि सरकार ने 6ठे वेतन आयोग और अब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को भी लागू कर दिया है।

सहायक लेखा अधिकारी और जूनियर लेखा अधिकारी के पदों, जिन्हें तकनीकी अधिकारी और अनुभाग अधिकारी के रूप में फिर से संशोधित किया गया था, को भादूविप्रा (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2002 की अनुसूची–1 से हटाया जाना है।

इसके आगे, दिनांक 15 जुलाई 2004 के पत्र संख्याः 10–2/2004–आरईएसटीजी के माध्यम से भादूविप्रा में पीसीएमओ और डिस्पेच राइडर के पदों के संचालन के लिए डीओटी ने सैद्धान्तिक मंजूरी दी थी। फिर भी, इन पदों को अभी तक कथित नियमों की अनुसूची–1 में शामिल नहीं किया गया है।

ऊपर के सभी परिवर्तनों को शामिल करने के लिए, प्राधिकरण, भादूविप्रा(अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2002 की अनुसूची–1 में संशोधन करने के लिए डीओटी से निरंतर अनुरोध कर रहा है।

¼3½ Hkknfoçk esa uÃ isa'ku ;kstuk ds fØ;kUo;u gsrq Hkkjrh; nwjlapkj fofu;ked çkf/kdj.k ¼va'knk;h Hkfo";fuf/k½ fu;e] 2003 esa la'kks/ku

भारत सरकार के निर्देशानुसार, 1 जनवरी, 2004 और उसके उपरांत सेवा में नियुक्त होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लागू है। प्राधिकरण में, जब तक भादूविप्रा सीपीएफ नियमों को डीओटी द्वारा संशोधित नहीं कर दिया जाता है तब तक नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लागू नहीं की जा सकती है क्योंकि कार्यकारी निर्देश वैधानिक प्रावधान लागू नहीं हो सकता है। डीओटी ने दिनांक 14 नवम्बर, 2013 के पत्र सं. 10/32/2011–आरईएसटीजी के माध्यम से भादूविप्रा सीपीएफ नियमों में संशोधन करने के लिए प्राधिकरण से सुझाव मांगे गए थे। भादूविप्रा ने दिनांक 5 मार्च, 2014 के पत्र संख्या 5–5/99–एएण्डपी (खंड–2) के माध्यम से भादूविप्रा (सीपीएफ) नियम, 2003 का मसौदा संशोधन डीओटी को भेजा है। प्रकरण, डीओटी में लंबित है।

¼4½ Hkknfoçk ds deZpkfj;ksa dks lsokfuo`fÙk mijkar fpfdRlk fgrykHk lqfo/kk iznku djuk

भादूविप्रा (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2002 की अनुसूची–2 के अनुसार भादूविप्रा के कर्मचारियों को चिकित्सा हितलाभ सुविधा देय है। डीओटी द्वारा दिए गए सुझावनुसार, भादूविप्रा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा हितलाभ सुविधा प्रदान करने हेतु सीएस (एमए) नियम, 1944 की तर्ज पर मसौदा चिकित्सा सुविधा नियमों को तैयार किया गया और प्राधिकरण के दिनांक 14 मार्च, 2014 पत्र संख्या 9–9/2007–एएण्डपी के माध्यम से डीओटी को भेजा गया है। प्रकरण, डीओटी में लम्बित है।

¼5½ çkf/kdj.k dks xzká vftZr vodk'k vkSj v)Z osru vodk'k ls lacaf/kr eqís

भादूविप्रा (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तो) नियम, 2000, दिनांक 26 जून, 2000 के द्वारा भादूविप्रा के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों की सेवा नियम और शर्तें शासित होती हैं। उक्त नियम के नियम–3 के अनुसार, भादूविप्रा के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, देय अर्जित अवकाश में से 50 प्रतिशत तक अर्जित अवकाश का नगदीकरण करा सकते हैं। 50 प्रतिशत की विद्यमान सीमा की बजाय, 100 प्रतिशत अर्जित अवकाश के नकदीकरण हेतु नियम में संशोधन करने का एक प्रस्ताव, दिनांक 17 अगस्त 2013 के पत्र संख्याः 2–सदस्य(1)/2012–एएण्डपी के द्वारा डीओटी को भेजा गया है।

इसके अतिरिक्त, कथित नियम, प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अर्द्ध वेतन अवकाश/परिवर्तित अवकाश देने की अनुमति नहीं देते हैं। प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अर्द्ध वेतन अवकाश/परिवर्तित अवकाश की अनुमति देने के लिए (जैसाकि केन्द्रीय सरकार के ग्रुप–ए के अधिकारियों के लिए उपलब्ध है), एक प्रस्ताव दिनांक 7 फरवरी 2014 के डीओ सं. 13–1/2014–एएण्डपी के माध्यम से डीओटी को भेजा गया है। मामला, डीओटी में लम्बित है।

¼6½ lfpo] Hkknfoçk ds in dks ,p,th$ esa vixzsM'ku

सचिव, भादूविप्रा का पद वर्तमान में एचएजी स्केल में है। उसे एचएजी+ वेतनमान (75,500/– रुपए वार्षिक वेतन वृद्धि 3 प्रतिशत– 80,000/– रुपए) में अपग्रेड करने का प्रस्ताव, दिनांक 28 जनवरी, 2015 के डी.ओ. सं. 1–5/2015–एएण्डपी के माध्यम से डीओटी को भेजा गया था। मामला, डीओटी में लम्बित है।

¼7½ ikf/kdj.k dk Hkknfoçk tujy QM dk ç'kklfud fu;U=.k nuk

डीओटी, भादूविप्रा द्वारा सेवा प्रदाताओं से एकत्र किए गए शुल्कों, प्रभारों और अर्थदण्डों को भादूविप्रा जनरल फंड में जमा करने के लिए बल दे रहा है, जिसका रख–रखाव वर्तमान में डीओटी द्वारा किया जाता है। 16 दिसम्बर, 2014 को प्राधिकरण के अनुमोदन से फंड के बेहतर प्रशासनिक और वित्तीय नियन्त्रण हेतु फंड का प्रशासनिक नियन्त्रण प्राधिकरण को देने का एक प्रस्ताव, डीओटी को भेजा गया था। नियमित रूप से अनुरोध किए जाने के उपरांत भी, मुद्दा डीओटी में लम्बित है।

डीओटी ने दिनांक 14 अगस्त, 2015 के पत्र द्वारा यह सूचित किया गया है कि उक्त प्रस्ताव एक नीतिगत मामला है और यह जांचाधीन है। भादूविप्रा के प्रस्ताव पर निर्णय के लम्बित रहते हुए, डीओटी ने भादूविप्रा के पास पड़ी हुई राशि को भादूविप्रा जनरल फंड में जमा करने हेतु पीएओ एचक्यू, डीओटी को भेजने का निर्देश दिया है, जो कि डीओटी के दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 के पत्र द्वारा जारी विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार है, जोकि अन्य बातों के साथ ही साथ शुल्क आदि की राशियों को भादूविप्रा जनरल फंड को क्रेडिट करने के लिए प्रावधान करता है।

डीओटी की हठ और साथ ही मामले को डीओटी के डीएआर में शामिल किए जाने के कारण, प्राधिकरण ने 49,90,67,155/–रुपए (शुल्क, वित्तीय हतोत्साहन आदि) की राशि, जो कि भादूविप्रा के चारों खातों में जमा है (31/03/2016 की स्थिति के अनुसार), को भादूविप्रा जनरल फंड को भेजने का निर्णय लिया है।

भादूविप्रा जनरल फंड का प्रशासनिक नियन्त्रण, प्राधिकरण को देने का प्रस्ताव अभी भी डीओटी में लंबित है।

अध्यक्ष, भादूविप्रा दिनांक 18 दिसंबर, 2015 को भारत नेट क्रियान्वयन पर आयोजित खुला मंच चर्चा के उपरांत मीडिया से परस्पर संवाद करते हुए।

श्री सुनील कुमार गुप्ता, प्रधान सलाहकार दिनांक 11 दिसंबर, 2015 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवा) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) पर आयोजित खुला मंच चर्चा में प्रतिभागियों से संवाद करते हुए। मंच में (बाएं से दाएं) श्री सुनील कुमार सिंघल, सलाहकार, श्री राम सेवक शर्मा, अध्यक्ष भादूविप्रा तथा श्री सुधीर गुप्ता, सचिव, भादूविप्रा।

दिनांक 21 जनवरी, 2016 को डेटा सेवाओं के लिए विभेदकारी मूल्य पर आयोजित खुला मंच चर्चा के दौरान मंच में (दाएं से बाएं) श्री सुधीर गुप्ता, सचिव, भादूविप्रा, श्री अनिल कौशल, सदस्य, भादूविप्रा, श्री राम सेवक शर्मा, अध्यक्ष भादूविप्रा, डॉ0 विजयलक्ष्मी के गुप्ता, सदस्य, भादूविप्रा तथा श्री एस0 के0 मिश्रा, प्रधान सलाहकार।

अध्यक्ष, भादूविप्रा, दिनांक 4 जनवरी, 2016 को स्पेक्ट्रम के मूल्यांकन एवं आरक्षित मूल्य पर आयोजित खुला मंच चर्चा के दौरान प्रतिभागियों से संवाद करते हुए। मंच में (बाएं से दाएं) श्री संजीव बंज़ल, सलाहकार, श्री सुधीर गुप्ता, सचिव, भादूविप्रा, श्री अनिल कौशल, सदस्य, डॉ0 विजयलक्ष्मी के गुप्ता, सदस्य, भादूविप्रा तथा श्रीमती विनोद कोतवाल, सलाहकार ।

Hkkx&3

Hkkjrh; nj lapkj fofu;ked izkf/kdj.k vf/kfu;e dh /kkjk 11 esa fofufnZ"V fo"k;ksa ds lac/k esa Hkkjrh; nj lapkj fofu;ked izkf/kdj.k ds dk;Z

Hkkjrh; nwjlapkj fofu;ked izkf/kdj.k vfèkfu;e dh /kkjk 11 esa fofufnZ"V fo"k;ksa ds lac/k esa izkf/kdj.k ds dk;Z

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997, यथा संशोधित, की धारा 11 में प्रावधान किया गया है कि:–

(1) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद, प्राधिकरण के निम्न कार्य होंगे––

(क) संस्तुति करना, स्वतः अथवा लाइसेंसदाता से अनुरोध पर, निम्नलिखित मामलों पर, नामतः:–

(1) नए सेवा प्रदाता के प्रवेश हेतु आवश्यकता और समय निर्धारण;

(2) सेवा प्रदाता को लाइसेंस के नियम और शर्तें;

(3) लाइसेंस के नियम और शर्तों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस निरस्तीकरण;

(4) दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा सुकर बनाने तथा दक्षता के प्रोत्साहन हेतु उपाय करना, ताकि इन सेवाओं का विकास सुसाध्य बनाया जा सके;

(5) सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सुधार करना;

(6) नेटवर्क में प्रयुक्त उपकरणों के निरीक्षण के उपरान्त सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का प्रकार निर्धारित करना;

(7) दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास तथा ऐसे अन्य मामलों हेतु उपाय करना, जो साधारण रूप में दूरसंचार उद्योग से संबद्ध करने योग्य है;

(8) उपलब्ध स्पेक्ट्रम का दक्षतापूर्ण प्रबंधन;

(ख) निम्नलिखित कार्यदायित्वों का निर्वहन, नामतः :–

(1) लाइसेंस के नियम एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2000 लागू होने से पहले स्वीकृत लाइसेंस के नियम एवं शर्तों में कुछ

भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद सेवा प्रदाताओं के बीच अंत:संयोजन के नियम एवं शर्तें निर्धारित करना;

(3) तकनीकी समायोजनीयता तथा भिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच कारगर अंत:संयोजन सुनिश्चित करना;

(4) दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने से व्युत्पन्न राजस्व में सेवा प्रदाताओं के मध्य उनकी हिस्सेदारी के लिए व्यवस्था विनियमित करना;

(5) सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा की गुणवत्ता निर्धारित करना तथा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का आवधिक सर्वेक्षण संचालित करना ताकि दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं का हित संरक्षित किया जा सके;

(6) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार के स्थानीय और लम्बी दूरी के परिपथ उपलब्ध कराने हेतु समय अवधि निर्धारित और सुनिश्चित करना;

(7) अंत:संयोजन अनुबंधों तथा ऐसे सभी मामलों का रजिस्टर तैयार करना, जिनका प्रावधान विनियमों में किया गया है;

(8) खंड (7) के तहत अनुरक्षित रजिस्टर, जनता के किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए, उसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान तथा विनियमों में दी गई व्यवस्था का अनुपालन करने पर, उपलब्ध रखना;

(9) सर्वसामान्य सेवा दायित्वों का कारगर अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ग) शुल्क तथा अन्य प्रभार ऐसी दरों पर तथा ऐसी सेवाओं के संबंध में वसूल करना जैसाकि विनियम में निर्धारित किया गया है;

(घ) ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करना, जिनमें केन्द्र सरकार द्वारा इसको सौंपे गए प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्य अथवा इस अधिनियम के प्रावधानो के लागू करने हेतु आवश्यक कार्य शामिल हैं:

बशर्ते यह है कि इस उप–धारा के खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण की संस्तुतियां केन्द्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगी।

बशर्ते यह भी है कि केन्द्र सरकार सेवा प्रदाता को जारी करने हेतु नए लाइसेंस के संबंध में इस उप–धारा के खंड (क) और उप–खंड (1) एवं (2) में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में प्राधिकरण की संस्तुतियां मांगेगी तथा प्राधिकरण अपनी संस्तुतियां सरकार द्वारा संस्तुतियां मांगे जाने की तिथि से साठ दिन के अंदर अग्रसरित करेगा :

बशर्ते यह भी है कि प्राधिकरण, केन्द्र सरकार से ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है, जो इस उप–धारा के खंड (क) और उप–खंड (1) एवं (2) के अधीन संस्तुतियां करने हेतु आवश्यक है तथा कि सरकार ऐसी सूचना उस हेतु अनुरोध की प्राप्ति से सात दिन की अवधि के अंदर उपलब्ध कराएगी:

बशर्ते यह भी है कि केन्द्र सरकार सेवा प्रदाता को लाइसेंस जारी कर सकती है, यदि द्वितीय परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि अथवा केन्द्र सरकार और प्राधिकरण के बीच परस्पर सहमति के आधार पर निर्धारित अवधि के अंदर कोई संस्तुति प्राप्त नहीं होती है :

बशर्ते यह भी है कि यदि केन्द्र सरकार प्राधिकरण की संस्तुति पर विचार किए जाने के बाद प्रथम दृष्टया निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्राधिकरण की संस्तुति स्वीकार नहीं की जा सकती है अथवा कि उसमें संशोधन की आवश्यकता है, यह संस्तुति प्राधिकरण द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगी तथा प्राधिकरण, पुनर्विचार

अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिन के अंदर, सरकार द्वारा संदर्भित पुनर्विचार के उपरांत अपनी संस्तुति केन्द्र सरकार को अग्रसरित करेगा। केन्द्र सरकार अतिरिक्त संस्तुति, यदि कोई, की प्राप्ति के पश्चात अंतिम निर्णय करेगी।

(2) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद, प्राधिकरण, समय–समय पर, आदेश द्वारा, सरकारी राजपत्र में दरें अनुसूचित कर सकता है, जिन पर इस अधिनियम के अधीन भारत के अंदर और भारत से बाहर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इनमें वे दर शामिल हैं, जिन पर भारत से बाहर किसी देश को संदेश संचारित किया जा सकता है :

बशर्ते यह है कि प्राधिकरण, समान प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए भिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग हेतु भिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है तथा जहां उपरोक्तानुसार भिन्न दरें निर्धारित की जाती हैं, प्राधिकरण उसके लिए कारण अभिलेखबद्ध करेगा।

(3) प्राधिकरण उप–धारा (1) तथा उप–धारा (2) के अधीन अपने कार्यदायित्वों का निर्वहन करते समय भारत की सम्प्रभुता तथा अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता अथवा नैतिकता के हितविरूद्ध कार्य नहीं करेगा।

(4) प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय तथा अपने कार्यदायित्वों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

3. प्राधिकरण ने, उद्योग का विकास सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं के हित संरक्षित करने के उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुसरण में, स्वतः स्फूर्त विधि में अथवा सरकार द्वारा इसके विचारार्थ प्रेषित मामलों पर अनेक संस्तुतियां की हैं, अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न विनियम अधिसूचित किए हैं, लाइसेंस के नियम एवं शर्तें लागू करने हेतु कार्रवाई की है; तथा अन्य अनेक मुद्दों पर कार्य आरंभ किया है। विभिन्न संस्तुति संबंधी तथा विनियामक कार्यों के निर्वहन द्वारा भादूविप्रा ने उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि तथा पूरे देश में दूरसंचार सेवा प्रदायक नेटवर्क उपलब्ध कराने के रूप में दूरसंचार सेवाओं के विकास में अपना योगदान दिया है। इन निरंतर उपायों के परिणामस्वरूप उपभोक्ता, सेवाओं के विकल्प, दूरसंचार सेवा की घटी दरों, सेवा की बेहतर गुणवत्ता इत्यादि के रूप में समग्र रूप से लाभान्वित हुए हैं। प्राधिकरण द्वारा, भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 में विभिन्न मामलों के संबंध में निष्पादित कुछ विशिष्ट कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है।

d½ nj lapkj nj] Hkkjr d vnj vkj Hkkjr l ckgj nkuk d fy,] ftue Hkkjr l ckgj fdlh n'k dk ln'k lpkfjr dju gr nj 'kkfey gA

3.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम,1997 भादूविप्रा (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित की धारा 11(2), प्राधिकरण को सरकारी राजपत्र में वे दरें अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करती हैं, जिन पर भारत के अंदर और भारत से बाहर दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाएंगी, इनमें वे दरें शामिल हैं, जिन पर भारत से बाहर किसी देश को संदेश संचारित किया जा सकता है। इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि प्राधिकरण समान प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए भिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग हेतु भिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है। विभिन्न सेवाओं हेतु लागू टैरिफ व्यवस्था विनिर्दिष्ट करने के अतिरिक्त, भादूविप्रा से यह भी सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि बाजार में विद्यमान टैरिफ विनिर्दिष्ट टैरिफ व्यवस्था के अनुरूप हैं। इस प्रयोजन हेतु, प्राधिकरण सेवा प्रदाताओं द्वारा विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए वसूल की जा रही दरों

की निगरानी भी करता है। इसके अतिरिक्त, भुगतान चैनलों के लिए तथा केबल सेवाओं के लिए दरें तय करने हेतु मानदंड निर्धारित करने का कार्य भी भादूविप्रा को सौंपा गया है। भादूविप्रा द्वारा 2014–15 के दौरान दूरसंचार सेक्टर तथा प्रसारण एवं केबल सेक्टर में की गई कार्रवाई की चर्चा अगले पैराग्राफों में की गई है।

3.1.1 भादूविप्रा, टैरिफ विनियम द्वारा उपभोक्ता हितों की संरक्षा करता है। टैरिफ विनियम, उपभोक्ताओं को टैरिफ पेशकश में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा जहां, बाजार यथेष्ट दरें प्रदान नहीं कर रहा है, वहां टैरिफ प्रभार तय किए जाने के रूप में होता है। दूरसंचार सेक्टर में निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं :–

¼d½ MVk lok d fy, foHkndkjh VfjQ dk fu"k/k fofu;e] 2016 fnukd 08 Qjojh] 2016

परामर्श प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत, प्राधिकरण ने दिनांक 08 फरवरी, 2016 को डेटा सेवा के लिए विभेदकारी टैरिफ का निषेध विनियम, 2016, जारी किया, जिसमें अन्य बातों के साथ ही साथ निम्नलिखित हेतु अधिदेशित किया गया हैः–

- कोई भी सेवा प्रदाता, किसी भी व्यक्ति को विषयवस्तु के आधार पर डेटा सेवाओं हेतु विभेदककारी टैरिफ की पेशकश नहीं करेगा अथवा वसूलेगा नहीं।
- कोई भी सेवा प्रदाता, किसी व्यक्ति अथवा विधिक व्यक्ति सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत अथवा प्रभारित डेटा सेवाओं हेतु विभेदकारी टैरिफ हेतु इस विनियम में निषेध से बचने के उद्देश्य से किसी नाम से कोई समझौता अथवा करार नहीं करेगा।
- आपात सेवाओं तक पहुंच अथवा उन्हें प्रदान करने के लिए कम टैरिफ प्रभारित करने अथवा लोक–आपात के समय कम टैरिफ प्रभारित करने की अनुमति दी गई है।

¼[k½ nj lpkj VfjQ ¼lkBok l'kk/ku½ vkn'k] 2015] fnukd 9 viy] 2015

प्राधिकरण ने राष्ट्रीय रोंमिग के लिए अधिकतम टैरिफ को दूरसंचार टैरिफ आदेश (55वां संशोधन) 2013 दिनांक 17 जून, 2013 के माध्यम से अंतिम बार संशोधित किया था। हितधारकों की टिप्पणियों तथा और आगे के विश्लेषणों के उपरांत, प्राधिकरण ने राष्ट्रीय रोमिंग पर वॉयस कॉल्स और एसएमएस हेतु अधिकतम टैरिफ को दिनांक 9 अप्रैल, 2015 के दूरसंचार टैरिफ (60वां संशोधन) 2015 के माध्यम से पुनः संशोधित किया गया। यह 1 मई, 2015 से प्रभावी हुआ है। इस संशोधन से राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं में टैरिफ व्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तन किए गएः–

en	nj lpkj VfjQ vkn'k ¼55ok l'kk/ku½ 2013 d ek/;e l	nj lpkj VfjQ ¼60ok l'kk/ku½ 2015 d ek/;e l
की जाने वाली लोकल कॉल वॉयस सेवा	1.00 रुपए प्रति मिनट	0.80 पैसे प्रति मिनट
की जाने वाली लंबी दूरी की लॉग डिस्टेंस (इंटर सर्किल) वॉयस कॉल	1.50 रुपए प्रति मिनट	1.15 पैसे प्रति मिनट
इनकमिंग वॉयस कॉल	0.75 रुपए प्रति मिनट	0.45 पैसे प्रति मिनट
भेजे जाने वाले लोकल एसएमएस	1.00 रुपए प्रति मिनट	0.25 पैसे प्रति मिनट
भेजे जाने वाले लंबी दूरी के (इंटर सर्किल) एसएमएस	1.50 रुपए प्रति मिनट	0.38 पैसे प्रति मिनट

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने इस संशोधन आदेश के द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आरटीपी तथा आरटीपी–एफआर प्रदान करने के वर्तमान अधिकार को वापस ले लिया तथा उनके सेवापूर्व भुगतान करने वाले तथा सेवा उपरांत भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को विशेष रोमिंग टैरिफ योजना(एसआरटीपी) की पेशकश हेतु दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अधिदेश दिया। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय रोमिंग पर आने वाली वॉयस कॉलें निर्धारित प्रभार, यदि कोई हों तो, के भुगतान पर निःशुल्क होगी।

इस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, प्राधिकरण ने प्रसारण क्षेत्र में भी उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा के लिए प्रसारण टैरिफ विनियमित करने के विनियमन हेतु डीएएस, डीटीएच के लिए अनेक टैरिफ आदेश अधिसूचित किए।

Vsyhfotu lok,a inku djus okys Mk;jDV&V&gke vkijVjk ij i;kT; VfjQ vkn'k] fnukd 01 viy] 2015

प्रभावी वाणिज्यिक अंतर्प्रचालनता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 01 अप्रैल, 2015 को एक टैरिफ आदेश को अधिसूचित किया, जिसमें डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को प्रस्तुत उपभोक्ता परिसर उपकरण (सीपीई) की वाणिज्यिक अंतर अंतर्प्रचालनता हेतु रूपरेखा विनिर्धारित की गई है।

भारत में डीटीएच सेवाएं 2003 में शुरू होने के साथ तीव्र गति से बढ़ रही हैं। आज की तिथि के अनुसार उपभोक्ताओं को डीटीएच सेवाएं देने वाले 6 प्राइवेट ऑपरेटर हैं। इन ऑपरेटरों ने अलग–अलग समय में अपनी सेवाएं विभिन्न पारेषण, कम्प्रेशन मानकों और इनक्रिप्शन पद्धति का उपयोग करते हुए, आरंभ की है। एक ऑपरेटर द्वारा प्रदत्त उपभोक्ता परिसर उपकरण (सीपीई) दूसरे ऑपरेटर के नेटवर्क के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। इसलिए, यदि एक वर्तमान डीटीएच उपभोक्ता दूसरे डीटीएच ऑपरेटर की सेवाएं लेने का इच्छुक है अथवा दूसरे केबल टेलीविजन लेने का इच्छुक है तो उसे नए ऑपरेटर का सीपीई/एसटीबी खरीदना होगा। यह भी पाया गया कि डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा पेशकश की गई विभिन्न योजनाओं में पारदर्शिता की कमी है।

प्राधिकरण का दृष्टिकोण था कि सीपीई की वाणिज्यिक अंतर्प्रचालनता के प्रावधान से उपभोक्ता के हितों की अधिकतम संरक्षा हो सकती है और इसलिए उसने सेवा प्रदान करते समय डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा सभी प्रभारों और शर्तों की पारदर्शी और प्रत्यक्ष घोषणा का अधिदेश दिया था। वाणिज्यिक अंतर्प्रचालनता किसी उपभोक्ता को किसी एक ऑपरेटर की सेवाएं बदलने तथा दूसरे डीटीएच ऑपरेटर अथवा केबल टेलीविजन ऑपरेटर की सेवाएं लेने का विकल्प प्रदान करती है।

यह आदेश, माननीय दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय अभिकरण (टीडीसेट) द्वारा मै0 डिश टेलीविजन इंडिया लिमिटेड और मै0 भारत बिजनेस चैनल्स लिमिटेड बनाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के मामले में दिनांक 01 अक्तूबर, 2014 को पारित आदेश के दृष्टिगत जारी किया गया था।

okf.kfT;d miHkkDrk l lcfèkr VfjQ l'kk/ku vkn'k fnukd 8 flrEcj] 2015

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टेलीविजन सेवाओं से संबंधित 8 सितम्बर, 2015 को दो टैरिफ संशोधन आदेश (टीएओ) अधिसूचित किए। इनमें से एक आदेश गैर–एड्रेसेबल प्रणाली द्वारा दी जाने वाली एनालॉग केबल टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से टेलीविजन सेवाओं के लिए था, जबकि दूसरा डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली द्वारा सेवा प्रदाता क्षेत्रों में दी जा रही टेलीविजन सेवाओं पर लागू होता था। टैरिफ संशोधन आदेश में ''उपभोक्ता'' सामान्य उपभोक्ता तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से अब परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त टैरिफ संशोधन आदेश में, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के स्वयं में थोक और खुदरे दोनों ही स्तरों पर टैरिफ की कुल छूट विनिर्धारित की गई है तथा प्रसारणकर्ताओं के पास, वांछनीय रूप से डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म ऑपरेटरों तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के साथ त्रिपक्षीय समझौता करने का विकल्प है। इसके

अलावा, यह भी अधिदेशित किया गया है कि प्रसारणकर्ता वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को उसके चैनलों/चैनल के बुके को गैर–भेदभावपूर्ण तरीके वाली शर्तों और निबंधनों पर प्रदान करेंगे तथा ऐसे त्रिपक्षीय समझौतों को प्राधिकरण के पास भी जमा करेंगे।

इस टैरिफ आदेशों को भारतीय प्रसारण संघ और अन्य बनाम् भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अपील नं. 7(सी)/2014) के मामले में माननीय टीडीसेट के दिनांक 9 मार्च, 2015 के आदेशों के अनुसरण में अधिसूचित किया गया था। यह अपेक्षा की गई थी कि वाणिज्यिक उपभोक्ताओं हेतु विनियामक फ्रेमवर्क में ऐसे परिवर्तनों के लागू होने के बाद टेलीविजन सेवाओं का वितरण सुचारू होगा और उन्हें प्रतिस्पर्धी दरों पर तथा गैर–भेदभावपूर्ण तरीके से सेवाएं मिलती रहेंगी। इसमें सभी हितधारकों के मूल्य श्रृंखला में हितों को संतुलित करने तथा व्यापार संबंधी लेन–देन में पूरी पारदर्शिता लाए जाने की परिकल्पना की गई थी।

,Mslcy iz.kkyh gsrq VSfjQ vkns'k esa la'kks/ku fnukad 28 fnlEcj] 2015

माननीय टीडीसेट के दिनांक 13 जुलाई, 2015 मैसर्स डिस टेलीविजन इंडिया लिमिटेड बनाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण(भादूविप्रा) मामले में, भादूविप्रा द्वारा दो शर्तों के कार्यान्वयन के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के निर्देश की दृष्टि से प्राधिकरण ने दिनांक 28 दिसम्बर, 2015 को टैरिफ आदेश अधिसूचित किया। इसमें दो शर्तों को उपभोक्ताओं को प्रभावी पसंद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरलीकृत किया गया था। जिससे वे अपनी पसंद आधारित वांछित चैनलों को अ–ला–कार्टे आधार पर और उचित दर पर देख सकें। इस टैरिफ आदेश द्वारा प्लेटफार्म ऑपरेटरों के पास उपलब्ध सभी पसंदीदा चैनलों को अ–ला–कार्टे आधार पर एवं मनपसंद दरों को घोषित करने की स्वतंत्रता अभी भी बरकार रहेगी। उनके पास किसी भी समय पसंदीदा चैनलों की अ–ला–कार्टे आधार पर एवं दरों को कम करने का लचीलापन रहेगा ताकि ऐसे पसंदीदा चैनलों की दरें कम करने की घोषणा की जा सके। चैनल समूह में अ–ला–कार्टे आधारित पसंदीदा चैनलों की दरों के योग में 66.66 प्रतिशत की सापेक्ष अधिकतम छूट देते समय, प्लेटफार्म ऑपरेटरों के पास नवीन और आकर्षित पैकेजों को विकसित करने और उनकी पेशकश करने की स्वतंत्रता भी बरकरार रहेगी।

¼[k½ ¼1½ u, lsok iznkrkvksa dh vko';drk vkSj le;&lhek ¼2½ ubZ lsokvksa gsrq ykbZlsal dh fucU/ku vkSj 'krsZa ¼3½ bu fucU/ku vkSj 'krksZa dh xSj&vuqikyuk gsrq ykbZlsal dk jí djus lac/kh flQkfj'ksa

3.2 भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1) (क) के अंतर्गत, प्राधिकरण से स्वमेय अथवा लाइसेंस प्रदाताओं अर्थात् दूरसंचार विभाग अथवा प्रसारण और केबल सेवाओं के मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, के अनुरोध पर सिफारिशें करना अपेक्षित है। प्राधिकरण द्वारा सरकार को वर्ष 2015–16 के दौरान की गई सिफारिशें निम्नलिखित हैं:–

- एकल अंक आधारित एकीकृत आपात संचार और प्रतिक्रिया प्रणाली संबंधी दिनांक 7 अप्रैल, 2015 की सिफारिशें।
- "आपातकाल/आपदा के दौरान दूरसंचार नेटवर्क के विफल होने और राहत में लगे व्यक्तियों की कॉलों की प्राथमिकता देने" संबंधी सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 08 अप्रेल 2015 की प्रतिक्रिया पर भादूविप्रा का उत्तर ।
- शीघ्रतापूर्वक ब्रॉडबैंड की प्रदाय संबंधी दिनांक 17 अप्रैल, 2015 की सिफारिश : हमें क्या करने की आवश्यकता है?
- "दूरसंचार क्षेत्र में वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों का प्रवेश" संबंधी दिनांक 1 मई, 2015 की सिफारिश।

- दिनांक 21 जुलाई, 2014 की ''स्पेक्ट्रम साझेदारी संबंधी दिशानिर्देश'' संबंधी सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के प्रतिसंदर्भ पर प्राधिकरण की दिनांक 21 मई, 2015 की प्रतिक्रिया।
- दिनांक 28 जनवरी, 2014 की ''स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग हेतु कार्यकारी निर्देश'' संबंधी सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के संदर्भ पर, प्राधिकरण की दिनांक 21 मई, 2015 की प्रतिक्रिया।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14 मई, 2015 के अन्तरिम आदेश की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में स्पेक्ट्रम की अधिकतम सीमा और दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा न्यूनतम स्पेक्ट्रम धारिता संबंधी मुद्दे पर दूरसंचार विभाग को दिनांक 2 जुलाई, 2015 की प्रतिक्रिया।
- भादूविप्रा की दिनांक 7 अप्रैल, 2015 की ''एकल संख्या आधारित एकीकृत अपात संचार तथा प्रतिक्रिया प्रणाली'' (आईईसीआरएस) संबंधी सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग से प्राप्त संदर्भ पर दिनांक 30 सितम्बर, 2015 की प्रतिक्रिया।
- भादूविप्रा की दिनांक 29 अगस्त, 2014 का ''माइक्रोवेब एक्सेस(एमडब्लूए) तथा माइक्रोवेब बेकबोन (एमडब्लूबी)'' आर एफ केरियर के आवंटन एवं मूल्य निर्धारण के लिए दूरसंचार विभाग से प्राप्त संदर्भ पर भादूविप्रा का दिनांक 17 नवम्बर, 2015 का प्रतिउत्तर।
- 700 मेगाहटर्ज, 800 मेगाहटर्ज, 900 मेगाहटर्ज, 1800 मेगाहटर्ज, 2100 मेगाहर्टज 2300 मेगाहटर्ज तथा 2500 मेगाहटर्ज में ''स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन और आरक्षित मूल्य संबंधी दिनांक 27 जनवरी, 2016 की सिफारिशें।
- भारतनेट हेतु कार्यान्वयन कार्यनीति संबंधी दिनांक 1 फरवरी, 2016 की सिफारिशें।
- भादूविप्रा की प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम को कम दरों पर प्रभारित किए जाने संबंधी की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग से प्राप्त संदर्भ पर दिनांक 10 फरवरी, 2016 की प्रतिक्रिया।
- आईपी इन्टरफेस पर अंतःसंयोजन संबंधी दिनांक 11 फरवरी, 2016 की सिफारिशें।
- उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14 मई, 2015 के अन्तरिम आदेश पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में स्पेक्ट्रम की अधिकतम सीमा से संबंधित मुद्दों पर प्राधिकरण के 02 जुलाई, 2015 के दृष्टिकोण पर दिनांक 16 फरवरी, 2016 का स्पष्टीकरण।
- भादूविप्रा की ''अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं में सुधार'' संबंधी दिनांक 22 जुलाई, 2014 की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के पृष्ठ संदर्भ मुद्दों पर प्राधिकरण की दिनांक 23 मार्च, 2015 की प्रतिक्रिया।

इन सिफारिशों के ब्यौरे पर, चर्चा इस रिपोर्ट के भाग दो में पहले ही कर ली गई है।

x-½ rduhdh vuq:irk vkSj izHkkoh vr%la;kstu dk lqfuf'pr fd;k tkuk

3.3 सभी नेटवर्कों में निर्बाध संचार सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य है कि विभिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ा जाए। लाइसेंस की शर्तें भी यह विनिर्धारित करती है कि सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को एक–दूसरे से तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी के ऑपरेटरों से जुड़ना चाहिए। तदनुसार, प्राधिकरण ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निम्नलिखित अंतःसंयोजन संबंधी सिफारिशें और विनियम जारी किए गए हैं।

nwj lapkj {ks=

➢ vkbZih vk/kkfjr vr%la;kstu lacU/kh fnukad 27 uoEcj] 2015 ds ijke'kZ fVIi.kh

कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने अनुरोध किया कि आईपी प्रौद्योगिकी का शीघ्रातिशीघ्र अपनाए जाने

की व्यापक संभावना है। इसलिए, आईपी प्रौद्योगिकी आधारित अंतःसंयोजन हेतु उपबंधित लाइसेंस शर्तों में स्पष्टतः संशोधन किया जाना अनिवार्य हो गया है। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 10 नवम्बर, 2015 की ''आईपी अंतःसंयोजन प्रभारों का विनियम'' संबंधी पत्र में उल्लेख किया कि दूरसंचार क्षेत्र की चिंता का एक मुद्दा निर्बाध आईपी अंतःसंयोजनता सुनिश्चित करने के लिए आईपी स्तर पर अंतःसंयोजन की निबंर्धता को हटाना है।

उक्त पर विचार करते हुए, यह महसूस किया गया कि लाइसेंस प्रदाताओं को उपयुक्त सिफारिशें जारी की जाए कि सभी संबंधित लाइसेंसो में इस आशय का उपबंध किया जाए कि प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों/निर्देशों/निर्धारकों आदि की अनुपालना के अधीन लाइसेंसधारक भी आईपी आधारित नेटवर्क अथवा लाइसेंस प्रदाता द्वारा निर्धारित अन्य उदीयमान नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपना सकें।

उपर्युक्त के मद्देनजर, दिनांक 27 नवम्बर, 2015 को एक परामर्शी टिप्पणी जारी की गई थी।

- **fnukad 11 Qjojh] 2015 dh vkbZih bVjQs l ij vr%l;kstu lac/kh flQkfj'ks**

प्राधिकरण ने दिनांक 30 जून, 2014 को ''माइग्रेशन–टु–आईपी आधारित नेटवर्क'' संबंधी परामर्श पत्र जारी किया था, जिस पर दिनांक 2 दिसम्बर, 2014 को खुला मंच चर्चा आयोजित की गई। इस परामर्श पत्र की प्रतिक्रिया स्वरूप, कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने अनुरोध किया था कि चूंकि आईपी आधारित नेटवर्क अपनाये जाने की व्यापक संभावनाएं हैं इसलिए, आईपी आधारित अंतःसंयोजन हेतु स्पष्ट उपबंध करने के लिए लाइसेंस की शर्तों में संशोधन अनिवार्य है।

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 10 नवम्बर, 2015 के पत्र के माध्यम से प्राधिकरण को लिखा कि बाधारहित आईपी अंतःसंयोजन सुनिश्चित करने के लिए आईपी स्तर पर अंतःसंयोजन की निर्बंधता को हटाया जाना, दूरसंचार उद्योग की चिंता के विषयों में से एक है। प्राधिकरण ने दिनांक 27 नवम्बर, 2015 के ''आईपी आधारित अंतःसंयोजन संबंधी परामर्श टिप्पणी'' के तहत हितधारकों से अल्पकालिक परामर्श आरम्भ किया। इस मुद्दे से जुड़े विभिन्न मुद्दों के विश्लेषण तथा हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के पश्चात्, प्राधिकरण ने आईपी स्तर पर अंतःसंयोजनता हेतु संयुक्त लाइसेंस में खण्ड 27.3 में संशोधन करने की सिफारिश की।

खण्ड 27.3 का प्रस्तावित पाठ निम्नवत है :–

''सर्किट स्विच्ड ट्रैफिक को चलाने हेतु विभिन्न लाइसेंसधारकों के नेटवर्कों के बीच अंतःसंयोजन, सीसीएस 7 के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगा तथा आईपी आधारित ट्रैफिक के लिए यह समय–समय पर यथासंशोधित दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र (टीईपी) मानकों के अनुसार होगा तथा यह नेटवर्कों की तकनीकी व्यवहार्यता और तकनीकी सुरक्षा के अधीन भी होगा और भादूविप्रा, लाइसेंस प्रदाता द्वारा समय–समय पर जारी अंतःसंयोजन के समग्र फ्रेमवर्क/विनियमों/निर्देशों/ आदेशों के अंतर्गत होगा। सर्किट स्विच्ड और आईपी आधारित नेटवर्क के बीच इन्टरनेटवर्किंग के लिए लाइसेंसधारक मीडिया स्विच की संस्थापना करेगा। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस प्रदाता अंतःसंयोजन संबंधित मुद्दों पर टीईसी द्वारा जारी किसी अन्य तकनीकी मानकों को अपनाने का निदेश लाइसेंसधारक को दे सकता है।''

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 19 अप्रैल, 2016 की सूचना के द्वारा प्राधिकरण की आईपी इन्टरफेस पर

अंतःसंयोजन संबंधी सिफारिश के अनुसार इन्टरनेट प्रोटोकोल पर अंतःसंयोजन हेतु संयुक्त लाइसेंस में संशोधन के संबंध में अवगत कराया।

ilkj.k {k=

- nj lpkj ¼ilkj.k vkj doy lok,½ vrl;ktu ¼ukok l’kk/ku½ fofu;e] 2015 fnukd 14 flrEcj] 2015

- nj lpkj¼fMftVy ,Mlcy dcy Vyhfotu i.kkyh½ ¼ikpok l’kk/ku½ fofu;e] 2015] fnukd 14 flrEcj] 2015

भादूविप्रा ने 14 सितम्बर, 2015 को वाणिज्यिक उपभोक्ताओं हेतु टेलीविजन सेवाओं संबंधी अंतःसंयोजन विनियमों में दो संशोधन अधिसूचित किए। पहला गैर–एड्रेसेबल प्रणालियों वाले सेवा क्षेत्रों में एनलॉग केबल टेलीविजन प्रणलियों के माध्यम से प्रदान की जा रही टेलीविजन सेवाओं के लिए तथा दूसरा डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों वाले सेवा क्षेत्रों में प्रदान की जा रही टेलीविजन सेवाओं पर लागू होता है। इन सेवाओं में अन्य के साथ ही साथ अंतःसंयोजन विनियम में उपभोक्ता; सामान्य उपभोक्ता तथा वाणिज्यिक उपभोक्ता की परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है।

- nj lpkj¼ilkj.k vkj doy lok,½ vrl;ktu ¼fMftVy dcy Vyhfotu i.kkfy;k½ ¼NBk l’kk/ku½ fofu;e] 2016] fnukd 7 tuojh] 2016

भादूविप्रा ने 7 जनवरी, 2016 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजनता (डिजिटल केबल टेलीविजन प्रणाली) (छठा संशोधन) विनियम, 2016, दिनांक 7 जनवरी, 2016 को अधिसूचित किया। प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत अंतःसंयोजन विवरणों से पाया कि कई प्रसारणकर्ताओं द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) को दिए जा रहे टेलीविजन चैनलों के सिग्नलों से स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) को मिलने वाले सिग्नल बिना किसी वैध लिखित अंतःसंयोजन संबंधी समझौतों के प्राप्त हो रहे थे। यह भी पाया कि परस्पर चल रही वार्ता के बहाने बिना वैध लिखित अंतःसंयोजन समझौतों के सिग्नलों के पुनःपरेषण की निरन्तरता से विवाद उत्पन्न होते हैं और कभी–कभी इससे एकाएक चैनल आने बंद हो जाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं की सेवा की गुणवत्ता प्रतिकूलतः प्रभावित होती है।

यद्यपि इस संशोधन के माध्यम से, प्राधिकरण ने यह अनिवार्य कर दिया कि चाहे पारेषणकर्ताओं को मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों से अंशदायी शुल्क मिल रहा हो या नहीं, पे चैनलों के किसी प्रसारणकर्ता को एनएसओ के साथ अपने पे चैनलों के लिए वैध लिखित अंतःसंयोजन समझौता करना ही होगा। इस संशोधन में टेलीविजन सिग्नलों के पुनःपरेषण हेतु सेवा प्रदाताओं के बीच वर्तमान अंतःसंयोजन समझौते के समाप्त होने से पहले नया अंतःसंयोजन समझौता करने के लिए पर्याप्त समय (न्यूनतम 60 दिन) प्रदान किया है। इस संशोधन के उपरांत वर्तमान अंतःसंयोजन समझौते की समाप्ति पर टेलीविजन सिग्नल की व्यवस्था को जारी रखने के लिए आपस में चल रही वार्ताओं जैसे बहाने की कोई संभावना नहीं रहेगी।

नया अंतःसंयोजन समझौता न हो पाने पर, एमएसओ को वर्तमान अंतःसंयोजन समझौते के समाप्त होने

से पन्द्रह दिन पहले उपभोक्ताओं को उसे वर्तमान ऐसे समझौते की समाप्ति की तिथि तथा टेलीविजन चैनलों के डिस्कनेक्शन के बारे में सूचित करना अनिवार्य होगा, जिससे कि उपभोक्ता अपनी पसंद के बारे में सुविचारित निर्णय ले सकें।

➢ **njlapkj ¼iizlkj.k vkSj dsoy lsok,½ vrajlaca;kstu ¼fMftVy ,Mªslscy dscy Vsyhfotu iz.kkyh½ ¼lkrok la'kks/ku½ fofu;e] 2016] fnukad 16 ekpZ] 2016**

प्राधिकरण ने 15 मार्च, 2016 को डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से केवल टेलीविजन सेवाओं के प्रावधान हेतु एमएसओ और एलसीओ के बीच किए जाने वाले आदर्श अंतःसंयोजन समझौते (एनआईए) और मानक अंतःसंयोजन समझौते (एसआईए) का प्रारूप निर्धारित करते हुए, दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) (सातवां संशोधन) विनियम, 2016(2016 का 3) जारी किया। प्राधिकरण का विचार है कि इन मानक एनआईए और एमआईए प्रारूपों से इस क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, इससे एमएसओ और एलसीओ के बीच विवाद की घटनाएं कम होगी और सभी पक्षों को समान अवसर मिलेंगे तथा इस क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाली सेवा प्राप्त होगी।

¼?k½ njlapkj lsok inku djus ls izkIr jktLo dh lsok inkrkvksa ds chp lk>snkjh dh 0;oLFkk lca/kh fofu;e

➢ **vrajk"Vªh; dkfyax dkMZ lsok ¼,Dlsl iHkkj½ fofu;e] 2014] fnukad 19 vxLr] 2014**

3.4 प्राधिकरण ने मामले पर सम्यक विचार–विमर्श और विश्लेषण करने के उपरांत, अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कॉर्ड सेवा संबंधी विनियम निरुपित और जारी किए गए हैं, जिसमें एक्सेस सेवा प्रदाता के उपभोक्ता द्वारा आईएलडीओ की कॉलिग कॉर्ड सेवा लेने के मामले में एक्सेस सेवा प्रदाता को अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटर द्वारा देय एक्सेस प्रभारों का निर्धारण है। इन विनियमों के अनुसार, आईएलडीओ द्वारा एक्सेस सेवा प्रदाता को वायरलेस सेवाओं के लिए 40 पैसे प्रति मिनट तथा वायर सेवाओं के लिए 1.20 पैसे प्रति मिनट का एक्सेस प्रभार दिया जाएगा।

¼M-½ fofHkUu lsokvksa inkrkvksa ds chp LFkkuh; rFkk yEch njh ds njlapkj lfdZVksa dks inku fd, tkus dh le;kof/kA

3.5 प्राधिकरण ने पारदर्शिता, पूर्वानुमान तथा तर्कसंगतता और डीएलसी/स्थानीय प्रदाताओं में गैर–भेदभावपूर्ण पद्धति सुनिश्चित करने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करने हेतु दिनांक 14 सितम्बर, 2007 को डीएलसी विनियम जारी किए गए। यह विनियम किसी भी माध्यम अर्थात् कॉपर, फाइबर, वायरलेस आदि पर प्रदत्त डीएलसी और लोकल लीड तथा किसी भी तरह की पारेषण प्रौद्योगिकी के प्रयोग को आवरित करते हैं। ये विनियम, उन सभी सेवाओं प्रदाताओं, जिनके पास कॉपर, फाइबर अथवा वायरलेस की क्षमता है तथा जिन्हें लाइसेंस के तहत डीएलसी देने की अनुमति है, के लिए अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ इसका आदान–प्रदान अनिवार्य करते हैं। प्राप्त रिपोर्टों के विश्लेषण से पाया गया है कि डीएलसी विनियम के जारी होने से डीएलसी/लोकल लीड की व्यवस्था सुचारू हुई है।

¼p½ ykblsl dh 'krk vkj fucèkuk dh vuikyuk lfuf'pr djok;k tkuk

➤ **el lI okMkQku ¼b-½ fy- dk 111 d mi;kx dk cn dju gr 2 ekp] 2015 d fun'k e fnukd 07 eb] 2015 dk nljk l'kk/ku**

दूरसंचार विभाग ने नेशनल नम्बरिंग प्लान, 2003 जारी किया था, जिसमें 111 से 115 तक की संख्या/ नंबरों को किसी प्रकार की सेवा के लिए आवंटित नहीं किया गया है और उसे 'अतिरिक्त(स्पेयर)' के रूप में रखा गया है।

प्राधिकरण ने दिनांक 02.03.2015 के अपने निदेश के माध्यम से मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड को '111' लेवल के उपयोग को बंद करने और अनुपालना रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया था।

तथापि मैसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के अनुरोध पर तथा यह सुनिश्चित करने कि उपभोक्ता को न्यूनतम असुविधा हो, के लिए क्रमशः दिनांक 27 मार्च, 2015 और 7 मई, 2015 के संशोधित निदेशों के द्वारा अनुपालना रिपोर्ट को भेजे जाने के समय में 30 अप्रैल, 2015 तक पहला समय विस्तार दिया गया और इसे अंतिम रूप से 31 जुलाई, 2015 तक स्वीकृति दी गई।

मैसर्स वोडाफोन ने दिनांक 3 अगस्त, 2015 की अपनी सूचना के तहत इस आशय की पुष्टि की कि उन्होंने 01 अगस्त, 2015 से हेल्पलाइन सेवाओं हेतु लेवल '111' को बंद कर दिया है।

➤ **el lI fjyk;l Vyhdke fyfeVM dk vkofVr 900 exkgVtl LiDVe dh lekfIr ij mld }kjk vle] fcgkj] iokÙkj] vkMh'kk rFkk if'pe cxky e ykblsl ikIr lok inkrk {k=k e 900 exkgVtl cM e fnukd 11 fnlEcj] 2015 dk lok, cn dju lc/kh fnukd 11 fnlEcj] 2015 dk fun'k**

मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लि. (मैसर्स आरटीएल) ने प्राधिकरण को जानकारी दी कि लाइसेंस प्रदाता द्वारा उसे आवंटित 900 मेगाहटर्ज बैंड स्पेक्ट्रम असम, बिहार, पूर्वोत्तर, ओडीशा तथा पश्चिम बंगाल के सेवा क्षेत्रों में दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को समाप्त हो रही हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वे 2100 मेगाहटर्ज पर अपनी सेवाएं देते रहेंगे तथा उन्होंने अपने सभी उपभोक्ताओं को 900 मेगाहटर्ज पर सेवाओं को बंद किए जाने और 2100 मेगाहटर्ज बैंड में सेवा जारी रखने की जानकारी इस सलाह के साथ दी है कि यदि वह मैसर्स आरटीएल की 3–जी सेवाओं को बंद करना चाहते हैं तो वे किसी अन्य सेवा प्रदाता की सेवाओं से बदल सकते हैं।

मैसर्स आरटीएल ने यह भी बताया कि किसी सेवा क्षेत्र के लिए एक बार में एक मिलियन से अधिक यूपीसी तैयार करना संभव नहीं है तथा उन्होंने बिहार हेतु अतिरिक्त ऑपरेटरों कोडो, दो पश्चिम बंगाल के लिए और ओड़ीशा के लिए एक अतिरिक्त ऑपरेटर कोड के आवंटन का अनुरोध किया है ताकि वह अपने उपभोक्ताओं के लिए 11 दिसम्बर, 2015 तक यूपीसी का सृजन कर सके।

इसलिए, प्राधिकरण ने दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 के पत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं के हित में निर्देश दिया कि:–

(क) मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड–

- वर्तमान कोडों के अलावा अतिरिक्त यूपीसी सेवा प्रदाता कोड तैयार करे;
- उन सभी उपभोक्ताओं के लिए यूनिक पोर्टिंग कोर्ड तैयार करे, जिन्होंने असम, बिहार, पूर्वोत्तर, ओडीशा तथा पश्चिम बंगाल के सेवा क्षेत्रों में

3जी में जाने का विकल्प नहीं दिया है तथा ऐसे उपभोक्ताओं को तत्काल एसएमएस के माध्यम से यूपीसी की जानकारी दें; और

- इस निदेश के जारी होने से 30 दिनों तक पोर्टिंग हेतु प्राप्त उपभोक्ताओं के सभी अनुरोधों को संसाधित करे तथा दिनांक 20 जनवरी, 2016 तक अनुपालना रिपोर्ट भेजें।

(ख) सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता और मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी संबंधी सेवा प्रदाता मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड के उपभोक्ताओं हेतु अतिरिक्त यूपीसी को मान्यता दें।

(ग) सभी मोबाइल नम्बर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड से संबंधित अतिरिक्त यूपीसी कोड हेतु पार्टिंग संबंधी अनुरोधों को 11 जनवरी, 2016 के बाद 'डोनर ऑपरेटर' के रूप में स्वीकार न करें।

¼N½ nwjlapkj lsokvksa ds miHkksDrkvksa ds fgrksa ds laj{k.k gsrq mBk, x, dne

(1) सेवा प्रदाताओं द्वारा मीटरिंग और बिलिंग के बारे में अपनाई जा रही प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने; (2) मापन की सटीकता, बिलिंग की विश्वसनीयता से संबंधित मानक निर्धारित करने; (3) सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए बिलों की समय–समय पर जांच करने तथा उन्हें कार्यनिष्पादन के स्तर के आकलन के लिए मानदंडों से मिलाना; (4) बिल संबंधी शिकायतों की घटनाओं में कमी लाना; (5) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा के लिए, प्राधिकरण ने हाल ही में "सेवा की गुणवत्ता (मीटर तथा बिल प्रणाली की यथार्थता) विनियम, 2006 की समीक्षा की और 25 मार्च, 2013 को सेवा की गुणवत्ता (मीटर तथा बिल प्रणाली की यथार्थता) विनियम, 2013 जारी किया। यह विनियम सेवा प्रदाताओं को प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित लेखापरीक्षकों में से किसी एक के द्वारा अपनी मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की वार्षिक आधार पर लेखापरीक्षा की व्यवस्था करने और प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक प्राधिकरण को तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र भेजने के लिए अधिदेशित करती है। इस विनियम में यह भी प्रावधान है कि सेवा प्रदाता को एजेन्सी के प्रमाण पत्र में इंगित किसी कमी, यदि कोई हो, पर सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी तथा प्रत्येक वित्त वर्ष में 15 नवम्बर तक उस पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राधिकरण में जमा करनी होगी। इसके अलावा, इन विनियमों के कारगर कार्यान्वयन हेतु प्राधिकरण ने लेखापरीक्षा रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में देरी के लिए 10,00,00 रुपए/प्रति सप्ताह की दर से जुर्माना और प्रत्येक की गई कार्रवाई की झूठी तथा अधूरी रिपोर्ट पर 10,00,000 रुपए अधिकतम जुर्माना लगाया जाना भी लागू किया है। सेवा प्रदाता को लेखापरीक्षा और की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट समय–सीमा के अंदर प्रस्तुत करनी होंगी। इस लेखापरीक्षा से बिलिंग और प्रभार संबंधी कमियों का पता लगाने में सहायता मिली है, जिससे प्रभावित उपभोक्ताओं से वसूले गए अतिरिक्त प्रभारों की वापस हुई और प्रणाली से संबंधित मुद्दों का समाधान हुआ।

➢ nwjlapkj miHkksDrk laj{kk ¼vkBoka la'kks/ku½ fofu;e] 2014] fnukad 7 vxLr] 2015

3.6 प्राधिकरण ने विभिन्न हितधारकों के साथ विधिवत्‌रूप से विचार–विमर्श तथा आंतरिक विश्लेषण के उपरांत वायरलेस डेटा सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा हेतु दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षा (आठवां संशोधन) विनियम, 2014 को 7 अगस्त, 2015 को जारी किया। इस विनियम की मुख्य विशेषताएं हैंः–

¼1½ miHkkDrkvk dk MVk d i;kx l lcfekr tkudkjh½ सेवा प्रदाताओं के लिए एसएमएस अथवा यूएसएसडी के माध्यम से उपभोक्ताओं को जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।

- विशेष डेटा पैकों (एस0 टेलीविजन/ कोम्बो/एड–ऑन–पैक) के प्रयोक्ताओं के अलावा सभी मोबाइल डेटा उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक 10 एमबी के पश्चात् प्रयुक्त डेटा से संबंधित जानकारी देना। उपभोक्ताओं को ऐसी सूचनाएं न चाहने पर सेवा न दिए जाने संबंधी विकल्प का प्रावधान करना।
- उपभोक्ता के खाते में उपलब्ध डेटा के प्रयोग की सीमा के 50 प्रतिशत, 90 प्रतिशत और 100 प्रतिशत रहने पर अथवा उपभोक्ता के खाते में डेटा शेष के 500 एमवी, 100 एमवी, और 10 एमबी रहने पर विशेष डेटा पैक्स के उपयोगकर्ताओं को जानकारी देना। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को डेटा सीमा के 90 प्रतिशत होने अथवा खाते में उपलब्ध शेष 10 एमबी रहने पर डेटा सीमा समाप्त होने के पश्चात लागू टैरिफ की जानकारी के बारे में सूचित किया जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग उपभोक्ता को सचेत करते हुए यदि वह इसका उपयोग करने का इच्छुक नहीं है तो डेटा सेवा को बंद करने की सूचना देना।

¼2½ MVk lokvk dk lfØ; vFkok fuf"Ø; cukuk

- डेटा सेवाओं को निःशुल्क संक्षिप्त कोड 1925 से उपभोक्ता की स्पष्ट सहमति से सक्रिय करना चाहिए। इन्हें निःशुल्क संक्षिप्त कोड 1925 से निष्क्रिय भी किया जा सकता है।
- विशेष टैरिफ वॉउचर अथवा कोम्बो वॉउचर/पैक की वैधता अवधि के समाप्त होने तक अथवा पूरे डेटा के उपयोग होने तक जो भी पहले हो सक्रिय किया गया माना जाएगा।
- उपभोक्ता को डेटा के निष्क्रिय होने की निर्धारित प्रक्रिया के बारे में आवधिक अन्तरालों में एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। बीएसएनएल और एमटीएलएल के अलावा सभी दूरसंचार सेवाओं प्रदाताओं ने अपनी अनुपालना संबंधी रिपोर्टों को प्रस्तुत कर दिया है।

Vyhfotu ilkj.k lokvk e miHkkDrk fgrk dh lj{kk gr mBk, x, dne

3.7 उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा के लिए प्राधिकरण ने टेलीविजन सेवाएं प्रदान करने वाले सभी संवितरण प्लेटफार्म ऑपरेटरों अर्थात् डीटीएच/एमएमओ/एचआईटी/ आईपी–टेलीविजन ऑपरेटरों हेतु 'इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता आवेदन प्रारूप (ई–सीएएफ) के उपयोग की निर्देशिका जारी की है। यह निर्देशिका डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग तथा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं के प्रबंधन में अधिक कार्यकुशलता लाने के लिए प्राधिकरण का सक्रिय कदम है। इस सीएएफ को उपभोक्ताओं द्वारा टेलीविजन सेवाएं लेने से पूर्व भरा जाएगा। सीएएफ में दी गई जानकारी को उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध सेवाओं के प्रबंधन हेतु डीपीओ के उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली (एमसएमएस) में भेजा जाता है। वर्तमान में, सीएएफ दस्तावेजी रूप में है और उसमें दी जाने वाली जानकारी को एसएमएस में डालने का कार्य हाथ से किया जाता है। ऐसे असंख्य दस्तावेजी रूप में भरे गए सीएएफ का संसाधन करने और उसमें दी गई जानकारी के भण्डारण में प्रक्रियागत कठिनाईयां आती है। ई–सीएएफ को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी भरा जा सकता है और उसमें उपलब्ध सूचना को डीपीओ के एसएमएस में आसानी से डाला जा सकता है, जिससे

कि हाथ से कार्य करने की बोझिल प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता है। यह उपभोक्ता को सेवा लेने तथा तत्पश्चात् अपने प्रबंधन और सेवाओं को प्रबंधित करने का सरल तरीका भी प्रदान करता है। ई–सीएएफ से डीपीओ की उपभोक्ता को सेवाएं देने और उन्हें प्रबंधित करने में कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। इससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में लाखों सीएएफ का भण्डारण करना भी आसान होगा, जिससे कार्य संचालन की लागत घट जाएगी। इसलिए, ई–सीएएफ को अपनाना पर्यावरण हितैषी तथा किफायती भी है, जिससे सभी हितधारक लाभान्वित होंगे।

इसके अलावा, एमएसओ को दो निर्देशिकाएं भी जारी की गई थी, जिनमें डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से केबल टेलीविजन सेवाओं के उपबंध थे। इनसे सभी डीएएस के माध्यम से केबल टेलीविजन सेवाएं देने वाले सभी एसओ को प्राधिकरण के विनियमों में विहित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी चैनल का अवक्रमित अथवा बंद/स्विच ऑफ न करने की सलाह दी गई थी। इन एमएसओ को उपभोक्ता की शिकायतों का सेवा गुणवत्ता विनियम, दिनांक 14 मई, 2014 में यथा विहित 24 घंटे के अंदर निवारण सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है। सीधी प्राप्त शिकायतों के निवारण के अलावा उन्हें एलसीओ के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निवारण भी प्राथमिकता से किया जाए। एनएसओ को एलसीओ के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए उनके पंजीकरण के लिए उपयुक्त सम्पर्क प्रक्रियाएं अपनाने की सलाह दी गई है।

इसके अतिरिक्त, प्रसारण सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा के लिए वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप भी किए गए हैं:–

- डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियों पर 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों' के अद्यतन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों को दिनाक 16 अप्रैल, 2016 को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
- डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियों के उपभोक्ताओं/हितधारकों के संबंध में एमएमओ और एलएसओ हेतु 'क्या करें' और 'क्या न करें' के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करणों को तैयार करवाए और उन्हें प्राधिकरण की वेबसाइट पर डाला गया है।
- 'प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवा संबंधी 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' नामक पुस्तिका तैयार की गई और प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। यह पुस्तिका, उपभोक्ता के लिए प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवाओं से संबंधित प्रसांगिक विनियमों और आदेशों का सार है। इस पुस्तिका में आवरित प्रमुख पहलुओं में कनेक्शन की प्रक्रिया, कनेक्शन हटाने की प्रक्रिया, स्थानांतरण, घर परिवर्तन, शिकायत निवारण और बिलिंग संबंधी पहलू शामिल किए गए हैं।
- प्राधिकरण ने लोक हित में देश के विभिन्न भागों में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियों के कार्यान्वयन संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक विज्ञापन जारी किए हैं।
- ऐसे मामलों पर 15 प्रतिशत तक पहुंच कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें एमएसओ और एलसीओ के साथ प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियामक फ्रेमवर्क संबंधी जागरूकता बढ़ाने तथा सेवा गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सेवा प्रदाताओं की भूमिका और उत्तरदायित्व शामिल है।

¼t½ nj lpkj lokvk d fodkl gr ipkyu e ifrLi/kk vkj dk;d'kyrk c<ku d fy, mBk, x, dneA

3.8 प्राधिकरण का हमेशा ही यह प्रयास रहा है कि ऐसी नीतियां बनाई जाएं, जो समकालिक, नवीन घटनाक्रम के अनुरूप, सरल और व्यवहार्य हों।

उनका प्रतिस्पर्धा, अवसंरचना, राजस्व और उपभोक्ता कल्याण पर प्रत्याशित प्रभाव पड़ा है। वह इस तथ्य के प्रति सचेत रही है कि उपर्युक्त व्यवसाय कार्यनीतियां बनाने प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा इसके परिणामस्वरूप नवोन्मेषों का लाभ उपभोक्ता को प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। भादूविप्रा ने प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, सेवाओं में प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं के प्रवेश का कार्य बखूबी से किया है। इस उद्योग के विकास के लिए सिफारिशें/विनियमों/टैरिफ आदेशों/निदेशों आदि के रूप में किए गए उपाय महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं।

3.8.2 भादूविप्रा ने दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के संचालन में प्रतिस्पर्धा और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए 2015–16 में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

njlpkj {k=

- ''दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण(आठवां संशोधन) विनियम, 2015'', दिनांक 7 अगस्त, 2015।
- ''बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन के लिए सेवा की गुणवत्ता मानक (चौथा संशोधन) विनियम, 2015'', दिनांक 15 अक्तूबर, 2015।
- दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (नौवां संशोधन) विनियम, 2015'', दिनांक 16 अक्तूबर, 2015।
- डेटा सेवा के लिए विभेदकारी टैरिफ निषेध विनियम, 2016, दिनांक 6 फरवरी, 2016।

इस रिपोर्ट के भाग दो में इन विनियमों पर पहले ही चर्चा की गई है।

iilkj.k vkj dcy Vyhfotu lok,i

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का सरल और व्यवहार्य तथा वर्तमान घटनाओं के अनुरूप समकालिक नीतियां निरूपित करने का प्रयास रहा है। इनका प्रतिस्पर्धा, अवसंरचना, राजस्व और उपभोक्ता कल्याण पर प्रत्याशित प्रभाव पड़ा है। प्राधिकरण हमेशा से इस तथ्य के प्रति सचेत रहा है कि उपयुक्त व्यवसाय कार्यनीतियां बनाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा इसके परिणामस्वरूप नवोन्मेषों का लाभ उपभोक्ता को देने के लिए विनियामक की विद्यमानता अति आवश्यक है। प्राधिकरण ने हमेशा ही प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं के प्रवेश को सुगम करते हुए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया है। विनियमो/टैरिफ आदेशों/निदेशों आदि के निरुपण, जैसे प्रमुख उपाय इस उद्योग में विकास और प्रगति के महत्वपूर्ण वाहक सिद्ध हुए हैं।

¼>½ ,lh lokvk dk lc/k e 'kYd vkj vU; iHkkjk dk ,lh njk mnxg.k djuk] ftUg fofu;e }kjk fu/kkfjr fd;k tk,

3.9 प्राधिकरण, दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं हेतु टैरिफ नीतियां निर्धारित करने का अधिदेश प्राप्त है। प्राधिकरण, टैरिफ विनियमों के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करता है। टैरिफ विनियम उपभोक्ताओं को प्रस्तुत टैरिफ में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं तथा ऐसी स्थिति में टैरिफ प्रभारों को निर्धारित करते हैं, जब बाजार से इष्टतम दरें प्राप्त नहीं होती है। इस दिशा में निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं:–

- ➤ दूरसंचार टैरिफ (सोलहवां संशोधन) आदेश 2015, दिनांक 9 अप्रैल, 2015

- दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (सातवां डायरेक्ट–टु–होम सेवांए) टैरिफ आदेश, 2015, दिनांक 1 अप्रैल, 2015।
- दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (पन्द्रहवां संशोधन) आदेश, 2015 दिनांक, 8 सितम्बर, 2015।
- दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ (पांचवां संशोधन) आदेश, 2015, दिनांक 8 सितम्बर, 2015।
- दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ (छठा संशोधन) आदेश, 2015, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015।

इन टैरिफ आदेशों के बारे में विस्तार से चर्चा रिपोर्ट के भाग दो में पहले ही की गई है।

¼¥½ lkoZHkkfed lsok nkf;Ro ¼;w,lvks½ dh dkjxj vuqikyuk lqfuf'pr djus ds fy, mBk, x, dneA

3.10 प्राधिकरण ने ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों हेतु सहायता देने के लिए दिनांक 14 मई, 2012 को अपनी सिफारिशें कि थी कि 1 अप्रैल, 2002 से पहले लगाए गए ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों को दो साल तक जारी रखने के लिए मैसर्स बीएसएनएल को सहायता जारी रखी जाए। इस सहायता में पहले वर्ष के लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि तथा दूसरे वर्ष के लिए 1250 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। इसके अलावा प्राधिकरण ने दिनांक 22 जुलाई, 2014 की सिफारिशें में 'अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं में सुधार' संबंधी सिफारिशें में इन क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं सुधारने हेतु उपायों की सिफारिश की थी।

¼V½ njlapkj izkS|ksfxdh ds fodkl vkSj lkekU; :i ls njlapkj ls lacaf/kr vU; ekeyksa ds lac/k esa dsUnz ljdkj dks fn, x, ijke'kZ dk C;kSjk

3.11 प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार को दूरसंचार प्रौद्योगिकी और प्रसारणकर्ता केबल क्षेत्र के विकास के मामले में दी गई सलाह निम्नलिखित है:–

- ''एकल नम्बर आधारित एकीकृत आपात संचार और प्रतिक्रिया प्रणाली'' पर दिनांक 7 अप्रैल, 2015 की सिफारिशें।
- ''दूरसंचार नेटवर्क के आपातकाल/आपदाकाल के दौरान 'दूरसंचार नेटवर्क की विफलता – प्रतिक्रिया और राहत' में लगे व्यक्तियों के कॉलों की प्राथमिकता के आधार पर रूटिंग'' संबंधी सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के पूर्व संदर्भ के बारे में दिनांक 8 अप्रैल, 2015 की प्राधिकरण की प्रतिक्रिया।
- ब्रॉडबैंड को तीव्रता से उपलब्ध कराने के संबंध में दिनांक 17 अप्रैल, 2015 की सिफारिशें। हमें क्या करने की आवश्यकता है?
- दूरसंचार क्षेत्र में ''वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर बनाने'' के बारे में दिनांक 1 मई, 2015 की सिफारिशें।
- ''स्पेक्ट्रम आदान–प्रदान संबंधी दिशानिर्देश'' दिनांक 21 जुलाई, 2014 पर सिफारिशें के बारे में दूरसंचार विभाग के पूर्व संदर्भ पर 21 मई, 2015 की प्राधिकरण की प्रतिक्रिया।
- 'स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग हेतु दिशानिर्देश' दिनांक 28 जनवरी, 2014 संबंधी सिफारिशें पर दूरसंचार विभाग के पूर्व संदर्भ पर प्राधिकरण की 21 मई, 2015 की प्रतिक्रिया।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14 मई, 2015 के अंतरिम आदेश की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में

स्पेक्ट्रम की अधिकतम सीमा और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा न्यूनतम स्पेक्ट्रम धारिता से संबंधित मुद्दों पर दूरसंचार विभाग को भेजी गई दिनांक 2 जुलाई, 2015 की प्राधिकरण की प्रतिक्रिया।

- प्राधिकरण की ''एकल नम्बर आधारित एकीकृत आपात संचार और प्रतिक्रिया प्रणाली''(आईईसीआरएस) संबंधी दिनांक 7 अप्रैल, 2015 की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग से प्राप्त संदर्भ पर प्राधिकरण की दिनांक 30 सितम्बर, 2015 की प्रतिक्रिया।
- प्राधिकरण की ''माइक्रोवेव पहुंच का आवंटन और मूल्य निर्धारण'' तथा ''माइक्रोवेव वैकबोन (एमडब्ल्यूबी) आरएफ वाहक'' संबंधी दिनांक 29 अगस्त, 2014 की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग से प्राप्त संदर्भ पर प्राधिकरण की दिनांक 17 नवम्बर, 2015 की प्रतिक्रिया।
- 700 मेगाहर्टज, 800 मेगाहर्टज, 900 मेगाहर्टज, 1800 मेगाहर्टज, 2100 मेगाहर्टज, 2300 मेगाहर्टज, तथा 2500 मेगाहर्टज, ब्रॉडबैंड में स्पेक्ट्रम का मूल्यांकन और आरक्षित मूल्य'' संबंधी दिनांक 27 जनवरी, 2016 की सिफारिशें।
- 'भारतनेट' के लिए कार्यनीति के कार्यान्वयन संबंधी दिनांक 1 फरवरी, 2016.की सिफारिशें।
- प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम के कम दरों पर वसूली संबंधी प्राधिकरण की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग से प्राप्त संदर्भ में प्राधिकरण की दिनांक 10 फरवरी, 2016 की प्रतिक्रिया।
- आईपी इन्टरफेस पर अंतःसंयोजन संबंधी सिफारिशें, दिनांक 11 फरवरी, 2016।
- उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14 मई, 2015 के अन्तरित आदेश पर स्पेक्ट्रम की सीमा से संबंधित मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के 2 जुलाई, 2015 के दृष्टिकोण पर स्पष्टीकरण, दिनांक 16 फरवरी, 2016।
- ''अंडमान और निकाबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं में सुधार'' संबंधी प्राधिकरण की 22 जुलाई, 2014 की सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग द्वारा पृष्ठ संदर्भित मुद्दों पर प्राधिकरण की प्रतिक्रिया, दिनांक 23 मार्च, 2016।

¼1½ lok xq.koÙkk dh fuxjkuh rFkk lok inkrkvk }kjk ,lh lokvk dk ikRlkgu fn, tkus lca/kh lo{k.k dk C;kjk

भादूविप्रा, विभिन्न सेवा प्रदाताओं से प्राप्त तिमाही कार्यनिष्पादन निगरानी रिपोर्टों(पीएमआर) के माध्यम से निर्धारित मानदंडों के अनुसार बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल सेवा के कार्यनिष्पादन की निगरानी करता है। प्राधिकरण ने बुनियादी टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता के मापदण्ड (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 8 नवम्बर, 2012 के माध्यम से बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायराइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा ऑपरेटरों हेतु नेटवर्क सेवा गुणवत्ता मानदंडों और उपभोक्ता सेवा गुणवत्ता मानदंडों की अनुपालना न करने पर जुर्माना निर्धारित लगाया है। इन विनियिमों में, गुणवत्ता सेवा मानदंडों की झूठी रिपोर्टों और उन्हें प्रस्तुत करने में देरी के लिए प्रतिरोधक के रूप में जुर्माने का उपबंध भी किया गया है।

¼d½ ckMcM lok

प्राधिकरण ब्रॉडबैंड की सेवा प्रदाता के कार्यनिष्पादन की निगरानी भादूविप्रा द्वारा निर्धारित बैंचमार्कों, ब्रॉडबैंड सेवा की गुणवत्ता संबंधी दिनांक 6 अक्तूबर, 2006 के विनियमों के माध्यम से उसके द्वारा विहित सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंडों के अनुसार तिमाही

कार्यनिष्पादन निगरानी रिपोर्टों के माध्यम से सेवा प्रदाता के कार्यनिष्पादन की निगरानी करता है। ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्टों का विश्लेषण सेवा संबंधी गुणवत्ता के बारे में उनके कार्यनिष्पादन का आकलन करने के लिए किया जाता है। गुणवत्ता के मानदंडों को और सुदृढ़ करने के लिए प्राधिकरण ने ब्रॉडबैंड की गति सुधारने के लिए ब्रॉडबैंड सेवा की सेवा गुणवत्ता (दूसरा संशोधन) विनियम, 25 जून, 2014 को जारी किया गया था।

¼[k½ uVod@vr%l;ktu fcn ¼ihvkvkbZ½ fjiksVZ

प्राधिकरण, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच मासिक आधार पर पीओआई पर व्यस्तता के स्तर की निगरानी करता है। यह मानदंड उस सुगमता को प्रतिबिम्बित करता है, जिसके साथ एक नेटवर्क का उपभोक्ता दूसरे नेटवर्क के उपभोक्ता से बात कर पाता है। यह मानदंड यह भी दर्शाता है कि दो नेटवर्क के बीच अंतःसंयोजन किस प्रकार से प्रभावी होता है। प्राधिकरण द्वारा सेवा की गुणवत्ता विनियमों हेतु अधिसूचित यह मानदंड <0.5 प्रतिशत है। भादूविप्रा बुनियादी और सेल्युलर मोबाइल सेवाओं से मासिक पीओआई व्यस्तता रिपोर्टों को सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंडों के संबंध में उनके कार्य निष्पादन के आंकलन हेतु प्राप्त करता है।

¼x½ ,evkbZ,l ifj;kstuk

एमआईएस पोर्टल को वर्ष 2014–15 में आरंभ किया गया था। सेवा प्रदाताओं ने इस पोर्टल के माध्यम से अपनी रिपोर्ट भेजनी आरंभ कर दी है। इस पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से विभिन्न रिपोर्टों के संग्रहण में सहायता मिलेगी और उससे डेटा विश्लेषणार्थ सभी प्रकार की रिपोर्टें और डेश बोर्ड तैयार करने में सहायता भी मिलेगी। सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के संबंध में परीक्षण कार्य किया जा रहा है।

¼?k½ Lora= ,tsafl;ksa }kjk lsok dh xq.koÙkk dk vkdyu

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा की गई लेखापरीक्षा तथा आकलन से सेवा की गुणवत्ता की भी जांच करता है। इन रिपोर्टों का विश्लेषण किया जाता है और सभी हितधारकों के सूचनार्थ उसे बेवसाइट पर डाला जाता है। रिपोर्टों में इंगित कमियों को सेवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ आदान–प्रदान किया जाता है।

¼M-½ losZ{k.k ds ek/;e ls miHkksDrk dh vo/kkj.kk dk vkdyu

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 में दिए गए अधिदेश के अनुसार, प्राधिकरण सर्वेक्षणों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बारे में उपभोक्ता अवधारणा का आकलन स्वतंत्र एजेंसियो के माध्यम से करता है। आकलन हेतु कार्य (1) प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ता हित में जारी विभिन्न विनियमों, निदेशों और आदेशों की प्रभावकारिता का कार्यान्वयन और (2) सर्वेक्षण के माध्यम से बुनियादी, सेल्युलर मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही दूरसंचार सेवाओं के बारे में उपभोक्ता की राय जानने के लिए सर्वेक्षण क्षेत्रवार अर्थात उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, और पूर्वी क्षेत्र में करवाया जा रहा है, इन क्षेत्रों में सभी सेवाओं का सर्वेक्षण वर्ष में एक बार होता है। इस सर्वेक्षण का कार्य, स्वतंत्र एजेंसियों नामतः मैसर्स स्पेट्रम इंडिया प्लानिंग लिमिटेड, मैसर्स आईएमआरवी इन्टरनेशनल, मैसर्स वॉयस और मैसर्स मोट मैक्डोनाल्ड को क्रमशः पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में करवाने के लिए दिया गया है। उक्त एजेंसियों

(मैसर्स स्पेट्रम इंडिया प्लानिंग लिमिटेड के अलावा) की संविदा 31 मई, 2015 को समाप्त हो गई है। (1) प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ता हित में जारी विभिन्न विनियमों, निदेशों और आदेशों के कारगर कार्यान्वयन (2) सर्वेक्षण के माध्यम से सेवा के प्रति उपभोक्ता अवधारणा के आकलन हेतु निविदा प्राधिकरण की वेबसाइट पर 27 मार्च, 2015 को परिचालित की गई है। पात्र एजेंसियों की अनुपलब्धता के कारण उसे निरस्त कर दिया गया है। मैसर्स स्पेट्रम इंडिया प्लानिंग लिमिटेड को 30 नवम्बर, 2015 के बाद आगे समय विस्तार नहीं दिया गया है। तथापि, तीन सेवा क्षेत्रों अर्थात दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में आईवीआर टेलीफोन सर्वेक्षण साधनों के माध्यम से सर्वेक्षण कराने वाले एक सर्वेक्षण एजेंसी को कार्य देने हेतु कार्रवाई को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

सर्वेक्षण की कार्यविधि के अनुसार, विनियम में विनिर्धारित सात मानदंडों से संबंधित उपभोक्ता की सेवा के प्रति अवधारणा और शिकायत निवारण तंत्र, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी का कार्यान्वयन और यूसीसी विनियम के बारे में जानकारी से संबंधित विनियमों की कारगरता का आंकलन करने के लिए सर्वेक्षण प्रश्न सूची तैयार की गई है।

रिपोर्ट में उत्तरदाता को 1 से 7 मानदंडों पर अपनी संतुष्टि के बारे में राय देने के लिए कहा जाता है। इसमें 1 का तात्पर्य 'अत्यधिक असंतुष्ट' और 7 का तात्पर्य 'अत्यधिक संतुष्ट' होता है। सेवा की गुणवत्ता के विभिन्न मानदंडों संबंधी संतुष्ट उपभोक्ताओं के प्रतिशत की गणना के लिए 4–7 के प्राप्तांकों पर विचार किया जाता है, जहां 4 प्राप्तांक को 'संतुष्ट नहीं', और 5 को 'संतुष्ट' तथा 6 को 'बहुत संतुष्ट' एवं 7 को 'अत्यधिक संतुष्ट' के रूप में माना जाता है। उपभोक्ता की संतुष्टि की गणना सूत्र, सीएस = (ए/एन)X100 के द्वारा की जाती है। जहा, 'ए' कुल उपभोक्ताओं का योग है जिसमें प्रत्येक मानदंडों पर असंतुष्ट नहीं + संतुष्ट + बहुत संतुष्ट + अत्यधिक संतुष्ट की कुल संख्या तथा 'एन' किए गये सर्वेक्षण का मान है।

सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्टों को हितधारकों की सूचनार्थ प्राधिकरण की वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड किया जाता है।

Hkkx&4

Hkkjrh; nwjlapkj fofu;ked izkf/kdj.k ds laxBukRed ekeys rFkk foÙkh; fu"iknu

d½ Hkkjrh; nwjlapkj fofu;ked izkf/kdj.k dk lxBukRed ekeys

1. इस खंड में, भादूविप्रा के संगठनात्मक मामलों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई गई है, विशेष रूप से जो संगठन, निधियन, मानव संसाधन से संबंधित है तथा इनमें भर्ती, प्रशिक्षण तथा सेमिनार के क्षेत्र और कुछ सामान्य मुद्दे शामिल किए गए हैं।

¼d½ lxBu

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) उपरोक्त नाम द्वारा एक निगमित निकाय है, जिसको सतत उत्तराधिकार तथा एक सामान्य मुद्रा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, चल एवं अचल सम्पत्तियां अधिग्रहीत करने, धारण करने तथा निपटान करने और संविदा करने की शक्ति प्राप्त है

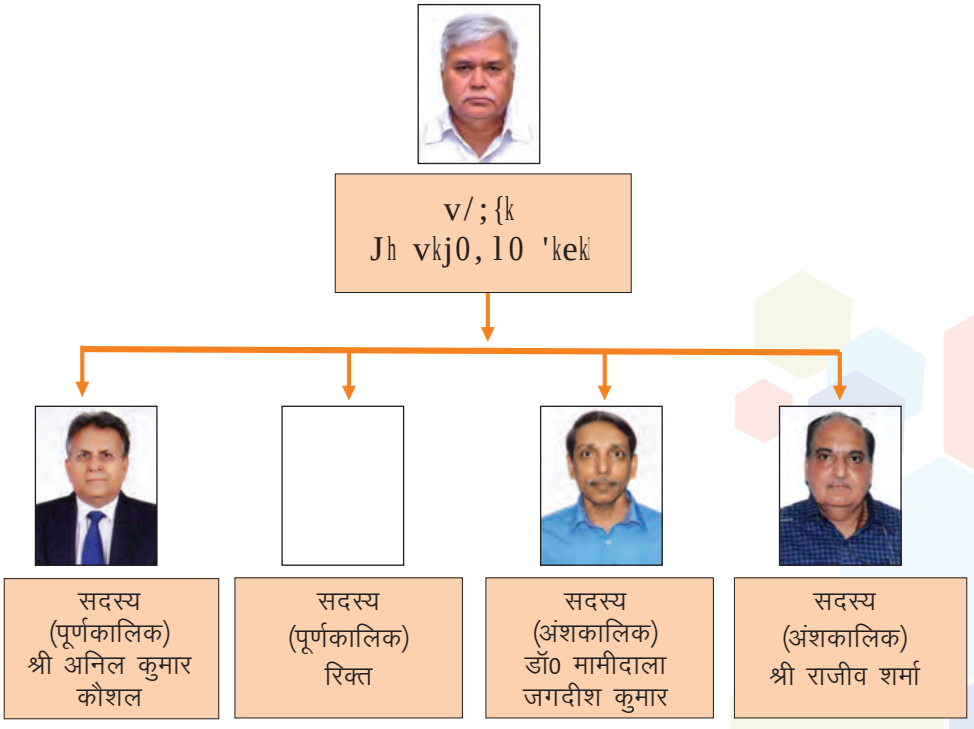

Mk0 fot;y{eh d0 xIrk] lnL; ¼i.kkdkfyd½ fnukd 03 ekp] 2016 dk ineDr gbA

तथा यह उक्त नाम से वाद प्रस्तुत करेगा अथवा इसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जाएगा। भादूविप्रा की स्थापना 28 मार्च, 1997 को अधिनियमित भादूविप्रा अधिनियम,1997 के अधीन की गई थी। भादूविप्रा (संशोधित) अधिनियम, 2000 के परिणामतः प्राधिकरण का पुनर्गठन हुआ। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम दो पूर्णकालिक सदस्य और अधिकतम दो अंशकालिक सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दिनांक 31 मार्च, 2015 को प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार था :–

¼[k½ Hkknfoizk dk lfpoky; ¼eq[;ky;½

3. प्राधिकरण एक सचिवालय के माध्यम से कार्य करता है, जिसकी अध्यक्षता सचिव और सहायता सात प्रभागों द्वारा की जाती है, जो निम्नानुसार हैं :–

(1) प्रशासन (ए); (2) प्रसारण एवं केबल सेवाएं (बी एंड सीएस); (3) उपभोक्ता मामले (सी0ए0) (4) वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण (एफ एंड ईए); (5) सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) (6) विधि; और (6) नेटवर्क स्पेक्ट्रम तथा लाइसेन्सिंग (एनएसएल)।

iz'kklu

4- प्रशासन प्रभाग, सभी प्रशासनिक तथा कार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है, जिनमें भादूविप्रा में मानव संसाधन विकास की योजना एवं नियंत्रण के साथ ही साथ प्राधिकरण के उपयोग के लिए भादूविप्रा द्वारा जारी किए गए सभी विनियमों/निर्देशों/आदेशों के प्रवर्तन पर सूचना की समन्वित उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। प्रशासन प्रभाग की जिम्मेदारी में प्रशासन एवं कार्मिक अनुभाग, सामान्य प्रशासन अनुभाग, पीआर अनुभाग, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुभाग, आरई एवं आरओ अनुभाग, राजभाषा अनुभाग, एमआर अनुभाग तथा आरटीआई अनुभाग के कार्यकलापों का प्रबंधन और नियंत्रण शामिल है। विनियामक प्रवर्तन के लिए भी, यह प्रभाग उत्तरदायी है, जो संबद्ध विनियम के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तथापि, सामान्य प्रशासन प्रभाग सभी प्रभागों के संबंध में समन्वित सूचना उपलब्धता सुनिश्चित करता है तथा उसे प्राधिकरण के उपयोग के प्रदान करता है। यह प्रभाग अपने आईआर अनुभाग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करता है, जिसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/निकायों, जैसेकि आईटीयू, एपीटी, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ, एडीबी, एसएटीआरसी, ओईसीडी तथा अन्य देशों में विनियामक निकाय शामिल हैं।

izlkj.k ,oa dscy lsok,a ¼ch ,.M lh,l½ izHkkx

5- प्रसारण एवं केबल सेवाएं (बी एंड सीएस) प्रभाग, प्राधिकरण को प्रसारण, केबल टीवी और एफएम रेडियो सेक्टरों के लिए समग्र विनियामक संरचना निर्धारित करने के संबंध में सलाह देने हेतु उत्तरदायी है, जिसके कार्यक्षेत्र में अंतःसंयोजन, सेवा की गुणवत्ता तथा टैरिफ पहलू शामिल हैं, ताकि सेवा प्रदाताओं के बीच कारगर अंतःसंयोजन, सेवा की गुणवत्ता तथा टैरिफ मानदंडों तथा लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। बी एण्ड सीएस प्रभाग, प्रसारण केबल टीवी और एफएम रेडियो सेक्टरों के आधुनिकीकरण/डिजिटाइजेशन से संबंधित मुद्दों की जांच और उसके संबंध में सुझाव देने अथवा आवश्यक विनियामक संरचना निर्धारित करने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रभाग को प्रसारण, केबल टीवी और एफएम रेडियो सेक्टरों में नई सेवाएं प्रारंभ

करने के संबंध में सुझाव देने का कार्य भी सौंपा गया है।

miHkkDrk ekeys iHkkx¼lh,½

6. उपभोक्ता मामले प्रभाग, दूरसंचार सेक्टर में उपभोक्ता समर्थन के विकास के लिए तथा भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के बारे में उपभोक्ताओं में सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग देश भर के उपभोक्ता संगठनों तथा गैर–सरकारी संगठनों को भादूविप्रा के साथ पंजीकृत करता है और उनके साथ उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर परस्पर संवाद करता है। प्रभाग के उत्तरदायित्व में उपभोक्ता हितों की संरक्षा के अन्य कार्यकलापों के प्रचार–प्रसार हेतु देश के सभी क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन, भादूविप्रा के साथ पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों को जिला और ब्लॉक स्तर पर उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाओं के आयोजन में सहायता प्रदान करना और परंपरागत उपभोक्ता शिकायतों पर कार्रवाई करना तथा मीडिया अभियान चलाना (प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक, दोनों) तथा भादूविप्रा द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करने के लिए की गई विभिन्न पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ानें के लिए उपभोक्ता शिक्षा सामग्री का प्रकाशन करना, शामिल है।

foÙk ,o vkfFkd fo'y"k.k ¼,Q ,M bl,½ iHkkx

7- वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण (एफ एंड ईए) प्रभाग, दूरसंचार सेवाओं की लागत क्रियाविधियों तथा लागत निर्धारण, लेखा पृथक्करण तथा सेवा प्रदाताओं के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण इत्यादि से संबंधित सभी पहलुओं पर सुझाव देने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग, प्राधिकरण को समय–समय पर दूरसंचार सेवाओं हेतु उपयुक्त टैरिफ नीति तैयार करने; भारत में टैरिफ विनियमन के अधीन विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में सलाह देता है, जिनमें घरेलू लीज्ड सर्किट्स, अंतर्राष्ट्रीय प्राईवेट लीज्ड सर्किट्स, तथा सेल्युलर मोबाइल सेवाओं में राष्ट्रीय रोमिंग शामिल हैं। यह प्रभाग, लागत आधारित अंतःसंयोजन प्रभार तय करने संबंधी मामलों तथा भारत में दूरसंचार सेवा बाजार के विभिन्न खंडों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु उपायों पर भी सलाह देता है। यह प्रभाग "भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट" का संकलन और तिमाही आधार पर इसका प्रकाशन भी करता है।

प्रधान सलाहकार (एफ एंड ईए), भादूविप्रा के आंतरिक वित्तीय सलाहकार भी हैं तथा वे प्राधिकरण को वित्तीय मामलों, आय एवं व्यय लेखा, वित्तीय लेखापरीक्षा तथा वित्तीय लेन–देन की समीक्षा के विषय में सलाह देते हैं।

uVodl LiDVe rFkk ykblfUlx ¼,u,l,y½ iHkkx

8- नेटवर्क स्पेक्ट्रम तथा लाइसेन्सिंग (एनएसएल) प्रभाग अंतःसंयोजन के नियम एवं शर्तें निर्धारित करने, सेवा प्रदाताओं के बीच कारगर अंतःसंयोजन सुनिश्चित करने, अंतःसंयोजन एक्सेस प्रभार (आईयूसी) निर्धारण सहित अंतःसंयोजन के सभी मुद्दों का संचालन करने तथा उसकी समीक्षा करने, ऑप्टिकल एक्सेस मुद्दों तथा केबल लैंडिंग स्टेशनों से संबंधित एक्सेस प्रभारों के लिए उत्तरदायी है। प्रभाग बुनियादी, राष्ट्रीय

लम्बी दूरी (एनएलडी) तथा अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी (आईएलडी) लाइसेन्सों के नियम एवं शर्तों और इस प्रभाग द्वारा जारी किए गए विनियमों/निर्देशों/आदेशों के अनुपालन के लिए भी उत्तरदायी है। प्रभाग आईएसपी लाइसेंसों, ब्रॉडबैंड सेवाओं–वायरलाइन तथा वायरलेस, इंटरनेट टेलीफोनी तथा वीओआईपी, राइट ऑफ वे आदि से संबंधित मामलों पर भी निगरानी करता है।

प्रभाग, स्पेक्ट्रम के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के लिए भी उत्तरदायी है, जिनमें अन्य के साथ इसका दक्षतापूर्ण उपयोग तथा इसकी पुनर्रचना भी सम्मिलित है। यह नई वायरलेस प्रौद्योगिकी आरंभ करने से संबंधित मुद्दों तथा विनियामक मुद्दों को भी निपटाता है। प्रभाग, मोबाइल ऑपरेटरों को जारी किए गए लाइसेन्स के नियम एवं शर्तों के अनुपालन संबंधी मुद्दों को देखने; मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सहित वायरलेस सेवा के विभिन्न मुद्दों/पहलुओं; सर्वसामान्य सेवा दायित्वों और दूरसंचार सेवाओं के लिए उपलब्ध स्पेक्ट्रम के दक्षतापूर्ण प्रबंधन; मोबाइल सेवाओं से संबंधित तिमाही पीएमआर तैयार करने तथा आईटीयू/एपीटी अध्ययन समूह की क्रियाकलापों के संबंध में सुझाव देने का कार्य भी करता है।

यह प्रभाग, सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है; ताकि सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवाओं का आवधिक सर्वेक्षण किया जा सके, जिससे दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा की जा सके। यह प्रभाग अंतःसंयोजन करारों के रजिस्टर तथा ऐसे अन्य मामलों का रख–रखाव करने के लिए भी उत्तरदायी है, जैसाकि विनियमों में उपबंधित है।

fof/k iHkkx

9- विधि प्रभाग, प्राधिकरण को सभी विनियामक मुद्दों पर विधिक सलाह प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभाग उन सभी वाद मामलों का प्रबंधन करता है, जिसमें भादूविप्रा एक पक्ष होता है।

lpuk ik|kfxdh ¼vkbZVh½ iHkkx

10. किसी भी संगठन की सफलता के लिए आईटी प्रभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज के युग में कोई भी, कंपनी अलग–थलग पड़ कर नहीं चल सकती है और न ही सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के बिना कार्य कर सकती है। भादूविप्रा का आईटी प्रभाग, प्राधिकरण के सभी कंम्प्यूटर हार्डवेयर परिसम्पत्तियों तथा लैन सेट–अप का अनुरक्षण करता है। यह भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोडिंग करने के लिए भी उत्तरदायी है। प्रभाग, अन्य प्रभागों की विविध आईटी आवश्यकताओं जैसे डेटा का विजुआलाइजेशन करने, विभिन्न पोर्टलों, वेब एप्लीकेशनों तथा मोबाइल एप्लीकेशनों को चालू करने तथा उनका रखरखाव करने के संबंध में आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। प्रभाग 'टेक्नोलॉजी डाइजेस्ट' का भी प्रकाशन करता है, जो कि प्रत्येक अंक में एक प्रौद्योगिकी के पहलू को उठाते हैं। यह प्रभाग नेक्ट जनरेशन नेटवर्क, दूरसंचार क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन, दूरसंचार क्षेत्र में पर्यावरणीय मुद्दे, अवसंरचना प्रबंधन, दूरसंचार क्षेत्र हेतु विनिर्माण तथा दूरसंचार क्षेत्र में कन्वर्जेंस से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करता है।

¼x½ ekuo lalk/ku

(i) *भादूविप्रा मुख्यालय में कर्मचारिवृंदों की संख्या (31–03–2016 की स्थिति के अनुसार)*

11. भादूविप्रा के सचिवालय (मुख्यालय) में कार्य संचालन हेतु कुल 182 (31–03–2016 को) स्टाफ सदस्य हैं, जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करते हैं। जहां आवश्यक होता है, परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं।

Hkknfoik e[;ky; dh depkfjonk dh l[;k ¼31&03&2016 dh fLFkfr d vuqlkj ½

12. 31–03–2016 को भादूविप्रा (मुख्यालय) की कर्मचारिवृंदों की संख्या निम्नानुसार थी :–

Ø- l-	in	Lohd`r	okLrfod
1	सचिव	01	01
2	प्रधान सलाहकार/सलाहकार	14	12
3	संयुक्त सलाहकार/उप सलाहकार	35	32
4	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	03	03
5	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	35	27
6	पीपीएस	02	02
7	तकनीकी अधिकारी	12	07
8	अनुभाग अधिकारी	19	16
9	निजी सचिव	14	13
10	लाइब्रेरियन	01	––
11	सहायक	48	39
12	निजी सहायक	18	07
13	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	01	–
14	स्टेनो "डी"	01	–
15	एलडीसी	07	02
16	चालक ग्रेड–1	01	01
17	चालक ग्रेड–2	14	12
18	पीसीएमओ	02	02
18	डिस्पैच राइडर	01	01
19	परिचर	08	05
dy		239	182

13. भादूविप्रा (मुख्यालय) में सचिव, प्रधान सलाहकार/सलाहकार स्तर के अधिकारियों का विवरण

Ø- l-	vf/kdkjh dk uke /kkfjr in
1	श्री सुधीर गुप्ता सचिव

Ø- l-	vf/kdkjh dk uke /kkfjr in
2	श्री यू0 के0 श्रीवास्तव प्रधान सलाहकार (एनएसएल)

Ø - l-	vf/kdkjh dk uke /kkfjr in	
3	रिक्त प्रधान सलाहकार (सीए एवं क्यूओएस) (टीडी)	
4	श्री एस0 के0 मिश्रा प्रधान सलाहकार (एफ एवं ईए)	
5	श्री सुनील कुमार गुप्ता प्रधान सलाहकार (बी एवं सीएस)	
6	श्री सी0 पी0 एस0 बक्शी सलाहकार (प्रशा. एवं आईआर)	
7	श्री मो0 कासिम सलाहकार (बी एवं सीएस)–1	
8	श्री सुनील कुमार सिंघल सलाहकार (बी एवं सीएस)–2	
9	श्री अग्नेश्वर सेन सलाहकार (सीए)	

Ø - l-	vf/kdkjh dk uke /kkfjr in	
10	श्री अरविन्द कुमार सलाहकार (बीबीएण्डपीए)	
11	श्री संजीव बंज़ल सलाहकार (एनएसएल)–1	
12	श्री संजीत सिंह सलाहकार (विधि)	
13	श्री ए. रॉबर्ट जेरार्ड रवि सलाहकार (सीए एवं क्यूओएस)	
14	श्री विनोद कोटवाल सलाहकार (एफ एवं ईए)	
15	रिक्त सलाहकार (एफ एवं ईए)	

14. भादूविप्रा में पदाधिकारी प्रारंभतः सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं। प्रतिनियुक्ति पर आने वाले दूरसंचार, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रशासन इत्यादि क्षेत्रों में अनुभवी इन पदाधिकारियों को प्रारंभ में

दो वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है और उसके पश्चात, यदि अपेक्षित होता है, संबंधित सरकारी विभागों/संगठनों को उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया जाता है। प्रशिक्षित और अनुभवी विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में प्रतिनियुक्ति की अवधि के विस्तार का प्रयास प्रायः कठिन सिद्ध होता है। जबकि प्राधिकरण के कार्यों का दायरा, स्तर और जटिलता लगातार तेजी से बढ़ रही है, प्राधिकरण इन प्रतिनियुक्तों को उनके मूल विभागों को वापस भेजे जाने के कारण, प्रशिक्षित और अनुभवी कार्मिक की समस्या से जूझ रहा है। अतएव, प्राधिकरण ने भादूविप्रा में स्थायी रूप से समाहित करने के विकल्प के साथ विशिष्ट महारत और कौशलधारी स्टाफ का एक विशिष्ट वर्ग गठित किया है।

¼ii½ Hkrh

15. प्राधिकरण ने विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों से भादूविप्रा में प्रतिनियुक्ति पर आए पदाधिकारियों को समाहित कर, अधिकारियों तथा स्टाफ का अपना स्वयं का एक विशिष्ट वर्ग तैयार किया है। तथापि, अधिकांश प्रतिनियुक्त, विशेष रूप से वरिष्ठ और मध्य स्तर के पदाधिकारी स्थायी रूप से समाहित किए जाने के विकल्प का चयन नहीं करते हैं। इसलिए, इसके सचिवालय के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों/पीएसयू से प्रतिनियुक्ति द्वारा कार्मिक भर्ती अभी जारी है। इसके दो कारण हैं। प्रथमतः, विद्यमान पारिश्रमिक पैकेज, विशेषज्ञ तथा अनुभवी स्वतंत्र प्रतिभा को आकर्शित नहीं करता है। द्वितीय, सरकारी कर्मचारियों में, संबंधित विशेषज्ञता प्रमुख रूप से मंत्रालयों अथवा सरकारी स्वाधिकृत दूरसंचार ऑपरेटरों के पास उपलब्ध है। तथापि, सेवा के अनाकर्षक नियमों एवं शर्तों के कारण, प्राधिकरण विशेषज्ञताधारक जनशक्ति भर्ती करने में कठिनाई अनुभव कर रहा है।

¼iii½ i:f'k{k.k

16. भादूविप्रा अपने कर्मचारियों हेतु दूरसंचार और प्रसारण के क्षेत्र में विशेषकर दरों और सेवा मानदण्डों की गुणवत्ता, सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में सर्वेक्षण कराने के लिए विशेषज्ञता विकसित करने के लिए मानव संसाधन पहलों को सर्वाधिक महत्व प्रदान करता है। यह पहल, इसके अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु परामर्श पत्रों को तैयार करने और प्राप्त फीडबैक तथा प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण के माध्यम से एवं ओपन हाउस चर्चा के दौरान भी दोनों ही तरह से प्राधिकरण हेतु परामर्शदात्री प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए लाभप्रद सिद्ध हुई है। इससे दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करते समय उत्पन्न हुए विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क विकसित करने में भी सहायता प्राप्त हुई है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के चयन और रूपरेखा तैयार करते समय, भादूविप्रा का प्रयास वृहत स्तरीय नीति हेतु बहुविध कौशल प्रदान करना और नीतियों के कार्यान्वयन और निगरानी हेतु संगत तकनीकी–आर्थिक परिचालनात्मक ब्यौरों का रख–रखाव करना है। भादूविप्रा की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रमों को चिन्हित अथवा बनाये और उपयोग में लाए जाने के लिए प्राधिकरण 'सांस्थानिक क्षमता निर्माण परियोजना' के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण हेतु अपने अधिकारियों को प्रायोजित करता है, जिससे संगठन के अंदर उनकी विशेषज्ञता को और विकसित किया जा सके।

17. वर्ष के दौरान, भादूविप्रा के कुछ अधिकारियों को विभिन्न संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नियुक्त किया गया था। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से अधिकारियों को मूल्यवान जानकारियां प्राप्त हुई और इन जानकारियों ने विनियमन कार्य के उनके संबंधित क्षेत्र में उनके कौशलों को समृद्ध किया। भादूविप्रा के 121 अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु नियुक्त किया गया था,जिनमें सीयूटीएस इंटरनेशनल, जयपुर के माध्यम से आयोजित ''विनियामक प्रभाव आकलन'', ओपी जिन्दल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत के माध्यम से ''भारत के विनियामक निकायों हेतु उपयोगी विनियम और रणनीति'' और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए), मानेसर के माध्यम से ''प्रतिस्पर्धी कानून और बाजार विनियम में उन्नत व्यावसायिक पाठ्यक्रम'' संबंधी ऑनलाइन पाठ्यक्रम शामिल हैं।

18. भादूविप्रा के पास आंतरिक प्रशिक्षण और कार्यशालाओं की एक प्रणाली है, जिसमें विख्यात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को दूरसंचार क्षेत्र में हुई नवीनतम प्रगति के संबंध में इसके अधिकारियों के साथ संवाद हेतु आमंत्रित किया जाता है। ये भादूविप्रा द्वारा इसके अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु निर्माण क्षमता के कदम हैं।

¼4½ fopkj xks"Bh@dk;Z'kkyk,a

19. प्राधिकरण ने वैश्विक स्तर पर हो रही प्रगतियों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अपने कर्मचारियों को 27 अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों, बैठकों, संगोष्ठियों के लिए नियुक्त किया, जिससे न केवल इसकी स्वयं की नीति निर्माण हेतु मूल्यवान फीडबैक/जानकारी एकत्र करने के साथ ही साथ तकनीक के क्षेत्रों में नवीनतम विकास के साथ तालमेल कायम करने में सहायता प्राप्त हुई अपितु भारत और बहुत से अन्य देशों में प्रमुख विनियामक चिंताओं के मुद्दों पर केन्द्रित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सहायता प्राप्त हुई तथा भारत को उभरते हुए वैश्विक सूचना समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाया।

¼5½ dk;kZy; Hkou

20. भारत सरकार की नीति के अनुसार, भादूविप्रा सरकारी पूल से कार्यालय भवन हेतु एक पात्र कार्यालय है। लेकिन, 1997 में अपनी स्थापना से ही भादूविप्रा किराये के भवनों से ही कार्य कर रहा है। भादूविप्रा ने विगत में अपना स्वयं का कार्यालय परिसर प्राप्त करने के लिए दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से कठिन प्रयास किये परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। दूरसंचार क्षेत्र और प्रसारण तथा केबल सेवाओं के मामलों को विनियमित करने वाला एक स्वायत्तशासी निकाय होने फलस्वरूप, भादूविप्रा को अपना स्वायत्तशासी चरित्र बनाए रखने के लिए अपने स्वयं के कार्यालय परिसर की आवश्यकता है। वर्तमान में भादूविप्रा का कार्यालय एमटीएनएल के स्वामित्व वाले भवन में किराया आधार पर स्थित है।

¼6½ Hkknfoizk dk deZpkfj;ksa gsrq vkoklh; DokVZj

21. भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, प्रतिनियुक्ति आधार पर प्राधिकरण में आने वाले कर्मचारियों को प्राधिकरण द्वारा विशेष लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने पर जनरल पूल आवास को बनाए रखने की अनुमति है, जो कर्मचारियों से सामान्य लाइसेंस शुल्क वसूल करता है। आवास को अपने पास बनाए रखने की अनुमति कर्मचारियों के अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने अथवा प्राधिकरण के साथ उनके कार्यकाल तक, जो भी पहले हो, होगी। भादूविप्रा द्वारा संपदा

निदेशालय को विशेष लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर जनरल पूल आवास के आवंटन हेतु पात्रता दिल्ली में प्राधिकरण (भादूविप्रा) के सचिवालय में तैनात अधिकारियों तक सीमित होगी, जोकि प्राधिकरण में आने से पहले जनरल पूल से आवास मिलने के पात्र थे पूर्वगामी स्थिति को देखते हुए, संपदा निदेशालय, भादूविप्रा में समाहित होने के पश्चात् अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को न तो जनरल पूल आवास आवंटित कर रहा है और न ही उन्हें पहले से आवंटित आवास को अपने पास बनाए रखने की अनुमति दे रहा है।

¼?k½ foÙkiks"k.k

22. भादूविप्रा एक स्वायत्तशासी निकाय है और यह भारत की संचित निधि से प्राप्त अनुदान द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है। वर्ष 2015–16 में भादूविप्रा के कार्यकरण पर कुल 54.51 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था, जिसमें से 2015–16 के दौरान 10.90 करोड़ रुपए कतिपय परामर्श कार्य और प्रशिक्षण कार्यक्रमों वाली 'संस्थानिक क्षमता निर्माण परियोजना' के ऊपर व्यय हुआ था।

23. भादूविप्रा का यह मानना है कि एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में प्रभावी तौर पर कार्य करने के लिए इसे, इसके द्वारा विनियमित किए जाने वालों से वसूल किए गए लाइसेंस शुल्कों का एक लघु हिस्सा, प्रशासन की लागत के तौर पर दिया जाना चाहिए और इसके कर्मचारियों के लिए नियमों और शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए ताकि यह वरिष्ठ और अन्य स्तरों पर भी गैर–सरकारी स्रोतों से प्रतिभाओं/पेशेवरों की भर्ती करने में सक्षम हो सके। यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि आईआरडीए और सेबी जैसे कुछ अन्य राष्ट्रीय विनियामक उनके द्वारा विनियमित किए जाने वाले क्षेत्र से वसूल किए जाने वाले शुल्कों में से वित्त पोषित किए जा रहे हैं और इस तरह से इन प्राधिकरणों के पास इन कोषों को उनके कार्यकरण की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग करने की शक्तियां हैं।

¼M-½ Hkknfoizk ds {ks=h; dk;kZy;ksa dh 'kq#vkr

24. प्राधिकरण ने वर्ष 2012 में देशभर में विभिन्न स्थानों पर भादूविप्रा के 11 (ग्यारह) क्षेत्रीय कार्यालय शुरू करने की स्वीकृति दी थी। प्राधिकरण ने क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा की और चंडीगढ़, पटना, मुंबई, गुवाहाटी और लखनऊ में स्थित 5 क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद करने और हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, भोपाल, जयपुर तथा दिल्ली में स्थित 6 क्षेत्रीय कार्यालयों को 2014–15 के दौरान संशोधित लाइसेंस सेवा क्षेत्रों के साथ जारी रखने की स्वीकृति दी। भादूविप्रा के ये क्षेत्रीय कार्यालय प्राधिकरण की क्षमता निर्माण परियोजना के भाग के रूप में योजना कोष के अंतर्गत प्रायोगिक परियोजना आधार पर कार्य कर रहे हैं। इसमें शामिल (2015–16 के दौरान) संशोधित लाइसेंस सेवा क्षेत्रों वाले क्षेत्रीय कार्यालय निम्नानुसार स्थित हैंः–

Øe la-	Ng Hkknfoizk {ks=h; dk;kZy;ksa dh vofLFkfr	izR;sd {ks=h; dk;kZy; ds vUrxZr vkus okys ykblsal lsok {ks=
1.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, कोलकाता, उत्तर पूर्व, असम, बिहार
2.	बेंगलुरु	कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मुंबई
3.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, चेन्नई सहित तमिलनाडु, उड़ीसा

4.	भोपाल	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
5.	जयपुर	राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात
6.	दिल्ली	दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर

Hkknfoik d {k=h; dk;ky;k e depkfj;k dh l[;k ¼31-03-2016 d vulkj½

25. दिनांक 31.03.2016 के अनुसार, भादूविप्रा (क्षेत्रीय कार्यालयों) के कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार थी:—

Øe l-	in	Loh—r	dk;jr
1.	सलाहकार	6	4
2.	सं. सलाहकार/ उप—सलाहकार	12	4
3.	व. अनुसंधान अधिकारी	12	10
4.	सहायक	6	3
;kx		36	16

26. Hkknfoik d {k=h; dk;ky;k e lykgdkj Lrj d vf/kdkfj;k dk C;kjk ¼31-03-2016 d vulkj½&

Øe l-	vf/kdkjh dk uke ¼lo/Jh@Jherh½	
1.	रूपा पाल चौधरी सलाहकार कोलकाता	
2.	जी. मुरलीधर सलाहकार हैदराबाद	
3.	अरविंद सिन्हा सलाहकार भोपाल	
4.	डा0 सिबिचेन के0 मैथ्यू सलाहकार बेंगलुरु	
5.	रिक्त — जयपुर	
6.	रिक्त — दिल्ली	

27. उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालयों की भूमिका और कार्य निम्न प्रकार हैं:—

(1) टैरिफ से संबंधित दिशानिर्देशों और दूरसंचार, प्रसारण और केबल सेवाओं के खुदरा टैरिफ की प्रभावी निगरानी की अनुपालना सुनिश्चित करना;

(2) विनियामक और विपणन पहलुओं के संबंध में सेवा प्रदाताओं के साथ समुचित समन्वय करना ;

(3) सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की शिकायत पर कार्रवाई करना;

(4) भादूविप्रा के खुला मंच चर्चाओं/ उपभोक्ताओं समर्थक समूहों की बैठकों का आयोजन करना ;

(5) भादूविप्रा द्वारा नियुक्त की गई स्वतंत्र

संस्थाओं द्वारा लेखापरीक्षा और सर्वेक्षण का समन्वय और निगरानी करना ;

(6) जिला/खण्ड स्तर तक उपभोक्ताओं समर्थक समूहों का विकास और उपभोक्ता समर्थक समूहों के साथ गहन संपर्क करना;

(7) उपभोक्ता जागरूकता हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना;

(8) दूरसंचार विभाग के ''टर्म'' प्रकोष्ठ के साथ गहन संपर्क करना;

(9) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) विनियमों और अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) विनियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना; और

(10) ऐसे प्रशासनिक और वित्तीय कार्य सहित, ऐसे अन्य कार्य करना, जो इसे भादूविप्रा के मुख्यालय द्वारा सौंपे गए हो अथवा भादूविप्रा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक हों।

(च) सूचना का अधिकार

28. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जोकि 12 अक्तूबर, 2005 से प्रभावी हुआ है, भादूविप्रा पर भी लागू होता है। तदनुसार, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने भादूविप्रा में एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और एक केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की है। प्रधान सलाहकार/सलाहकार के स्तर के अधिकारियों को अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। इन अधिकारियों के नाम और पदनाम और सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत प्रकाशित की जाने वाली सूचना को भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

29. वर्ष 2015–16 के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न सूचना मांगने के लिए 995 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन सभी आवेदनों पर तत्परता के साथ कार्रवाई की गई और निर्धारित समय सीमा में इनके उत्तर भेजे गए।

(छ) भादूविप्रा का आईएस/आईएसओ : 2008 प्रमाणन

30. भादूविप्रा को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिसम्बर, 2004 में आईएसओ 9000:2000 प्रमाणीकरण प्रदान किया गया। इसका वर्ष 2007, 2010 और 2013 में तीन वर्ष की आवधि हेतु तीन बार नवीनीकरण किया गया। भादूविप्रा को प्रदत्त आईएसओ मानकों आईएस/आईएसओ 9001:2008 प्रमाणीकरण की वर्तमान सीरीज की वैधता नवम्बर, 2016 तक है। भादूविप्रा में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन और प्रभावीकरण के मूल्यांकन हेतु भारतीय मानक संस्थान ने दिसम्बर, 2004 से हर वर्ष एक बार निगरानी लेखापरीक्षा और तीन बार नवीनीकरण लेखापरीक्षाएं की है। गुणवत्ता–लेखापरीक्षकों ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कामकाज को संतोषजनक पाया है और भारतीय मानक संस्थान द्वारा जारी लाइसेंस को जारी रखने की अनुशंसा की है।

31. छमाही आधार पर आंतरिक लेखापरीक्षा करने से भी प्रणाली में लगातार सुधार को सुनिश्चित किया गया है। इस उद्देश्य हेतु भादूविप्रा के पास 40 आंतरिक गुणवत्ता लेखापरीक्षक है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की मासिक आधार पर सचिव द्वारा और वार्षिक आधार पर उच्च प्रबंधन द्वारा समीक्षा भी की जाती है।

¼t½ jkt Hkk"kk uhfr dk dk;kUo;u

32. सचिव, भादूविप्रा के पर्यवेक्षण के अंतर्गत एक राजभाषा अनुभाग, प्राधिकरण में राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 और राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के द्वारा समय–समय पर इस विषय के संबंध में जारी किए गये अन्य प्रशासनिक निर्देशों के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु कार्य कर रहा है। राजभाषा अनुभाग, प्राधिकरण में केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त, यह विनियमों, प्रेस विज्ञप्तियों, दर संविदाओं, राजपत्र अधिसूचनाओं और अन्य दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करने के समय विभिन्न प्रभागों की अनुवाद संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है।

33. भादूविप्रा के सभी प्रभागों और अनुभागों द्वारा केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन की निगरानी सलाहकार (प्रशा.) की अध्यक्षता में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में सरकारी कार्य में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, भादूविप्रा में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति की समीक्षा भी की गई है और इस संबंध में भविष्य की कार्ययोजना भी तैयार की गई है। राजभाषा से संबंधित कार्य में तेजी लाने के लिए समिति के सदस्यों से मूल्यांकन सुझाव भी आमंत्रित किये गये हैं। रिपोर्ट अवधि के दौरान, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 4 बैठकें, 03.07.2015, 30.09.2015, 31.12.2015 और 30.03.2016 को आयोजित की गई।

34. राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) और दूरसंचार विभाग से प्राप्त विनिर्देशों की अनुपालना में भादूविप्रा में 10 सितंबर, 2015 से 18 सितंबर, 2015 तक ''हिंदी सप्ताह'' का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी निबंध लेखन, कविता पाठ, भाषण, टिप्पण/आलेखन आदि, जैसी विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी स्तर के कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया। हिंदी दिवस के अवसर पर, अध्यक्ष, हिंदी की ओर से राजभाषा नियमों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एक संदेश अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच जारी किया गया।

35. दैनिक सरकारी कार्य में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग को बढ़ाने के लिये हिंदी में विगत सात वर्षों से अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु एक वार्षिक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत, योजना की अवधि के दौरान हिंदी में सरकारी कार्य करने के लिये प्रत्येक वर्ष अधिकारियों/कर्मचारियों को 10 नकद पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। यह योजना कर्मचारियों के बीच काफी लोकप्रिय सिद्ध हुई है और इसने कर्मचारियों को पूरे वर्ष उनका अधिकतम सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

36. अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पण और आलेखन करने और उन्हें केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति से

अवगत कराने के लिए हिंदी में नियमित हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। इन कार्यशालाओं के दौरान प्रतिभागियों को शब्दकोश, प्रशासनिक शब्दावलियां, सहायक/संदर्भ पुस्तकें आदि वितरित की जाती हैं, जिससे उन्हें अपना सरकारी कार्य हिंदी में करने में सहायता होती है। रिपोर्टाधीन अविधि के दौरान प्राधिकरण में 03.07.2015, 30.09.2015, 31.12.2015 और 30.03.2016 को चार हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

37. ''ट्राई दर्पण'' नामक एक द्विभाषी पत्रिका भादूविप्रा की एक आंतरिक पत्रिका है और इसका प्रकाशन हर छमाही पर किया जाता है। रिपोर्टाधीन अविधि के दौरान ''भादूविप्रा दर्पण'' (अंक सं. 17) प्रकाशित हुआ है। इन अंकों को प्राधिकरण और दूरसंचार विभाग की हिंदी सलाहकार समिति दोनों में ही व्यापक सराहना प्राप्त हुई है।

¼11½ vkjf{kr oxZ gsrq fu/kkfjr vkj{k.k dk dk;kZUo;u

वर्ष के दौरान, भादूविप्रा में सीधी भर्ती के आधार पर कोई भी नियुक्ति नहीं की गई। प्राधिकरण पदोन्नति प्रदान करते समय अजा, अजजा, अपिव, पीडब्ल्यू और अन्य पात्र वर्गों हेतु निर्धारित आरक्षण के प्रावधानों का पालन करता आ रहा है। इसके अतिरिक्त, संबंधित वर्ग के प्रतिनिधित्व से संबंधित मामलों हेतु उप सचिव स्तर के संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है। भादूविप्रा में पदोन्नति से संबंधित सभी फाइलें उसके माध्यम से भेजी जाती हैं।

[k½ foÙkh; fooj.k dk i`i= ¼vykHkdkjh l`xBu½ Hkkjrh; nj lpkj fofu;ked ikfèkdj.k 31-03-2016 dh fLFkfr d vu lkj r yu&i=

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के लेखों पर 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी, 2000 में यथासंशोधित) की धारा 23(2) के साथ पठित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संलग्न तुलन–पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में श्रेष्ठ लेखांकन संव्यवहारों, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानदण्डों आदि के साथ वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा कार्यकुशलता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के साथ वित्तीय संव्यवहारों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हैं, पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टों/भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सूचित की गई हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा, सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन इस प्रकार करें कि हमें इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण तथ्यों की गलत–बयानी से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों को समर्थन प्रदान करते साक्ष्य तथा साथ ही वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण शामिल हैं। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आंकलन तथा साथ ही, वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का युक्तिसंगत आधार उपलब्ध कराती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि:—

1) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

2) इस रिपोर्ट द्वारा लेखापरीक्षित तुलन—पत्र तथा आय व व्यय के लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी, 2000 में यथासंशोधित) की धारा 23 (1) के अंतर्गत महालेखा—नियंत्रक द्वारा अनुमोदित ''लेखे के एक समान फॉर्मेट'' में तैयार किए गए हैं।

3) हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा लेखा बहियों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का समुचित रख—रखाव किया गया है।

4) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वार्षिक लेखाओं पर हमारी टिप्पणियां आगामी पैराओं में दी गई हैं।

vk; rFkk 0;; y[k
0;;
eY;âkl ¼;kstukxr 92-35 yk[k #i,½

उपरोक्त शीर्ष में लैन (कार्यालय उपस्कर) पर मूल्यह्रास के रूप में 27.16 लाख रुपए प्रभारित किए गए, जिसकी लागत 171.32 लाख रुपए को वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया। क्योकि परिसम्पत्तियों को दिनांक 04 मार्च, 2016 को सौंपा गया था, यथा अनुपातत: आधार पर मूल्यह्रास परिकलित करने की बजाय संपूर्ण वर्ष के लिए मूल्यह्रास को प्रभारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास तथा वर्ष के लिए व्यय को 26.2 लाख रुपए बढाकर बताया गया तथा इसी राशि के निवल ब्लॉक को कम आंका गया है।

vuqnku lgk;rk

xSj&;kstukxr

गैर—योजनागत वर्ष के दौरान प्राप्त 5832 लाख रुपए (पूर्व के वर्ष के 243 लाख रुपए के अव्ययित शेष सहित) के सहायता अनुदान (गैर—योजनागत) में से 31 मार्च, 2016 तक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण मात्र 5443 लाख रुपए का उपयोग कर पाया तथा 313 लाख रुपए की राशि शेष बच गई।

2- ;kstukxr

इसके अलावा, वर्ष के दौरान प्राप्त 1608 लाख रुपए (पूर्व के वर्ष के 133 लाख रुपए के अव्ययित शेष सहित) के सहायता अनुदान (योजनागत) में से 31 मार्च, 2016 तक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 1214 लाख रुपए का उपयोग कर पाया तथा 394 लाख रुपए की राशि शेष बच गई।

1) पूर्ववर्ती पैराओं में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन—पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, लेखा—बहियों के अनुसार है।

2) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों तथा लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपर्युक्त वर्णित महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के vuqca/k&A में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:

d- जहां तक यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के व्यवसाय की स्थिति के दिनांक 31 मार्च, 2016 (योजना और गैर—योजनागत दोनों) के तुलन पत्र से संबंधित है, और

[k- जहां तक यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लेखे (योजना और गैर—योजनागत दोनों) से संबंधित है।

g0@&
¼ih0 d0 frokjh½
egkfun'kd&ys[kkijh{kk ¼Mkd ,oa rkj½

Hkkjrh; nj lpkj fofu;ked ikf/kdj.k d 31 ekp] 2016 dk lekIr o"k d fy, y[k ij iFkd y[kkijh{kk fjikV dk vuc/k&A

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों, नियमित लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा निरीक्षित बहियों और अभिलेखों तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, हम आगे सूचित करते हैं कि:–

¼1½ vkrfjd y[kkijh{kk i.kkyh dh i;kIrrk

भादूविप्रा के आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग की स्थापना दिनांक 12 जुलाई, 2013 के परिपत्र संख्या 1–25/2012 के माध्यम से की गई थी ताकि आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु प्रशासनिक ढ़ांचे को सुदृढ़ किया जा सके। यह निर्णय लिया गया कि आंतरिक लेखापरीक्षक भादूविप्रा के सचिव को रिपोर्ट सौंपेगा तत्पश्चात् आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए रिपोर्ट को संबंधित प्रभागों को अग्रेषित किया जाता है। तकनीकी अधिकारी (आंतरिक लेखापरीक्षा यूनिट) को भादूविप्रा का आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। तथापि, लेखापरीक्षकों ने यह पाया कि वर्ष 2015–16 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को भादूविप्रा के सचिव महोदय को नहीं सौंपी गई बल्कि सलाहकार (प्रशासन) द्वारा अनुमोदित की गई, जो यह दर्शाता है कि आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र नहीं है।

¼d½ vkrfjd y[kkijh{kk dk {k=kf/kdkj

आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन का क्षेत्राधिकार तथा कार्यकरण, कार्य के स्वरूप, अधीनस्थ कार्यालयों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, व्यय का स्वरूप तथा प्रमात्रा आदि पर निर्भर करता है। वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा योजनाएं तैयार कर ली गई हैं तथा उस पर नियमित रूप से कार्य किया जाता है। तथापि, विशिष्टरूप से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संगठन के कर्तव्यों तथा कार्यकरणों को विनिर्दिष्ट करते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा की नियम पुस्तिका तैयार की जा रही है।

¼[k½ vkrfjd y[kkijh{kk d dr0;

आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन के कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(1) विहित लेखांकन प्रक्रियाओं का इस दृष्टिकोण से अध्ययन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सटीक, पर्याप्त तथा किसी त्रुटि तथा चूक से मुक्त हों;

(2) विहित प्रक्रियाओं तथा समय–समय पर जारी आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

(3) लेखांकन यूनिटों की संवीक्षा तथा भुगतान और लेखांकन कार्य की जांच करना;

(4) सभी लेखा अभिलेखों की आवधिक समीक्षा करना;

(5) प्रत्येक योजना का मूल्यांकन, निगरानी तथा आंकलन करना;

(6) सामान्य रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता तथा प्रभावकारिता, विशेष रूप से वित्तीय प्रणालियों के सटीक स्थिति में होने और वित्तीय तथा लेखांकन रिपोर्टों की विश्वसनीयता का आंकलन करना;

(7) परिणामी बजट में अंतर्विष्ट जोखिम कारकों सहित, जोखिम कारकों की पहचान तथा निगरानी करना;

(8) मध्यावधि में सुधार करने के लिए प्रभावी निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराना।

¼x½ y[kkijh{kk dh iek=k

आंतरिक लेखापरीक्षा ने पिछले निरीक्षण से लेकर आज तक कार्यालय द्वारा रख–रखाव किये गये सभी अभिलेखों की एक सामान्य समीक्षा की है। सामान्य समीक्षा के अलावा, इसने आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभारी द्वारा वर्ष में कम से कम चयनित एक माह के लेखा अभिलेखों की व्यापक जांच भी की है। जांच की सीमा तथा स्वरूप में निम्न शामिल है:–

(क) आहरण और संवितरण अधिकारी के कार्यालय में अनुरक्षित किये जाने हेतु अपेक्षित लेखा अभिलेखों की व्यापक रूप से संवीक्षा;

(ख) आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं सहित भुगतान तथा लेखा प्रक्रियाओं की जांच;

(ग) यह जांच करना कि बिलों में की गई वसूलियां तथा कटौतियां ठीक हैं; जहां कहीं भी अपेक्षित हो जांच करना कि स्रोत पर ठीक से ब्याज को काटा गया है अथवा उसका ठीक से हिसाब–किताब रखा गया है;

(घ) संस्वीकृति प्रदान किये जाने की प्रक्रिया तथा क्रय प्रक्रिया की संवीक्षा करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे किसी भी प्रकार की त्रुटि तथा चूक से मुक्त हों; संविदा की निबंधन और शर्तों के संबंध में संविदाओं की जांच करना;

(ड.) परिसम्पत्तियों के निपटान आदि हेतु अपनाई गई प्रक्रियाओं की जांच करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका अनुपयोगी घोषित किए जाने तथा निपटान किए जाने हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप निपटान किया गया है;

(च) सटीक बीजगणित परिकलन के साथ भुगतान हेतु निर्धारित नियमों तथा आदेशों के अनुरूप ही भुगतान किया जाए;

(छ) वित्तीय तथा लेखा निहितार्थों वाले क्षेत्रों में कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा अपनाई गई सामान्य कार्यालय प्रबंधन प्रक्रियाओं की संवीक्षा करना ताकि प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण को चुस्त–दुरुस्त बनाने, व्यय को कम किए जाने अथवा लेखा को सुग्राही बनाने के लिये उपाय सुझाए जा सकें।

¼?k½ ikfIr;ksa dh tkp

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में संबंधित प्रभाग यह सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है कि सभी राजस्व (शुल्क/दण्ड आदि) अथवा प्राधिकरण की देयताओं का सटीकता तथा उपर्युक्त रूप से निर्धारण किया जाए, उनकी वसूली की जाए तथा संबंधित खातों में जमा किया जाए।

आंतरिक लेखापरीक्षा ने यह पता लगाने के लिए अनिवार्य जांच की है कि क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने सभी राजस्व प्राप्तियों तथा प्रतिदायों के संग्रहण तथा लेखाकरण की प्रभावी जांच के लिये पर्याप्त विनियम और प्रक्रियाएं विहित की हैं और उनका सही ढ़ंग से पालन किया जा रहा है।

¼3½ vkrfjd y[kkijh{kk fd, tku dh vofèk

महत्वपूर्ण यूनिटों की आंतरिक लेखापरीक्षा वर्ष में एक बार की गई थी।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के आकार तथा कार्यकरण के स्वरूप के आधार पर आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त है।

¼2½ vkrfjd fu;=.k i.kkyh i;kIrrk

प्राधिकरण ने भादूविप्रा अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप कर्मचारियों/अधिकारियों की

नियुक्ति, वेतन के निर्धारण, सलाहकार की कार्याविध को बढ़ाने, व्यक्तिक दावों के निपटान, यात्रा भत्ते के दावे, अधिकारियों और कर्मचारिवृंदों के प्रशिक्षण तथा अध्ययन दौरों से संबंधित विभिन्न मामलों हेतु नीतियां तथा प्रक्रियाएं तैयार की हैं। इनका पालन किया जा रहा है। नकदी की प्राप्ति तथा संवितरण तथा नकदी बही का रखरखाव संगत नियमों तथा विनियमों के अनुपालन में उपर्युक्त रूप से किया गया है। नकदी की वास्तविक जांच नियमित रूप से की गई है तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा यथा विहित शेष नकदी की अधिकतम सीमा का रखरखाव किया गया था। प्राधिकरण द्वारा योजनागत तथा गैर योजनागत–दो प्रकार की निधियों का रखरखाव किया जाता है तथा प्रत्येक निधि के लिए पृथक लेखा बही का रखरखाव किया जा रहा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सामान्य निधियों का दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा रखरखाव किया गया है। भारत सरकार से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को योजनागत तथा गैर–योजनागत शीर्षों के तहत प्राप्त होने वाले अनुदानों को इस निधि में जमा किया जाता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय को दूरसंचार विभाग द्वारा योजनागत और गैर–योजनागत शीर्षों के तहत अनुदान जारी किया जाता है ।

हमारे विचार से, संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके आकार और कार्यकरण के स्वरूप से अनुरूप है।

¼3½ LFkk;h ifjlEifÙk;ksa dk okLrfod lR;kiu dh i.kkyh

स्थायी परिसम्पत्तियों के संबंध में रजिस्टरों का हाथ से तथा कम्प्यूटरीकृत ढंग से रखरखाव किया जाता है। परिसम्पत्तियों/भण्डार सामग्री की वास्तविक जांच हेतु एक समिति का गठन किया जा रहा है तथापि, वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 और 2015–16 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों की अचल परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन नहीं किया गया।

हमारे विचार से, संगठन की स्थायी परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन के लिए प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

¼4½ eky lwph dh okLrfod tkap gsrq i.kkyh

मालसूची के अभिलेखों का उपर्युक्त ढ़ंग से रखरखाव किया गया है। वर्ष 2015–16 के लिए मालसूची का वास्तविक सत्यापन किया गया है।

हमारे विचार से, मालसूची के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

¼5½ lkfofèkd ns;rkvksa dk Hkqxrku esa fu;ferrk

अंशदायी भविष्य निधि सहित किसी अन्य सांविधिक देय राशि के संबंध में कोई विवादित राशि देय नहीं है।

foÙkh; fooj.k dk i`i= ¼vykHkdkjh l¡xBu½
Hkkjrh; nj lapkj fofu;ked ikf/kdj.k
31-3-2016 dh fLFkfr ds vuqlkj rqyu&i=

vk;		x`j&;k tuk		;k tuk	
		2015-16	**2014-15**	**2015-16**	**2014-15**
संग्रह/पूंजीगत निधि	1	38,78,61,209	22,62,52,597	68,66,36,926	65,40,90,217
आरक्षित एवं अधिशेष	2				
निर्धारित एवं बंदोबस्ती निधि	3				
प्रतिभूति ऋण एवं उधार	4				
अप्रतिभूति ऋण एवं उधार	5				
अस्थगित क्रेडिट देयताएं	6				
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	19,25,02,035	196,979,662	6,61,85,695	7,73,25,540
कुल		58,03,63,244	42,32,32,259	75,28,22,621	73,14,15,757
परिसंपत्तियां					
स्थायी परिसंपत्तियां	8	1,68,92,778	1,61,87,431		7,30,78,721
निवेश – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9				
निवेश – अन्य	10				
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	56,34,70,466	40,70,44,828	68,89,48,461	65,83,37,036
विविध खर्च					
(बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित नहीं किए गए)					
कुल		**58,03,63,244**	**42,32,32,259**	**68,89,48,461**	**73,14,15,757**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24				
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25				

ह०/-	ह०/-	ह०/-	ह०/-
प्रधान सलाहकार (एफएवंईए)	सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

foÙkh; fooj.k dk i=k ¼vlkHkdkjh lxBu½
Hkkjrh; njlpkj fofu;ked ikf/kdj.k
31-3-2016 dh fLFkfr dk vulkj ryu&i=

vk;	vulph	xj&;kstuk		;kstuk	
		pkyw o"k	fiNyk o"k	pkyw o"k	fiNyk o"k
		2015-16	**2014-15**	**2015-16**	**2014-15**
बिक्री /सेवाओं से आय	12				
अनुदान /सब्सिडी	13	55,89,00,000	41,50,00,000	14,75,00,000	30,00,00,000
शुल्क /अंशदान	14				
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए निवेश से आय – निधियों में अंतरित)	15				
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16				
अर्जित ब्याज	17	1,28,386	1,48,898		
अन्य आय	18	14,87,07,140	15,98,47,834	1,46,182	5,215
तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) और प्रगति पर कार्य	19				
कुल (क)		70,77,35,526	57,49,96,732	14,76,46,182	30,00,05,215
व्यय					
स्थापना व्यय	20	26,03,37,365	22,57,03,861		
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	27,90,61,321	24,69,71,933	11,32,02,296	10,06,97,598
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22				
ब्याज	23				
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग – अनुसूची 8 के अनुरूप)		64,09,135	71,66,449	92,34,561	58,68,861
कुल (ख)		**54,58,07,821**	**47,98,42,243**	**12,24,36,857**	**10,65,66,459**

vk;	vuqlph	xj&;kstuk		;kstuk	
		pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
		2015-16	**2014-15**	**2015-16**	**2014-15**
व्यय से अधिक आय के अर्धशेष के रूप में (क–ख)					
विशेष आरक्षित को अंतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)					
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण					
संग्रह/पूंजीगत निधि में अंतरित अधिशेष/(घाटा) का शेष		16,19,27,705	9,51,54,489	2,52,09,325	19,34,38,756
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24				
आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां	25				

ह०/-
प्रधान सलाहकार (एफएवंईए)

ह०/-
सचिव

ह०/-
सदस्य

ह०/-
अध्यक्ष

foÙkh; fooj.k dk i=i= ¼vykHkdkjh laxBu½
Hkkjrh; nwjlapkj fofu;ked izkf/kdj.k
31&03&2016 dh fLFkfr dk vuqlkj rqyu&i= dk Hkkx cuus okyh vuqlwfp;k

vuqlwph 1 & laxg@iwathxr fuf/k

	xSj&;kstuk		;kstuk	
	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15
वर्ष के आरंभ में शेष	22,62,52,597	13,10,72,337	65,40,90,217	45,79,41,975
जोड़े/घटाएंः संग्रह/पूंजीगत निधि की ओर योगदान	-319,093	25,771	73,37,384	27,09,486
जोड़े (कटौतीं): आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय / (व्यय) का शेष	16,19,27,705	9,51,54,489		19,34,38,756
o"kZ dh lekfIr dh fLFkfr dk vuqlkj rqyu i=	**38,78,61,209**	**22,62,52,597**	**68,66,36,926**	**65,40,90,217**

vuqlwph 2 & vkjf{kr ,oa vf/k'ks"k

	xSj&;kstuk		;kstuk	
	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15
1. पूंजी आरक्षितः	-		-	-
पिछले खाते के अनुसार	-	-		-
वर्ष के दौरान जमा	-		-	-
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षितः विशेष आरक्षित	-	-	-	-
पिछले खाते के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
3. विशेष आरक्षितः	-	-	-	-
पिछले खाते के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
दौरान कटौती	-	-	-	-
4. सामान्य आरक्षितः	-	-	-	-
पिछले खाते के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-	-
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

ह०/-
परामर्शदाता (एफएवंईए)

vuqlwph 3 & fu/kkZfjr @ cnkcLrh fuf/k;k

¼jkf'k & :i,½

	fuf/kokj fooj.k				dqy			
	fuf/k MCY;w	fuf/k ,Dl	fuf/k okbZ	fuf/k tsM	xSj&;kstuk pkyw o"kZ 2015-16	xSj&;kstuk fiNyk o"kZ 2014-15	;kstuk pkyw o"kZ 2015-16	;kstuk fiNyk o"kZ 2014-15
	MCY;w	,Dl	okbZ	tsM				
क) निधि का आरंभिक शेष								
ख) निधि में वृद्धि								
i. दान / अनुदान								
ii. निधि के खाते में निवेश से आय								
iii. अन्य जमा (विविध आय, अग्रिम की प्राप्ति)								
dqy ¼d $ [k½								
ग) निधि के उद्देश्य पर उपयोग/व्यय								
i. पूंजीगत व्यय								
- स्थायी परिसंपत्ति					NIL	NIL	NIL	NIL
- अन्य								
dqy								
ii. राजस्व व्यय								
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि								
- किराया								
- अन्य प्रशासनिक व्यय								
dqy								
dqy ¼x½								
o"kZ dh lekfIr ij fuoy 'ks"k ¼d$[k$x½								

टिप्पणियां:–

1) अनुदानों से संबंधित शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण को प्रासंगिक शीर्ष के अधीन रखा जाना चाहिए

2) केंद्रीय / राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को अलग निधियों के रूप में दर्शाया जाए और किसी अन्य निधि के साथ शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

ह०/–

परामर्शदाता (एफएवंईए)

vu|l ph 4 & ifrHkr _.k vkj m/kkj

	x|j&;kstuk		;kstuk	
	pky o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15	pky o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15
1. केंद्र सरकार	-	-	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-	-	-
4. बैंक	-	-	-	-
क) सावधि ऋण	-	-	-	-
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-	-	-
ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-		-	-
6. डिबेंचर और बांड	-		-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
d|y	-	-		-

fVIi.kh एक वर्ष के अंदर देय राशि

vu|l ph 5 & vifrHkr _.k vkj m/kkj

¼jkf'k & :i,½

	x|j&;kstuk		;kstuk	
	pky o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15	pky o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15
1. केंद्र सरकार		-		-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		-		-
3. वित्तीय संस्थाएं		-		-
4. बैंक		-		-
क) सावधि ऋण		-		-
- ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		-		-
ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)		-		-
- ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		-		-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		-		-
6. डिबेंचर और बांड		-		-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		-		-
d|y				-

fVIi.kh एक वर्ष के अंदर देय राशि

ह०/–
परामर्शदाता (एफएवंईए)

vuqlph 6 & vkLFkfxr ØfMV n;rk,a

	xj&;kstuk		;kstuk	
	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15
क) पूंजीगत उपकरणों एवं अन्य परिसंपत्तियों के आडमान द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-	-	-
ख) अन्य				
dqy	-	-	-	-

fVIi.kh% एक वर्ष के अंदर देय राशि

vuqlph 7 & pkyw n;rk,a vkSj iko/kku

¼jkf'k & :i,½

	xj&;kstuk		;kstuk	
	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15
d- pkyw n;rk,a				
1) स्वीकार्यता	-	-	-	-
2) विविध ऋणदाता	-	-	-	-
क) वस्तुओं के लिए	-	-	-	-
ख) अन्य	-	-	-	-
3) प्राप्त अग्रिम	-	-	-	-
4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं:	-	-	-	-
क) प्रतिभूत ऋण / उधार	-	-	-	-
ख) अप्रतिभूत ऋण / उधार	-	-	-	-
5) सांविधिक देयताएं	-	-	-	-
क) अतिदेय	-	-	-	-
ख) अन्य	-	-	-	-
6) अन्य चालू देयताएं	-	-	-	-
1) ट्राई सामान्य निधि (ईएमडी) के लिए	12,60,700	11,81,500	90,000	67,500
2) टेलीमार्किटर्स पंजीकरण शुल्क के लिए	-		-	-
3) ग्राहक शिक्षा शुल्क के लिए	-		-	-
4) टेलीमार्किटर्स से जुर्माना	-		-	-
dqy ¼d½	**12,60,700**	**11,81,500**	**90,000**	**67,500**
[k- iko/kku				
1. कराधान के लिए				
2. ग्रेच्युटी	4,05,95,280	3,17,21,294	-	-
3. अधिवर्षिता/पेंशन				
4. संचित अवकाश नकदीकरण	4,46,13,173	3,53,04,506	-	-
5. व्यापार वारंटी / दावे				
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)				
व्यय के लिए प्रावधान	**10,60,32,882**	**12,87,72,362**	**6,60,95,695**	**7,72,58,040**
dqy ¼[k½	**19,12,41,335**	**19,57,98,162**	**6,60,95,695**	**7,72,58,040**
dqy ¼d$[k½	**19,25,02,035**	**19,69,79,662**	**6,61,85,695**	**7,73,25,540**

ह०/-
परामर्शदाता (एफएवंईए)

vuqlph 8 & LFkk;h ifjlaifÙk;k xzj&;ktuk

¼jkf'k & :i,½

fooj.k	ldy Cykd				ldy Cykd				fuoy Cykd	
	o"kZ ds vkjEHk esa ykxr@ewY;kadu	o"kZ ds nkSjku of)	o"kZ ds nkSjku dVkSrh	o"kZ ds var esa ykxr@ewY;kadu	o"kZ ds vkjEHk esa	o"kZ ds nkSjku of)	o"kZ ds nkSjku dVkSrh	o"kZ ds var rd ;ksx	pkyw o"kZ ds var rd	fiNys o"kZ ds var rd
क. स्थायी परिसंपत्तियां										
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मशीनें एव उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	78,60,899		485,821	73,75,078	43,15,277	6,11,177	6,22,904	43,03,550	30,71,528	45,44,531

vuqlwph 8 & LFkk;h ifjlEifÙk;ka xSj&;kstuk ¼tkjh-----½

¼jkf'k & :i,½

fooj.k	ldy Cykd				ldy Cykd				fuoy Cykd	
	o"kZ ds vkjEHk esa ykxr@ewY;kadu	o"kZ ds nkSjku o`f)	o"kZ ds nkSjku dVkSrh	o"kZ ds var esa ykxr@ewY;kadu	o"kZ ds vkjEHk esa	o"kZ ds nkSjku o`f)	o"kZ ds nkSjku dVkSrh	o"kZ ds var rd ;ksx	pkyw o"kZ ds var rd	fiNys o"kZ ds var rd
5. फर्नीचर, फिक्सचर	2,08,10,818	16,85,004		2,24,95,822	1,53,21,785	16,56,509		1,69,78,294	55,17,528	62,33,872
6. कार्यालय उपकरण	1,28,36,194	12,50,421	1,60,363	1,39,26,252	1,07,80,915	12,41,761	97,083	1,19,25,593	20,00,659	20,34,518
7. कंप्यूटर/पेरिफिरल	3,21,60,589	31,95,290		3,53,55,879	2,91,20,337	21,64,014		3,12,84,351	40,71,528	48,39,997
8. इलैक्ट्रिक स्थापना	77,60,764	7,22,051		84,82,815	57,27,631	6,91,072		64,18,703	20,64,112	33,78,434
9. पुस्तकालय पुस्तकें	37,91,202	1,87,913		39,79,115	37,67,090	44,602		38,11,692	1,67,423	1,10,828
10. ट्यूबवैल एवं जल आपूर्ति										
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां										
pkyw o"kZ dk ;ksx	**8,52,20,466**	**70,40,679**	**646,184**	**9,16,14,961**	**6,90,33,035**	**64,09,135**	**7,19,987**	**7,47,22,183**	**1,68,92,778**	**2,11,42,180**
fiNyk o"kZ	**8,36,55,180**	**24,55,599**	**8,90,313**	**8,52,20,466**	**6,25,13,000**	**71,66,449**	**6,46,414**	**6,90,33,035**	**1,61,87,431**	**2,14,97,306**
[k- iwathxr dk;Z izxfr ij										
dqy										

ह०/-
परामर्शदाता (एफएवंईए)

vuqlwph 8 & LFkk;h ifjlEifÙk;k xzj&;ktuk

¼jkf'k & :i,½

fooj.k	ldy Cykd					eY;gkl			fuoy Cykd	
	o"kZ dk vkjEHk esa ykxr@ eY;kdu	o"kZ dk nkSjku of)	o"kZ dk nkSjku dVkSrh	o"kZ dk vUr esa ykxr@ eY;kdu	o"kZ dk vkjEHk esa	o"kZ dk nkSjku of)	o"kZ dk nkSjku dVkSrh	o"kZ dk vUr rd ;kx	pkyw o"kZ dk vUr rd	fiNys o"kZ dk vUr rd
क. स्थायी परिसंपत्तियां										
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व फ्लैट/ परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मशीनें एव उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन										
5. फर्नीचर, फिक्सचर	1,861,416			18,61,416	409,789	1,86,141		5,95,930	12,65,486	1,451,627
6. कार्यालय उपकरण	2,283,261	1,71,62,399		1,94,45,660	947,789	32,09,314		41,57,103	1,52,88,557	1,335,472

vuqlwph 8 & LFkk;h ifjlEifÙk;k¡ xzqi&;kstuk ¼tkjh-----½

¼jkf'k & :i,½

fooj.k	ldy Cykd				eY;gkl				fuoy Cykd	
	o"kZ dh vkjEHk esa ykxr@ eY;kdu	o"kZ ds nkSjku of)	o"kZ ds nkSjku dVkSrh	o"kZ ds vUr esa ykxr@ eY;kdu	o"kZ dh vkjEHk esa	o"kZ ds nkSjku of)	o"kZ ds nkSjku dVkSrh	o"kZ ds vUr rd ;ksx	pkyw o"kZ ds vUr rd	fiNys o"kZ ds vUr rd
7. कंप्यूटर/पेरिफिरल	6,31,23,749			6,31,23,749	9,975,504	58,36,432		1,58,11,936	4,73,11,813	7,02,80,644
8. इलैक्ट्रिक स्थापना	12,940			12,940	1,962	2,674		4,636	8,304	10,978
9. पुस्तकालय पुस्तकें	3,64,407			3,64,407	3,64,407			3,64,407	0	0
pkyw o"kZ dk ;ksx	6,76,45,773	1,71,62,399	-	8,48,08,172	1,16,99,451	92,34,561	0	2,09,34,012	6,38,74,160	7,30,78,721
fiNyk o"kZ	6,71,01,704	17,739,694	63,226	8,47,78,172	58,57,569	58,68,861	26,979	1,16,99,451	7,30,78,721	6,12,44,135
[k- iwathxr dk;Z izxfr ij										
dqy										

ह०/-
परामर्शदाता (एफएवंईए)

vuqlwph 9 & fu/kkZfjr@cnkcLrh fuf/k;ksa ls fuos'k

¼jkf'k & :i,½

	xSj&;kstuk		;kstuk	
	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-	-	-
3. शेयर	-	-	-	-
4. डिबेंचर एवं बांड	-	-	-	-
5. सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम	-	-	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
dqy	-	-	-	-

vuqlwph 10 & fuos'k vU;

¼jkf'k & :i,½

	xSj&;kstuk		;kstuk	
	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-		-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-		-
3. शेयर	-		-	-
4. डिबेंचर एवं बांड	-	-	-	-
5. सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम	-	-	-	-
6. अन्य (बैंक एफडीआर)	-		-	-
dqy	-	-		-

ह०/-
परामर्शदाता (एफएवंईए)

vuqlwph 11 & pkyw ifjlaifÙk;k¡] _.k] vfxze vkfn

¼jkf'k & :i,½

fooj.k	xSj&;kstuk pkyw o"kZ 2015-16	xSj&;kstuk fiNyk o"kZ 2014-15	;kstuk pkyw o"kZ 2015-16	;kstuk fiNyk o"kZ 2014-15
d- pkyw ifjlaifÙk;k¡				
1. सामान				
क) स्टोर्स और स्पेयर्स	-	-	-	-
ख) लूज टूल्स	-	-	-	-
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड	-	-	-	-
तैयार माल	-	-	-	-
कार्य प्रगति पर	-	-	-	-
कच्चा माल	-	-	-	-
2. विविध. ऋणदाता				
क) छह माह की अवधि से अधिक बकाया देंनदारी	-	-	-	-
ख) अन्य	-	-	-	-
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)	25,225	52,214	25,000	-
4. बैंक शेष:				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		-		-
- चालू खाता ट्राई सामान्य निधि पर	3,13,21,767	2,43,14,898	3,94,78,981	1,33,61,434
- चालू खाता पंजीकरण शुल्क पर	2,32,000	2,32,000		-
टेलीमार्किटर्स से जुर्माना	2,65,91,413	2,34,95,840		-
- बचत खाता ग्राहक शिक्षा शुल्क पर	8,47,72,637	7,21,52,777		-
- बचत खाता वित्तीय निवर्तक पर	38,74,71,105	254,863,211		-
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ				
- चालू खाता पर	-	-	-	-
- जमा खाते पर	-	-	-	-
- बचत पर	-	-	-	-
5. डाकघर बचत खाता	-	-	-	-
dqy ¼d½	**53,04,14,147**	**37,51,10,940**	**3,95,03,981**	**1,33,61,434**

vuqlwph 11 & pkyw ifjlEifÙk;k¡] _.k] vfxze vkfn

¼jkf'k & :i,½

	xSj&;kstuk		;kstuk	
	pkyw o"kZ **2015-16**	fiNyk o"kZ **2014-15**	pkyw o"kZ **2015-16**	fiNyk o"kZ **2014-15**
[k- _.k] vfxze ,oa vU; ifjlEifÙk;k				
1. ऋण				
क) स्टाफ	11,22,595	11,77,328		
ख) संस्थान के समान गतिविधियों/ उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं				-
ग) अन्य (अधिकारियों एवं स्टाफ को टीए, एलटीसी एवं त्यौहार अग्रिम)	62,500	1,35,500		
2. अग्रिम एवं नकद में या उस प्रकार वसूली योग्य अन्य राशि अथवा प्राप्त होने वाली राशिः				
क) पूंजीगत खाते पर	2,75,00,000	2,75,00,000	64,35,00,000	64,35,00,000
ख) पूर्व भुगतान				
ग) अन्य	22,88,560	9,08,999	59,44,480	14,75,602
3. प्रोद्भूत आय				
क) निधार्रित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर				
ख) निवेश – अन्य पर				
ग) ऋण एवं अग्रिम पर	15,95,029	17,22,968		
घ) अन्य (देय आय में वसूली न गई राशि सहित)				
4. प्राप्त होने वाले दावे	4,87,635	4,89,093		
dqy ¼[k½	**3,30,56,319**	**3,19,33,888**	**64,94,44,480**	**64,49,75,602**
dqy ¼d $ [k½	**56,34,70,466**	**40,70,44,828**	**68,89,48,461**	**65,83,37,036**

ह०/-
परामर्शदाता (एफएवंईए)

vuqlwph 12 & fcØh @ lsokvksa ls vk;

¼jkf'k & :i,½

	xSj&;kstuk		;kstuk	
	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15
1. बिक्री से आय	-	-	-	-
क) तैयार माल की बिक्री	-	-	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-	-	-
ग) स्क्रैप की बिक्री	-	-	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-	-	-
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार	-	-	-	-
ख) पेशेवर/सलाहकार सेवाएं	-	-	-	-
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली	-	-	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	-	-	-	-
ड़) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
dqy	**-**		**-**	**-**

vuqlwph 13 & vuqnku @ lfClMh

	xSj&;kstuk		;kstuk	
	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15
(अपरिवर्तनीय अनुदान एवं सब्सिडी प्राप्त)				
1) केंद्र सरकार	55,89,00,000	41,50,00,000	14,75,00,000	30,00,00,000
2) राज्य सरकार				
3) सरकारी एजेंसियां				
4) संस्थान/कल्याणकारी निकाय				
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन				
6) अन्य (निर्दिष्ट करें)				
dqy	**55,89,00,000**	**41,50,00,000**	**14,75,00,000**	**30,00,00,000**

ह०/-
परामर्शदाता (एफएवंईए)

vuqlph 14 & 'kYd @ v'knku

¼jkf'k & :i,½

	xj&;kt uk		;kt uk	
	pkyw o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15	pkyw o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15
1. प्रवेश शुल्क	-	-	-	-
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान	-	-	-	-
3. सम्मेलन/कार्यक्रम शुल्क	-	-	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-	-	-
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
dqy				

टिप्पणीः प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए

vuqlph 15 & fuos'kksa ls vk;

	fu/kkfjr fuf/k;ksa ls fuos'k			
	xj&;kt uk		;kt uk	
	pkyw o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15	pkyw o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15
(निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए गए निवेश से प्राप्त आय का निधि में अंतरण)				
1) ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूति पर	-	-	-	-
ख) अन्य बोंण्ड / डिबेंचर्स	-	-	-	-
2) लाभांश	-	-	-	-
क) शेयरों पर	-	-		-
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3) किराया	-	-	-	-
4) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
dqy				
fu/kkfjr @ cnkcLrh fuf/k;ksa dk varfjr				

ह०/-
परामर्शदाता (एफएवंईए)

vu|lph 16 & fcØh @ lokvk l vk;

¼jkf'k & :i,½

	x|j&;k tuk		;k tuk	
	pky o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15	pky o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15
1. रॉयल्टी से आय	-	-	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-	-	-
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
d|y	-	-	-	-

vu|lph 17 & vftr C;kt

	x|j&;k tuk		;k tuk	
	pky o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15	pky o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15
1) सावधि जमा पर				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-		-	-
ग) संस्थानों के साथ	-	-		-
घ) अन्य	-		-	-
2) बचत खातों पर				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		-	-	-
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
ग) संस्थानों के साथ	-	-	-	-
घ) अन्य	-	-	-	-
3) ऋणों पर	-	-	-	-
क) कर्मचारी/स्टाफ	1,28,386	1,48,898		3756
ख) अन्य	-	-	-	-
4) ऋणों एवं अन्य प्राप्यों पर ब्याज	-	-	-	-
d|y	**1,28,386**	**1,48,898**	**0**	**3,756**

टिप्पणीः स्रोत पर काटा गया कर दर्शाया जाये ।

ह०/-
परामर्शदाता (एफएवंईए)

vuqlwph 18 & vU; vk;

¼jkf'k & :i,½

	xSj&;kstuk		;kstuk	
	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ			-	-
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	3,49,981		14,226	-
ख) अनुदानों से अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां			-	-
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन			-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क			-	-
4. विविध आय	33,832	1,66,347	131,956	1,459
5. टेलीमार्किटर्स से पंजीकरण शुल्क			-	-
6. टेलीमार्किटर्स से ग्राहक शिक्षा शुल्क	1,26,19,860	11,405,926	-	-
7. टेलीमार्किटर्स से जुर्माना	30,95,573	6,969,057	-	-
8. वित्तीय निवर्तक	13,26,07,894	141,306,504	-	-
dqy	**14,87,07,140**	**15,98,47,834**	**1,46,182**	**1,459**

vuqlwph 19 & fufeZr eky dk LVkWd ,oa izxfr'khy dk;Z esa of)@¼deh½

	xSj&;kstuk		;kstuk	
	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15
क) अंतिम स्टॉक				
- तैयार माल	-	-	-	-
- प्रगतिशील कार्य	-	-	-	-
ख) घटाएं: आंरभिक स्टॉक				
- तैयार माल	-	-	-	-
- प्रगतिशील कार्य	-	-	-	-
fuoy of)@¼deh½ ¼d&[k½	-	-	-	-

ह०/-
परामर्शदाता (एफएवंईए)

vuqlph 20 & LFkkiuk 0;;

	xj&;kstuk		;kstuk	
	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15
क) वेतन एवं मजदूरी	20,69,83489	18,36,04,659	-	-
ख) भत्ते एवं बोनस	2,88,697	2,73,577	-	-
ग) भविष्य निधि में योगदान	65,57,857	49,08,811	-	-
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)			-	-
ड़) स्टाफ कल्याण खर्च	6,13,524	5,00,941	-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवाहित लाभ	3,34,17,085	2,45,55,823		-
छ) अन्य (अधिकारियों एवं स्टाफ को एलटीसी, मेडिकल और स्टाफ को ओटीए)	1,24,76,713	1,18,60,050	-	-
dqy	**26,03,37,365**	**22,57,03,861**	**-**	**-**

ह०/-
परामर्शदाता (एफएवंईए)

vu|lph 21 & vU; i'kklfud 0;; vkfn

¼jkf'k & :i,½

	x|j&;kstuk		;kstuk	
	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15	pkyw o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15
क) खरीद	-	-	-	-
ख) मजदूरी और प्रसंस्करण व्यय	-	-	-	-
ग) कार्टेज और कैरिज प्रभार	-	-	-	-
घ) विद्युत एवं पॉवर	18,89,257	18,85,340	-	-
ड़) जल प्रभार			-	-
च) बीमा	81,796	1,00,679	-	-
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	32,91,452	49,56,131		-
ज) सीमा शुल्क			-	-
झ) किराया, दर और कर	21,04,83,270	17,97,69,793	-	-
ञ) वाहन चालन एवं रखरखाव	17,82,344	22,71,580	-	-
ट) डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	79,53,680	71,50,734	-	-
ठ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	59,94,350	50,06,366	-	-
ड) यात्रा एवं परिवहन व्यय	1,45,60,450	99,92,052	-	-
ण) सेमिनार/ कार्यशाला पर व्यय	36,240	35,622	-	-
त) अंशदान व्यय	1,23,788	31,963	-	-
थ) शुल्क पर व्यय	13,483		-	-
द) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	2,02,706	1,48,070	-	-
ध) आतिथ्य–सत्कार पर व्यय	11,43,384	14,69,957	-	-
न) वृत्तिक व्यय	1,80,16,204	1,96,75,359	-	-
प) अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान			-	-
फ) बट्टे खाते डाला गया अवसूलनीय शेष			-	-
ब) संपत्तियों की बिक्री से हानि	111,962	60,718	-	-
भ) मालभाड़ा एवं अग्रेषण व्यय			-	-
म) वितरण व्यय			-	-
य) विज्ञापन एवं प्रचार		10,06,065	-	-
र) अन्य			-	-
(i) अन्य (सुरक्षा, हाउसकीपिंग आदि को भुगतान)	1,33,76,955	1,34,11,504	-	-
(ii) क्षमता निर्माण पर खर्च		-	11,32,02,296	10,06,97,598
dqy	**27,90,61,321**	**24,69,71,933**	**11,32,02,296**	**10,06,97,598**

ह०/-
परामर्शदाता (एफएवंईए)

vu|l|ph 22 & vu|nku] lfClMh vkfn ij 0;;

¼jkf'k & :i,½

	x|j&;kstuk		;kstuk	
	pky| o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15	pky| o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15
क) संस्थानों/संगठनों के लिए दिया गया अनुदान	-	-	-	-
ख) संस्थानों/संगठनों के लिए दिया गया सब्सिडी	-	-	-	-
d|y				

fVIi.kh% संस्थान के नाम, दी गई अनुदानों/सब्सिडी की राशि के साथ उनकी गतिविधियों का उल्लेख करें

vu|l|ph 23 & C;kt

	x|j&;kstuk		;kstuk	
	pky| o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15	pky| o"kZ 2015-16	fiNyk o"kZ 2014-15
क) सावधि ऋणों पर	-	-	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	-	-	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-		-	-
d|y	-	-		-

ह०/-
परामर्शदाता (एफएवंईए)

foÙkh; fooj.k dk i|i= ¼vyHkdkjh lxBu½ Hkkjrh; nj lpkj fofu;ked ikf/kdj.k 31&03&2016 dk lekIr o"k@vof/k d fy, ikfIr ,o Hkxrku fooj.k

ikfIr	xj&;kstuk		;kstuk		Hkxrku	xj&;kstuk		;kstuk	
	pkyw o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15	pkyw o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15		pkyw o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15	pkyw o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15
I. vkjfHkd 'k"k					1. 0;;				
क) हाथ में नकदी	52,214	1,20,060			क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	23,63,33,679	19,98,10,756		
i) चालू खाते में	2,43,14,898	3,17,85,009	1,33,61,434	1,04,79,312	ख) प्रशासनिक (अनुसूची 21 के अनुरूप)	30,79,35,457	23,39,36,025	12,05,82,901	9,96,47,755
ii) जमा खाते में									
iii) बचत खाते – दंड	2,34,95,840	1,65,26,783			II fofHkUu ifj;kstukvksa d fy, fufèk;ksa l fd;k x;k Hkxrku				
पंजीकरण शुल्क	232,000	2,32,000			(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा				
ग्राहक शिक्षा शुल्क	7,21,52,777	6,07,46,851			परियोजना का नाम दर्शाया जाए)				
वित्तीय निवर्तक	25,48,63,211	11,35,56,707							
II. ikIr vunku					III. fd, x, fuos'k ,o tek				
क) केंद्र सरकार से	55,89,00,000	42,50,00,000	14,75,00,000	13,00,00,000	क) निर्धारित/ बंदोबस्ती से				

ikfIr	xj&;ktuk		;ktuk	
	pky o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15	pky o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15
ख) राज्य सरकार से				
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण दें) (पूंजी एवं राजव्य व्यय के लिए अनुदान को अलग–अलग दर्शाया जाए)				
III. fuEu ei fuo'k l vk;				
क) निर्धारित / बंदोबस्ती निधि				
ख) स्वयं की निधियां (अन्य निवेश)				
IV. ikIr C;kt				
क) बैंक जमा पर				
ख) ऋण, अग्रिम आदि	2,56,325	7,15,481		5,215.00
ग) विविध		25,771	1,31,956	
V vU; vk; ¼fufn"V djs½				

Hkxrku	xj&;ktuk		;ktuk	
	pky o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15	pky o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15
ख) स्वयं निधि से (निवेश – अन्य)				
IV. LFkk;h ifjlifÙk;k ,o iwxr 'khy dk;l ij O;;				
क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	71,19,952	21,38,261	15,774.00	2,66,57,841
ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय				
V. vf/k'k"k jkf'k@_.k dh okilh				
क) भारत सरकार को				
ख) राज्य सरकार को				
ग) निधियों के लिए अन्य प्रदाताओं को (उपभोक्ता संरक्षण निधि) टेलीमार्किटर्स के पंजीकरण शुल्क के लिए ग्राहक शिक्षा शुल्क के लिए				
VI. foÙkh; iHkkj ¼C;kt½				

ikfIr	xj&;kt uk		;kt uk		Hkxrku	xj&;kt uk		;kt uk	
	pkyw o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15	pkyw o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15		pkyw o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15	pkyw o"k 2015-16	fiNyk o"k 2014-15
विविध आय को	33,832	1,66,347			VII. vU; Hkxrku ¼fufn"V dj½				
					ऋण एवं अग्रिम और प्रतिभूति जमा	12,50,370	2,34,400	9,13,234	8,17,497.00
VI m/kkj yh xbZ jkf'k					VIII. vafre 'k"k				
VII. dkbZ vU; ikfIr ¼fooj.k n½					क) हाथ में नकदी	25,225	52,214	25,000.00	
					ख) बैंक शेष				
प्रतिभूति जमा से	79,200	24,90,705	22,500.00		1) चालू खाता में – ट्राई सामान्य निधि	3,13,21,787	2,43,14,898	3,94,78,981	1,33,61,434
अन्य अग्रिम					i) चालू खाता में – पंजीकरण शुल्क	2,32,000	2,32,000		
परिसंपत्तियों की बिक्री से	3,49,981	1,83,181			ii) जमा खाता में				
ऋण एवं अग्रिम और प्रतिभूति जमा से					2) बचत खाता				
पंजीकरण शुल्क से	-				i) ग्राहक शिक्षा शुल्क	8,47,72637	7,21,52,777		
ग्राहक शिक्षा शुल्क से	1,26,19,860	1,14,05,926			ii) टेलीमार्किटर्स से दंड	2,65,91,413	2,34,95,840		
टेलीमार्किटर्स से लिए दंड से	30,95,573	69,59,057			iii) वित्तीय निवर्तक	38,74,71,105	25,48,63,211		
वित्तीय निवर्तक से	13,26,07,894	14,13,06,504							
dqy	**1,08,30,53,605**	**81,12,30,382**	**16,10,15,890**	**14,04,84,527**	dqy	**1,08,30,53,605**	**81,12,30,382**	**16,10,15,890**	**14,04,84,527.00**

ह०/–
प्रधान सलाहकार (एफ/आईएफ)

ह०/–
सचिव

ह०/–
सदस्य

ह०/–
अध्यक्ष

vu|lph 24 & egRoi|.k ys[kkdu uhfr;k

1 ys[kk ijijk,a

(क) गैर–योजना और योजना दोनों के लिए उचित और स्पष्ट वित्तीय विवरण लेखा महानियंत्रक द्वारा उनके पत्र सं एफ. सं.19 (1)/विविध/2005/टीए/450–490 दिनांकित 23.07.2007 द्वारा अनुमोदित ''खातों के एकसमान प्रारूप'' में तैयार किए गए हैं।

(ख) चालू वर्ष अर्थात, 2015–16 के लिए लेखा संग्रहण के आधार पर तैयार किया गया है। पिछले साल से लेखा की विधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) लेखा बहियों में सभी निर्विवादित और ज्ञात देनदारियों के लिए प्रावधान किया गया है।

(घ) आंकड़ों को निकटतम रुपयों में तारांकित कर दिया गया है।

(ड.) तथ्यों और इस मामले में शामिल कानूनी पहलुओं के सावधानी से मूल्यांकन के बाद आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया गया है।

2 LFkk;h ifjlifÙk;k

स्थायी परिसंपत्तियों को आवक भाड़े, शुल्कों और करों तथा अधिग्रहण से संबंधित आनुषंगिक और प्रत्यक्ष खर्च को समावेशी अधिग्रहण की लागत में दर्शाया गया है।

3 eY;gkl%

(क) स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के भाग ''सी'' की निर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति से दिया गया है, जिसमें नीचे वर्णित श्रेणियों की संपत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन पर मूल्यह्रास उच्च दरों से लगाया गया है।

oxZ	diuh vf/kfu;e] 1956 ds vu|lkj fu/kkZfjr U;|ure eY;gkl nj	ykxw eY;gkl nj
कार्यालय उपकरण	19.00%	19.00%*
फर्नीचर और फिक्स्चर	9.50%	10.00%
विद्युत उपकरण	9.50%	10.00%
एयर कंडीशनर	9.50%	10.00%
पुस्तकें और प्रकाशन	6.33%	20.00%

** कार्यालय उपकरणों में कार्यालय संबंधी उद्देश्यों के लिए अधिकारियों को मुहैया कराए गए मोबाइल हैंडसेट शामिल हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 04.05.2007 के आदेश संख्या 2.1/97-LAN के तहत DoT के पैटर्न पर इन हैंडसेटों को तीन वर्षों में मुहैया/बट्टे खाते में डालने का निश्चय किया है। तदनुसार, 2007–08 से मोबाइल हैंडसेटों पर मूल्यह्रास 33.33% की दर से प्रभारित किया गया हैं*

(ख) वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों के परिवर्धन के संबंध में, मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर माना जाता है।

(ग) 5000 / – रुपये या कम की लागत की प्रत्येक परिसंपत्तियां पूरी तरह से प्रदान की जाती हैं।

4 fon’kh eqæk ysunsu%

विदेशी मुद्राओं में नामित लेन–देन को लेन–देन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया गया है।

5 lsokfuo`fÙk ykHk

(क) प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के मामले में 31.03.2016 के लिए समय–समय पर मूल नियमों के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान के लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।

(ख) नियमित कर्मचारियों के मामले में, वर्ष 2015–16 के लिए अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्यूटी का प्रावधान बीमांकिक द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।

6 ljdkjh vuqnku%

(क) चालू वर्ष के दौरान विशिष्ट स्थायी संपत्तियों के संबंध में कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है।

(ख) सरकारी अनुदान राशियों का लेखांकन सरकार से वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों के आधार पर किया गया है।

(ग) टेलीमार्किटर्स और वित्तीय निवर्तक पर दंड के खाते में प्राप्त राशि का नकदी आधार पर हिसाब किया गया है।

vuqlwph 25 & vkdfLed ns;rk,¡ vkSj [kkrk ij fVIif.k;k

1 आकस्मिक देयताएं:

संस्था के खिलाफ ऋण के रूप स्वीकार नहीं किए गए दावे, वर्तमान वर्ष में (शून्य) (पिछले वर्ष शून्य)

2 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम:

प्रबंधन की राय में, मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम में व्यापार के सामान्य क्रम में वसूली पर मूल्य है, जो कम से कम तुलन पत्र में दिखाई गई कुल राशि के बराबर है।

3 कराधान:

ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 32 के अनुसार, ट्राई को संपत्ति और आय पर कर से छूट दी गई है।

4 अनुदान

लेखा वर्ष 2015–16 के दौरान, वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान राशियां गैर योजना और योजना शीर्ष के तहत क्रमानुसार रू. 55.89 करोड़ तथा रू. 14.75 करोड़ हैं।

5 दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेशण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 से संबंधित लेन–देन

“दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार, ट्राई ने पंजीकरण शुल्क, ग्राहक शिक्षा शुल्क, टेलीमार्किटर्स और वित्तीय निवर्तक पर दंड के लिए कॉरपोरेशन

बैंक में चार खाते खोल दिए हैं। 31 मार्च 2016 को 1,26,19,860/– रुपए, 30,65,573/– रुपए और 13,26,07,894/– रुपए की राशि क्रमशः ग्राहक शिक्षा शुल्क, टेलीमार्किटर्स और वित्तीय निवर्तक पर दंड के रूप में प्राप्त की गई है। इस राशि को अनुसूची 18 में – 'अन्य आय' के रूप में दिखाया गया है।

6 fiNys o"kZ ds vkadM+s

पिछले वर्ष के तदनुरूप आंकडों को, जहां कहीं आवश्यक था, पुनःवर्गीकृत/व्यवस्थित किया गया है। पिछले वर्ष से संबंधित व्यय/आय अर्थात पूर्व अवधि के व्यय/आय को पूंजीगत निधि के माध्यम से ले जाया गया है ।

7 fons'kh eqæk esa ysunsu

विदेशी मुद्रा में व्ययः	गैर–योजना शीर्ष	शून्य
विदेशी मुद्रा में व्ययः	योजना शीर्ष	शून्य
(क)	यात्राः	अधिकारियों को विदेश यात्रा के टीए/डीए खर्च के लिए 1,24,20,559/– रुपये की राशि का भुगतान किया गया। विदेशी संस्थानों के लिए भागीदारी शुल्क हेतु 7,60,134/– रु. का भुगतान किया गया।
(ख)	वित्तीय संस्थाओं, बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा में विप्रेषण और ब्याज का भुगतान	शून्य
(ग)	अन्य व्ययः	शून्य

8 अनुसूची 1 से 25 को 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का अभिन्न भाग बनाने के लिए संलग्न किया गया है ।

ह०/–	ह०/–	ह०/–	ह०/–
प्रधान सलाहकार (एफएवंईए)	सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

x½ foÙkh; fooj.k dk i= ¼vykHkdkjh laxBu½ Hkkjrh; nwjlapkj fofu;ked izkf/kdj.k & va'knk;h Hkfo"; fuf/k [kkrk 31 ekpZ 2016 dks rqyu&i=

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अशंदायी भविष्य निधि के लेखों पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम (अशंदायी भविष्य निधि) नियम, 2003 के नियम 5(5) के साथ पठित नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अशंदायी भविष्य निधि के संलग्न तुलन–पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में श्रेष्ठ लेखांकन संव्यवहारों, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानदण्डों आदि के साथ वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा कार्यकुशलता–सह–निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के साथ वित्तीय संव्यवहारों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हैं, पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सूचित की गई हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा, सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन इस प्रकार करें कि हमें इस संबंध में युक्तिसंगत

आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण तथ्यों की गलत बयानी से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में शामिल है – परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों को समर्थन प्रदान करते साक्ष्य तथा साथ ही वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आंकलन तथा साथ ही, वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का युक्तिसंगत आधार उपलब्ध कराती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि:–

i. हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

ii. इस रिपोर्ट द्वारा लेखापरीक्षित तुलन–पत्र तथा आय व व्यय के लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम (अशंदायी भविष्य निधि) नियम, 2003 के नियम 5(5) के अंतर्गत नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित ''लेखे के एक समान फॉर्मेट'' में तैयार किए गए हैं।

iii. हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अशंदायी भविष्य निधि लेखा द्वारा लेखाबहियों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का समुचित रख–रखाव किया गया है।

iv. हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, लेखा–बहियों के अनुसार है।

v. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों तथा लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपर्युक्त वर्णित महत्वपूर्ण मामलों एवं इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध–। में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:

क. जहां तक यह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अशंदायी भविष्य निधि लेखा के व्यवसाय की स्थिति के दिनांक 31 मार्च, 2016 तुलन पत्र से संबंधित है, और

ख. जहां तक यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए व्यय की तुलना में अधिक आय के आय और व्यय लेखे से संबंधित है।

ह0/–
¼ih0 d0 frokjh½
महानिदेशक–लेखापरीक्षा (डाक एवं तार)

v'knk;h Hkfo"; fuf/k [kkrk

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)–अशंदायी भविष्य निधि खाते में मौजूद आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन वर्ष 2015–16 के लिए भादूविप्रा के वार्षिक लेखों के अनुप्रमाणन के दौरान किया गया तथा इसके संबंध में निम्न रिपोर्ट उपलबध कराई गई है:–

1- ifjp;

भारत सरकार, असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 333(ई) दिनांक 10 अप्रैल, 2003 के अंतर्गत जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियमावली, 2003 में नियम 3(1) के अनुपालन में 5 मई, 2003 की स्थापना की गई। यह वित्तीय विवरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि लेखा के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है। भादूविप्रा में कर्मचारियों की कुल संख्या 239 है तथा 183 कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं, जिसमें से 57 प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा 126 नियमित हैं। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के जीपीएफ/ईपीएफ/सीपीएफ, जैसा भी मामला हो, के लिए वेतन से कटौती कर उनकी नियुक्ति की निबंधन और शर्तों के अनुरूप उनके मूल कार्यालय को भेज दिया जाता है। भादूविप्रा के नियमित कर्मचारियों के मामले में, सीपीएफ नियमों के अनुरूप उनके वेतन से सीपीएफ हेतु कटौतीयों की जाती हैं तथा कर्मचारी और साथ ही नियोक्ता के अंशदान को भादूविप्रा द्वारा भादूविप्रा–सीपीएफ में प्रत्येक कर्मचारी की कटौती के ब्यौरे सहित माह दर माह आधार पर जमा कर दिया जाता है।

2- laxBukRed lajpuk

भादूविप्रा–सीपीएफ खाते में स्वयं के कोई अलग से कर्मचारी नहीं हैं। भादूविप्रा–सीपीएफ खाते के समग्र अनुरक्षण न्यासी मंडल द्वारा किया जाता है, जिनका गठन केवल भादूविप्रा के कर्मचारियों से किया जाता है। भादूविप्रा के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वित्त) न्यासी मंडल का सचिव होता है। निम्नलिखित कर्मचारी मंडल के न्यासी होते हैं:–

(1)	सलाहकार (एएण्डपी)	:	अध्यक्ष
(2)	संयुक्त सलाहकार (एफएण्डईए)	:	न्यासी (पदेन)
(3)	उप सलाहकार (मानव संसाधन)	:	न्यासी (पदेन)
(4)	संयुक्त सलाहकार (एफएण्डईए)	:	न्यासी (नामनिर्दिष्ट)
(5)	पीएस (एफएण्डईए)	:	न्यासी (नामनिर्दिष्ट)

न्यासी मंडल का सचिव, भादूविप्रा–सीपीएफ खाते के लेखों का अनुरक्षण करने तथा न्यासी मंडल की बैठकें आयोजित करने के लिए उत्तरदायी होता है। न्यासी मंडल के सभी निर्णय उनकी आवधिक बैठकों में लिए जाते हैं।

3- vkrafjd ys[kkijh{kk dk dk;Z{ks= rFkk Lora=rk

भादूविप्रा का स्वयं का आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग है, जिसके प्रमुख, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (आईए) हैं, जो सीधे सचिव, भादूविप्रा को रिपोर्ट करते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट को अनुमोदन हेतु सचिव

के समक्ष रखा जाता है तत्पश्चात् इन्हें अनिवार्य उपचारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित प्रभागों को भेजा जाता है। इस प्रभाग द्वारा की गई कार्रवाई की नियमित तथा सतत् रूप से निगरानी की जाती है।

4- fuf/k;k dh ikfIr;k vkj lforj.k

निधियों की प्राप्तियों तथा संवितरण से संबंधित कार्य को सहायक द्वारा न्यासी मंडल के सचिव के पर्यवेक्षण में किया जाता है। भादूविप्रा–सीपीएफ खाते में नकदी का कोई लेन–देन नहीं किया जाता है चूंकि सभी प्राप्तियां तथा भुगतान केवल चेक के माध्यम से किए जाते हैं। भादूविप्रा से सीपीएफ कटौतीयों की प्राप्तियां तथा भादूविप्रा–सीपीएफ के खाते से सदस्यों को सीपीएफ आहरण हेतु किए गए किसी भुगतान को नियमित रूप से बैंक बही में दर्ज किया जाता है।

5- fuos'k

भादूविप्रा–सीपीएफ के खाते से निधियों को सरकारी मानदंडों के अनुरूप विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इन प्रतिभूतियों पर प्राप्त/प्रोद्भूत ब्याज को ब्याज से प्राप्त आय में जमा किया जाता है। निवेश करने संबंधी निर्णय को न्यासी मंडल की आवधिक बैठक में लिया जाता है।

6- C;kt

केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर सामान्य भविष्य निधि हेतु निर्धारित ब्याज दर के अनुसार सीपीएफ में सदस्यों की जमा राशि पर प्राप्त ब्याज को उनके खाते में जमा किया जाता है। सीपीएफ में सदस्यों को किए जाने वाले ब्याज के भुगतान में किसी भी प्रकार की कमी होने पर उसे भादूविप्रा के सामान्य निधि से भुगतान कर पूरा किया जाता है।

7- lhih,Q ls jkf'k dk vkgj.k@vfxze

भादूविप्रा–सीपीएफ के खाते के सदस्यगण सीपीएफ दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने खाते में बची शेष राशि में से आहरण करने अथवा अस्थायी अग्रिम प्राप्त करने के हकदार हैं। सदस्यों को अग्रिम दिए जाने पर भादूविप्रा के आहरण तथा संवितरण अधिकारी को संबंधित सदस्य के वेतन से अग्रिम की वसूली हेतु किए जाने वाली मासिक कटौती के बारे में जानकारी दी जाती है।

ह0/–
¼jktho dqekj½
निदेशक (रिपोर्ट)

iFkd y[kkijh{kk fjikV dk vuc/k&I

31 ekp] 2016 dk lekIr o"k d fy, Hkkjrh; nj lpkj fofu;ked ikf/kdj.k & v'knk;h Hkfo"; fuf/k y[kk

हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों, नियमित लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा निरीक्षित बहियों और अभिलेखों तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, हम आगे सूचित करते हैं कि:–

¼1½ vkrfjd y[kkijh{kk i.kkyh dh i;kIrrk%&

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि लेखे की आंतरिक लेखापरीक्षा जून, 2016 में की गई है तथा आंतरिक लेखापरीक्षा को सलाहकार (प्रशासन) द्वारा अनुमोदित किया गया। संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

¼2½ vkrfjd fu;=.k i.kkyh dh i;kIrrk%&

संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है तथा यह इसके कार्यों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

foÙkh; fooj.k dk i|i= ¼vykHkdkjh l|xBu½
Hkkjrh; nj lapkj fofu;ked izkf/kdj.k & va'knk;h Hkfo"; fuf/k [kkrk
31 ekp] 2016 dk rqyu&i=

l|xg@iwathxr fuf/k	vuqlwph	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
ट्राई –सीपीएफ सदस्य खाता	1	107,944,782.00	107,769,127.00
आरक्षित एवं अधिशेष	2	5,420,942.72	4,903,670.00
निर्धारित एवं बंदोबस्ती निधि	3		
प्रतिभूति ऋण एवं उधार	4		
अप्रतिभूति ऋण एवं उधार	5		
अस्थगित क्रेडिट देयताएं	6		
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	2,104,670.33	-
dqy		**115,470,395.05**	**112,672,797.00**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8		-
निवेश – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9		-
निवेश – अन्य	10	106,600,000.00	108,000,000.00
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	8,870,395.05	4,672,797.00
विविध खर्च			-
(बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित नहीं किए गए)			
dqy		**115,470,395.05**	**112,672,797.00**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24			
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25			

g०@&
Jh th-vkj- jkekuqte
,lvkjvk ¼foRr½
lfpo ¼lhih,Q½

g०@&
Jh vuqjkx 'kek
mi&lykgdkj ¼iz'kklu½
io&inu U;klh

g०@&
Jh ,- d- <hxjk
lq;Dr lykgdkj
¼,Q ,oa bZ,½ U;klh

g०@&
Jherh 'kkfyuh dVkp
futh lfpo
¼,Q ,oa bZ,½ U;klh

g०@&
Jh lh- ih- ,l cD'kh
lykgdkj ¼iz'kklu½
io&inu v/;{k

foÙkh; fooj.k dk ii= ¼vykHkdkjh lxBu½ Hkkjrh; nj lpkj fofu;ked ikf/kdj.k & vi'knk;h Hkfo"; fuf/k [kkrk 31-3-2016 dk lekIr o"k@vof/k d fy, vk; ,o 0;; y[kk

vk;	vuqlwph	pkyw o"k	fiNyk o"k
बिक्री /सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान /सब्सिडी	13	-	-
शुल्क /अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए निवेश से आय–निधियों में अंतरित) आय – निधियों में अंतरित)	15	5,045,117.87	3,811,934.44
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	4,797,396.25	4,119,498.70
अन्य आय	18	-	255,941.00
तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) और प्रगति पर कार्य	19	-	-
dqy ¼d½		**9,842,514.12**	**8,187,374.14**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	1,685.40	2,889.90
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	9,323,556.00	8,015,557.00
म्युचूअल फंडों में निवेश मूल्य में कमी			
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग – अनुसूची 8 के अनुरूप)			
dqy ¼[k½		**9,325,241.40**	**8,018,446.90**
व्यय से अधिक आय के अधिशेष का शेष (क–ख)		517,272.72	168,927.24
निवेशों के मूल्य में ह्रास होने के कारण विविध व्यय में कुछ सीमा तक अतंरित परंतु बटट्े खाते में नहीं डाला गया।			-
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण		517,272.72	168,927.24
संग्रह/पूंजीगत निधि में अंतरित अधिशेष/(घाटा) का शेष			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

g०@&	g०@&	g०@&	g०@&	g०@&
Jh th-vkj- jkekuqte	Jh vuqjkx 'kek	Jh ,- d- <hxjk	Jherh 'kkfyuh dVkp	Jh lh- ih- ,l cD'kh
,lvkjvk ¼foRr½	mi&lykgdkj ¼i'kklu½	lq;Dr lykgdkj	futh lfpo	lykgdkj ¼i'kklu½
lfpo ¼lhih,Q½	io&inu U;klh	¼,Q ,o b,½ U;klh	¼,Q ,o b,½ U;klh	io&inu v/;{k

foÙkh; fooj.k dk i=k ¼vykHkdkjh laxBu½ Hkkjrh; nwjlapkj fofu;ked iaf/kdj.k & va'knk;h Hkfo"; fuf/k [kkrk 31 ekpZ 2016 dh fLFkfr ds vuqlkj rqyu&i= dk Hkkx cuus okyh vuqlwfp;k

vuqlwph 1 & VkbZ & lhih,Q lnL; [kkrk

¼jkf'k & :i,½

	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
वर्ष के आरंभ में शेष	107,769,127.00	86,462,501.00
घटाएंः पिछले वर्ष के लिए समायोजन		
जोड़ेंः सदस्यों के खाते में अंशदान	175,655.00	21,306,626.00
जोड़े (घटाएं)ः आय एवं व्यय लेखे से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष		
o"kZ dh lekfIr dh fLFkfr ds vuqlkj rqyu&i=	**107,944,782.00**	**107,769,127.00**

vuqlwph 2 & vkjf{kr ,oa vf/k'ks"k

	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
1. पूंजी आरक्षितः		
पिछले खाते के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती		
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षितः		
पिछले खाते के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती		
3. विशेष आरक्षितः		
पिछले खाते के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती		
4. सामान्य आरक्षितः		
पिछले खाते के अनुसार	4,903,670.00	4,734,742.76
वर्ष के दौरान जमा	517,272.72	168,927.24
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती		
dqy	**5,420,942.72**	**4,903,670.00**

vuqlwph 3 & fu/kkZfjr @ cnkcLrh fuf/k;k¡

¼jkf'k & :i,½

	fuf/kokj fooj.k				pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
	fuf/k MCY;w MCY;w	fuf/k ,Dl ,Dl	fuf/k okbZ okbZ	fuf/k tsM tsM		
क) निधि का आरंभिक शेष						
ख) निधि में वृद्धि						
i. दान / अनुदान						
ii. निधि के खाते में निवेश से आय						
iii. अन्य जमा (विशेष प्रकृति)						
dqy ¼d $ [k½						
ग) निधि के उद्देश्य पर उपयोग/व्यय						
i. पूंजीगत व्यय						
- स्थायी परिसंपत्ति						
- अन्य						
dqy						
ii. राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि						
- किराया						
- अन्य प्रशासनिक व्यय						
dqy						
dqy ¼x½						
o"kZ dh lekfIr ij fuoy 'ks"k ¼d$[k$x½						

fVIif.k;k¡&

1) अनुदानों से संबंधित शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण को प्रासंगिक शीर्ष के अधीन रखा जाना चाहिए
2) केंद्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को अलग निधियों के रूप में दर्शाया जाए और किसी अन्य निधि के साथ शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

vuqlph 4 & ifrHkfr _.k vkj m/kkj

¼jkf'k & :i,½

	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधि ऋण		
- ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)		
- ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बांड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
dqy		

vuqlph 5 & vifrHkfr _.k vkj m/kkj

¼jkf'k & :i,½

	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधि ऋण		
- ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)		
- ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बांड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
dqy		

fVIi.kh% एक वर्ष के अंदर देय राशि

vuqlph 6 & vkLFkfxr ØfMV n;rk,a

¼jkf'k & :i,½

	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
क) पूंजीगत उपकरणों एवं अन्य परिसंपत्तियों के आडमान द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां		
ख) अन्य		
dqy		

fVIi.kh% एक वर्ष के अंदर देय राशि

vuqlph 7 & pkyw n;rk,a vkSj izko/kku

¼jkf'k & :i,½

	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
क. चालू देयताएं		
1) स्वीकार्यता		
2) विविध ऋणदाता		
क) वस्तुओं के लिए		
ख) अन्य		
3) प्राप्त अग्रिम		-
4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं:		
क) प्रतिभूत ऋण / उधार		
ख) अप्रतिभूत ऋण / उधार		
5) सांविधिक देयताएं		
क) अतिदेय		
ख) अन्य		
6) अन्य चालू देयताएं		
(I) कार्पोरेशन बैंक आसफ अली रोड – बुक ओवरड्राफ्ट	2,104,670.33	-
dqy ¼d½	**2,104,670.33**	-
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए		
2. ग्रेच्युटी		
3. अधिवर्षिता/पेंशन		
4. संचित अवकाश नकदीकरण		
5. व्यापार वारंटी / दावे		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
dqy ¼[k½	-	-
dqy ¼d$[k½	**2,104,670.33**	-

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां

(राशि – रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष की आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अन्त में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अन्त तक योग	चालू वर्ष के अन्त तक	पिछले वर्ष के अन्त तक
क. स्थायी परिसंपत्तियां										
1. भूमि										
क) फ्रीहोल्ड										
ख) लीज़होल्ड										
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर										
ख) लीज़होल्ड भूमि पर										
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर										
घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं										
3. संयत्र मशीनें एव उपकरण										
4. वाहन										
5. फर्नीचर, फिक्सचर										
6. कार्यालय उपकरण										
7. कंप्यूटर / पेरिफिरल										
8. इलैक्ट्रिक स्थापना										
9. पुस्तकालय पुस्तकें										
10. ट्यूबवैल एवं जल आपूर्ति										
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां										
चालू वर्ष का योग										
पिछला वर्ष										
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर										
कुल										

(टिप्पणी: उपरोक्त सहित किराया क्रय पर परिसंपत्तियों की लागत के रूप में दिया जाना चाहिए)

vu|l|ph 9 & fu/kkfjr@cnkcLrh fuf/k;k l fuo'k

¼jkf'k & :i,½

	pky| o"k	fiNyk o"k
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर एवं बांड		
5. सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
d|y		

vu|l|ph 10 & fuo'k vU;

	pky| o"k	fiNyk o"k
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	59,700,000.00	64,700,000.00
दीर्घावधि निवेश – रू. 5,97,00,000		
चालू निवेश –		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर एवं बांड		
5. सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (बैंक/पीएसयू में सावधि जमा) – दीर्घावधि	46,900,000.00	43,300,000.00
d|y	**106,600,000.00**	**108,000,000.00**

vuqlwph 11 & pkyw ifjlEifÙk;k¡] _.k] vfxze vkfn

¼jkf'k & :i,½

	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
d- pkyw ifjlEifÙk;k¡		
1. सामान		
क) स्टोर्स और स्पेयर्स	-	-
ख) लूज टूल्स	-	-
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड		
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति पर	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध डेब्टर्स		
क) छह माह की अवधि से अधिक बकाया डेब्ट	-	-
ख) अन्य	-	-
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)		
4. बैंक शेषः		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाता पर	-	-
- जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)	2,773,365.00	444,259.01
- बचत खाते पर	155,046.22	226,666.41
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाता पर	-	-
- जमा खाते पर	-	-
- बचत खाते पर	-	-
5. डाकघर बचत खाता	-	-
dqy ¼d½	**2,928,411.22**	**670,925.42**

(जारी...)

vuqlwph 11 & pkyw ifjlEifÙk;k¡] _.k] vfxze vkfn ¼tkjh---½

¼jkf'k & :i,½

		pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
[k- _.k] vfxze ,oa vU; ifjlEifÙk;k¡			
1.	ऋण		
	क) स्टाफ		-
	ख) संस्थान के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं		-
	ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)		-
2.	अग्रिम एवं नकद में या उसी प्रकार की वसूली योग्य अन्य राशि अथवा प्राप्त होने वाली राशिः		
	क) पूंजीगत खाते पर		-
	ख) पूर्व भुगतान		-
	ग) अन्य		-
3.	प्रोद्भूत आय		
	क) निधारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर		-
	ख) निवेश – अन्य पर	5,941,983.83	4,001,871.58
	ग) ऋण एवं अग्रिम पर		
	घ) अन्य		
	(देय आय में वसूली न गई राशि सहित)		
4.	प्राप्ति योग्य दावे		
dqy ¼[k½		**5,941,983.83**	**4,001,871.58**
dqy ¼d $ [k½		**8,870,395.05**	**4,672,797.00**

vuqlwph 12 & fcØh @ lsokvksa ls vk;

¼jkf'k & :i,½

	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री		
ख) कच्चे माल की बिक्री		
ग) स्क्रैप की बिक्री		
2. सेवाओं से आय		
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार		
ख) पेशेवर/सलाहकार सेवाएं		
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली		
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)		
ड़) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
dqy		

vuqlwph 13 & vuqnku @ lfClMh

	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
(अवसूलनीय अनुदान एवं सब्सिडी प्राप्त)		
1) केंद्र सरकार		
2) राज्य सरकार		
3) सरकारी एजेंसियां		
4) संस्थान/कल्याणकारी निकाय		
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6) अन्य (निर्दिष्ट करें))		
dqy		

vuqlwph 14 & 'kqYd @ va'knku

¼jkf'k & :i,½

	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
1. प्रवेश शुल्क		
2. वार्षिक शुल्क / अंशदान		
3. सम्मेलन / कार्यक्रम शुल्क		
4. परामर्श शुल्क		
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
dqy		

fVIi.kh% प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए ।

vu|l|ph 15 & fuo’kk l vk;

	fuo’k & vU;	
	pky| o"k|	fiNyk o"k|
(निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए गए निवेश से प्राप्त आय का निधि में अंतरण)		
1) ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूति पर	5,045,117.87	3,811,934.44
ख) अन्य बाण्ड/डिबेंचर्स		
2) लाभांश		
क) शेयरों पर		
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर		
3) किराया		
4) अन्य		
d|y	**5,045,117.87**	**3,811,934.44**

निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों को अंतरित

vu|l|ph 16 & jk;YVh] i|dk’ku vkfn l vk;

	pky| o"k|	fiNyk o"k|
1. रॉयल्टी से आय		
2. प्रकाशन से आय		
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
d|y		

vu|l|ph 17 & vftr C;kt

	pky| o"k|	fiNyk o"k|
1) सावधि जमा पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	4,790,722.25	3,565,608.50
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
ग) संस्थानों के साथ	-	536,107.20
घ) अन्य		
2) बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	6,674.00	17,783.00
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थानों के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
3) ऋणों पर		
क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4) ऋणों तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
d|y	**4,797,396.25**	**4,119,498.70**

vuqlph 18 & vU; vk;

¼jkf'k & :i,½

	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	-	-
ख) अनुदानों से अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां	-	-
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय	-	255,941.00
dqy	-	**255,941.00**

vuqlph 19 & fufeZr eky dh LVkWd ,oa izxfr'khy dk;Z esa of) @ ¼deh½

¼jkf'k & :i,½

	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
क) अंतिम स्टॉक		
- तैयार माल		
- प्रगतिशील कार्य		
ख) घटाएं: आंरभिक स्टॉक		
- तैयार माल		
- प्रगतिशील कार्य		
fuoy of) @ ¼deh½ ¼d & [k½		

vuqlph 20 & LFkkiuk 0;;

¼jkf'k & :i,½

	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
क) वेतन एवं मजदूरी		
ख) भत्ते एवं बोनस		
ग) भविष्य निधि में योगदान		
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)		
ड़) स्टाफ कल्याण खर्च		
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवाहित लाभ		
छ) अन्य		
dqy	**0.00**	**0.00**

vuqlwph 21 & vU; iz’kklfud 0;; vkfn

¼jkf’k & :i,½

	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
क) खरीद	-	-
ख) मजदूरी और प्रसंस्करण व्यय	-	-
ग) कार्टेज और कैरिज प्रभार	-	-
घ) विद्युत एवं पॉवर	-	-
ड़) जल प्रभार	-	-
च) बीमा	-	-
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	-	-
ज) सीमा शुल्क	-	-
झ) किराया, दर और कर	-	-
ञ) वाहन चालन एवं रखरखाव	-	-
ट) डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	-	-
ठ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	-	-
ड) यात्रा एवं परिवहन व्यय	-	-
ण) सेमिनार/ कार्यशाला पर व्यय	-	-
त) अंशदान व्यय	-	-
थ) शुल्क पर व्यय	-	-
द) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	-	-
ध) आतिथ्य–सत्कार पर व्यय	-	-
न) वृत्तिक व्यय	-	-
प) अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
फ) बट्टे खाते डाला गया अवसूलनीय शेष	-	-
भ) पैकिंग प्रभार	-	-
म) मालभाड़ा एवं अग्रेषण व्यय	-	-
य) वितरण व्यय	-	-
र) विज्ञापन एवं प्रचार	-	-
व) अन्य	-	-
- बैंक एवं वित्त प्रभार	*1,685.40*	*2,889.90*
dqy	***1,685.40***	***2,889.90***

vulph 22 & vunku] lfClMh vkfn ij O;;

¼jkf'k & :i,½

	pky o"k	fiNyk o"k
क) संस्थानों / संगठनों के लिए दिया गया अनुदान		
ख) संस्थानों / संगठनों के लिए दी गई सब्सिडी		
dy		

fVIi.kh% संस्थान के नाम, दी गई अनुदानों/सब्सिडी की राशि के साथ उनकी गतिविधियों का उल्लेख करें

vulph 23 & C;kt

¼jkf'k & :i,½

	pky o"k	fiNyk o"k
क) सावधि ऋणों पर		-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)		-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें) – सदस्यों को देय ब्याज	9,323,556.00	8,015,557.00
dy	**9,323,556.00**	**8,015,557.00**

foÙkh; fooj.k dk i=i= ¼vyiHkdkjh laxBu½ Hkkjrh; nj'ku vuqlU/kku ifj"kn & vuqnku Hkkx fuf/k [kkrk 31&03&2016 dks lekIr o"kZ ds fy, izkfIr ,oa Hkqxrku fooj.k

¼jkf'k & :i,½

ikfIr	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ	Hkqxrku	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
I. vkjfHkd 'kš"k			1. 0;;		
क) हाथ में नकदी		-	क) स्थापना व्यय	-	-
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय	1,685.40	2,889.90
i) चालू खाते में		-			
ii) जमा खाते में	444,259.01	-			
iii) बचत खाते	226,666.41	147,833.74			
II. ikIr vuqnku			II fofHkUu ifj;kstukvksa ds fy, fuf/k;ksa ls fd;k x;k Hkqxrku (प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)		
क) भारत सरकार से					
ख) राज्य सरकार से					
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण दें) (पूंजी एवं राजव्य व्यय के लिए अनुदान को अलग–अलग दर्शाया जाए)					
III. निम्न में निवेश से आय			III. fd, x, fuos'k ,oa tek		
क) निर्धारित / बंदोबस्ती निधि			क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से		
ख) स्वयं की निधियां (म्युचूअल फंड में निवेश पर)			ख) स्वयं निधि से (निवेश – अन्य)	18,700,000.00	61,200,000.00
			(निवेश – फ्लेक्सी खाता)	2,773,365.00	444,259.01
IV. ikIr C;kt			IV. LFkk;h ifjlEifÙk;ksa ,oa iwathxr dk;Z ij 0;;		
क) बैंक जमा पर	2,806,297.87	3,427,598.92	क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद		
ख) ऋण, अग्रिम आदि			ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय		
ग) विविध	5,089,430.00	6,109,567.00			
घ) बचत पर ब्याज	6,674.00				
V. vU; vk; ¼fufnZ"V djsa½			V. vf/k'ks"k jkf'k@_.k dh okilh		
विविध आय को		255,941.00	क) भारत सरकार को		
			ख) राज्य सरकार को		

31&03&2016 dk lekIr o"kZ ds fy, ikfIr ,oa Hkqxrku fooj.k ¼tkjh---½

¼jkf'k & :i,½

ikfIr	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ	Hkqxrku	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
VI. m/kkj yh xbZ jkf'k			ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को		
VII. dekbZ vU; ikfIr ¼fooj.k nsa½			**VI.** foÙkh; iHkkj ¼C;kt½		907,467.36
शुल्क					
पूंजीगत निधि			**VII.** vU; Hkqxrku ¼fufn"V djsa½		
प्रकाशन की बिक्री			अंतिम भुगतान	31,846,217.00	5,929,021.00
परिसंपत्तियों की बिक्री			अग्रिम एवं निकासी	3,931,000.00	5,210,915.00
सदस्यों से अंशदान	22,843,335.00	18,710,700.00			
ट्राई से अंशदान	4,805,817.00	4,817,260.00	**VIII.** vfre 'ks"k		
शेष का अंतरण		-	क) हाथ में नकदी		
अग्रिमों का पुनःभुगतान	1,104,800.00	903,045.00	ख) बैंक शेष		
एफडी की परिपक्वता/म्युचूअल फंड का नकदीकरण	20,100,000.00	39,549,273.02	i) चालू खाते में		
ट्राई सामान्य निधि से ब्याज कमी की वसूली	-	-	ii) जमा खाते में		
			iii) बचत खाते मे	175,011.89	226,666.41
TOTAL	**57,427,279.29**	**73,921,218.68**	**TOTAL**	**57,427,279.29**	**73,921,218.68**

g0@&	g0@&	g0@&	g0@&	g0@&
Jh th-vkj- jkekuqte	Jh vuqjkx 'kekZ	Jh ,- d- <hxjk	Jherh 'kkfyuh dVkp	Jh lh- ih- ,l cD'kh
,lvkjvks ¼foRr½	mi&lykgdkj ¼iz'kklu½	lqi;Dr lykgdkj	futh lfpo	lykgdkj ¼iz'kklu½
lfpo ¼lhih,Q½	io&inu U;klh	¼,Q,obZ,½ U;klh	¼,Q,obZ,½ U;klh	io&inu v/;{k

vuqlwph 24 & egRoiw.kZ ys[kkdu uhfr;k¡

1 ys[kk ijijk,¡

i) वित्तीय विवरण, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के पत्र दिनांक 23.07.2007 के पत्र संख्याः– एफ. सं.19 (1)/विविध/2005/टीए/450–490 द्वारा अनुमोदित 'लेखे के एक समान प्रारूप'' में तैयार किए गए हैं।

ii) लेखे वर्तमान वर्ष 2015–16 के लिए प्रोद्भवन आधार पर तैयार किया गया है। लेखांकन पद्वति में पिछले वर्ष की तुलना में कोई अंतर नहीं है ।

iii) निवेशों को अनुसूची–10 में दर्शाया गया है ।

vuqlwph 25 & vkdfLed nkf;Ro,¡ vkSj [kkrksa ij fVIif.k;k¡

vkdfLed nkf;Ro,¡%

1 संस्था के खिलाफ कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे – शून्य

[kkrksa ij fVIif.k;k¡

1 निवेश, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) की दिनांक 2 मार्च 2015 की अधिसूचना जो 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी है, में निर्धारित पैटर्न पर किए गए है।

2 अनुसूची 10 (निवेश – अन्य) में वर्णित निवेशों में सरकारी प्रतिभूतियों में रू. 5,97,00,000.00 का निवेश तथा अन्य (बैंक्स/पीएसयू में एफडी में रू. 4,69,00,000.00 का निवेश सम्मिलित है। सरकारी प्रतिभूतियों में रू. 5,97,00,000.00 का निवेश दीर्घ–कालीन निवेश है क्योंकि यह निवेश किए जाने की तिथि से एक वर्ष से अधिक के लिए धारित है। बैंक्स/पीएसयू की एफडी में सभी निवेश दीर्घ–कालीन निवेश हैं (रू. 12,00,000/– की एक एफडी को छोडकर, जो अल्प–कालीन निवेश है)।

3 जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत/व्यवस्थित किया गया है।

g०@&	g०@&	g०@&	g०@&	g०@&
Jh th-vkj- jkekuqte	Jh vuqjkx 'kekZ	Jh ,- d- <hxjk	Jherh 'kkfyuh dVkp	Jh lh- ih- ,l cD'kh
,lvkjvks ¼foRr½	mi&lykgdkj ¼iz'kklu½	lgk;d lykgdkj ¼,Q,ob,½	futh lfpo ¼,Q,ob,½	lykgdkj ¼iz'kklu½
lfpo ¼lhih,Q½	iwo&inu U;klh	U;klh	U;klh	iwo&inu v/;{k

TRAI

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

Printed at: Chandu Press 22526936